(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 16

बुधवार;

29 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

झाड़ोल (कोटा) का पुल निर्माण प्रकरण

354. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में सांसद/विधायक कोटे के अन्तर्गत कोटा जिले में सुकनी नदी पर झाड़ोल के पास पुलिया निर्माण के लिये राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी ?

(2) उक्त निर्माण कार्य में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण मदवार मय मेजरमेंट-बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य के संबंध में ग्रामवासी व स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा घटिया सामग्री व निर्माण की शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) क्या वर्तमान में इस पुलिया का उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि व्यय किये जाने का क्या औचित्य रहा ?

(5) क्या सरकार उक्त पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री एवं अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। वर्ष 1995–96 में सांसद कोटे के अन्तर्गत कोटा जिले में सुकनी नदी पर झाड़ोल के पास काजवे निर्माण के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा के पत्रांक 1229, दिनांक 27–7–95 द्वारा 7.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(2) उक्त काजवे के निर्माण कार्य पर केवल सांसद योजना के अन्तर्गत 7.00 लाख रुपयों का व्यय किया गया। व्यय का विवरण प्रपत्र "अ" में मय एम. बी. (मेजरमेंट–बुक) की फोटो प्रति के साथ सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी, नहीं। जिला कलेक्टर, कोटा के पत्र क्रमांक पं०/जियोप्र/संस्था/क्षेवियो/95/522 दिनांक 28–4–95 द्वारा इस

②

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कार्य के लिये 7.00 लाख रुपयों की राशि प्रावधित की गई थी, तकमीना एवं कार्य की सीमा भी इसी राशि तक सीमित रखने के आदेश थे (संलग्न–प्रपत्र "ब")। अतः स्वीकृत राशि पूर्ण कार्य के लिये अपर्याप्त थी। स्वीकृत तकमीने के अनुसार वेन्टेड काजवे का निर्माण कार्य 80 मीटर की लंबाई में करना था। कार्य स्वीकृत तकमीने के अनुसार किया गया।

(5) उपरोक्त वर्णित कार्य स्वीकृत तखमीने के अनुसार एवं स्वीकृत राशि की सीमा तक विभागीय मानदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है। अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय मंत्री जी का जवाब आया है खंड 4 और खंड 5 में, जिस तरह से इन्होंने बताया है, यह बात अस्पष्ट है। मैं खंड–4 के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इसमें स्पष्ट किया था कि क्या वर्तमान में इस पुलिया का उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि व्यय किये जाने का क्या औचित्य था ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से इसमें यह पूछना चाहता हूं कि खंड 4 में 7 लाख रुपये की राशि सांसद महोदय से, इस गांव की समस्याओं के लिये निवेदन कर दिलायी गयी थी। यदि आज 7 लाख रुपये की राशि का उपयोग होने के बाद भी ग्रामवासियों को इस कार्य से राहत नहीं मिलती है तो इसके क्या ऐसे कारण रहे हैं जिससे यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है ? यदि कार्य पूरा नहीं होने के पीछे कोई कारण रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी इस कार्य पर जो अतिरिक्त राशि खर्च होगी या जितना निर्माण कार्य बकाया है, उसके लिये धनराशि उपलब्ध करवायेंगे ? मेरा पहला प्रश्न है कि जो राशि कम पड़ रही है या जो अधूरा कार्य है उस पर और राशि स्वीकृत करेंगे ?

खंड 5 में जो पूछा गया था कि क्या सरकार उक्त पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री और अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? माननीय मंत्री ने जो खंड 5 का उत्तर दिया था उसी को ही रिपीट कर दिया है। जो खंड 5 में पूछा गया था कि क्या घटिया कार्य किया गया है, या सही कार्य हुआ है, इस बात को आपने स्पष्ट नहीं करके खंड 4 को रिपीट किया है। आपने उत्तर में कहा है कि उपरोक्त वर्णित कार्य स्वीकृत तकमीने के अनुसार एवं स्वीकृत राशि की सीमा तक विभागीय मानदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है। मैंने इस प्रश्न में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि इसका जो निर्माण कार्य किया गया है वह घटिया हुआ है या सही हुआ है ? यदि घटिया हुआ है तो उसकी जांच करवायेंगे ? आपने खंड 5 में जो आंसर दिया है वह बिलकुल अस्पष्ट है। आप खंड 4 में, कि इस पुलिया पर कार्य सही हुआ है, इस बात को स्पष्ट करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सप्ली-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मेंट्री में खंड 4 और खंड 5 के बारे में चर्चा की है । मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गांव को जोड़ने के लिये इस पुलिया का निर्माण था, उस गांव का नाम है झाड़ोल । 1991 की जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी 874 है । 1971 में तो बहुत कम थी, 500 थी । 1981 में 700 थी, 1991 में 874 थी । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, किन्तु फिर भी जो सांसद महोदय थे, उन्होंने, और आपने भी आग्रह किया कि नहीं, हमको तो जोड़ना ही है इसको । कहा गया कि नीति में तो नहीं आता । तो उन्होंने कहा कि मैं 7 लाख रुपये दूंगा । 7 लाख रुपये उन्होंने दिये । कहा गया कि इसमें 27 लाख रुपये लगेंगे । कहा गया कि इस बार तो 7 लाख रुपये ले लो आगे और देंगे या किसी मद में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे । तब 7 लाख रुपये दे दिये । तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि 7 लाख से जो निर्माण होता है उतने निर्माण कार्य का तकमीना बना दीजिए और कर दीजिए । वह बनाकर कर दिया । अब यह बात सही है कि 7 लाख के काम से पूरा काम नहीं हुआ । किन्तु जैसी रिक्वेस्ट की गयी थी और जैसी स्वीकृत की गयी थी, क्योंकि हमारी योजना में तो आता नहीं, इसीलिए प्रावधान हमारे यहां से तो करना संभव नहीं । मैं आपके माध्यम से बताऊं, माननीय विधायक महोदय का खुद का पत्र आया । माननीय विधायक महोदय जरा देखिए आप, पत्र पढ़ रहा हूं । यह 29–11–95 का पत्र है । क्या हुआ कि जुलाई में तो सेंक्शन हो गई थी, हमने इनको कहा कि हम शुरू नहीं करेंगे, बड़ी गड़बड़ हो जायेगी । 7 लाख का काम बीच में ही रह जायेगा, कुछ होगा नहीं । आपने कहा कि नहीं, आप तो शुरू करो । पत्र लिखा है इन्होंने—माननीय अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खंड, कोटा । 29–11–95 को, जुलाई में तो मंजूर हो गया, 5 महीने जब काम शुरू नहीं किया कि यह काम नीति में नहीं आता, और 7 लाख में पूरा काम नहीं होगा, तो आपने लिखा—

"इटावा, झाड़ोल सड़क से स्वीकृत पुलिया का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने बावत ।"

मान्यवर,

इटावा, झाड़ोल सड़क पर मुकनी नदी पर पुलिया निर्माण के लिये 7 लाख रुपये की स्वीकृति सांसद कोटे से की गई थी परन्तु स्वीकृति के बाद भी विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने व राशि कम होने की बात कहने से कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है । अतः आप इस पुलिया पर स्वीकृत राशि का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवायें । यदि इस कार्य हेतु राशि कम पड़ती है तो अन्य योजनाओं से राशि स्वीकृत कराने का प्रयास करूंगा ।"

यह माननीय सदस्य का पत्र है । 7 लाख में जितना काम हो गया, आशा भी थी । उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे, आजकल उदयपुर में चले गये, उन्होंने माननीय सांसद, जो राज्य मंत्री भी थे, उनसे निवेदन किया था । उन्होंने कहा कि 7 लाख अभी ले लो 95–96 में । 96–

(४)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

97 में 7 लाख, 97–98 में 7 लाख और सात तिया इक्कीस, इस तरह सत्ताइस लाख का काम हो पूरा हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या निवेदन करूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस पत्र के माध्यम से, और मैं भी लिखूंगा पत्र, रिक्वेस्ट तो उनसे की है कि माननीय सांसद महोदय, 20 लाख का काम और है, कृपया इसे स्वीकृत कर दें। अभी वह सांसद भी हैं ताकि जो नीति में काम नहीं आता था झाडोल गांव का, उसको आपकी प्रबल इच्छा के कारण जोड़ा जा सके। यह तो बात हो गई है।

क्रमांक–5 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। किन्तु क्या हुआ कि निर्माण होने के बाद माननीय विधायक महोदय का फोन गया था एक्स.ईएन. को। निर्माण जब तक होता रहा तब तो कोई शिकायत किसी ने नहीं की। लिखित में कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य ने फोन किया एक्स.ईएन. महोदय, को एक्स.ईएन. महोदय ने तुरन्त जाकर वहां देखा। देखकर क्वालिटी कंट्रोल से सारे रीडिंग लिये और जिस प्रकार का मानदण्ड था, इसके अनुसार बनाये, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जांच जिसके विरुद्ध करूं ? और इसीलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि 7 लाख रुपये का काम हो गया है, 20 लाख की जरूरत और है। माननीय सदस्य, आपकी और माननीय सांसद महोदय की प्रबल इच्छा है, नीति में नहीं आता इसलिए आप और मैं दोनों मिलकर भुवनेश जी चतुर्वेदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह कृपया इसमें योगदान करें और इस पुलिया को हम बना लेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड चार में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है। मेरा प्रश्न लगाने का जो मेन आधार था, इतनी राशि खर्च होने के बाद इस कार्य को किसी भी तरह से पूरा करवाया जाय। जो सांसद महोदय के प्रति आपने आश्वासन दिया है तो मै भी रिक्वेस्ट करूंगा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने नहीं दिया आश्वासन, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और आप और मैं दोनों मिलकर....

श्री रामगोपाल बैरवा : मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन माननीय..(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और कुछ आप, 5 लाख में से कुछ आप भी देंगे, आपका विधान सभा क्षेत्र है, कुछ फरमाओ।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय को साल में एक करोड़ मिलता है उसमें 7 लाख रुपये दिये। आपके पास काफी बड़ा फण्ड है। आप यह इस सदन में घोषणा करिये कि जो अधूरा कार्य है उसको मैं पूरा करवा दूंगा। आप सांसद महोदय के ऊपर ही क्यों बोल रहे हो।

श्री परसादीलाल मीणा : कोटा जिला है, उनका क्षेत्र है आप ही वहां जाकर घोषणा कर आये थे। वह आप ही कर दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ग्राप यूं ही बोल रहे हो।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बात ग्रौर कही कि यह मापदण्ड के ग्रन्तर्गत नहीं ग्राता है। जब पहले ही इस पर राशि स्वीकृत हो गयी तो जो ग्रधूरा निर्माण कार्य हैं उसको पूरा करवाने का दायित्व सरकार पर होता है। तो मापदण्ड वाली ग्रब बात ही नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : ग्राप भी प्रयास करें, माननीय मंत्री महोदय भी प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। भुवनेश जी चतुर्वेदी मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

नारी निकेतन महिला सदन प्रकरण

355. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997–98 में नारी निकेतन/महिला सदन की ग्रावासनियों के यौन शोषण, ग्रमानवीय व्यवहार करने ग्रौर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न कराने के कितने प्रकरण सामने ग्राये? सरकार द्वारा उक्त मामलों में ग्रब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी घटनाग्रों की पुनरावृति पर रोक लगाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो किस प्रकार?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) माननीय ग्रध्यक्ष, महोदय, विभाग द्वारा महिलाग्रों के लिए महिला सदन, जयपुर एवं मानसिक विमंदित महिला गृह, जयपुर संचालित किये जा रहे हैं। महिला सदन, जयपुर से सम्बन्धित कोई भी इस प्रकार का प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं ग्राया है, परन्तु मानसिक विमंदित महिला गृह, जयपुर की दो ग्रावासनियों के साथ हुए बलात्कार की सूचना ग्रक्टूबर, 1994 में प्राप्त हुई।

(2) उक्त प्रकरणों में लिप्त दोषियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी। वर्तमान में दोनों....

श्री ग्रध्यक्ष : इन्होंने 97-98 का पूछा था, 94 का नहीं पूछा हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, इन्होंने 97-98 का पूछा, मैंने कहा ऐसा कोई प्रकरण नहीं ग्राया परन्तु फिर भी ऐसा मैंने ग्रागे बताया है।

श्री परसादीलाल मीणा : तो जो नहीं पूछा है उसका क्या जवाब दे रहे हो।

श्री मदन दिलावर : ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, ग्रभी तो इन्होंने पूरा का जवाब ही नहीं दिया। ग्रभी तो चार प्रश्न हैं मेरे, चारों में से एक का भी जवाब नहीं दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : क्या?

श्री रामस्वरूप मीणा : कहां ग्रा गया? यह देखो इतना लम्बा-चौड़ा जवाब

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दिया है, इसको कहीं पढ़ा ही नहीं, बताया ही नहीं इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : आप इसको पढ़ लें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन्होंने जो मुझे जवाब दिया है वह बिल्कुल गलत दिया है । इस बारे में मेरे तीन प्रश्न है । प्रथम प्रश्न यह है कि इन्होंने इसमें यह लिखा है कि इस प्रकार के प्रकरण विभागी जानकारी में नहीं आये हैं । परन्तु मानसिक विमंदित महिला गृह, जयपुर की दो आवासनियों के साथ हुए बलात्कार की सूचना अक्टूबर, 1994 में प्राप्त हुई है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मेरा तो यह निवेदन है कि इन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार की हमको सूचना 1994 में कोई प्राप्त हुई थी । उसके आधार पर इन्होंने उत्तर तो दे दिया लेकिन मेरा जो निवेदन है वह यह है कि माननीय मंत्री जी यह बतावें कि.... (व्यवधान) । सुनो तो सही आप, क्यों विरोध कर रहे हो ? बात को तो आने दो आप किसी तरह से । मेरा तो सीधा-सा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : 1997-98 का बोलिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा तो विनम्र निवेदन है कि 97-98 का इन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी जिसको हमने मात्र बता दिया । लेकिन इन्होंने एक सूचना नहीं बतायी, वह मेरे से छुपायी है । वह सूचना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जिन्होंने सदन में दुराचरण किया था और यह महिला सदन है, उनका दुराचरण पकड़ा गया था । मामला निगम की बैठक में भी उठा था । इन तथ्यों को आपने छुपाया । इस प्रकार का महिलाओं के साथ दुराचरण करने वाले इन पार्षदों को आपने अब तक क्यों नहीं दण्डित किया ? इनको क्यों नहीं पकड़ा ? इनके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? यह मेरा प्रश्न है । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने उत्तर दिया है कि जो महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, जो गर्भवती की गयी थीं, वे विमंदित महिलाएं थीं, मंदबुद्धि थीं । उनके साथ ऐसा हुआ है । क्या वह मानव नहीं थीं ? क्या उनके साथ आप लोगों को ऐसा करने का अधिकार है और क्या उनकी रक्षा नहीं की जा सकती थी जो उनके साथ ऐसा हो गया । कोई बात नहीं, अगर इन्होंने उसका उपाय बताया है कि हमने अब उनको अलग रख दिया, उसकी अलग व्यवस्था कर दी गयी हैं । मैं तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अलग व्यवस्था क्या की आपने ? क्या उनको आपके यहां क्वार्टर में कोई अलग जगह बता दी या कोई और जगह आपने निश्चित की है उनके लिए ? वह क्या जगह की है निश्चित, उसको भी कृपया खोलें सदन के सामने कि वह व्यवस्था की गयी है । क्या आपने अच्छी व्यवस्था की है ? क्या पहले से अच्छी कोई व्यवस्था की है या कोई खराब व्यवस्था की है । तीसरा, आपने कहा है कि वहां से सब पुरुषों को हटा दिया गया है । वहां पर किसी पुरुष

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कर्मचारी को नहीं रखा जायेगा । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज भी उसमें चार पुरुष कर्मचारी लगे हुए हैं । कृपया आप शाम को जांच कर लें । अध्यक्ष महोदय, एक समिति बना दो सदन की, जो जाकर जांच कर ले । अगर आज भी पुरुष कर्मचारी वहां पर नियुक्त मिल जाएं तो आप माननीय मंत्री जी, इस सदन के अन्दर इस्तीफा दे दें वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा । बोलो, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में ? इतनी बड़ी असत्य सूचना सदन को दी है । अध्यक्ष महोदय, आपके सामने, इतना बड़ा+++इन्होंने क्वेश्चन का उत्तर लगाने में दिया है । इसलिए महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं या उनमें जो गर्भवती रखी गयी थीं, वास्तव में आपकी मंशा ऐसी विमंदित महिलाओं के साथ दुराचरण करने की थी । अगर आप चाहो कल ...

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, भाषण नहीं देंगे आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : कृपया आप इसका उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, ये पुरुष अधिकारी क्या कर रहे हैं ...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने छात्रावास सम्बन्धी चर्चा की है । यह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं है । पता नहीं, माननीय सदस्य ने कहां की चर्चा की है, यह मेरी जानकारी में नहीं है । परन्तु यह सच है कि जिसकी चर्चा की है वह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित नहीं है । रहा, इन्होंने कहा अच्छी व्यवस्थाएं क्या कर दीं, इन्होंने विमंदित महिलाओं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गांधीनगर सदन की है, गांधी नगर में महिला सदन है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सुनें ।

श्री मदन दिलावर : दूसरा प्रश्न जो किया है, इन्होंने कहा है कि अच्छी व्यवस्थाएं क्या कर दीं । हमने उनमें सारा नया सामान कर दिया । पुस्तकें, लिपाई-पुताई, मरम्मत, जितना करना था करने ही हैं । उस परिसर के अन्तर्गत कोई भी पुरुष कर्मचारी अब नहीं है । प्रशासनिक दृष्टि से बाहर आफिस में कर्मचारी रहते हैं, पर अन्दर कोई भी नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष : हां नहीं है साहब ।

श्री रामस्वरूप मीणा : और जिन कर्मचारियों को लगा रखा है वह लोग भी +++ करते हैं और भीतर प्रवेश कराते हैं रात्रि के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें । नेक्स्ट । श्री शिवकिशोर सनाढ्य (व्यवधान) .. कृपया विराजें । माननीय सदस्य, पर्याप्त उत्तर आ गया ।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(8)

उदयपुर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रकरण

356. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 8 के बाईपास शुरू हो जाने पर भारी वाहनों की शहर में आवागमन पर रोक लगने से सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि हिरण मगरी मार्ग पर कोई ट्रक आदि भारी वाहन न जाय, इस हेतु प्रशासन ने रोक लगाई थी ? यदि हां, तो इस रोक को हटाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि आयुर्वेद सेवाश्रम रेलवे क्रोसिंग से आगे हिरण मगरी क्षेत्र में रेत और पत्थर के ट्रक खड़े रहते हैं जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है । यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन के नये निर्देश पर अब दिन में भी भारी वाहन, ट्रक आदि शहर में प्रवेश करेंगे । यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) कुल 1033 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 122 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(2) जी, हां ।

(3) जिला प्रशासन द्वारा हिरण मगरी क्षेत्र सहित उदयपुर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया है, जो वर्तमान में भी लागू है । उक्त आदेश में दिन को 11 ए.एम. से 4 पी.एम. तक कृषि उपज मण्डी, सवीना खेड़ा तथा सुखेर बाईपास से वाहन शहर में माल भरने/खाली करने हेतु प्रवेश हो सकते हैं लेकिन कोई भी वाहन प्रताप नगर बाईपास से शहर में उक्त समयावधि में प्रवेश नहीं कर सकता ।

(4) जी, नहीं ।

(5) केवल वही वाहन शहर में दिन को 11 बजे से 4 बजे शाम तक प्रवेश पा सकते हैं जिन्हें उदयपुर शहर में माल खाली करना हो या माल भरना हो । इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट यूनियन व जनता के गणमान्य नागरिकों से विचार-विमर्श कर अधिसूचना जारी करायी गयी ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह 11 ए.एम. से 4 पी.एम. जो इन्होंने समय इसमें निर्धारित किया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के गोदाम नेहरू बाजार में हैं । यहां धान मण्डी के अन्दर का एरिया और दिल्ली दरवाजा आदि से ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें से अधिक से अधिक लोग दिन के अन्दर ही व्यापार करने की दृष्टि से निकलते हैं ।

दूसरा, एक ट्रांसपोर्ट नगर नया बन रहा है गावर्धन बिलास की तरफ और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर प्रताप नगर के पास

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

में लोगों ने बना दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सारे ट्रांसपोर्टर्स को वहां पर क्यों नहीं शिफ्ट करते हैं और अगर यह माल खाली करना है धान मण्डी में आकर के या नेहरू बाजार में या कलेक्ट्रेट के पीछे, जहां स्कूल भी है, वह सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं 11 बजे से 4 बजे के बीच में। तो यह बहुत गलत समय उन्होंने निर्धारित किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले रेती स्टेण्ड पर रेती की गाड़ियां खड़ी रहती थीं लेकिन बाद में उन्होंने सेवाश्रम चौराहे पर आकर के खड़ी करना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने इसमें उत्तर दे दिया है कि ये खड़ी नहीं रहती हैं। लेकिन अभी भी, अगर कभी देखा जाये तो इनकी वजह से वहां पर यातायात अवरुद्ध होता है। आपने अपने पांचवें उत्तर में मुझे बताया कि वहां के जो गणमान्य नागरिक थे, प्रशासन के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे, ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग थे, उनसे बात की। लेकिन सब जगह यह है कि यातायात समिति बनी हुई है जिसमें एम. एल. ए. भी उसका एक मेम्बर होता है। यातायात समिति में तो यह चर्चा नहीं की। और किन लोगों से चर्चा की गई, उनके नाम भी इसमें आपने कहीं नहीं बताये हैं। और उनसे यह सारी चर्चा करके 11 से 4 बजे का टाइम निर्धारित किया है। मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा, मेरी आपसे अपील है कि कृपया उस शहर में जिसमें अब तक इतनी हत्याएं हुई इन ट्रकों के कारण से ही, बाई-पास नहीं होने की वजह से। अब तो माननीय ललित किशोर जी ने बी. ओ. टी. के अन्तर्गत बना दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि अब कोई दुर्घटना नहीं घटित हो। ऐसा कोई प्रबन्ध कर दें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-5-1998 को इस बाई-पास का उद्घाटन हुआ। इसलिए हैवी व्हीकल्स सुखेर से बाइ-पास होकर के निकलना चालू हो गये। उसके बाद माननीय विधायक का यह कहना है कि 11 से 4 बजे का समय जो प्रतिबन्धित किया है, यह असुविधाजनक है। यह असुविधाजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात के संचालन को नियन्त्रित और नियमित करने के लिए हम नियमित चर्चा करने की स्थिति में रहते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यातायात कर्मी, वहां का पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन और उनसे भी चर्चा करके, और इसमें और जो ज्यादा अच्छी स्थिति बन सकेगी और कौनसा समय दिया जाना चाहिए, इस बारे में, क्योंकि शहर में माल खाली करने और माल उठाने के लिए तो ट्रकों को अलाऊ करना पड़ेगा। उसको हम ज्यादा सुदृढ़ और सुरक्षित व्यवस्था करने में सदैव पुनर्विचार करने को तैयार हैं। मैं इस तरह के निर्देश जिला प्रशासन को दे दूंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक.... (व्यवधान) एक ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

(10)

शहीद सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

358. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शहीद सैनिकों की विधवाओं को पेंशन लेने हेतु जिला अथवा तहसील मुख्यालयों पर आना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार उक्त विधवाओं को उनके ग्राम में पेंशन दिये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री शिवदान सिंह चौहान) : (1) जी, नहीं । रक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार 1–4–1978 से शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं अन्य रक्षा सेवाओं से पेंशनरों को बैंकों के माध्यम से ही पेंशन भुगतान का प्रावधान कर रखा है ।

(2) केन्द्र सरकार के प्रावधानानुसार विधवा पेंशनर या अन्य श्रेणी के पेंशनर गांव के निकट स्थित बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह उन शहीदों की विधवाओं के सम्बन्ध में पेंशन का प्रश्न है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अब उपाध्यक्ष जी नहीं, बल्कि अध्यक्ष जी कहिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आई एम सॉरी ।

श्री अध्यक्ष : फरमाएं साहब ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह उन शहीदों की विधवाओं के पेंशन मिलने के सम्बन्ध में प्रश्न है जिन शहीदों ने अपना बलिदान देश की सुरक्षा के लिये दिया है । उनकी आत्माएं कम से कम यह जरूर चाहती हैं कि उनकी विधवाओं को जो भी पेंशन सरकार दे सकती है, वह सुविधा के अनुसार उनके घर पर पहुंच जाए । जब हम वृद्धों के लिए मनी-आर्डर से घर पर पेंशन भेज सकते हैं तो फिर इन विधवाओं को घर पर पेंशन मिल सके इसका प्रबन्ध सरकार क्यों नहीं कर सकती ? जहां तक आपने कहा कि हमने बैंकों में कर रखी है, मैं अपने गांव का ही उदाहरण देता हूं । मेरे गांव से बैंक कोई 25–30 किलोमीटर दूर है । राजस्थान में ऐसे बहुत दूरस्थ गांव हैं जहां बैंक पास में नहीं है, पोस्ट आफिस पास में नहीं है । जब हम और वृद्धों के लिए मनी–आर्डर से पैसे भेज सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि, केन्द्र सरकार से ही इसका ताल्लुक है, परन्तु राजस्थान सरकार भी इस काम को कर सकती है । राजस्थान सरकार अगर खुद नहीं कर सकती है तो केन्द्र सरकार के पास तो सुझाव दे सकती है कि वह इस पेंशन को घर पर पहुंचाने की व्यवस्था करे । अन्यथा वृद्ध लोग हैं, बरसात, जाड़े या गर्मी का मौसम होता है । इतना दूर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता है । बैंकों के अतिरिक्त यदि पोस्ट आफिस नजदीक है तो पोस्ट आफिस में उनको पेंशन मिलने की सुविधा होनी चाहिए । अन्यथा इस प्रकार का कोई चलित पेंशन पे करने का कार्यालय चलना

(श्री हरिसिंह)

चाहिए जो घर पर पेंशन पहुंचाए या मनीआर्डर से पेंशन पहुंचानी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री शिववान सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह भारत सरकार का आदेश है, रक्षा मंत्रालय का निर्देश है। फिर भी माननीय सदस्य की जो भावना है वह राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अवगत करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : क्या करेंगे ?

श्री शिववान सिंह चौहान : आगे पहुंचा देंगे, भारत सरकार को निवेदन कर देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप प्रयास इसके लिए। सुझाव दीजिए। उनके लिए इसका प्रयास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कर रहे हैं, कह दिया। विराजिए। श्री विष्णु मोदी।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर हेतु ईको कलर डापलर मशीन का खरीद प्रकरण

358. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) के स्थान पर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1996 में सहभागी नगर योजना के तहत सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के हृदय रोग विभाग 2–डी में इको कलर डापलर-2000 मॉडल की मशीन क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस-किस देशी/विदेशी कम्पनियों से निविदाएं प्राप्त हुई और उनकी दरें क्या थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मशीन सप्लाई किये जाने हेतु मैसर्स हैवलेट पैकर्ड कम्पनी, हांगकांग की दरें अन्य कम्पनियों से अधिक होने के बावजूद उक्त फर्म से संशोधित दरें आमन्त्रित किये जाने के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मशीन की राशि अधिक वसूले जाने की शिकायतें प्रकाश में आने पर वित्त विभाग के किसी अधिकारी से जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी से और जांच का निष्कर्ष क्या रहा ?

(4) क्या यह भी सही है कि जांच के उपरान्त उक्त कम्पनी ने इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था कि उसने पूरे देश में इस प्रकार की मशीन एक ही कीमत पर सप्लाई की है ?

(5) क्या उक्त कम्पनी ने इसी मॉडल की मशीन रेल्वे हॉस्पिटल, दिल्ली तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, दिल्ली को क्रमशः 48 एवं 50 लाख रुपये में सप्लाई की है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त कंपनी ने मशीन की कीमत के अलावा मशीन के पुर्जे तथा उसके साथ आने वाली सामग्री में काफी हेराफेरी की है तथा मशीन में लगे कलर प्रिंटर के काम करने हेतु निर्धारित

(12)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सोफ्टवेयर नहीं डाले जाने से मशीन कलर प्रिंट नहीं दे पा रही ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप विष्णु मोदी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने मुझसे अनुमति ली है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लैटर है साहब, और वैसे भी मैं विष्णु मोदी का पॉवर ऑफ अटोर्नी लेटर हूं। (व्यवधान) नहीं, आप फरमा दें, मैं क्या हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : आप पॉवर ऑफ अटोर्नी लैटर से भी ज्यादा हैं।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी, हां। जिन कम्पनियों/फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई थीं, उनका तथा प्राप्त दरों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण एवं जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(3) जी, हां। जांच विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग से करवायी गयी थी, जिस पर निर्णय विचाराधीन है।

(4) जांच पर निर्णय होने पर ही बात स्पष्ट हो पाएगी।

(5) विभाग के पास इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(6) जी, नहीं। मशीन की स्थापना तिथि से ही दोनों प्रिंटर कलर ब्लैक एण्ड व्हाइट मौजूद हैं तथा जिस प्रकार के प्रिंट की आवश्यकता होती है वहीं प्रिंट प्राप्त कर लिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख का विषय है। इतना बड़ा घोटाला है इसमें और माननीय मंत्री जी का उत्तर बिलकुल +++

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि खण्ड दो के जवाब में आपने कहा कि जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण एवं जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकी है। यह क्या बात हुई कि स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती है ? परन्तु रिपोर्ट आपके पास.... किस प्रकार की टिप्पणी करना चाहते थे, आपको बताना चाहिए था। तो आप किस प्रकार की....।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि एक मशीन उदयपुर में खरीदी गयी। उदयपुर में जो मशीन खरीदी गयी और जो यह मशीन खरीदी गयी, उसमें जितना रुपये का फर्क है, और जब आपने एक बार जांच करा ली और यह फैसला कर लिया कि जांच करा कर उसका, एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट राजस्थान ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन है उसके अन्दर आप उसका केस दर्ज कराएंगे। वह जांच रिपोर्ट क्या

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

आयी और जांच रिपोर्ट तो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दी और डिपार्टमेंट को दी है। तो वह जाच रिपोर्ट क्यों नहीं सदन के पटल पर रखी जाती है। और जब यह फैसला हो गया था कि 30 लाख रुपये का फर्क है। जो मशीन उदयपुर में खरीदी गयी, उसमें 30 लाख रुपये का फर्क है। जांच की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो जांच अगर हुई थी कि नहीं हुई थी, तो क्या हुई ? और फिर यह फैसला हो गया था कि आर. एस. बी. आई. में कोई मुकदमा दिया जाएगा वह क्यों नहीं दिया गया ? इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर और उदयपुर के अन्दर टू–डी– इको कलर डापलर खरीदने की बात थी क्योंकि दोनों जो खरीदी गयी मशीन हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस अलग–अलग हैं।

अध्यक्ष महोदय, वही बात है, जिस तरह से मारूति कम्पनी की 800 सी. सी. की मारुति कार है, उसकी दर कम रहती है और अगर 1000 सी. सी. की खरीदेंगे, एस्टीम खरीदेंगे, उसकी दर ज्यादा रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि इस बारे में समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, 14-7-1997 को मैने निर्देश जारी किये थे कि इस पूरे प्रकरण की जांच, क्योंकि समाचार पत्रों में यह आया है कि जो उदयपुर में मशीन खरीदी गयी और जो मशीन जयपुर में खरीदी गयी, दोनों की दरों में अन्तर है, हमने जांच करवायी। जांच करने के बाद में, पहले हमने अपने वित्तीय सलाहकार से जांच करवायी, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है। उसके बाद यह पूरी जांच स्पेशल सैक्रेटरी, मेडिकल को दी। स्पेशल सैक्रेटरी मेडिकल ने 5–8–1997 को अपनी जांच रिपोर्ट दी और उस जांच रिपोर्ट से कुछ टिप्पणियां सामने आयीं। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा कि इस पूरे प्रकरण के अन्दर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इसलिए 13–8–1997 को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को जांच दे दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सैक्रेटरी, एक्सपेंडिचर ने इसकी जांच प्रारम्भ की। अब वह जांच का प्रतिवेदन हमारे पास आ जाए। प्रशासनिक विभाग को जांच का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने प्रार्थना की थी, वित्त मंत्रीजी को पत्र लिखा है और वित्त सचिव जी से भी बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह के अंदर जो भी जांच प्रतिवेदन है, उस जांच प्रतिवेदन के आने के पश्चात् यह बात माननीय सदस्य, सामने आएगी कि क्या इसके अन्दर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो किसी भी दोषी को बचाने की मंशा किसी की भी नहीं है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा और जांच प्रतिवेदन के आधार पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित तौर पर की जाएगी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो मंत्री जी ने यह

(श्री विष्णु मोदी)

कहा... (व्यवधान) ... +++ राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको इस तरह से खर्च हो जाए और उस पर +++ तो यह शोभाजनक बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मारुति 800 और फोर्ड, एस्कोर्ट, एस्टीम या ओपेल एस्ट्रा या सिएलो, यह सब अलग-अलग मॉडल हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या चीज है?

श्री विष्णु मोदी : जो अभी आपके मंत्री जी बता रहे थे कि 800 की कीमत कम होगी, जेन की ज्यादा होगी और उसकी ज्यादा होगी तो वह स्पेसिफाई कर रहा था। तो एक निविदाएं मांगी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बीमारी में काम आती है क्या ?

श्री विष्णु मोदी : तिवाड़ीजी, बीमारी का इलाज होने जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई टेण्डर किया जाता है तो डाकुमेंट्स में स्पेसिफिकेशन होता है। यहां प्रश्न कहां आ गया कि 800 की कीमत कम होगी और जेन की ज्यादा होगी। जिस स्पेसिफिकेशन की उदयपुर में मशीन खरीदी गयी तीस लाख रुपये में और जयपुर में खरीदी गयी 73 लाख रुपये में, क्या वे दोनों मशीनें एक ही स्पेसिफिकेशन की थीं या उनमें स्पेसिफिकेशन चेंज होने की बात थी ? तो पहले तो मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि आपने जो टेंडर किया जयपुर के लिये, उसके स्पेसिफिकेशन क्या वे ही थे जो उदयपुर की मशीन खरीदी गयी थी उसके।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। प्रतिवेदन आया नहीं है और यह सात दिन में आ जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन में सुनते-सुनते हमारे कान पक गये कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी के खिलाफ यह होगा, वह होगा। इससे तो कुछ गाड़ी चलने वाली नहीं है। यह सवाल इस बात का है कि आप इस सदन में इस बात की घोषणा करें कि क्या स्पेसिफिकेशन सेम थे या स्पेसिफिकेशन आपने टेंडर करने के बाद में चेंज किये। और अगर चेंज किये तो क्यों किये? और एक सप्ताह में नहीं, यह विधान सभा 4 तारीख तक चल रही है, आप कोई भी दिन उसके पहले यह तय कर दें कि आप वह जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दें और जिन व्यक्तियों के खिलाफ अनियमितताएं हैं, उन पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? इस सदन के समाप्त होने से पहले-पहले राजस्थान की जनता को यह जवाब चाहिए कि आपकी गड़बड़ियों से, गफलत से, भ्रष्टाचार से इस तरह का काम, कि 36 लाख में एक जगह खरीदी, 73 लाख में दूसरी जगह खरीदी और उसका कोई जवाब हमें नहीं मिले। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए इस सवाल पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस पूरी खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया....

श्री विष्णु मोदी : मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिकेशन क्या थे ?

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : मुझे स्पेसिफिक जवाब चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सुन लो आप।

श्री विष्णु मोदी : उदयपुर के स्पेसिफिकेशन क्या थे, जयपुर के स्पेसिफिकेशन क्या थे ? क्या उदयपुर में मारुति 800 थी और जयपुर में क्या एस्टीम थी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने सवाल अब खड़ा किया है। 14 जुलाई को मेरे डाइरेक्शन पर एक पत्र जांच के लिए हैल्थ सैक्रेटरी ने लिखा है. मैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले स्पेसिफिकेशन चाहता हूं। पहले मैं स्पेसिफिकेशन चाहता हूं कि उदयपुर में क्या स्पेसिफिकेशन थे और उदयपुर की मशीन में क्या स्पेसिफिकेशन थे ? इन्होंने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, इससे मुझे कतई सरोकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : "There is a news item in the Rajasthan Patrika dated 14th July, 1997 regarding purchase of 2-D Eco-Cardiac machine in S. M. S. Hospital at exorbitant prices. The Minister has desired that this should be inquired into in toto. According to Financial Advisor, Medical & Health. Director, Shri Vishnu Sharma is deputed to look into the facts and circumstancas of purchase and give a report within 10 days."

अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने कही स्पेसिफिकेशन की बात। जो मशीन एस. एम. एस. में खरीदी गयी वह मशीन थी 2-डी ईको कलर डापलर मॉडल एच. पी. सोनोस 2000, मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि उदयपुर के क्या स्पेसिफिकेशन थे और जयपुर के क्या स्पेसिफिकेशन हैं ? मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय; जो मशीन उदयपुर में खरीदी गई वह मशीन थी 2-डी. ईको कलर डापलर मॉडल एच. पी. सोनोस 1000, दोनों के स्पेसिफिकेशन में फर्क था। अध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल है....

श्री विष्णु मोदी : यह जब टेंडर किया गया....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल किया गया कि इस पूरे मामले के अन्दर जो स्पेसिफिकेशन थे, वह कौन तय करता है। मशीन क्रय करने का

(16)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तय किया मेडिकल रिलिफ सोसाइटी के द्वारा बैठक करके 1996 में। और अध्यक्ष महोदय, 16 जून को मशीन किस तरह की आये, उसके लिए एक टैक्निकल कमेटी बनी, जिसके अन्दर डाक्टर मधोक, जो एच.ओ.डी. हैं कार्डियोलाजी के, वे चैयरमैन थे। डाक्टर के. एल. सक्सैना, प्रोफेसर, कार्डियोलाजी और डाक्टर एस.के. चुट्टानी। इन्होंने बैठकर के उसके स्पेसिफिकेशन तैयार किये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स हैं, वह फैक्ट्स आपसे छुपाने की मंशा कतई नहीं है, मैं यह स्वीकार करता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 24 अगस्त को पुन: बैठक हुई टैक्निकल कमेटी के लोगों की, और उसके अन्दर स्पेसिफिकेशन पर फिर बात आयी। और उसके बाद में, उसमें डाक्टर मधोक थे, डाक्टर जैन थे और उनके साथ दूसरे लोग भी थे, उन्होंने उसमें स्पेसिफिकेशन यह तय किया कि चूंकि 2-डी इको कलर डापलर के अन्दर नयी टैक्निक आ गयी है, इसलिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन बदले, इसमें कुछ बदला। इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, 9.9.1996 को इसके ग्लोबल टेंडर किये गये और 6.12 1996 को टेंडर खोले गये। 16.1.1997 को, अध्यक्ष महोदय, टेंडर फाइनलाइज करने के लिए जो टैक्निकल कमेटी थी, जिसके अन्दर डाक्टर मधोक, डाक्टर चुट्टानी और अनूप जैन, तीनों थे, इन्होंने प्राइस कम्पेरेटिव चार्ट बनाया और उस पर तीनों ने हस्ताक्षर किये। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यह क्रय समिति, जो स्टोर पर्चेज समिति है, जिसके अन्दर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट डाक्टर के.एस. यादव, सर्जरी के प्रोफेसर डाक्टर कासलीवाल और हमारे लेखाधिकारी श्री अग्रवाल तीनों शामिल थे। इन्होंने जो रिकमण्डेशन की थी टैक्निकल कमेटी ने प्राइस कम्पेरीजन चार्ट बनाकर के उसके अनुसार इन्होंने एक कम्पनी को आदेश दे दिया। 21.3.1997 को उसकी एल. सी. खुल गयी और 28.6 1997 को मशीन आ गयी और 23.7.1997 को इस मशीन ने काम करना चालू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 14.7.1997 को जब यह सारी प्रक्रिया चल रही थी, तब ही हमने इसके लिए जांच की। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ ने भी इसकी जांच की। और जांच के अन्दर जो हमारे पास बिन्दु आये, उन बिन्दुओं को देखकर हमें यह लगा कि हेवलेट पेकर्ड, जो कम्पनी है, इसके लिए स्पेसिफिकेशन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यही मशीन खरीदी जाए, इसके लिए स्पेसिफिकेशन उसी तरह से बनाये गये हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे प्रकरण की जांच, खुद लिखकर कहा है विभाग ने, कि इसकी जांच स्पेशल सैक्रेटरी फाइनेंस से करवायी जाए। वह जांच हो गयी। उसकी जांच का प्रतिवेदन ज्यों ही मुझे प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। और अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स सामने आये, वह मैंने एक-एक फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है।

(श्री विष्णु मोदी)

किन डाक्टरों ने, क्या-क्या तारीखें थीं, क्या हुई, यह सिर्फ राम कहानी है। जो स्पेसिफिक बिन्दु है, उसका जवाब मंत्रीजी ने नहीं दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर के 1000 था, जयपुर के लिए आपने 2000 का, क्या जब आपने स्पेसिफिकेशन, जब उदयपुर में 1000 था, यहां आप कहते हैं 2000 था, लेटेस्ट टैक्नोलाजी आ गयी थी। तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि उदयपुर की मशीन का आउटपुट क्या है, उदयपुर की मशीन की परफोरमेंस क्या है? और क्या लेटेस्ट टैक्नोलाजी के इसमें चेंजेज आ गये थे कि जो इसमें 36 लाख से 73 लाख रुपये हो गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्पेसिफिकेशन, मेरा यह स्पेसिफिक आरोप है कि उसी कम्पनी से महंगी मशीन खरीदने के लिए 1000 का 2000 का नाम लेकर के उसी माडल की मशीन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज जांच करायी जाए तो वही माडल, वही मशीन, वही परफोरमेंस, वही आउटपुट और वही सब-कुछ होते हुए एक मशीन के 36 लाख रुपये दिये और दूसरी के 73 लाख। तो क्या आपने परफोरमेंस जांच करायी थी, क्या आपने वह टैक्नोलॉजी का डिफरेंस इवेल्युएट किया था? उसका स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और दूसरा जवाब यह चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मेरे पास प्रतिवेदन आ जाएगा। प्रतिवेदन चलकर आएगा? और जब आपने यह साल भर से ही नहीं मंगाया और आपके डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो आया नहीं प्रतिवेदन, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने जो जांच की थी, उसका प्रतिवेदन तो आप सदन के पटल पर रख दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): एक सवाल मेरा भी है, जवाब साथ ही आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से पूछना यह है कि इसी कम्पनी के द्वारा एक एफिडेविट दिया गया राजस्थान सरकार को, कि देश में जितनी भी इस प्रकार की मशीनें हमने बेची हैं, सबको एक कीमत पर बेची हैं। जबकि राजस्थान सरकार की जानकारी में यह बात आ चुकी कि किसी जगह 48 लाख, किसी जगह 32 लाख, किसी जगह 52 लाख, किसी जगह 46 लाख में यही मशीन बेची है। यह जानकारी आने के बावजूद विभाग ने क्या किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस कम्पनी ने एक दस रुपये के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर एस. एम. एस. चिकित्सालय को यह एफिडेविट दिया कि इस स्पेसिफिकेशन की, इस माडल की, इस मोड्यूल की जो मशीन है, यह मशीन इससे कम दर पर देश में कहीं नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इन चिकित्सालयों में कौनसी मशीन क्रय की जाये, उस मशीन की उपादेयता और उपयोगिता क्या है, इसमें सरकार कहीं बीच में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसकी खरीद-फरोख्त के लिए स्टोर पर्चेज समिति बनी हुई है। इस समिति के अन्दर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह चिकित्सालय के, जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, वह तय करते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: बचा लो, आप बचाना चाहो तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बिलकुल बचाना नहीं चाहता। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जो जांच स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल ने की, उसके अभिवेदन में क्या-क्या बातें आयीं, वह सदन के पटल पर रखें। मुझे कोई हिचक नहीं है उसमें, अध्यक्ष महोदय, टू डी इको मशीन के क्रय करने के बाद में अखबारों में छापे गए। इस सन्दर्भ में मंत्री महोदय ने तथ्य की जानकारी चाही। विशिष्ट शासन सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया तथ्यात्मक विवरण नीचे उपलब्ध है। तथ्यात्मक विवरण में निम्न बिन्दु ऐसे हैं जिन पर विस्तृत कार्यवाही अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, यह 5-8-97 की बात है और उसमें लिखा था नम्बर-1. मशीन क्रय करने से पूर्व इसमें जो वांछित गुण, स्पेसिफिकेशन थे, वह दो बार तय किये गये थे। परन्तु यह बात पत्रावली से स्पष्ट नहीं होती कि दूसरी बार स्पेसिफिकेशन क्यों तय किये गये ?

2. जो स्पेसिफिकेशन तय किये गये थे, उनकी पूर्ति करने वाला मात्र एक ही आफर आया, अतः इसमें यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि ऐसे स्पेसिफिकेशन तय करना क्या अपरिहार्य था। एक ही निर्माता की मशीन, उनकी पूर्ति की जाए।

3. प्राप्त हुए विवरण का जो मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन की रिपोर्ट पर, इनकी प्रति पर तीन हस्ताक्षर हैं, जबकि दूसरी पर छह जनों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षरों की तारीखें तो भिन्न-भिन्न हैं अर्थात् किसी ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर 16 को हस्ताक्षर किए हैं और किसी ने 17 को। अब, अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें सामने आने पर इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हमने पूरी जांच वित्त विभाग को उस वक्त मुख्यमंत्री जी वित्त विभाग को देखते थे, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मैंने खुद लिखा है कि इस मामले में यह प्रकरण सवाई मानसिंह चिकित्सालय टू डी इको मशीन के क्रय के सम्बन्ध में, विभिन्न समाचार पत्रों में अलग-अलग दृष्टिकोण से समाचार पत्र प्रकाशित हुए और विशिष्ट शासन सचिव महोदय ने भी अपनी टिप्पणी में कई शंकाएं जाहिर की हैं, अतः मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके इस प्रकरण की विस्तृत जांच वित्त विभाग के किसी उच्च स्तर के अधिकारी से करवा ली जाए। जो विभाग खुद कह रहा है कि चूंकि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे आ गए। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे क्रय के अन्दर जिन चिकित्सकों की समिति बनी हुई थी, वह चाहे डॉ. यादव हो, चाहे डॉ. कासलीवाल हो, उनकी इंटिग्रिटी डाउटफुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का जब उत्तर दे रहा था तब मैंने सबसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज नित नयी तकनीक आ रही है और एक ही तरह की मशीन में अलग-अलग माड्युल्स आ रहे हैं, अलग-अलग उनके स्पेसिफिकेशन आते हैं। आज अब इन्होंने यह सवाल खड़ा कर दिया कि उदयपुर में जो मशीन क्रय की, निश्चित तौर पर वही कम्पनी थी परन्तु मॉडल अलग-अलग थे। आज, अध्यक्ष महोदय, सारे लोग जानते हैं कि राजस्थान में ही नहीं राजस्थान के बाहर भी इस सवाई मानसिंह चिकित्सालय का कार्डियोलॉजी विभाग इसलिए प्रसिद्ध है कि यहां सबसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सस्ता वॉल रिप्लेसमेंट का काम होता है और यहां बाईपास सर्जरी कुछ ज्यादा होती हैं। आज उदयपुर में वह बातें नहीं हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि पहले स्पेसिफिकेशन कुछ थे और उसके बाद में दूसरे बदले थे। और इसमें यह भी इनके प्रतिवेदन से साफ है कि जो स्पेसिफिकेशन बदले, वह इस तरह से बदले गये कि एक ही कम्पनी उसको सप्लाई कर सकी। तो इससे ज्यादा साफ कोई मामला हो नहीं सकता कि स्पेसिफिकेशन पहले दूसरे थे, फिर इस तरह के स्पेसिफिकेशन कर दिये गये कि दूसरी कम्पनियां कोट ही नहीं कर सके। यह मामला बहुत साफ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार लीपा-पोती करना चाहे तो इस सरकार की मर्जी है कि चाहे कुछ भी करे क्योंकि आपका तो घड़ा भर चुका है। करो आप लीपा-पोती, करो आप इस जनता की गाढ़ी कमायी की बरबादी और करो आप अपने चिकित्सकों का बचाव। करो आप नई टैक्नोलॉजी के नाम पर खर्चा ज्यादा और करो आप वॉल सस्ता। लेकिन यह जनता माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को सब पता हो चुका है कि यह सरकार इतनी+++है कि इनका पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आपको कुशल वित्तीय प्रबन्ध, यह नाम-नाम है। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। यह 33 लाख का चूना है, 40 लाख का........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। विराजें, भाषण नहीं।

श्री विष्णु मोदी : अगर आपको कुछ करना है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। आपको मैंने अवसर दे दिया। कृपया विराज जाएं। कृपया माननीय सदस्य, श्री मोदी जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने स्वयं सदन में स्वीकार किया है जो जांच रिपोर्ट, जो तथ्यात्मक टिप्पणी विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हमें सौंपी और उसमें जो बिन्दु उभरकर आए हैं, अध्यक्ष महोदय, उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर हमने सारा मामला वित्त विभाग को सौंपा है। वित्त विभाग ने उसकी विस्तृत जांच की है और वित्त विभाग से जिस तरह से मैंने उनसे बात की है, मैं समझता हूं कि उनका जांच प्रतिवेदन मुझे कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर जांच प्रतिवेदन मुझे जल्दी प्राप्त हो गया तो मैं सदन के पटल पर भी उस जांच प्रतिवेदन को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने यह कह दिया कि जनता की गाढ़ी कमायी है और इस कमायी को हम दूसरे लोगों के हितों के लिए लुटाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह वह सरकार है जो सरकार चिकित्सा और

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिस सरकार ने प्रति व्यक्ति व्यय आज हिन्दुस्तान के चंद उन राज्यों में है, जिन राज्यों में सर्वाधिक व्यय हो रहा है, उसमें यह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान का है। यह चीज तो भूल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : वह इसलिए बढ़ा है कि इस तरह को मशीनें खरीदी हैं। वह इसी तरह से बढ़ा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 37 लाख का चूना लगाया है।

श्री विष्णु मोदी : प्रति व्यक्ति वह खर्चा भी इसलिए बढ़ा है। जनता को तो कुछ नहीं मिला और फाइनेंस विभाग भी इसी सरकार का है कोई विदेशी विभाग का नहीं है....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आप रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे है। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : यह कीमत नहीं जाने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री विष्णु मोदी : सदन का सत्र समाप्त होने से पहले अगर आपकी मंशा साफ है, आपकी नीयत साफ है तो रखिए। करिए दूध का दूध और पानी का पानी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उप मुख्यमंत्री जी विराज रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, मंत्री महोदय कुछ उत्तर दे रहे हैं। बीच में व्यवधान न करें। विराजें। विराजें (व्यवधान) आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं माननीय सदस्य, श्री पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री .. (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सदन की कमेटी के माध्यम से जांच करवा लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन की समिति बनाने का प्रश्न तब खड़ा होता है जब किसी दोषी को बचाने की मंशा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझता हूं और प्रतिपक्ष के सदस्य भी एप्रिशिएट करेंगे कि जो तथ्य थे, मैंने एक भी तथ्य को छिपाया नहीं है। जिस तरह के तथ्य सामने आये और, अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण आज का नहीं है, यह प्रकरण पुराना है। अब माननीय सदस्य तो झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री जी विराज रहे हैं, इनसे भी मैं कहूंगा कि आप इस बात को बड़ी कुशलता से, बड़ी सुदृढ़ता से अपने हाथ में थामे हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जांच प्रतिवेदन आ जाए और जांच में जो दोषी हैं, उनको बचाने का सवाल ही नहीं है और, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा यह जो स्पेसिफिकेशन बदले हैं, इस स्पेसिफिकेशन बदलने के पीछे जिस तरह की नई टैक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह ये मशीन, इस मशीन में सरकार का धन नहीं, यह मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी से हमने जो पैसा इकट्ठा किया है उसके साथ नगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहभागी योजना में फिफ्टी-फिफ्टी परसेन्ट मिलाकर और इतनी बड़ी मशीन खरीदी है और मैं समझता हूं जिस मॉडल की मशीन टू डी इको डोपलर 2000, यह मोदी साहब, इस राजस्थान में मात्र एस. एम. एस. में है, आपके नेबरिंग स्टेट्स में भी नहीं हैं। आपको तो यह कहना चाहिए कि अच्छा काम किया गया है। फिर भी आपकी बातों का, आपकी शंकाओं का मैं समाधान निश्चित तौर पर करूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो वह करो।

श्री परसादीलाल मीणा : यह सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क। (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य, दूसरा सवाल पूछ लिया।

चारा घोटाला प्रकरणों में कार्यवाही

359. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 से 1990 तक अकाल राहत के तहत पशु-चारा वितरण के घोटालों के मामले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कब-कब से क्या-क्या मामले ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने लम्बे समय तक मामले विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं तथा अब उन पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जाएगा ?

राज्य मंत्री अकाल सहायता (**श्री सांवरलाल जाट**) : (1) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विचाराधीन होने का कारण तथा निर्णय बाबत स्थिति संलग्न परि-शिष्ट-1 में दर्शायी गयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, भाग (1) जी, हां, विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। मैंने यह पूछा था कि किन-किन के खिलाफ कब-कब से क्या-क्या मामले विचाराधीन हैं ? तो कौनसे मामले विचाराधीन हैं, यह तो इन्होंने बताया नहीं, अध्यक्ष महोदय। आपने पांच जिलों की सूचना मेरे को दी है। इन पांच में कहीं तो आपने पटवारी का नाम लिख दिया, कहीं एल. डी. सी. का लिखा दिया और उनके खिलाफ 1990-91, 1991-92 से यह कार्यवाही चल रही है और एक मामले में 1990-91 से आप उनको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे रहे हैं, 8 साल में आपने मौका नहीं दिया। क्या आप यह मान रहे हैं कि पटवारी और एल. डी. सी. ने मिलकर इतना घोटाला कर लिया ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी की कुछ जिम्मेदारी नहीं थी या उनको बचाने के लिए सिर्फ इनको ही आपने आगे किया है ? मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों के नाम आपने इसमें

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दिये हैं उनके खिलाफ कितने-कितने घोटाले के मामले है ? 1990-91 से आज तक इनको यों ही लिये बैठे रहे, किसी में लिख दिया कि व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे रहे हैं । झुन्झुनू के मामले में आपने लिख दिया कि डाइरेक्टर पंचायत ने ऑडिट के लिए लिखा है । अब 8 साल बाद तो आप ऑडिट के लिए लिखें । आपने ऑडिट के लिए लिखवाया, उससे पहले उनके खिलाफ क्या आरोप था जिसकी आप दोबारा ऑडिट करना चाहते हैं ?

ऐसा ही आपका मामला राजसमंद का है । इसमें भी आपने न तो किसी का नाम दिया न कोई मामला दिया और ऐसे ही लीपा-पोती कर के उत्तर दे दिया । कौन से मामले कब से हैं, किन-किन के विरुद्ध हैं, इनमें नाम दिये इनके अलावा भी कोई दोषी है कि नहीं है, यह आप बताइये ।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के किसानों का दुर्भाग्य है कि इस समय 1985-90 के बीच में जो किसानों को सब्सिडी पर चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने की थी, उस समय स्कूटरों के नम्बर से, कई प्रकार से गलतियां कर करके और गबन-घोटाले करके किसानों के साथ कुठाराघात किया गया । उनकी जांचें समय-समय पर की गयीं ।

माननीय सदस्य ने कहा कि आपने यह जवाब दिया । मैं पहली चीज तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहायता विभाग का जो भी स्टाफ है, हमारे जयपुर में स्थित है । दूसरी, जो भी जांचें होती हैं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से होती है या पंचायतों से सम्बन्धित सरपंच हैं, या पंचायत समितियों से सम्बन्धित मामले होते हैं वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के, यह पंचायत राज के तहत होते हैं । तो जांचों में विलम्ब होना स्वाभाविक है । हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसके-कितने घोटाले किस-किस प्रकार के हैं ? तो इसमें तो स्पष्ट है कि या तो गलत पर्चियां बनायी होंगी, और डिटेल आपको जरूरत होगी तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा । जकी जो व्यवस्था लागू की गयी थी उस व्यवस्था अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया । या तो फर्जी बिल्टियां बना के दी होंगी या स्कूटरों के नम्बर या इस तरह के जो घोटाले किये, यानि चारा आया या नहीं आया परन्तु बिल्टियां पेश कर-करके इनको पास करने में जो लोगबाग लगे हुए थे उन्होंने ऐसा करवाने का काम किया, इसलिए उनके विरुद्ध विचाराधीन है ।

अब आपने यह कहा कि पटवारी और इनकी हिम्मत हो सकती है या नहीं हो सकती, चूंकि मैंने अभी निवेदन किया कि जिला स्तर पर जांच होती है । अब यह तो स्पष्ट है कि कई बार चुंगी पर अगर चुंगी नाके वाला गड़बड़ करे और आप यह कह दो कि नहीं, इसमें इन्वाल्वमेंट उसका है, तो मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं । जो जांच रिपोर्ट और तथ्य हमारे पास भेजे गये उसके आधार पर मैंने जानकारी आपको उपलब्ध करवायी है ।

(श्री सांवरलाल जाट)

अब विशेष अंकेक्षण की कही। राजसमंद में भी मैंने कुछ नाम आपको दिये हैं। आपने कहा विशेष अंकेक्षण अब शुरू किया जा रहा है। यह बात ठीक है कि इसमें देरी हुई है। तो मैं सारे मामले को दिखवा कर आपको यही आश्वासित करना चाहूंगा। एक मामला आपने और पूछा व्यक्तिगत सुनवाई का। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब आपने यह सवाल किया और मैंने पूछा कि यह मामला पेंडिंग क्यों है, तब उन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि तत्काल इसकी हियरिंग करके निपटा देंगे। इसलिए इसमें लापरवाही कुछ कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको यह आश्वासित करता हूं कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही सब अधिकारियों को, जिला कलेक्टर्स को पाबंद करके इन मामलों के निस्तारण के लिए हिदायत जारी कर दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने यह नहीं बताया कि आपके पास जांच रिपोर्ट आयी है, उसके आधार पर आपने कलेक्टर्स को, या डाइरेक्टर पंचायत को या डी.आर.डी.ए. को लिखा है तो कितने-कितने रुपये के घोटाले हैं यह? यह आपने नहीं बताया। इसमें मैंने साफ पूछा है कि क्या मामले हैं? वह तो आपने बताया नहीं। आपने बता दिया 16 सी.सी.ए. का। नोटिस विचाराधीन है। यह थोड़ी ही पूछा था कि वो 16 सी. सी. ए. का है, 17 सी. सी. ए. का है। मैंने यह पूछा कि कितने रुपये का घोटाला है? क्या मामला है जिसकी आप 8 साल से कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जो भी घोटाले हैं वो रिकार्ड पर हैं। अब क्या मामले विचाराधीन हैं, कितनी-कितनी राशि है, यह आपने पूछा नहीं है। आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने पूछा है, आप पढ़ लीजिये। आप पहला पढ़िये।

श्री सांवरलाल जाट : मैंने पढ़ लिया, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता है। मैं सारे सवालों का जवाब दिया हुआ हूं और बताऊं कि कितनी-कितनी राशि का शब्द, आपने लिखा हो तो बता दीजिये मुझे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप तो प्रोफेसर हैं इसलिए पढ़ते नहीं पढ़ाते ही हैं। प्रोफेसर पढ़ता नहीं है, पढ़ाता है। आप इसको पढ़िये।

श्री सांवरलाल जाट : पूरा सवाल पढ़ दूं अगर आप चाहो तो।

श्री हरजीराम बुरड़क : कब-कब से क्या-क्या मामले हैं?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, कृपया बिराजें। नैक्स्ट। श्री भीमसेन चौधरी।

इन्दिरा गांधी नहर तथा वितरिकाओं में जल प्रवाह नियंत्रण

360. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर व अन्य नहरों एवं वितरिकाओं में जल प्रवाह नियंत्रण, सुरक्षा व निगरानी हेतु द्रुत संचार व्यवस्था

(24)

(श्री भीमसेन चौधरी)

करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा)।

हिण्डौन उप-खण्ड की क्षतिग्रस्त सड़कें

361. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सब-डिवीजन, हिण्डौन के अन्तर्गत आने वाली सड़क देवलेन मोड़ से बालघाट/मोरड़ा वाया महमदपुर, जगदीशपुरा मूण्डिया तथा सम्पर्क सड़क महू से तिघरिया लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कब से एवं कितने स्थानों पर ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों पर टूटी पड़ी पुलियाओं/कॉजवे की शीघ्र मरम्मत तथा पुनर्डामरीकरण करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। सब-डिविजन हिण्डौन के अन्तर्गत आने वाली सड़क देवलन मोड़ से बालघाट/मोरड़ा वाया जगदीशपुरा मूण्डिया जुलाई, 1997 की अतिवृष्टि से किलोमीटर 4 में एक जगह व किलोमीटर 5 में आंशिक रूप से एक जगह ह्यूम पाइप कल्वर्ट की सम्पर्क सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी जो अगस्त, 1997 में मरम्मत करवा दी गयी थी एवं महू से तिघरिया किलोमीटर दो में कॉजवे की सम्पर्क सड़क दो जगह से क्षतिग्रस्त हुई थी।

(2) जी, हां। देवलन मोड़ से मोरड़ा सड़क में किलोमीटर 4, 5, 6 का पुनः डामरीकरण मार्च, 1999 तथा किलोमीटर 4 व 5 में कॉजवे की आवश्यक मरम्मत नवम्बर, 1998 तथा महू तिघरिया सड़क के किलोमीटर 2 में कॉजवे की मरम्मत 11/98 तक करना प्रस्तावित है। सड़क के पेच रिपेयरिंग का कार्य निरन्तर प्रक्रिया में है एवं नवम्बर, 1998 के अन्त तक पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : कुछ रहा ही नहीं इसमें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि 1997 में अतिवृष्टि से जो सड़क टूटी थी देवलन मोड़ मोरड़ा वाली, इस पर आपने बताया है, मरम्मत कर दी गयी है। मंत्रीजी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टॉफ ने आपको गलत सूचना दी है। यह पुलियाएं दो जगह से, तीन जगह से टूटीं। उस समय सिर्फ मिट्टी डालकर इसमें से वाहनों को निकालने की व्यवस्था की थी। उसके बाद में पांच-सात पंचायतों के लोग एकत्रित हुए। सड़क की मरम्मत नहीं होने पर उन्होंने रास्ता जाम किया। उसके बाद में आपके विभाग ने इसकी प्रोटेक्शन वाल बनवायी और फिर सड़क अधूरी छोड़ दी गयी। उसमें फिर मिट्टी यों की यों ही पड़ी हुई थी और अब इस बरसात में यह पुनः टूट गयी है। आपसे तो मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि इसको आप कब तक सम्पूर्ण कर देंगे? एक सवाल।

(श्री हरिसिंह)

दूसरा, जो दूसरा रोड है महूतिघरिया, यहसड़क 1971 में बनवायी थी जब ग्रापका ही शासन था। मान्यवर, यह सड़क लिंक करती है तिघरिया पंचायत हैडक्वार्टर को स्टेट हाईवे नम्बर 22 पर महू में। तो वहां महू पर लिंक करने में 600 मीटर ग्रधूरी है ग्रौर पंचायत मुख्यालय तिघरिया तक नहीं पहुंची, 400 मीटर वहां अधूरी है ग्रौर बीच में दो जगह ग्रौर टूट गयी है। तो यह गांव न तो लिंक हुग्रा ग्रौर सरकारी पैसा लग गया। क्या इस अधूरी सड़क को पूरी करवा करके इस पर मरम्मत कार्य करवाने का आपका विचार है?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे टोडाभीम तहसील का मामला है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: टोडाभीम कहां से ग्रा गया?

श्री रामस्वरूप मीणा: यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं हमारी। इनको अवश्य पूरी करवाएं क्योंकि इनके अभाव में वहां ग्राने-जाने में बड़ी असुविधा होती है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: विराजो तो सही आप।

श्री ग्रध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। ग्रापसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा: टोडाभीम है, ग्रध्यक्ष महोदय, इसलिए कहा है मैंने।

श्री ग्रध्यक्ष: विराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: ग्रध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्य को, कि इन्होंने इसकी चर्चा की है। यह बात सच है कि जिस समय फ्लड रिलीफ के लिए पूरे पैसे का प्रावधान नहीं मिल पाया था। इसलिए जैसा उन्होंने कहा, मेरी सहमति है कि सड़क पर मिट्टी का काम करके ग्रावागमन को प्रारम्भ कर दिया गया। ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने क्रमांक-दो में कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, किलोमीटर 4, 5, 6 का पुन: डामरीकरण मार्च, 1999 फीता डाल दिया, 4, 5 में कॉजवे की आवश्यक मरम्मत, नवम्बर, 1998 फीता डाल दिया है, महू तिघरिया सड़क किलोमीटर 2 में कॉजवे की मरम्मत 11/98, यह भी समयबद्ध तय कर दिया है। और मैं ग्रापके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरे गांव की सड़क की चर्चा की है कि 500 मीटर रह गयी है, उसका भी निर्माण कार्य इस बरसात के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा: पहली बार ग्रच्छा भाषण दिया है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला टोंक में खानों का ग्रावंटन प्रकरण

480. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सरकार द्वारा सीलिकासैण्ट एवं क्वार्टज

(26)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

की खानें विभिन्न व्यक्तियों को लीज पर दी गई है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी अवधि के लिए कौन–कौनसी खानें आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों में गत तीन वर्षों में कितना–कितना उत्पादन किस–किस खनिज का हुआ एवं इससे राज्य को कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खानों के पट्टेधारियों में सरकार की कोई राशि बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस में कब-कब से व कितनी-कितनी राशि बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पहाड़ काबरा (टोंक) भी क्वार्टज के लिए किसी व्यक्ति को आवंटित है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों से आवंटित व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी, हां। गत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये खनन पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पार्टी जिसे स्वीकृत की गई	क्षेत्र जो स्वीकृत किया गया	अवधि
1.	डा. उमराव सिंह कटारिया	निकट ग्राम तुरकी डारडा तह. टोंक	20 वर्ष
2.	मै. बालाजी मिनरल्स	नि. ग्राम गोपालपुरा, तह. अलीगढ़, जिला टोंक	20 वर्ष
3.	श्री सज्जनदास पाण्डे	नि. ग्राम बालापुरा, तह. अलीगढ़, जिला टोंक	20 वर्ष

(2) उक्त खानों से गत तीन वर्षों में भिन्न-भिन्न खनिजों के हुए उत्पादन एवं राजस्व का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"क" में दर्शाया गया है।

(3) जी, हां। पट्टेधारियों के विरुद्ध वर्तमान में बकाया का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"ख" में दर्शाया गया है।

(4) जी, हां। पहाड़ काबरा (टोंक) में खनिज क्वार्टज का एक खनन पट्टा दिनांक 17.5.79 से 20 वर्ष के लिए मैसर्स श्रीराम मिनरल्स इण्डस्ट्रीज के पक्ष में आवंटित है। गत दस वर्षों में पहाड़ काबरा (टोंक) में कोई और खनन पट्टा आवंटित नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

पुलिस अधिनियम में संशोधन

481. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्या यह सही है कि राज्य में परिवर्तित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवेश में वर्तमान पुलिस अधिनियम कारगर नहीं है ? क्या सरकार इनमें संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

पुलिस विभाग अभी तक पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत कार्य करती आ रही है, व सन्तोषप्रद रूप से कार्यवाही हो रही है । परन्तु इस केन्द्रीय अधिनियम को बने हुए 137 वर्ष हो चुके हैं । अतः बदलते सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता है ।

कर्फ्यू के दौरान अधिग्रहण किये गये वाहनों का किराया भुगतान

482 श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कर्फ्यू के दौरान दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 से 23 दिसम्बर, 1997 की अवधि में कुछ निजी वाहन अधिग्रहित किये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से वाहन कितने-कितने दिनों के लिए, सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त वाहनों को प्रतिदिन किस-किस रेट एवं प्रक्रिया से किराये पर तय किया गया ? किस-किस वाहन के मालिक को कितना-कितना किराया कब-कब दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि वाहन संख्या आर जे–26-390 का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो किस के द्वारा, कब तथा इसे कितने दिनों तक रखा गया और कब छोड़ा गया और इसके मालिक को कितना किराया कब दिया गया ?

(4) क्या अभी तक वाहन मालिकों को किराये का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । सूची संलग्न है ।

(2) तत्समय उत्पन्न स्थिति के कारण वाहनों का किराया निर्धारित नहीं किया जा सका था, अतः वाहन मालिकों को भुगतान नहीं हो सका है ।

(3) जी हां । उक्त वाहन दिनांक 15-12-97 को जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा कानून एवं व्यवस्था हेतु अधिग्रहण किया गया एवं दिनांक 23-12-97 को छोड़ा गया । मालिक को किराये का भुगतान नहीं किया गया है ।

(4) जी, हां । भुगतान की कार्यवाही जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला टोंक में धार्मिक स्थल का अपवित्र प्रकरण

483. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम राहोली जिला टोंक में अगस्त, 1997 में सवर्ण हिन्दू छात्रों द्वारा शिक्षकों के उकसाने पर अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों एवं कुओं को प्रदुषित किया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

माह अगस्त, 97 में ग्राम राहोली जिला टोंक में शिक्षकों के उकसाने पर छात्रों द्वारा अनुसूचित जाति से कुएं में कूड़ा कचरा डाला गया था। धार्मिक स्थलों को प्रदूषित करने वाली बात सत्य नहीं है। घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 254/97 तथा 256/97 थाना निवाई जिला टोंक में पंजीबद्ध हुए है। अनुसंधान के बाद दोनों अभियोगों में दोषी पाये गये तीन अध्यापकों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 147,447,435,109 भादस व 33(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में दिनांक 24-1-98 को चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जो न्यायालय में विचाराधीन है।

वैशाली नगर (अजमेर) में शिक्षिका की हत्या प्रकरण

484. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में श्रीमती प्रेम देवी पाठक, शिक्षिका, निवासी वैशाली नगर, अजमेर की हत्या जानबूझकर एक जिप्सी कार से टक्कर मार कर की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण पुलिस में दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो कब और किन-किन धाराओं के तहत ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में हमलावर को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों क्या अब सरकार हमलावर को गिरफ्तार कर कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि श्रीमती प्रेम देवी की एक्सीडेंट हो जाने के कारण लगी टक्कर से मौत दौराने ईलाज से हुई है ?

(2) जी, हां। दिनांक 11-2-93 को अभियोग संख्या 32/93 धारा 279,337 भादस में कायम किया गया। दौराने ईलाज मजरूबा श्रीमती प्रेम देवी पाठक की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 304 ए भादस भी लगाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(श्री विष्णु मोदी)

(3) दिनांक 11-9-95 को श्री जे. पी. अग्निहोत्री प्रान्तीय संयुक्त मंत्री एवं प्रवक्ता राज. शिक्षक संघ-प्रगतिशील का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक अजमेर को प्राप्त होने पर पुनः अनुसंधान निर्देशानुसार किया गया परन्तु बावजूद कोशिशों के वाहन व मुलजिम का कोई पता नहीं चलने पर दिनांक 6-7-98 को तितम्बा एफ.आर. दी गई। आईन्दा भी अभियोग में वाहन व अभियुक्त की तलाश की जा रही है, पता चलने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

वैशाली नगर (जयपुर) में दुपहिया वाहनों का चोरी प्रकरण

485. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माह जून, 1997 में वैशाली नगर (जयपुर) में दुपहिया वाहन चोरी की कितनी वारदातें हुई ? विवरण वाहन मालिक के नाम, नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वाहनों में से कितने वाहन कब-कब और कहां-कहां मिले ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि थाना वैशाली नगर में 7 जून, 1997 को दुपहिया वाहन चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं अब तक उक्त वाहन के नहीं मिलने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर शहर में दुपहिया वाहनों की बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को रोकने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) चार वारदातें हुई। विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उपरोक्त वाहनों में से कोई भी वाहन बरामद नहीं हुआ है।

(3) जी हां। दिनांक 7-6-97 को श्री शंकर मोदी पुत्र श्री लालचन्द मोदी, निवासी 452, वैशाली नगर, जयपुर का स्कूटर न. आर. जे. 14/7887 चोरी चला गया, जिस पर अभियोग संख्या 146/97 दिनांक 7-6-97 दर्ज किया गया। माल व मुलजिमान की पतारसी के काफी प्रयास किये गये, लेकिन माल व मुलजिमान का पता नहीं चलने पर एफ. आर. अदम पता माल व मुलजिमान में दिनांक 30-6-97 को दी गई।

(4) गत वर्ष 96-97 के मुकाबले इस वर्ष 1997-98 में दुपहिया वाहन चोरी के अभियोगों में कमी आई है फिर भी समय-समय पर दल गठित कर चोरी गये वाहनों का पता लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में पकड़े जाने वाले अभियुक्त से गहन पूछताछ की जाती है। भीड़ भरे बाजारों में गश्त

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व बीट गश्त एवं नाकाबन्दी की जाती है एवं समय-समय पर अपराध गोष्ठी कर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

ग्राम कापड़ियावास (जयपुर) में दहेज हत्या प्रकरण

486. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना जोबनेर जिला जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/98 दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में पोस्टमार्टम किसके द्वारा किया गया और इसमें किस मजिस्ट्रेट को प्राथमिक जांच हेतु लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में नामजद अभियुक्त थे ? यदि हां, तो कितनों को गिरफ्तार किया और शेष को गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अभियुक्तों को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त प्रकरण में ग्राम कापड़ियावास में ग्रामीणों के बयान नहीं लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब बयान कब तक लिये जा सकेंगे ?

(6) क्या सरकार दहेज हत्या प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही कराना उचित समझती है ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में क्या करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) दिनांक 23-6-98 को श्रीमती फुला पत्नी सुरेशकुमार उर्फ बाछू की मृत्यु ग्राम झरना, जहां मृतक की ससुराल है, में हुई। ससुराल पक्ष द्वारा पुलिस को सूचित किये बिना ही तत्काल ससुराल में ही दाह-संस्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में मृतका का पोस्टमार्टम नहीं हो सका और इस कारण धारा 176 दं.प्र.स. की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस को प्रथम बार मृतका के पिता श्री छोटूराम निवासी कापड़ियावास ने दिनांक 28-6-98 को लिखित सूचना दी।

(3) इस प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तीन नामजद अभियुक्त क्रमशः मृतका के पति सुरेशकुमार उर्फ बाछू, ससुर मांगीलाल एवं सास मनभर के नाम हैं। सुरेशकुमार उर्फ बाछू को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं शेष दोनों अभियुक्त फरार चल रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(श्री गोपीराम जाट)

(6) जी हां, दहेज हत्या प्रकरण प्रकाश में आते ही अभियोग दर्ज कर त्वरित गति से अनुसन्धान की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराया जाता है तथा जिसकी मोनेटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर पर कराई जाती है। ऐसे अपराधों को स्पेशल रिपोर्ट केस की श्रेणी में रखा गया है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

ग्राम बान्दनवाड़ा (भिनाय) का हत्या प्रकरण

487. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या थाना भिनाय के गांव बान्दनवाड़ा में हुई हत्या के हत्यारों की शिनाख्त पुलिस द्वारा कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

(2) उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मृतक आखिरी बार ग्राम सेंदरिया में रात को जिन व्यक्तियों के साथ देखा गया था क्या उनसे पूछताछ कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के बयान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि युवती के साथ अपराधियों को मैथुन करते मृतक द्वारा देख लेने से उसकी हत्या की गई ? यदि नहीं, तो हत्या के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मृतक को ग्राम सेन्दरिया में आखिरी बार जिनके साथ देखा गया था उनसे अन्वेषण करने पर किसी भी अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया।

(3) हत्या के कारणों के सम्बन्ध में अन्वेषण जारी है।

थाना चौहटन (बाड़मेर) में दर्ज मुकदमा नं. 56/98

488. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि दायम पुत्र नसीर निवासी गंगाला (बाड़मेर) के विरुद्ध थाना चौहटन में मुकदमा नं. 56/98 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा. दं. संहिता में दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो इस मुकदमे में अब तक क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गवाहों के बयान कलमबद्ध किये। प्रकरण का अनुसंधान अभी जारी है।

थाना पीपलू (टोंक) में नाबालिग लड़की का अपहरण प्रकरण

489. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(1) क्या यह सही है कि थाना पीपलू जिला टोंक में नाबालिग लड़की को अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79/98 दिनांक 31.5.98 को धारा 363, 366 के अन्तर्गत दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो किसके द्वारा, किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस लड़की का अपहरण किया गया था वह अवयस्क थी? यदि नहीं, तो उसकी उम्र कितनी है? क्या उम्र की जानकारी के लिए उसका मेडिकल बोर्ड बिठाया गया था? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवयस्क बालिका के अपहरणकर्ताओं की पुलिस से मिलीभगत होने के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तथा उनको जमानत करवाने का पूरा समय दिया? यदि नहीं, तो उनको गिरफ्तार करने के क्या-क्या उपाय कब-कब किये तथा उनकी जमानत कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अभियुक्तगणों ने उक्त अवयस्क बालिका पर जबरन दबाव डालकर व डराकर उसके 164 के बयान न्यायालय में दर्ज करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या नाबालिग लड़की के बयान लेना कानूनन सही है? यदि नहीं, तो बयान लेने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पुलिस उक्त नाबालिग लड़की को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31.5.98 को श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री नानूलाल जाति जाट, नि. नवरंगपुरा ने 1. बजरंग लाल पुत्र देवा जाट 2. रामकरणजाट 3. श्रीलाल पुत्र रामकरण जाट नि. लाम्बा की ढाणी 4. राजू जाट नि. दम्बी जिला जयपुर 5. हेमा मीणा नि. मुण्डिया के विरुद्ध दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। थानाधिकारी, पीपलू द्वारा दिनांक 1, 3, 7, 10, 12, 14 जून, 1998 को विभिन्न स्थानों पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने हेतु दबिश दी गई। दिनांक 25.6.98 को चार आरोपीगण की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय से हुई।

(4) जी, नहीं।

(5) भगवैया कु. सुनीता की तलाश के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही भगवैया को दस्तयाब किया जा सकेगा।

(6) भगवैया कु. सुनीता के दस्तयाब होने के पश्चात् उसके बयान व मेडिकल परीक्षण के साथ अनुसंधान से विधि अनुसार दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

थाना फुलेरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीनों पर अनधिकृत कब्जे

490. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना फुलेरा में दिनांक 22 जुलाई, 1995 को अनुसूचित जाति के लोगों ने उनकी जमीन पर उच्च जाति के लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी ? यदि हां तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा लगभग चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त प्रकरण में अब कब तक दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाकर अनुसूचित जाति के लोगों को राहत प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । उक्त अभियोग का अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध दि. 12.10.95 को चार्जशीट किता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।

(3) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जिला कारागार अलवर में कैदियों की मृत्यु प्रकरण

491. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में एक वर्ष में कैदियों के मरने की चार घटना घटित हो चुकी है ? यदि हां, तो कैदियों का नाम, गांव शहर का नाम तथा उनकी मृत्यु के कारण का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अलवर जिले में जेल कर्मियों की संख्या जरूरत से काफी कम है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 को जेल अधीक्षक को कार्यमुक्त कर दिया गया था ? क्या विभाग ने प्रारम्भिक जांच में अधीक्षक को दोषमुक्त करार दे दिया है? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । अलवर जिला कारागृह एवं दो उप-कारागृह बहरोड़ एवं किशनगढ़-बास है जहां जेल कर्मियों की संख्या स्वीकृत के अनुसार पर्याप्त है ।

(राज्य मंत्री, कारागार)

(3) जी हां। जी हां, जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट–"क" पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-492

(स्थगित)

जिला टोंक में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

493. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या खाद्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कितने प्रकरण दिनांक 31 मार्च, 1998 तक जिला रसद कार्यालयों में लम्बित हैं और कितने वर्षों से किस कारण लम्बित हैं ? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में सुनवाई हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है एवं अधिकतम कितने समय अवधि में प्रकरणों का निस्तारण किया गया ?

(3) जिला टोंक में अगस्त, 1996 से जून, 1998 तक कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने प्रकरणों को गंभीर मानते हुए निलम्बन की कार्यवाही की गयी, कितने मामलों का निस्तारण किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कुल 4933 प्रकरण दिनांक 31 मार्च, 1998 तक जिला रसद कार्यालयों में लम्बित थे। लम्बित प्रकरणों की जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट (1) संलग्न है। प्रकरणों के लम्बित होने का मुख्य कारण है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर ही निस्तारण किया जाता है।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर डीलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर संबंधित आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस का जवाब पेश होने पर उसे दस्तावेजी सबूत (यदि वह प्रस्तुत करना चाहे तो) प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर उसकी धरोहर राशि की जब्ती, लाईसेंस निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही की जाती है। यद्यपि निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु यथाशीघ्र केसेज का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है।

(3) जिला रसद कार्यालय टोंक द्वारा अगस्त, 96 से जून, 98 तक 379 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये, जिसकी सूची परिशिष्ट (2) पर संलग्न है। 29 प्रकरणों को गंभीर मानते हुए डीलर के प्राधिकार पत्र निलंबित किये गये, जिसकी सूची परिशिष्ट–3 पर एवं निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रवर्तन निरीक्षकों एवं अधिकारियों की पदोन्नति में अनियमितताएं

494. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग में प्रवर्तन निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अधिकारियों के कुल कितने-कितने पद कब-कब से सृजित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? और नहीं, तो क्यों ? वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा जारी की गई वरिष्ठता का निधारण नियमानुसार है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा वरिष्ठता का निर्धारण किस आधार पर एवं किस नियम के तहत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वरिष्ठता का निर्धारण अन्य सरकारी विभागों की भांति न कर नाम के प्रथम अक्षर (एल्फाबेटिकल) के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि गत 25 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे निरीक्षक/अधिकारी नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर पदोन्नति से वंचित रह गये हैं एवं उनके बाद आये व्यक्ति पदोन्नति पा गये ? यदि हां, तो कैसे ?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में चयनित निरीक्षकों/अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम, योग्यता, आयु एवं अंकों के आधार पर न किया जाकर अन्य आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो अब इसे कब तक नियमानुसार कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रवर्तन निरीक्षक के 307 एवं प्रवर्तन अधिकारी के 120 पद स्वीकृत हैं । समय-समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा स्वीकृत पदों में वृद्धि या कमी की गई । स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक को	कुल स्वीकृत पदों की स्थिति	
	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
1964–65	140	160
2.6.66	98	233
9.11 72	83	175
21.4.73	15	171
3.9.80	100	313
19.4.84	101	316
23.2.85	101	309
22.7.88	101	306
9.4.91	104	312

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

1	2	3
5. 7. 93	105	312
30. 5. 94	108	314
2. 8. 94	109	316
14. 7. 95	109	306
17. 7. 97	110	307
24. 7. 97	120	307

(2) जी, हां। विभाग में प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक के समय-समय पर स्थाई पद सृजित हुए जिसके आधार पर प्रथम बार वरिष्ठता सूची दिनांक 14. 8. 81 को जारी की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी, हां। विभाग द्वारा वरिष्ठता निर्धारण सर्वोडिनेट सर्विस (इनिशियल कॉस्टीट्यूशन एण्ड इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट नियम, 1973) के नियम 23 के तहत किया गया है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट-2)

(4) चयन बोर्ड की सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए सर्वोडिनेट सर्विस (इनिशियल कॉस्टीट्यूशन एण्ड इमरजेन्सी रिक्रूमेन्ट रूल्स) 1973 के नियम 23 के तहत वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

(5) जी, नहीं। अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 19. 5. 77 के विरुद्ध 16 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनका निस्तारण कर अन्तिम सूची दिनांक 14. 8. 81 को जारी की गयी थी। पदोन्नति दि. 14.8.81 को जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए जोन ऑफ कन्सीडरेशन में आने वाले कर्मचारियों में से नियमानुसार पदोन्नति समिति से प्राप्त अभिशंसा के आधार पर की गई है।

(6) यह सही नहीं है कि वरिष्ठता का निर्धारण आर. एस. आर के नियमों के अन्तर्गत किया जाता है वरन भिन्न-भिन्न विभागीय सेवा नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 1973 में प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक की वरिष्ठता का निर्धारण चयन बोर्ड से प्राप्त अभिशंसा के आधार पर विभागीय नियमों के तहत किया गया, जिसका विवरण बिन्दु संख्या 4 में सम्मिलित है।

(7) प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति चयन बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी एवं विभागीय नियमों के अनुसार वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया गया है। वरिष्ठता सूची में विसंगति नहीं होने से इसे दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कामां) में चिकित्सकों के पद

495. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामां में चिकित्सकों के सभी

(श्री तैयब हुसैन)

पद भरे हुए हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, नहीं । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कामां में कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग) व (स्त्री रोग) के अतिरिक्त अन्य सभी पद भरे हुए हैं ।

उक्त केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची निम्न प्रकार है :–

पद नाम	स्वी. पद	कार्यरत चिकित्सक का नाम
कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	(1) डॉ. गिरधारी लाल (मेडिसन)
		(2) डॉ. महेश विद्यार्थी (सर्जरी)
		(3) रिक्त (स्त्री रोग)
		(4) रिक्त (बाल रोग)
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	(1) डॉ. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, चि. अधिकारी (पद विरुद्ध)
		(2) डॉ. मोहनलाल मीणा चि. अधिकारी दिनांक 16. 7. 98 को तदर्थ नियुक्ति के द्वारा

राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्ड

496. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 1 अप्रेल, 1997 से 30 जून, 1998 तक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी खोले गये हैं ? यदि हां, तो पाली क्षेत्र में खोले गये केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने के सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखें हैं और उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार कितने-कितने केन्द्र कहां–कहां खोले जाना शेष है, जो कब तक खोल दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार की स्वास्थ्य सुविधा विस्तार की कोई नीति घोषित है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । पाली क्षेत्र में इस अवधि में 2 उपकेन्द्र यथा (1) बीकरलाई (2) खेडा महाराजपुर (जैतारण) स्थानान्तरण से खोले गये हैं । इसके अलावा अन्य कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं ।

(2) उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वा. केन्द्र एवं सामुदायिक स्वा. केन्द्र खोले जाने के भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या आधारित मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है, वह निम्नांकित है :–

संस्था का नाम	सामान्य क्षेत्र	जनजाति रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु
उप केन्द्र	5000	3000
प्रा. स्वा. के.	30000	20000
सामु. स्वा. के.	100000	एक लाख

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

मा. मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार ग्रामीण जनता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी अथवा ऐलोपैथी संस्थान की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है, जिसकी क्रियान्विति के अन्तर्गत राज्य की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक चिकित्सा संस्थान खोला जा चुका है। पाली जिले के क्षेत्र में उक्त मानदण्डों के अनुसार उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वा. केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। पाली जिले में एक सामु. स्वा. केन्द्र प्रति पंचायत समिति में स्थापित किए जाने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु जनसंख्या अनुसार एक की कमी रह गई है। समुचित वित्तिय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य जिलों के साथ विचार करना संभव हो सकेगा।

(3) जी, नहीं। स्वास्थ्य सुविधा विस्तार के लिये नीतिगत निर्णय के तहत मानदण्ड निर्धारित है (जैसा कि भाग दो के उत्तर में वर्णित है) जिसके अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं सृजित की जाती है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र महाराजा की नेतावल (चित्तौड़) में मृतक के आश्रित को नियुक्ति प्रकरण

497. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र महाराज की नेतावल (चित्तौड़) में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? क्या इनके आश्रित को आज तक नौकरी नौकरी दी गई है?

(2) क्या मृतक के आश्रित श्री सुरेश चन्द्र शर्मा दत्तक पुत्र को नौकरी दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त आश्रित को राज्य सेवा में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उसे राज्य सेवा में लगा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मृतक के आश्रित को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विदित हो कि प्रार्थी श्री सुरेश चन्द्र को विधिक रूप से मृतक द्वारा अपने जीवन काल में गोद लिया गया था।

(3) जी, नहीं। प्राप्त आवेदन पत्र पर नियुक्ति के लिये विचार किया गया और आवेदक को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं पाया गया है।

जिला झालावाड़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

498. श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जगन्नाथ)

(1) जिला झालावाड़ में कुल कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं ?

(2) क्या प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो कौनसी ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा हेतु ए. एन. एम. कम्पाउडर/नर्सिंग स्टाफ मौजूद है ? यदि नहीं, तो कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां उक्त पद रिक्त हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) जिन पंचायत मुख्यालयों पर अभी तक उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुले हैं वहां सरकार कब तक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में 219 उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं।

(2) जी, नहीं। 10 ग्राम पंचायतों में विभाग के उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से भी 5 ग्राम पंचायतों में आयुर्वेद औषधालय कार्यरत हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक चिकित्सा संस्थान आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/एलोपैथिक अथवा यूनानी होनी चाहिए। अतः उपरोक्त 10 में से भी 5 ग्राम पंचायतों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं। उनका विवरण भी सूची में दर्शाया गया है।

(3) जी, नहीं। रिक्त पदों की उप स्वास्थ्य केन्द्र वार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(4) नर्स प्रथम के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत पदोन्नति कर्मचारी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। नर्स–II एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों की प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। एम. पी. डब्ल्यू. के रिक्त पदों को प्रशिक्षण पुनः आरम्भ होने के पश्चात् प्रशिक्षित अभ्यार्थी प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(5) जी, हां। जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में उप स्वास्य केन्द्र नहीं है, वहां वित्तीय वर्ष 1998–99 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण प्रकरण

499. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पी. एफ. ए. एक्ट के तहत योग्यताधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों के तीन माह का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु शासकीय स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो कब तथा

(श्री विष्णु मोदी)

उक्त प्रशिक्षण कब और कितने लोगों को प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त प्रशिक्षण अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त शासकीय स्वीकृति की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और किस रूप में ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28. 8. 97 द्वारा पी. एफ. ए. एक्ट के तहत योग्यताधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षण एवं सेम्पलिंग कार्य निष्पादन करने हेतु तीन माह का प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत अभी तक किसी को भी प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में निदेशालय द्वारा उठाये गये विविध प्रशासनिक/विधिक/वित्तीय/तकनीकी बिन्दुओं के परीक्षणाधीन रहने के कारण प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(2) जी, नहीं। चूंकि प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है इसलिए किसी भी अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र

500. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कहां-कहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये हैं ? क्या बनाये जा रहे भवन पूर्ण हो चुके हैं और क्या विभाग ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में खोले गये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त सामग्री एवं स्टाफ की व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सरकार ने विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सेतकोलू कोटडी एवं पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये हैं इनमें से सेतकोलू एवं पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्ण हो गये हैं एवं विभाग ने अपने अधिकार में ले लिये हैं। ग्राम कोटडी में बनाया जा रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन लगभग पूर्ण हो चुका है केवल छत मरम्मत कार्य, खिड़कियों के शीशे, बिजली फिटिंग होना शेष है ये कार्य पूर्ण हो जाने पर विभाग द्वारा यह भवन अधिकार में लिया जायेगा।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में खोले गये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल, हरनावदाशाहजी में सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं। शेष केन्द्रों पर रिक्त पदों का विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

मेल नर्स–प्रथम, एल.एच.वी. के रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा एव चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर/जिला स्तर पर अस्थाई नियुक्ति करके भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय, लैब टैक्नीशियन के पदों की प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अपूर्ण भवन

501. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आवास विकास संस्थान द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से भवन की कब स्वीकृति हुई और कार्य कब चालू किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों के कौन-कौन से भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कौन-कौन से भवन किन कारणों से अपूर्ण रहे तथा इसमें दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब अपूर्ण भवनों को कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, माण्डलगढ़ में आवास विकास संस्थान के माध्यम से निम्नांकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है :–

प्रा. स्वा केन्द्र	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1. बरून्धनी	6-11-95	जनवरी, 96 से
2. धामनिया	–यथा–	अप्रेल, 96 से
3. जालन्द्री	–यथा–	मार्च, 96 से
4. सवाईपुर	–यथा–	मार्च, 96 से
5 मानपुरा	–यथा–	मार्च, 96 से

(2) प्रश्न के भाग एक में दर्शाये पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से बरून्दनी एवं सवाईपुर के भवन को पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है। दो केन्द्र यथा धामनिया, जालन्द्री के भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुरा का भवन छत तक निर्माण निर्मित हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करवाये जाने का समय निर्धारित किया जाता है अतः निर्माण कार्य समयावधिनुसार ही हो रहा है। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(3) निर्माणकारी संस्थान द्वारा धामनिया एवं जालन्द्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण जुलाई, 98 में ही पूर्ण हो जावेगा तथा मानपुरा केन्द्र का भवन अक्टूबर, 98 तक पूर्ण करवाये जाने का आश्वासन दिया गया है।

राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई की क्रमोन्नति

502. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई उप जिला मुख्यालय है ? क्या सरकार की नीति अनुसार राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में 50 शैय्या की सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त उप जिला मुख्यालय के राजकीय चिकित्सालय में 50 शैय्या की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त चिकित्सालय में डाक्टर व नर्सों के निवास के लिये क्वार्टर बने हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या चिकित्सालय में आपातकालीन लाइट की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या बांदीकुई व बसवा चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो सरकार अब कब तक पदस्थापन कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां । जी नहीं, राज्य में विगत वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार उप खण्ड मुख्यालय के स्थित संस्थानों को 50 रोगी शैय्यायुक्त चिकित्सालयों में चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किया जाता रहा है ।

(2) जी हां । वर्ष 1998-99 को संशोधित बजट निर्णायक समिति की सहमति पर इस वर्ष 7 उपखण्ड मुख्यालय स्थित 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की 30 से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित हैं ।

(3) जी हां । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में एक चिकित्सक का आवासगृह बना हुआ है । डाक्टर एवं नर्सों के आवासगृह वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विभिन्न वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार निर्माण कराये जाते हैं । आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य स्थानों के प्रस्तावों के साथ विचार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में भी आवासगृहों का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(4) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में बिजली सप्लाई में व्यवधान आने पर आपातकालीन सुविधा हेतु आपरेशन थियेटर के लिए जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है ।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा में महिला चिकित्सक के पद पर डा. (श्रीमती) मीनाक्षी छोलक पदस्थापित है । सा. स्वा. केन्द्र, बांदीकुई में महिला चिकित्सक का पद सूचित नहीं है ।

ग्राम पंचायत मुख्यालय महुवा (कोटा) को सम्पर्क सड़क

503. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत बारां जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय महुवा को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिये राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी राशि तथा निर्माण कार्य के पूर्ण होने की क्या अवधि थी ?

(2) उक्त सम्पर्क सड़क का कार्य अभी तक पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं तथा कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या उक्त सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके कौन दोषी हैं ?

(4) क्या सरकार इस कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बारां जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय महुवा को तीस जिला तीस काम योजना के तहत सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु रुपये 1.75 लाख की राशि वर्ष 94-95 में स्वीकृत हुई थी । निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि दो माह नियत की गई थी ।

(2) उक्त सम्पर्क सड़क का कार्य स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया है । तथा कार्य में विलम्ब ग्रामवासियो द्वारा सड़क मार्ग के सरेखण में विवाद उत्पन्न होने के कारण हुआ है जिसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है ।

(3) जी हां । विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सरकारी रिकार्ड के आधार पर मार्ग उपलब्ध कराये जाने के लिये आग्रह किया गया । लेकिन सड़क मार्ग के संरेखण (एलाइमेंट) का विवाद बने रहने के कारण कार्य को पूरा कराने में व्यवधान उत्पन्न होता रहा । तदुपरान्त विभाग द्वारा सड़क मार्ग के संरेखण विवाद की समाप्ति पर ग्रेवल का कार्य करवा दिया गया है । विभागीय स्तर पर इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है ।

(4) उक्त सम्पर्क सड़क का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण करा दिया गया है ।

विधान सभा क्षेत्र वैर की स्वीकृत सड़कें

504. श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में गत पांच वर्षों में कौन-कौन सी सड़कें, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में किस-किस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन सी अपूर्ण है ? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

(3) अब उक्त अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र वैर में कुल 18 सड़कें स्वीकृत हुई। स्वीकृत सड़क, स्वीकृत राशि मय स्वीकृति आदेश के विवरण प्रपत्र "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) उक्त स्वीकृत 18 सड़कों में 7 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं 11 सड़कें अपूर्ण है। पूर्ण व अपूर्ण सड़कों का विवरण प्रपत्र "अ" एवं "ब" में अंकित है।

(3) उक्त अधूरी सड़कों को पूर्ण करने का सम्भावित लक्ष्य प्रपत्र "ब" में सड़क के नाम के सामने अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय में डाक बंगले की स्थापना

505. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बना हुआ हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बना हुआ नहीं है। राज्य सरकार का निर्णय जिला मुख्यालय एवं आवश्यकतानुसार उपखण्ड मुख्यालय स्तर तक डाक बंगले बनाने का कार्यक्रम है। बांदीकुई सब डिविजनल मुख्यालय नहीं था। अतः डाक बंगला नहीं बनाया गया।

(2) डाक बंगला बनाने की स्वीकृति बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करती है।

जिला झुन्झुनूं में ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण

506. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में, वर्ष 1990 से जून, 1996 तक कुल कितने किलो मीटर लम्बी ग्रेवल सड़कें बनी हुई हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण पर कुल कितनी राशि का व्यय किस व्यवस्था से करेगी ?

उत्तर

(1) जून, 1996 के अन्त तक जिला झुन्झुनूं में 194 कि.मी. लम्बी ग्रेवल सड़कें थी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सड़क नीति के अन्तर्गत आने वाले 25.5 कि. मी. ग्रेवल सड़कों को अब तक डामरीकृत किया जा चुका है एवं 38.2 कि.मी. जो सड़क विकास नीति के अन्तर्गत आती है को नवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डामरीकृत किया जाना प्रस्तावित है। शेष ग्रेवल सड़क लम्बाई का डामरीकरण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आने के कारण फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

(3) 25.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क लंबाई का डामरीकरण योजना मद में से किया जा चुका है, 38.2 कि. मी. ग्रेवल सड़क लम्बाई को डामरीकरण करने के लिए 230.00 लाख रु. की आवश्यकता होगी। जिसकी व्यवस्था योजना मद में से किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्वाचन क्षेत्र घाटोल की सड़कों की मरम्मत

507. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या घाटोल निर्वाचन क्षेत्र की नरवाली से मोटागांव, गनोड़ा से घाटोल, खमेरा से मूंगडा, घंटाली से पीपलखूंट, गनोड़ा से मोटागांव, मीमपुर से सरेडी बड़ी तक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1997 में अतिवृष्टि के कारण वर्णित सड़कों में से मूंगड़ा से खमेरा सड़क को छोड़कर शेष सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी जिन्हें वर्ष 1997-98 में मरम्मत मद के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन के अनुसार घाटोल से गनोडा, घंटाली से पीपलखूंट, गनोडा से मोटागांव, मीमपुर से सरेडी बड़ी सड़कों के पेच रिपेयर का कार्य करवा दिया गया था। पेच रिपेयर का कार्य निरन्तर प्रक्रिया है। नरवाली से मोटागांव सड़क मरम्मत हेतु बैलास्ट आदि का संग्रह कर दिया है तथा पेच रिपेयर का कार्य वर्षा काल के पश्चात् नवम्बर, 98 तक करवा दिया जावेगा। मूंगडा से खमेरा सड़क 1996 में बाढ़/अतिवृष्टि से काफी क्षतिग्रस्त हुयी थी जिसका मरम्मत का प्रस्ताव इस वर्ष राज्य स्तरीय समिति (प्राकृतिक आपदा कोष) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही मरम्मत कार्य करवा दिया जायेगा।

(2) जी हां। उपरोक्त वर्णित सड़कों पर पेच रिपेयर का कार्य वर्षाकाल के पश्चात् नवम्बर, 98 तक करवा दिया जावेगा तथा मूंगडा से खमेरा सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव बाढ़/अतिवृष्टि 1996 में भेजा गया था इसकी स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की सम्भावना है तथा मरम्मत का कार्य भी सम्भवतया इसी वित्तीय वर्ष में करवा दिया जायेगा।

तहसील खानपुर (झालावाड़) की सड़कों की मरम्मत

508. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या

(श्री भरत सिंह)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झालावाड़ तहसील खानपुर के ग्राम जोलपा में डामर सड़क का निर्माण किस योजना के तहत करवाया गया था तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी थी ?

(2) गत वर्ष जूमर से जोलपा सड़क की मरम्मत पर कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा क्या-क्या कार्य करवाया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ तहसील खानपुर में सूमर से जोलपा ग्राम तक 8 कि. मी. लम्बाई में कृषि विस्तार योजना (विश्व बैंक) के पैकेज जे. एच. 1 के तहत करवाया गया था, इस सड़क के निर्माण पर कुल 72,56491/– रुपया राशि व्यय की गई थी।

(2) गत वर्ष इस सड़क की मरम्मत हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है, और कोई कार्य नहीं करवाया गया है, क्यों कि रख-रखाव के मद में समिति बजट आबंटन के कारण प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सड़कों पर ही कार्य करवाया गया।

(3) जी हां। वर्षा उपरांत उक्त सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य नवम्बर,98 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

तहसील सीगोद की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

509. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षा ऋतु में सीगोद तहसील के ग्राम अडुसा से बालाजी की धाक में पानी का पर्याप्त निकास नहीं होने के कारण तीन चार स्थान पर सड़क कट गई थी? यदि हां, तो इसकी मरम्मत हेतु कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) क्या विभाग द्वारा स्थाई व्यवस्था की गई थी ? क्या सरकार जिस स्थान पर पानी से सड़क कट गई वहां स्थाई पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष 1996–97 की भारी वर्षा से सीगोद तहसील के गांव अडुसा से बालाजी की धाक सड़क की पुलियाओं में पानी का पर्याप्त निकास नहीं होने के कारण 3 स्थानों पर सड़क कट गई थी। जिसकी तात्कालिक मरम्मत पर 10,493/– रुपये की राशि खर्च की गई।

(2) जी नहीं। जिन 3 स्थानों पर वर्षा के पानी से सड़क कट गई थी वहां पर इस वर्ष 98–99 में पुलिया निर्माण हेतु प्राकृतिक आपदा मद में 5.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उक्त तीन पुलियाओं का निर्माण कार्य इस

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वित्तीय वर्ष 1998–99 में पूरा कर दिया जावेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का आरक्षण प्रकरण

510. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पोलीटेक्नीक संस्थानों में तथा शिक्षण प्रशिक्षण में किसी तरह का आरक्षण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति इन श्रेणियों के आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या न्यायिक सेवाओं में (आर.जे.एस.) अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. की भांति राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम भारत सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी पृथक-पृथक से बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस मद में जो चैनेलाइजिंग एजेंसी नियुक्त की गई है, उसे कितना धन केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ व उसका वितरण किन लोगों को किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य में मैरिट में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर आरक्षित कोटे में माना जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रश्न में अंकित शैक्षणिक व तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

पीएमटी. (एम बी बी एस / बीडीएस) स्नातक स्तर की चिकित्सा शिक्षा में ओ.बी.सी. समुदाय हेतु वर्तमान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रकरण के परीक्षण हेतु पड़ौसी राज्यों से उनके यहां लागू व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गयी है जो विचाराधीन है।

पीजी (एमडी/एमएस/डिप्लोमा) स्नातकोत्तर स्तर की चिकित्सा शिक्षा में ओ.बी.सी. हेतु वर्तमान में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पोलीटेक्नीक संस्थानों में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग में घोषित जाति के लिए वर्तमान में किसी तरह का आरक्षण नहीं है एव इस विषय पर कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

कॉलेज शिक्षा में पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण में किसी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

राज्य के शिक्षण/ प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश हेतु बी.एड. एवं एम. एड़ कॉलेजों

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण के प्रावधान नहीं है।

(2) न्यायिक सेवाओं में अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान अभी नहीं लिया गया है। यह मामला आरक्षण किये जाने की प्रक्रिया में हैं व शीघ्र ही प्रावधान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्तीय एवं विकास सहकारी निगम लि. को ही चैनेलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। वर्तमान में यह निगम यह कार्य देख रहा है।

(4) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 91दिनांक 28.2.94 द्वारा राज. अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास एवं निगम द्वारा वित्त पोषत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चैनेलाइजिंग ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राज. अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा अभी कोई राशि नहीं भिजवाई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेन्सी से धन प्राप्त करने हेतु 2 करोड़ की गारण्टी दी है एवं राशि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। इस वर्ग के अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोई राशि वितरण नहीं की गई।

(5) कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश एफ–7 (2) कार्मिक/क–2/96 दिनांक 17. 6. 96 के अनुसार आरक्षित वर्ग के व्यक्ति यदि स्वयं की योग्यता पर चयनित सूची में स्थान पा लेता है तो ऐसे व्यक्तियों को आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के प्रति विचार नहीं किया जाता है अपितु ऐसे व्यक्ति सामान्य वर्ग की योग्यता सूची में उनके चयन क्रम में माने जायेंगे।

तहसील टोडाभीम (करौली) में महाविद्यालय की स्थापना

511. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार तहसील टोडाभीम (करौली) में कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक महिला महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे वर्तमान में करौली, जैसलमेर एवं राजसमन्द जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां महिला महाविद्यालय नहीं है। इस शैक्षिक सत्र में, करौली व जैसलमेर जिला मुख्यालयों तथा नाथद्वारा में महिला महाविद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके बाद यदि बजट प्रावधान उपलब्ध होता तो अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ टोडाभीम के संबंध में गुणवगुणों के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(स्थगित प्रश्न)
दिनांक 15 जुलाई, 1998

राज्य में अपराधों में वृद्धि

512. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1998 से 20 जून, 1998 तक राजस्थान के विभिन्न थानों में किन-किन गम्भीर अपराधों के मामले पंजीकृत किये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में गत 6 माह में विभिन्न अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उक्त अवधि में विभिन्न जिलों में पंजीबद्ध किये गम्भीर अपराधों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखे)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कतिपय राजकीय उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों के अधिस्वीकृत संवाददाताओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(2) श्री भंवर लाल शर्मा (सरदार शहर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय टाटियां बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सरदार शहर में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा हो चुकी है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क एवं दो अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान आवास विकास संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों से हटकर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीडवाना के अस्पताल चौराहे पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी

(श्री अध्यक्ष)

सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामस्वरूप मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नर्सरी योजना खतम करने एवं प्रति पोल रुपये 9,000/– के स्थान पर रुपये 12,000 करने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं आठ अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता दिनों-दिन कम होने एवं मीटर रीडर्स द्वारा बिना मीटर रीड किये बिल बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करने से यह समाधान हुआ है कि उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज सदन में राज्य में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा उस समय माननीय सदस्यों को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत गंगानगर जिले में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम गंगानगर एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से थोड़े समय के लिए चर्चा संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आज सदन में राज्य में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा उस समय माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी के गाम भगोरा में माही विस्थापितों को आबंटित की गई भूमि महाविद्यालय के लिए आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पूंजालाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा एस. टी. सी. प्रशिक्षण शाइट में भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का विशेष बैच चालू करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सलूम्बर मुख्यालय को जनजाति क्षेत्र जिला मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के महाविद्यालय में राजस्थानी भाषा विषय शुरू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में चिकित्सकों के पद रिक्त

(श्री अध्यक्ष)

होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री किशनाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील श्री डूंगरगढ़ में गैस कनेक्शन की एजेंसी नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के पापड़ा तथा बागोली गांवों से बहने वाली काठली नदी पर पुलियानुमा रपटें बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में सूचना कार्यालय एवं जनसम्पर्क कार्यालय भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरूंलाल बैरवा, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री भैरूंलाल बैरवा, सदस्य, छठी एवं नवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, श्री भैरूंलाल बैरवा भारतीय जनता पार्टी के विधायक छठी एवं नवीं विधान सभा में रहे। उनका निधन बहुत कम उम्र में 28 जुलाई, 1998 को गया। श्री बैरवा जब विधान सभा के सदस्य थे तो अपने क्षेत्र की समस्याएं, खास तौर से पिछड़े वर्गों के उत्थान और सुधारों में विशेष रूप से रुचि लेते थे। विशेषकर नशाबन्दी, बाल-विवाह और मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वे संघर्ष करते रहे और इन बुराइयों के बारे में जब-जब भी उनको अवसर मिला, इस सदन में उन्होंने अपनी आवाज उठायी। उनके निधन पर मैं उनको सदन की ओर से तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक श्री भैरूंलाल बैरवा छठी और नवीं राजस्थान विधान सभा के लिए शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। आप नवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं। श्री बैरवा पिछड़े वर्गों के उत्थान और सामाजिक सुधारों में विशेष रुचि रखते थे और समाज में व्याप्त नशाबन्दी को समाप्त करने, बाल विवाह और कुरीतियों को मिटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। श्री भैरूंलाल बैरवा का 28 जुलाई, 1998 को निधन हो गया। मैं दिवंगत श्री भैरूंलाल बैरवा को अपनी ओर से और कांग्रेस विधायक दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना

52

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान तथा करे शोक संतप्त परिवार को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के पूर्व सदस्य श्री भैरूंलाल जी बैरवा अब हमारे बीच में नहीं रहे है। उनकी शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव सदन के उप नेता महोदय ने रखा है और इनके जीवन परिचय के बारे में बताया, आम जनता के लिए, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने भी बताया खास तौर से सामाजिक कुरीतियां जो समाज में घर कर चुकी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने समाज को जो योगदान दिया, निश्चित रूप से यह समाज उनका ऋणी है। उनका देहावसान हो गया। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को विपत्ति में सम्बल दे, ईश्वर से इसके लिए कामना करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति ने हमारे एक और साथी को हमसे छीन लिया है। श्री बैरवा अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए इस विधान सभा में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। वे एक समाज सुधारक थे और समाज में कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाया करते थे और उनके लिए संघर्ष करते रहते थे। इस प्रकार के एक समाज सुधारक का हमारे समाज से निकलना बहुत घाटे की बात है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे शाहपुरा से पूर्व विधायक थे इसलिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपकी अनुमति से, विशेष अवसर मुझे दें।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय भैरूंलाल जी बैरवा से मेरा परिचय 1977 में हुआ था जब वे यहां पर जनता पार्टी का टिकट लेने पधारे थे। उनकी उम्र कम थी। टिकट भी मिल गया और वे विजयी हुए। वे लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा के प्रति बड़े विनम्र भाव से लगे रहते थे। यही कारण था कि वे धरती से जुड़े रहे। बहुत ही लोक प्रिय व्यक्ति थे। नवीं विधान सभा में फिर उनका चयन हुआ और नवीं विधान सभा में भी वे लगातार क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहे और कभी भी उनमें कोई अहम् नहीं आया। उनकी विधायक के रूप में जो कार्य प्रणाली रही, जो कार्य पद्धति रही, जो व्यवहार रहा वह हमेशा ही अच्छे स्तर का रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तो बहुत नजदीक थे और आपसे निवेदन करूं कि पिछली बार मुझे ही उन्होंने आगे होकर आमन्त्रित किया था कि अब वे वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और मैं वहां आकर चुनाव लड़ूं। उनका यह विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैं मंत्री पद पाकर उस क्षेत्र की विशेष सेवा करूंगा। उस विशेष सेवा के कारण ही वे अगवानी करके मुझे वहां पर ले गये। कल प्रातः अचानक यह दुःखद समाचार मुझे मिला तब से मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुःखी हूं।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

उनके परिवार को इस असहनीय वेदना को सहन करने की क्षमता दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यही मेरी श्रद्धांजलि है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): अभी-अभी आज सुबह मुझे भी सूचना मिली कि हमारे सब डिवीजन के शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री भैंरूलाल बैरवा का असामयिक निधन हो गया। वह ग्राम कनेछनकलां, तहसील शाहपुरा के निवासी थे। वे हमेशा छोटे लोगों के बीच में रहते थे। गरीबों की भलाई के लिये विशेष प्रयत्नशील रहते थे। कुछ वर्षों से उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट रही, बहुत कमजोरी की स्थिति रही और जितना अपेक्षित उपचार उनका होना चाहिये था वह नहीं हो पाया इसलिये देहावसान हो गया।

मैं स्वर्गीय आत्मा के प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के उप नेता, प्रतिपक्ष के उप नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भैंरूलाल बैरवा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री भैंरूलाल बैरवा का जन्म 5 फरवरी, 1943 को भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के ग्राम कनेछनकलां में हुआ। आपने आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। श्री भैंरूलाल बैरवा छठी राजस्थान विधान सभा 1977 से 1980, तथा नवीं राजस्थान विधान सभा 1990 से 1992 के लिये शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गये। आप नवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य तथा 19 फरवरी, 1991 से यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री बैरवा पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं सामाजिक सुधारों में विशेष रूप से समाज में व्याप्त नशाबन्दी, बाल विवाह तथा मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे। श्री भैंरूलाल बैरवा का दिनांक 28 जुलाई, 1998 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री बैरवा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

54

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था कि हमारी बड़वासर माता के यहां जो डकैती पड़ी है, उसके जो मुलजिम हैं, जो डकैत हैं वह सरेआम अब भी घूम रहे हैं। उनको पुलिस पकड़ नहीं रही है। आपने कहा जानकारी ले लूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। कृपया विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस एफ.आई. आर. की नकल आ गयी है और पूरी जानकारी इसके अन्दर है इसलिये मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे स्थगन प्रस्ताव में यह उल्लेख किया था कि राजस्थान आवास विकास संस्थान में कई करोड़ रुपयों का घोटाला है। अभी हाल में इन्होंने अपने स्टोर की चैकिंग जब चार्टर्ड अकाउन्टेंट से करवायी तो, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, इन तीन जगहों में पांच करोड़ का स्टाक कम पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसी हाउस में हाऊसिंग बोर्ड की जांच करने के लिये घनश्यामजी तिवाड़ी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी। उस समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस संस्थान में भयंकर घोटाला है और इसकी तत्काल जांच होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ था और इनका जो रजिस्ट्रेशन विधान है, उसके अनुसार इनका काम-काज भवन निर्माण की नयी तकनीक का विकास करना और ट्रेनिंग देना; लेकिन उन उद्देश्यों के लिये तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और संविधान के खिलाफ राजस्थान में ठेका लेना और निर्माण कार्य करना आदि का कार्य किया। इस सम्बन्ध में इन्होंने न तो रजिस्टरिंग संस्था को आज तक जानकारी दी, विधान के अनुसार न कोई चुनाव हुआ, और संस्थान के रजिस्ट्रार ने लिखकर दिया कि इस संस्थान में संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट के किसी भी प्रोवीजन का पालन नहीं किया। अब संस्था रजिस्ट्रार ने इसकी जांच करनी प्रारम्भ की तो इस संस्थान ने मना कर दिया। न इनको रिकार्ड दिखाया और न इनको कोई जांच करने दी। यह तथ्य माननीय सहकारिता मंत्रीजी के ध्यान में हैं। उन्होंने भी इस बात को माना है कि उन्होंने जांच कराने से मना कर दिया और इस मना करने के पीछे सहकारिता सचिव का हाथ था। मुझे यह जानकारी मिली है कि उन्होंने रजिस्ट्रार को यह कह दिया कि आप चुपचाप बैठे रहो, जैसा होता है होने दो। जिस किसी को तकलीफ होगी वह कोर्ट में जाएगा।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

इस उद्देश्य के लिये नहीं हुआ, उन कृत्यों को वह कर रही है और राजस्थान में करोड़ों रुपयों का घोटाला कर रही है। और संस्थागत रजिस्ट्रार अगर जांच करना चाहें तो वह जांच नहीं करवाना चाहती। मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ एक्ट और विधान के अनुसार संस्था का रजिस्ट्रार करना चाहे उसमें आप सहयोग दें और यह जांच करवाकर जांच रिपोर्ट इस हाउस में रखें।

श्री अध्यक्ष : अमराराम।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है इसमें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवास विकास संस्थान का जो गठन किया गया था वह इस उद्देश्य से किया गया था कि आवास की नयी टैक्निक की यह खोज करें, अन्वेषण करें और इसके लिये लोगों को प्रशिक्षित करें। और इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटी एक्ट 1958 के तहत किया गया था। जिसमें यह आवश्यक शर्त है रजिस्ट्रेशन की, कि वह संस्था को कोई प्रोफिट अर्निंग यूनिट नहीं होनी चाहिये। अब इन्होंने अपना मूल उद्देश्य तो छोड़ दिया जो इनको करना था और इन्होंने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। आवासन मण्डल में ठेकेदारी का काम शुरू किया। मान्यवर, इन संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की जो धारा 4 और 4(क) है, वह आवश्यक रूप से एक दायित्व आरोपित करती है, संस्थान के ऊपर जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके ऊपर, कि यह संस्थान समय-समय पर इसके हिसाब व इसके अकाउन्ट्स की आडिट करवाकर इसकी वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज के पास भेजेगी। वह इस संस्थान ने कभी नहीं भेजी, बिल्कुल ही। मैं आपसे थोड़ा-सा एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि 2-2-98 को अखबार में कोई खबर छपी कि इस संस्थान ने जो ठेकेदारी का काम किया है उस ठेकेदारी के काम में जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर के जो इनके स्टाक्स थे, उनमें सीमेंट और सरियों की जांच की गयी तो करीब 5 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया। मान्यवर, पहली चीज तो यह है कि यह संस्थान ठेकेदारी के काम करने के लिये कानूनी तौर से अधिकृत नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। इसमें लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, मैं कानूनी बात जो कर रहा हूं शार्ट में ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों का ध्यान रखें, नियमों का।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने दो मिनट का टाइम दिया है वह तो पूरा कर लूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने टाइम नहीं दिया, आपने टाइम ले लिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : धन्यवाद। मौनम् स्वीकृतिम् लक्षणम्। मान्यवर, सरकार की कमेटी बनी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने भी यह इशारा किया है कि आवास विकास संस्थान को आवासन मण्डल द्वारा जो अग्रिम राशि दी गयी है

(श्री हरिसिंह)

उसमें बड़ा घपला हुआ है और आवासन बोर्ड को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिये आवास विकास संस्थान के क्रिया-कलापों की जांच की जानी चाहिये। इस सदन के द्वारा गठित कमेटी का यह निर्णय है। इसके बाद भी इसकी जांच नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग कर रहा हूं कि आवास विकास संस्थान के समस्त क्रिया-कलापों की गहनता से जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना में अस्पताल चौराहे पर शहीद भगतसिंह की मूर्ति लगाने के लिए पिछले कई वर्षों से वहां के विद्यार्थी और नौजवान लगातार वहां की म्यूनिसिपैलिटी और जिला प्रशासन से धरना, प्रदर्शन और मांग करते आए हैं। लेकिन आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती वर्ष में जो शहीदों को सम्मानित करने का वर्ष है, जहां उनकी प्रेरणाओं को लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है, उनकी मूर्ति नहीं लगाकर राजस्थान की सरकार ने वहां उसी अस्पताल चौराहे पर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति बगैर स्वीकृति के लगा दी। आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, 30 जून को वहां मूर्ति लगाने के लिये बिहार के माननीय राज्यपाल, सदन के उप नेता उप-मुख्यमंत्री भामड़ाजी और भंवरलालजी का भी नाम छपा हुआ था, लेकिन उस कार्ड के अन्दर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने का कहीं सरोकार नहीं था। उप-मुख्यमंत्रीजी भी नहीं गये और भंवरलालजी रात को वहां जाकर वापस आ गये। 10,000 लोगों ने आज से आठ महीने पहले वहां प्रदर्शन करके इस बात की मांग की थी कि यहां शहीदे आजम भगतसिंह की मूर्ति लगायी जावे। एक तरफ उस चौराहे पर बड़े-बड़े पेड़, दस नीम के पेड़ लगाने की बात करती है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने उन पेड़ों को काट कर अस्पताल में बैठने वाले लोग थे उनके लिये अच्छा नहीं किया। सरकार ने पूरे डीडवाना को एक पुलिस की छावनी बनाकर जबरदस्ती नियमों के विरुद्ध दीनदयाल की मूर्ति लगा दी। तो मैं इस सदन से मांग करना चाहूंगा....

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : क्या बुरा हुआ? क्या गलत हो गया? दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लग गयी उसमें आपको क्या आब्जेक्शन है।

श्री अमराराम (धोद) : आपने स्वीकृति नहीं दी। भगतसिंह की लग जाये तो क्या बुरा था?

श्री महावीर प्रसाद जैन : भगतसिंह का भी कोई बुरा नहीं था। पर दीनदयाल जी कोई महापुरुष नहीं थे क्या?

श्री अमराराम (धोद) : आपके मंत्री और राज्यपाल आएं और आप इस तरह से+++करें

श्री महावीर प्रसाद जैन : नगर पालिका किसकी है?

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ग्रमराराम (धोद) : कार्ड में मुझे दिखा दीजिये। भंवरलालजी जाकर ग्राए हैं। जो प्रोग्राम छपा रखा है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि दीनदयाल की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। जबरदस्ती ही, ग्राप नियमों के अनुसार स्वीकृति लें। एक तरफ स्वतन्त्रता सेनानियों की मूर्ति लगा नहीं रहे हैं ग्रौर जबरदस्ती दीनदयाल की लगाएं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति नहीं लगायी जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका का विषय है, वह स्वायत्तशासी संस्था है, वह कोई+++लेती है ग्रब वह किसकी मूर्ति लगाये, किसकी नहीं लगाये क्या वह विषय, इस सदन में क्या होता है ...

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी बैठे हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर ग्राया क्या कर रहे हो।+++

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवधान मंत्री....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें। समाप्त करें। हो गया ... (व्यवधान) दो मिनट का समय हो गया माननीय सदस्य। विराजें-विराजें (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) श्री रामस्वरूप मीणा, बोल रहे हैं क्या ग्राप ? बोलिये ... (व्यवधान) कृपया विराजें, कृपया। माननीय सदस्य.... (व्यवधान) श्रीमान् लक्ष्मणसिंहजी रावत साहब, कृपया। माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : सिंचाई विभाग वाला बोल रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विद्युत मण्डल 9,000 की जगह 12,000।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सदन में विद्युत मंत्रीजी तो मौजूद ही नहीं हैं, वह तो गायब हो चुके। ग्राप दोगे जवाब। आप दीजिये जवाब, बहुत अच्छा है। मैं ग्रापके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें ग्राप। सुन लें। लक्ष्मणसिंहजी ग्रौर रामस्वरूपजी, ग्राज विद्युत पर चर्चा होगी उस समय ग्राप ग्रपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहला नम्बर लिया जाएगा लास्ट की बजाय।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर ग्राप चले जाएंगे यहां से।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, नहीं। नहीं जाऊंगा। सबसे लास्ट में जाता हूं। एक दिन भी ऐसा बता दें ...

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भवानी जोशी। विराजें-विराजें।

+++ग्रभिव्यक्ति ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या मैं लास्ट तक नहीं बैठा हूं ? हमेशा लास्ट तक बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह तो इनसे कही है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, आपने दिया है आज का समय मुझे साहब। इन्होंने नहीं दिया आज समय । आज आपने समय दिया है मुझे कि आप विद्युत की चर्चा पर बोलेंगे । कृपया मुझे पहले अवसर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : समय दूंगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो यह आपका दिया हुआ अवसर है ।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी ।

माही विस्थापितों को आवंटित भूमि का महाविद्यालय हेतु आरक्षण

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से नामान्तरण व खाता खोल दिया गया है, उसे निरस्त कर महाविद्यालय के लिये भूमि रिजर्व कराये जाने के क्रम में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

महोदय, ग्राम भगोर पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा में माही विस्थापितों को भूमि आवंटित की गयी थी तो उक्त माही विस्थापित वहां नहीं आकर अन्यत्र बस गये तथा उक्त भूमि पुनः सरकार घोषित कर दी गयी थी ।

यह है कि कतिपय लोगों ने सांठ-गांठ व रिकार्ड में हेराफेरी कर पुनः उक्त भूमि 63 बीघा का माही विस्थापितों के नाम से खातेदारी हक दिलवाकर एवं उनसे पावर आफ एटार्नी प्राप्त कर उक्त एटार्नी के माध्यम से श्री हरिश्चन्द्र ओचार नामक एक राजकीय कर्मचारी की पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी है ।

यह है कि उक्त भूमि पूर्व में श्री सरकार घोषित की जा चुकी थी तथा गांव के लिये सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर छोड़ी गयी थी । किन्तु स्वार्थी तत्वों द्वारा अवैध रूप से रिकार्ड में हेराफेरी करके पावर आफ एटार्नी के माध्यम से रजिस्ट्री करवा ली है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है । क्योंकि उक्त भूमि को महाविद्यालय के लिये रिजर्व रखे जाने हेतु ग्राम सहमति से निर्णय लिया गया था तथा उक्त संदर्भित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था ।

अतः आपसे निवेदन है कि पुनः उक्त भूमि की रजिस्ट्री निरस्त कर महाविद्यालय के लिए आवंटित करवायी जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री पूंजालाल ।

बांसवाड़ा एस. टी. सी. प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भर्ती अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का विशेष बैच

श्री पूंजालाल गरासिया (बागीदौरा) : कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बांसवाड़ा जिले में एस. टी. सी. का प्रशिक्षण केन्द्र डाइट गढ़ी है और

(श्री पूंजालाल गरासिया)

वहां से प्रशिक्षित होकर निकलने के बाद अध्यापक भर्ती होती है....

श्री अध्यक्ष : आप वही पढ़िये जो इसमें लिखा है।

श्री पूंजालाल गरासिया : बांसवाड़ा जिले में एस. टी. सी. का प्रशिक्षण डाइट गढ़ी है। वहां, पूर्व में, 45 छात्रों का विशेष बैंच चल रहा है परन्तु फिर भी राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। अध्यापक भर्ती में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पाता है। गत वर्ष का बैंकलाग इस वर्ष भरने व इस वर्ष का आरक्षण मिलाकर 300 का होता है जिसमें से 180 प्रशिक्षित आशार्थी उपलब्ध हैं। जब कि 120 का कोटा फिर भी खाली रहेगा। अतः एस.टी.सी. में विशेष बैंच प्रारम्भ किया जाकर इसमें 150 की छात्र संख्या बढ़ाने सम्बन्धी कार्यवाही हेतु माननीय जनजाति विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द मीणा।

सलूम्बर को जनजाति क्षेत्र जिला मुख्यालय का दर्जा

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सलूम्बर मुख्यालय जनजाति बाहुल्य संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है। इस उपखण्डीय मुख्यालय में तीन तहसीलें आती हैं–सलूम्बर, सराड़ा और खेरवाड़ा। इन तीनों का क्षेत्रफल 312050 हैक्टेयर है जो डूंगरपुर जनजाति जिला मुख्यालय से मात्र 73543 हैक्टेयर कम है। लेकिन सलूम्बर तहसील की 18 पंचायत क्षेत्रों को लसाड़िया विधान सभा में शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि चौथी तहसील क्षेत्र धरियावद इस जिला मुख्यालय में शामिल की जा सकती है। इस क्षेत्र के लोग एवं जन-प्रतिनिधि भी सहमत हैं। लसाड़िया नायब तहसील को तहसील मुख्यालय बनाकर पांच तहसीलों का जिला मुख्यालय कायम किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में छोटे जिले बनाने से जनजाति के लोगों को एवं क्षेत्र की जनता को विकास का सीधा लाभ मिल सकेगा। शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान, राजनैतिक दृष्टि से तथा अन्य सभी दृष्टिकोण से विकास एवं लाभ के अच्छे अवसर प्रदान होंगे। इस प्रकार के निर्णय से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।

इस सरकार ने पिछले समय 1990 से 1998 तक विभिन्न विभागों का मुख्यालय सलूम्बर मुख्यालय पर सृजित कर प्रशासन का विकेन्द्रीकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अब भी मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सलूम्बर मुख्यालय को जिला मुख्यालय सृजित करें। पिछले 9 वर्षों में उदयपुर संभाग में कोई भी जनजाति जिला सृजित नहीं किया गया है अतः इसका भी संदेश जनजाति क्षेत्र में अच्छा जायेगा। इस सरकार ने पिछले समय में 26 जिलों से बढ़ाकर 32 जिले बनाये तथा 6 नये जिला मुख्यालय सृजित किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में कई नये जिले सृजित कर अभिनव उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार की तो सभी क्षेत्रों में उपलब्धि रही है। इसमें भी हमारी

(श्री फूलचन्द मीणा)

पूरी सुनवाई कर इस आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान अवश्य ही देंगे। मेरा सदन से भी निवेदन है कि इसमें मेरा पूर्ण सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष श्रीमती मीना अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में कथित अनियमितताएं

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में टेबुलेशन रजिस्टर में पन्ने फाड़ के अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करने के सनसनीखेज मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/98, दिनांक 28 अप्रैल, 1998 अजमेर के थाने सिविल लाइन में दर्ज कराई है। उससे स्पष्ट है कि इस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की या तो मिलीभगत से अथवा उनकी क्रिमीनल लापरवाही से यह घटना हुई है। परन्तु आश्चर्यजनक बात है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाइस चांसलर का नाम तो दूर, इस काण्ड में किसी जिम्मेदार कर्मचारी के नाम तक का उल्लेख नहीं है जिससे साबित होता है कि वाइस चांसलर इस घोटाले को किस हद तक दबाने को आतुर है। पुलिस में भी रिपोर्ट तब की, जब पूरी घटना का विवरण लगातार अजमेर के सभी अखबारों में प्रकाशित होता रहा। इससे भी कम महत्व के प्री पी. जी. प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. आर. एन. सिंह को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें अवकाश कर जाने के लिए बाध्य किया गया। जबकि फर्जी नम्बर बढ़ाकर फैल को उत्तीर्ण करने जैसे मामले में अजमेर कुलपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पक्षपात का नग्न उदाहरण है। इतना ही नहीं इन कुलपति महोदय का कार्यकाल और बढ़ाकर जले पर नमक छिड़कने का कार्य इस सरकार ने किया है।

इसी प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में से तीन हजार एक सौ उन्नचास (3,149) पुस्तकें भौतिक सत्यापन में गायब पाई गई, जो प्रो. आर. पी. जोशी के नेतृत्व में किया गया। आश्चर्यजनक यह है कि कुलपति की जुलाई, 1997 में पुस्तकालय के प्रभारी डा. एम. एल. छीपा द्वारा जांच रिपोर्ट देने के उपरान्त भी पुस्तकें गायब होने के कारणों की कुलपति द्वारा जान-बूझकर न तो जांच करवायी गयी और ना ही लाइब्रेरियन से कोई जवाब-तलब किया गया। कुछ प्रभावशाली प्रकाशक, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय के प्रभारी व कुलपति ने आपस में मिलकर इन पुस्तकों को गायब होने का नाटक रचा है। जबकि वास्तव में ये पुस्तकें पुस्तकालय में पहुंची ही नहीं और इन लोगों ने मिलकर, विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा की है। जिसकी जांच यू.जी.सी. तथा सी.बी.आई. से कराया जाना निहायत जरूरी है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के जरिए मांग करता हूं कि इन दोनों घोटालों, प्रकरणों

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

की निष्पक्ष जांच किसी न्यायिक अधिकारी से कराने का आदेश तुरन्त प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपालसिंह मिर्धा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के कस्बे कुचेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। इस कस्बे की आबादी 20 हजार से अधिक है तथा आसपास के 15 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 50 गांव आते हैं जिनकी आबादी करीब एक लाख है जिनके ग्रामीण निवासी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अपनी चिकित्सा करवाने आते हैं। चिकित्सालय का भवन एवं प्रसूति गृह का निर्माण स्थानीय जनसेवी सेठ स्व. मोहन लालजी चोरड़िया ने करवाया था। चिकित्सालय में चिकित्सकों के अधिकतर पद रिक्त पड़े रहते हैं तथा जिनकी नियुक्ति हो जाती हैं, वे समय पर अपनी सेवायें नहीं देते हैं तथा प्रायः गैर-हाजिर रहते हैं। अन्यथा अपने निवास स्थान पर बैठकर अस्पताल समय में भी गरीब मरीजों से फीस वसूल कर निरीक्षण करते हैं। मैंने पिछले चार सालों से इस अस्पताल की अव्यवस्था के लिए विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कारगर उपाय आज तक नहीं किये गये हैं। आधुनिक साज-सज्जा से युक्त प्रसूति गृह का निर्माण सन् 1986 में करवा दिया गया था परन्तु इसमें आज तक किसी महिला विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है जिससे स्थानीय महिलाएं तथा आस-पास के गांवों की महिलाओं को प्रसव के लिए स्थानीय दाइयों का सहारा, इस बीसवीं सदी की समाप्ति तक भी लेना पड़ रहा है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाकर निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल में लंबे समय से रिक्त पड़े विशेषज्ञ डाक्टरों के पदों को शीघ्र भरें तथा महिला चिकित्सक को स्थायी नियुक्ति देने हेतु किसी चिकित्सक जोड़े को नियुक्ति प्रदान करावें ताकि महिला चिकित्सक स्थायी रूप से इस स्वास्थ्य केन्द्र पर रह सके तथा कस्बे तथा आसपास की करीब एक-डेढ़ लाख की आबादी लाभान्वित हो सके तथा उनको उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इनकी हैसियत के मुताबिक एक छोटे से मामले पर, मंत्री महोदय एक चिट्ठी पर कार्यवाही नहीं कर सकते और सारे सदन का उपयोग इसके लिए करना पड़ रहा है। माननीय सदस्य इतने असहाय हो गये कि आपका संरक्षण और सदन का सहयोग लेना पड़ रहा है। एक छोटे से मामले के लिए, माननीय सदस्य के पत्र पर भी कार्यवाही हो सकती है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, नागौर के अस्पताल की दुर्दशा के लिए भी मैंने चिट दे रखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो वह भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नागौर के अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से ।

श्री अध्यक्ष : इसी विषय पर है न वह ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त हैं, वे अस्पताल में कभी नहीं रहते। न समय पर आते हैं, न अस्पताल में मरीजों को देखते हैं। बाहर अपने घर पर बैठे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। नागौर के चिकित्सालय की व्यवस्था को अगर अन्दर से देखा जाए तो डाक्टरों और मरीजों से ज्यादा वहां कुत्ते घूमते नजर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय एक मरीज का ध्यान रखने के लिए पांच अटेंण्डेंट्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कुत्ते घसीटकर ले जाएं उसको। इतनी भयंकर दुर्दशा है नागौर के चिकित्सालय की। एक्सरे मशीन जो सरकार ने लगा रखी है, उससे एक्सरे न करवाकर, बाहर जो प्राइवेट एक्सरे मशीनें हैं, उनके द्वारा एक्सरे करवाने के लिए भेजते हैं। जिस पी.एम.ओ. का वहां ट्रेप हुआ वही पी.एम.ओ. आज वहां बैठा है। बैड नहीं हैं इनके अस्पताल में। मरीज गलियारों में पड़े रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसकी व्यवस्था सुधारी जाए।

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) :.... (व्यवधान)... आई.सी.यू. बनाया गया दानदाता द्वारा, आज 12 महीने हो गये, उसकी ओपनिंग नहीं हो रही है। कुछ महीनों की कमी है तो इसके बारे में भी फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : नागौर की बात है ?

श्री हबीबुर्रहमान : हां, नागौर की बात है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। नागौर जिले में एक्सरे मशीनों का हाल यह है कि करीब-करीब सारी की सारी एक्सरे मशीनें खराब हैं और कहीं अगर ठीक है छोटी जगह पर, तो वहां पर आपके एक्सरे टैक्नीशियन नहीं हैं। जितने भी एक्सरे टैक्नीशियन हैं, जो आपने लगा रखे हैं, वे वहां लगा रखे हैं जहां मशीनें खराब हैं। आपका उत्तर पहले आया था उसमें 93 जगह मशीनें खराब हैं जैसे लाडनूं, डीडवाना, कुचेरा, नागौर में करीब-करीब सारी एक्सरे मशीनें खराब हैं, और जहां-जहां एक्सरे मशीनें खराब हैं, वहां पर प्राइवेट, एक एक मशीन की जगह 10-10 मशीनें लगा रखी हैं। डाक्टरों और सी.एम.एच.ओ. की मिलीभगत से वे मशीनें जानबूझकर खराब रख रहे हैं। आप कई दिनों से यह उत्तर दे रहे हैं कि फलां एक्सरे मशीन कण्डम योग्य है। कण्डम योग्य है तो आपने वहां लगा क्यों रखी है ? और आपने यह भी देखा होगा, आपकी जानकारी में होगी कि जहां एक्सरे मशीन ठीक है, वहां टैक्नीशियन नहीं है और जहां एक्सरे मशीन खराब है, वहां

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पर टैक्नीशियन है । ऐसा क्यों, और आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं साथ-साथ बोल जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : कहां की बात बोल रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : चिड़ावा की। नागौर की बात बोल सकते हैं तो साथ-साथ में जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है । पहला तो इन्होंने कुचेरा के चिकित्सालय के लिए कहा कि वहां चिकित्सक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाती है, जिस तरह से मैंने परसों यहां निवेदन किया था, 546 के लगभग आर.पी.एस.सी. से नियुक्त हुए । 300 से कम को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया तो 300 से कम ने अपना कार्यभार सम्भाला।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से, कि आप मेरा सहयोग करें । अगर उनकी निगाह में कोई इस तरह का सेवा भावी चिकित्सक दम्पति है जो कुचेरा में रहकर वहां कुछ कर सकता है, तो निश्चित तौर से वहां पर उसको पदस्थापित कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कुचेरा के अन्दर अलग-अलग समय में, मुझे पूरा स्मरण तो नहीं परन्तु सात चिकित्सकों का स्मरण है, उनको पदस्थापित किया । कार्यभार सम्भाला नहीं और उनको आरोप पत्र जारी कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नागौर के चिकित्सालय के सम्बन्ध में उठाया गया। यह बिल्कुल सही नहीं है कि वहां के चिकित्सालय की इतनी दुर्दशा है । दो सवालों को एक साथ मिलाकर कहा । एक तो कहा कि गैलेरी में वहां मरीज रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कोई भी व्यक्ति, कितना भी गरीब हो, परन्तु यह उसके मन में रहता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मेरा इलाज अच्छे से अच्छा हो । आज हालत यह है कि चिकित्सालय पर इतना ज्यादा बर्डन है कि सारी शैय्याएं भरने के बाद गैलेरी में मरीज हैं। और दूसरा यह सवाल खड़ा कर दिया कि वहां कुत्ते घूम रहे हैं और पूरी अव्यवस्था है । अव्यवस्था हो सकती है । निश्चित रूप से हो सकती है । इसमें भी कोई शक नही कि वहां के पी.एम.ओ. के खिलाफ एक बार ए.सी.डी. ने कार्यवाही की थी। सारा मामला डी.ओ.पी. में है। हमने खुद ने लिखा है डी.ओ.पी. को, कि उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाए। उसके पश्चात् भी यहां एक सवाल खड़ा किया कि आई सी,यू वहां है और चालू नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में हैल्थ सेक्रेटरी से छोटे अफसर हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, मेडिकल, उनको माननीय सदस्य तारीख दे दे, मैं

(64)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनको भेज देता हूं। वह सारे चिकित्सालय का इनके साथ जाकर निरीक्षण कर लें। कौन-कौनसी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र आलोचना ही नहीं, अपने को भी करने की बात है।

आप चिकित्सालय में गंदगी की बात कह रहे हैं, सफाई नहीं है। चिकित्सालयों में हमने सारी सफाई व्यवस्था ठेके पर दे दी। अगर वहां कोई गंदगी करता है तो चिकित्सक तो वहां आकर गंदगी करते नहीं हैं। यह जिस तरह का हमारे में सिविक सेंस है, निश्चित तौर पर लोगों के अटेण्डेंट ज्यादा आना, वहां बीड़ी फेंक देना, वहीं थूक देना, ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। मैं सारी व्यवस्था के लिए स्पेशल सेक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हैल्थ को, समय आप तय कर दें, तारीख अभी बता दें मुझे, कल को आप यह न कहें कि आपने....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आपकी सरकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिल्कुल सरकार है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार है तो तारीख तय करवाकर, इनका काम करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार भी है और गवर्नमेंट भी है।

श्री अध्यक्ष : बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय रामनारायणजी, गवर्नमेंट हर मिनट पर गौर करती है, ऐसी अच्छी गवर्नमेंट है।

श्री रामनारायण चौधरी : गवर्नमेंट ने हर काम ठेके पर दे दिया और माननीय सदस्य एक डाक्टरनी मांग रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सरकार भी ठेके पर दे दो, बढ़िया रहेगा, तीन महीने के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास एक डाक्टर और लेडी डाक्टर नहीं है कुचेरा में भेजने के लिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार संवेदनशील सरकार है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य को अस्पताल में भेजने के लिए इनके पास एक डाक्टर और लेडी डाक्टर नहीं है और इनसे मांग रहे हैं कि आप नाम बता दो। वह क्या नाम बताए, सारे राजस्थान का भार तो आपने उठा रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार संवेदनशील सरकार है, यह सरकार सुपर गवर्नमेंट है, माननीय सदस्य।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अचानक उठा। मेरे को पहले नोटिस दे देते तो मैं आपके सम्मुख एक-एक बात बता देता कि चिकित्सालय में इतने आउटडोर हैं, इतने इनडोर हैं। यहां यह सवाल उठाया गया कि एक्सरे मशीन खराब है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 375 एक्सरे मशीन हैं। 356 काम कर रही हैं, 16 मशीनें मरम्मत योग्य हैं। इनमें 36

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मशीनें कण्डम योग्य हैं, मशीनें नाकारा योग्य हैं। उसका भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। उसका इन्सपेक्शन होता है। फाइनेंस का आदमी जाता है, उसके बाद नाकारा घोषित किया जाता है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जहां मशीन है, वहां टैक्नीशियन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी आपके सवाल के उत्तर में कहा था कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 67 पद राजस्थान में रिक्त पड़े हैं। हमारे पास रिजल्ट तैयार है, मैं समझता हूं कि बीकानेर का एक रिजल्ट बाकी है, बाकी सारे मेडिकल कॉलेज जहां हमने ट्रेंड किया, वह रिजल्ट आ गए। उनको पदस्थापित कर देंगे। उसके पश्चात् भी आपके पास कोई कंक्रीट सुझाव हो तो निश्चित तौर पर आप मुझे बताएं। आपके सुझाव का स्वागत करते हुए व्यवस्था में सुधार करेंगे, स्पेशल सैक्रेटरी को निश्चित तौर पर भेज दिया जाएगा .(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिकित्सा के बारे में 295 के तहत 2-3 माननीय सदस्य बोल्या और मंत्रीजी जवाब भी दियो, वहां तक तो उचित हैं ..

श्री अध्यक्ष : आप तो अपना बोलिए।

श्री किशनाराम नाई : पच सू लेकर लोक सभा तक आपां आपणां प्रतिनिधि भेजां, बारां भी दायित्व हो जावे है लेकिन हर प्रश्न का मामला म अे सरकार न बद-नाम करी, अे चालीस साल मं कांई काम कर्यो कोनी, हर नुक्ता पर, और आप पर मुद्दा पर बहुत फैसिलिटी दे र्‌या हो। हर प्रश्न का मामला पर, अध्यक्ष महोदय, आ देखता आ र्‌या हां कि अे आउट ऑफ वे बोले है। एक स्लिप पर बोल....

श्री अध्यक्ष : आप 295 पर बोलिए।

श्री किशनाराम नाई : 295 पर तो आप मने पुकारस्यो तो बोलस्यूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कुछ तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : 295 पर तो पुकारस्यो तो बोलस्यूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को नागौर की बात कहने पर क्या ऐतराज हुआ ?

श्री अध्यक्ष : 295, कृपया माननीय सदस्य।

श्री किशनाराम नाई : मेरो कहणे रो कर्तव्य है, आपां लोगां री भी कुछ जिम्मेवारी है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अस्पताल में अव्यवस्था है तो उसके बारे में निवेदन किया था....(व्यवधान) ..

श्री किशनाराम नाई : काल डी.आर.डी.ए. पर बोल र्‌या हा कि डी.आर.डी.ए. को चेयरमैन इयां कोनी करे। आखिर आपणो भी तो कर्तव्य है (व्यवधान)....

(श्री किशनाराम नाई)

और सभी आपणां और जनता रा अधिकारां री रक्षा कर सकां ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चिकित्सा और अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में निवेदन किया है । आपको उसमें क्या तकलीफ हुई ?

श्री किशनाराम नाई : नहीं, बहुत अच्छा है । हाउस में बोलने का राइट है । लेकिन अपनी बात कहना, मैं इंको बुरो नहीं मान र्‍यो हूं । लेकिन हमारे अधिकारों पर भी तो आप विचार करो । (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हमने नागौर अस्पाल की व्यवस्थाओं के लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया । आप कह रहे हैं सरकार की आलोचना की । सरकार की क्या आलोचना की ?

श्री किशनाराम नाई : 295 पर आप तीन-तीन सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जाएं किशनारामजी । (व्यवधान) श्री किशनारामजी, बैठिये । आप भी विराजें माननीय सदस्य रिछपाल सिंह जी । श्री शिवनाथसिंह जी ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वहां कुत्तों को पकड़वाइए ।

श्री अध्यक्ष : बिना आज्ञा के आप न उठें । (व्यवधान) बार-बार उठ रहे हैं किशनाराम जी । बार-बार न उठें । श्री शिवनाथ सिंह जी ।

काठली नदी (झुन्झुनूं) पर पुलियानुमा रपटें

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे लोक महत्व के विषय की ओर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

झुन्झुनूं जिले में दक्षिण से उत्तर की तरफ काठली बरसाती नदी बहती है । जब पानी आता है, बहुत वेग से बहता है । इस नदी पर पापड़ा तथा बागोली गांवों के पास दो स्थानों पर रपटों का निर्माण कई बार किया गया है, लेकिन सही ढंग से रपटों का निर्माण नहीं होने के कारण बार-बार टूट जाते हैं तथा आवागमन प्रभावित हो जाता है । बागोली से नीमकाथाना जाने वाली सड़क साल भर टूटी रहती है । बागोली से पापड़ा जाने वाली सड़क भी साल भर टूटी रहती है । इस समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब दोनों स्थानों पर पुलियानुमा रपटें बनें । हर साल थोड़ी-थोड़ी धनराशि खर्च करके समस्या का निराकरण नहीं हो सकता तथा धन का अपव्यय ही हो रहा है ।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान सदन की मार्फत आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त दोनों स्थानों पर उचित निर्माण कार्य करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल ।

नागौर में सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय भवन का निर्माण

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, जन-सम्पर्क विभाग की विज्ञापन नीति व विभाग में पिछले पांच वर्षों में संचार साधनों, फैक्स, कैमरे व अन्य मशीनें व सामान की खरीद व नागौर जिले में सूचना केन्द्र व जन-सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माण बाबत मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्तुत करता हूं।

जन-सम्पर्क विभाग द्वारा नवीन विज्ञापन नीति जो बनायी है उसमें क्या-क्या प्रावधान रखा गया है? अभी तक नई विज्ञापन नीति लागू क्यों नहीं की गई? वर्तमान में विज्ञापन किस नियम व विज्ञापन नीति के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं? पिछले वर्षों में 93–94 से 98–99 तक किस-किस अखबार को कितना-कितना विज्ञापन दिया गया, एवं किस नीति के अन्तर्गत दिया गया? लघु फिल्म बनाने का कार्य किस-किस को दिया गया? भुगतान राशि कितनी दी गई, टेण्डर प्रस्तुत कराएं।

वर्ष 1993–94 से 1998–99 तक संचार साधनों, फैक्स, फोटो कॉपी, फोटो विभाग व दूरदर्शन कवरेज सम्बन्धी क्या-क्या उपकरण, कैमरे व अन्य सामान खरीद करने की कार्यवाही की गई। टेण्डर संबंधी तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर मय प्रति प्रस्तुत करावें।

नागौर जिला मुख्यालय पर कब तक सूचना केन्द्र व जन–सम्पर्क कार्यालय का भवन निर्माण करा दिया जावेगा। अब तक यह कार्य क्यों नहीं हुआ? आपसे निवेदन है कि उक्त जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करावें तथा परबतसर उपखण्ड कार्यालय पर भी सूचना केन्द्र एवं जनसम्पर्क कार्यालय खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

अलवर महाविद्यालय में राजस्थानी भाषा का अध्ययन

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य एवं प्रक्रिया के संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान भाषा विषय की कक्षाएं शुरू कराने के क्रम में मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

उक्त विषय में लेख है कि पिछले काफी समय से इस क्षेत्र के नागरिकों/छात्रों द्वारा कला वर्ग में राजस्थानी विषय के अध्ययन हेतु कक्षाएं शुरू करने की मांग की जाती रही है, परन्तु आपके महाविद्यालय में राजस्थानी भाषा के अध्यापन हेतु व्यवस्था नहीं होने से छात्रों की यह मांग पूरी नहीं की गई है।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के अधिकांश महाविद्यालयों तथा राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी विषय लागू किया गया है। परन्तु अलवर में इसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के छात्र राजस्थानी विषय से अनभिज्ञ तथा वंचित रह जाते हैं तथा उन्हें शैक्षणिक हानि उठानी पड़ रही है।

छात्रों द्वारा यह मांग भी की जा रही है कि राजस्थान संयुक्त प्रशासनिक सेवा

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

व अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय रखने के कारण छात्र पीछे रह जाते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थानी भाषा के अध्यापन की व्यवस्था आपके महाविद्यालय में शीघ्र प्रारम्भ कर इस क्षेत्र के छात्रों को लाभान्वित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

श्री डूंगरगढ़ में गैस कनेक्शन की एजेंसी की आवश्यकता

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के, श्री डूंगरगढ़ कस्बे में गैस एजेंसी की आवश्यकता की ओर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, श्री डूंगरगढ़ कस्बा एक बड़ा कस्बा है जिसके अधीन करीब 50 हजार की आबादी आती है। यह कस्बा तहसील मुख्यालय भी है जिसमें एक मुंसिफ न्यायालय भी कार्यरत है। यह कस्बा नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में भी आता है।

मान्यवर, उपरोक्त सभी परिस्थितियों की पूर्ति के होते हुए,इस बड़े शहर में एक भी गैस एजेंसी स्वीकृत नहीं है जिसकी अत्यंत आवश्यकता पिछले काफी अर्से से महसूस की जा रही है। इस मामले में मैंने सरकार का तथा विभाग का बार-बार ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस शहर हेतु एक भी गैस एजेंसी स्वीकृत नहीं हो पाई है।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर गैस एजेंसी स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करे ताकि इस जन समस्या का समाधान तत्काल किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल। एक मिनट में अपनी बात कहें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा (पर्चों के माध्यम से)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, एक अजीब-सी स्थिति राजस्थान में होती जा रही है, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई काम तो राजस्थान सरकार के अधीन हैं, और कई कामों के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार से विशेष अनुरोध करना पड़ेगा।

राजस्थान में कार्यवाहकों की भरमार हो रही है। राज्यपाल देखें तो कार्यवाहक, मुख्य न्यायाधीश देखें तो कार्यवाहक, विश्वविद्यालय देखें तो कार्यवाहक कुलपति, सैक्रेटरी विधान सभा देखें तो कार्यवाहक, मुख्य मंत्री देखें तो वह भी कार्यवाहक ही है। सिंचाई विभाग के कई चीफ इंजीनियर कार्यवाहक, आर. एस. ई. बी. में कई चीफ इंजीनियर कार्यवाहक। इस प्रकार से अगर राजस्थान में कार्यवाहकों की सूची बनायी जाए तो 100 से ऊपर, करीब-करीब इन कार्यवाहक लोगों की गिनती की जा सकती है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कार्यवाहकों की बजाय पक्के आदमी लगाओ, वरना हमें बड़ी मुश्किल आएगी तीन–चार महीनों बाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं जिस समस्या की तरफ आबकारी मंत्री महोदय और गृह मंत्रीजी दोनों का सम्मिलित ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, वह समूचे राजस्थान की है, लेकिन विशेष रूप से मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र महुआ और हिण्डौन के सम्बन्ध में अनुरोध करना है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा तो पहले हो चुकी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसी सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे यहां महुआ विधान सभा क्षेत्र मे शराब के ठेकेदारों की 9 अधिकृत दुकानें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 गांव तहसील महुआ के और 43 गांव तहसील टोडामीम के, जो जिला करौली में आ रहे हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां ठेकेदारों ने नाजायज शराब की दुकान नहीं खोल रखी है। यह नयी पीढ़ी, युवा पीढ़ी भयंकर रूप से शराब के नशे के आगोश में आ गई है। आपराधिक वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारी मिलकर लोगों को शराब पिलाने की लत लगा रहे हैं। राजस्थान के समूचे क्षेत्र को मयखाना बना दिया है। अगर इस पर अभी से कार्यवाही नहीं की गयी तो शराब माफिया, जिन ठेकेदारों ने 200–200, 250–250 असामाजिक तत्व पाल रखे हैं, वे मेरे और आप जैसे लोगों को इस सदन में नहीं घुसने देंगे। राजस्थान में शराब माफिया हावी हो जाएगा, फिर यही शराब माफिया बूथ कैप्चरिंग कराएगा। यह

(13.00 बजे)

शराब माफिया चुनाव लड़ेंगे। इसी शराब माफिया के इशारे पर आबकारी विभाग काम कर रहा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस ओर अनुरोध कर रहा हूं कि यह समय है, और समय रहते अगर सरकार सावचेत हो जाए तो राजस्थान की नयी पीढ़ी को इस भयंकर लत से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस सम्बन्ध में टोडामीम का था। शराब की दुकानें टोडामीम में भी खुल रही हैं इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। शराब माफिया लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं है। विराजिए। कृपया विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 कर दी। राज्य सरकार ने भी उसकी अनुपालना करते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा–निवृति आयु 58 से 60 कर दी। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग, जो बहुत आवश्यक है, उसके कर्मचारियों में अभी तक यह नियम लागू नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्षजी, सहकारिता विभाग में दो एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं। उनमें एक आई. ए. एस. सर्विस का होता है और दूसरा को–आपरेटिव सर्विस का होता है। आई.ए.एस. वाले का रिटायरमेंट 60 साल में होगा और जो को–आपरेटिव सर्विस से गया है उसका रिटायरमेंट 58 साल में होगा। यह बहुत विसंगति है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में सोचे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आज बिजली पर चर्चा होगी, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री शिवनाथ सिंह : यह आंदोलन का रूप नहीं ले उससे पहले–पहले सरकार इस मामले में सोचे और सहकारिता विभाग में भी 60साल की रिटायरमेंट एज का प्रावधान लागू करे ताकि इन लोगों को संतोष हो।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सम्बन्ध में आपको स्लिप दी थी कि सहकारी विभाग के हजारों कर्मचारी है,जिसमें को-आपरेटिव बैंक. अपेक्स संस्थाएं हैं उनको 60 साल की सेवावृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। देखने में ऐसा आ रहा है कि जो कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन करें, धरना दें और तरह-तरह के नारे लगाएं उनको तो यह लाभ मिल जाता है और जो चुपचाप बैठे हैं, इन्तजार कर रहे हैं उनको यह लाभ नहीं मिल रहा है। इन सहकारी संस्थाओं के सेवा नियम में यह है कि, जो व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, वहां वह आर.एस.आर. के नियम लागू होंगे। आर. एस. आर. के हिसाब से जब इन्होंने 60 साल कर दी तो उनको भी 60 साल करना चाहिए; यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पांच दिन पूर्व सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और यह आने वाले समय में बवण्डर होने की सम्भावना बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर निश्चित मत बनाये और इसमें वार्तालाप करके इस सहकारिता विभाग में जो एनामोली है वह ठीक करे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवें पे-कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों ने ही अपने कर्मचारियों की सुपर एन्युएशन की जो एज है, वह 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री विराजे हुए हैं, मैं उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी टीचर्स और कॉलेज टीचर्स की सुपर एन्युएशन एज के सम्बन्ध में रस्तोगी कमेटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोनों ने अपनी यह स्पेसिफिक राय दी है, रिकमंडेशन दी है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सुपर एन्युएशन एज 58 से 60 कर दी जाती है तो उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दी जाए। केन्द्र सरकार की कैबिनेट ने 24 जुलाई को निर्णय लेकर 27 जुलाई, 1998 को यह नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स की और कॉलेज के टीचर्स की सुपर एन्युएशन एज 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दी जाये। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार आपकी पार्टी की है और आप उसकी नीति के अनुसार चल भी रहे हैं, और उन्होंने जब 60 साल से 62 साल कर दी तो राजस्थान के अन्दर क्यों नहीं आप यूनिवर्सिटी टीचर्स और कॉलेज के टीचर्स की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दें? इसमें बेरोज-

(श्री हरिसिंह)

गारी का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हमारी युनिवर्सिटी के अन्दर प्रोफेसर और रीडर्स हैं। उनकी काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं और जो लोग 60 साल में रिटायर हो जाएंगे वे उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे स्पेसिफिक निवेदन यह है कि आप जो पिछली डेट है, उसमें यह भी है कि किस डेट से करेंगे, जिस डेट से आपने पे-स्केल की है 27 जून, 1996 ..

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : इसमें विवाद नहीं, वाद-विवाद नहीं। श्री अमरा राम।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : विवाद नहीं, आपने अलाऊ किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया है और बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं ...

श्री अध्यक्ष : बाजार में पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों के साथ कुन्जी दिये जाने के सन्दर्भ में

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : टीचर्स के संबंध में मामला है। इस युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मामला है....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। आज महत्वपूर्ण विभाग, बिजली का विषय आ रहा है, आप समय ले रहे है। विराजें आप। मैंने एक मिनट का समय दे दिया। आप विराज जाएं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह शिक्षा का मामला है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो राजस्थान में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आज 29 तारीख है, स्कूल खुले 29 दिन हो गये और दसवीं क्लास का करीब-करीब पाठ्यक्रम इस साल बदल दिया गया है। आज भी 29 तारीख तक यह हालत है कि चाहे वह जयपुर शहर हो, चाहे सीकर हो, चाहे छोटे कस्बे हों। जो भी बुकसेलर हैं उनके पास किताबें ही नहीं हैं। अगर उनके पास है भी तो 10 रुपये की किताब है तो उसके साथ 35 रुपये की कुन्जी जबरदस्ती लेनी पड़ रही है। सेशन शुरू होने के एक महीने बाद, सरकार के पास पाठ्य-पुस्तक मण्डल भी है, इसलिए सरकार निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करे जिससे राजस्थान में जिस तरह से विद्यार्थियों को चीट किया जा रहा है उस पर रोक लगे। एक महीने के बाद भी पुस्तकें बच्चों को खरीदने के लिए नहीं मिल रही है। जयपुर में तो विशेष तौर से जो बुकसेलर हैं उन्होंने अपनी दुकान में कुन्जी नहीं देकर सामने ठेला लगाकर जो किताब लेगा उसको 10 रुपये की किताब और उसके साथ 35 रुपये की कुन्जी देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों को इससे बचाया जाये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री राम स्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अभी सैटलमेंट हुआ था। उस सैटलमेंट में सैटलमेंट विभाग ने क्या किया है कि क' की जमीन ख' के नाम कर दी, 'ख' की जमीन 'ग' के नाम कर दी। ग्राम रास्तों को दूसरे के बांध दिया। स्कूलों की जमीनों को इधर-उधर कर दिया। तो अब जाकर वह सारा रिकार्ड आया है। माननीय मंत्रीजी, हमारे एस. डी. एम. के यहां अपीलें हो रही हैं, उन अपीलों का वहां ढेर लगा है। मेहरबानी करके टोडाभीम में ही एक दिन आप अपील अधिकारी को बिठा दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा, 10 गुना लगान बांध दिया। किसान 10 गुना लगान कैसे देगा ? 10 साल का बांध दिया उन्होंने। इसलिए मेहरबानी करके किश्तों में कर दें इसको....

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं। श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री रामस्वरूप मीणा : पूरा माफ नहीं करें तो आप किश्तों में करा दीजिये। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप काश्तकारों की समस्या की ओर ध्यान देंगे। आप नाड़ भी हिला रहे हैं, इसका मतलब मैं मान लूं कि आप कुछ करेंगे मेरे किसानों के लिए। यही मतलब है न नाड़ हिलाने का ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति निवाई में अरणोता एक पंचायत है। वहां के पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच, दोनों एक आंगनबाड़ी वहां पर बनवाना चाहते थे। बाल विकास विभाग की तरफ से उसकी अनुदान राशि मंजूर हो गयी लेकिन उस गांव के अन्दर कुछ राजपूत हैं, उनमें से कुछ लोग इस हित में हैं कि वह अपने खेतों में, अपनी खातेदारी की जमीन के अन्दर उसको बनवायें ताकि वे अपने घर के उपयोग में उस मकान को लें। जबकि गांव के लोग यह चाहते हैं कि जहां पंचायत ने पट्टा दे दिया है उस जगह पर वह मकान बनना चाहिए, वह भवन निर्माण होना चाहिए। उसके लिए माननीय पंचायत राज राज्य मंत्रीजी से भी गांव के लोग दरख्वास्त कर चुके हैं। माननीय पर्यटन राज्य मंत्रीजी से भी दरख्वास्त कर चुके हैं और हमारे मुख्य सचेतक जी से भी निवेदन कर चुके हैं। लेकिन तीनों के आदेश होने के बावजूद अब तक पी. डी. के यहां से वह पैसा नहीं आया है और वह भवन निर्माण नहीं हो पाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे को किस बात की दरख्वास्त दी है ? कौनसे गांव की है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपको यह भवन बनाने के लिए दी होगी। यह मेरे पास मौजूद है। अंगुणिया पंचायत के अन्दर कोठावत में आंगनबाड़ी भवन का है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि आंगनबाड़ी के इस भवन का निर्माण करायें, उसके लिए पैसा रिलीज करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह खनिज मंत्रीजी से सम्बन्धित

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

है, खनिज मंत्रीजी कृपया ध्यान दें। चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ के पास में साबा गांव है जिसकी ग्राबादी करीबन 3–4 हजार है ग्रौर वहां पर ग्रासिम इण्डस्ट्रीज की ग्रादित्य सीमेंट फैक्ट्री है। उन्होंने बड़े ग्रधिकारियों से, बड़े नेताओं से मिलकर के साबा गांव की जो चरनोट की भूमि है उस पर तो पहले उन्होंने ग्रवैध खनन किया ग्रौर उसके बाद में बिना पंचायत की एन. ग्रो.सी. के ग्रधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन को इन्होंने ग्रपनी माईनिंग लीज के लिए अलाट करा लिया। इसलिए मैं खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, जहां गांव की ग्राबादी करीब 5–6 हजार है....

श्री कैलाश मेघवाल : चरनोट तो कलेक्टर बदलता है। ग्राप जानते हैं, ग्राप तो पूर्व खनिज मंत्री रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हां हां, वह तो पता है, लेकिन खनिज विभाग के आदेश से ही यह इनकी माईनिंग लीज ग्रांट हुई है इसलिए ग्रापका भी उसमें इन्वाल्वमेंट है। ग्रौर उस गांव की आबादी 4,000 है, उसमें उसके पशुग्रों की आबादी भी इतनी है जहां पर उनके चरागाह नष्ट हो गये हैं। वहां पर ग्रामवासियों के लिए आजीविका का साधन भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से आप, पूंजीपति बिड़ला की ग्रासिम इण्डस्ट्री वालों के दबाव में ग्राकर ग्रगर यह सरकार कृषकों को वहां से बेदखल करना चाहती है, कृषकों के पशुओं के लिए चरने की कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती और ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर काफी तनावपूर्ण वातावरण है। इसलिए राजस्व मंत्री और खनिज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि, मैं ग्रापको कागज उपलब्ध करा दूंगा, इसमें ग्रासिम इण्डस्ट्री वालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये जहां पर एक तो उनको लाइमस्टोन दी जाती है लेकिन साबा ग्राम वालों को कुछ रिलीफ प्रदान करें।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये। विभाजन संख्या 174. श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र। जहाजपुर कस्बे में चार दिन से बाजार बन्द है....

श्री ग्रध्यक्ष : श्रवणकुमार जी, मैंने 174 बोला है, ग्रापको याद नहीं है? विभाजन संख्या याद नहीं है? ग्रापने लिखा है ना ग्रपनी कलम से। बोलिये, बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आप विभाजन संख्या क्यों, नाम लेते ना। कितना बढ़िया नाम है ग्रौर ग्राप नाम नहीं ले रहे हैं।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों से नीलाम भूमि जो पूर्व में हरिजनों की थी, वह सवर्ण जाति के लोग ले लेते हैं, उसका पूरा पैसा जमा करवा लेते हैं। पूरा पैसा जमा कराने के बाद में भी उसका नामान्तरण नहीं चढ़ता है। जब बैंक के नाम वह जमीन ग्रा गई ग्रौर बैंक वालों ने उस जमीन को पूरे पैसे लेकर किसी ग्रन्य पार्टी को बेच दी। ग्रब पार्टी ने पूरे पैसे बैंक में

(74)

(श्री श्रवण कुमार)

जमा करा दिये। बैंक ने तो अपना जो ऋण दिया था उसको अदा कर लिया और प्रार्थी को वह जमीन प्राप्त होती नहीं है। जब तक उस जमीन का नामान्तरण अगले के नाम नहीं चढ़ेगा तब तक वह बतायें, वह जमीन उसकी कैसे होगी? तो मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रार्थी ने जो जहां-जहां भी बैंक के माध्यम से जमीन खरीदी है, उसका नामान्तरण उसके नाम चढ़े जिससे वह जमीन उसके नाम पर नामान्तरण हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विगत चार दिन पूर्व 27 तारीख को जहाजपुर कस्बे के खाद्य निरीक्षक श्री भगवती प्रसाद का लड़का, व्यापारी के यहां गया और वहां जाकर 5 किलो तेल और 5 किलो आलू तुलवा लिया। तुलवाने के बाद पैसे मांगे तो गाली-गलौच करके उस व्यापारी के साथ अभद्रतापूर्ण मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसका पिता, खाद्य निरीक्षक, श्री भगवती प्रसाद वहां आया और उसने आते ही और मारपीट और गाली-गलौच की। तेल के सैम्पल के नमूने लिए और लेकर उसको धमकी दी और उसके साथ धक्का-धूम की। बाजार के 500–700 आदमी वहां इकट्ठे हो गये और बड़ी मुश्किल से उसका छुटकारा किया। हकीकत यह है कि वहां के व्यापारियों ने राज्यपाल महोदय को जिलाधीश के मार्फत एक ज्ञापन दिया कि ये व्यापारियों से हर महीने डेढ़-दो हजार रुपये लेता है और नहीं देने पर इस तरह सैम्पल लेकर बराबर तंग कर रहा है।

इसके साथ ही वहां पर दो डाक्टर, डाक्टर भारद्वाज और उसकी पत्नी, उनके बारे में भी, व्यवहार और पैसों को लेकर वहां की जनता काफी आंदोलित है और आज वहां बाजार चार दिन से बन्द पड़े है और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि उन दोनों को हटाकर वहां तत्काल कार्यवाही करावें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके बाजार खुलवायें और इन अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करें ताकि बाजार खुल सके और आम जनता को जो परेशानी हो रही है, वह खत्म हो सके।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान पिछले एक महीने से मेरे विधान सभा क्षेत्र के मांगरोल और इटावा में विद्युत की अनियमितता के कारण से जो आम जनता को परेशानी हो रही है, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विद्युत की आपूर्ति नहीं मिलने से इस क्षेत्र में, जहां 24 घंटे में मुश्किल से 7–8 घंटे लाइट मिल रही है, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और आम जनता में इससे काफी आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मांगरोल और इटावा में विद्युत

(श्री रामगोपाल बैरवा)

अनियमितता की व्यवस्था है, उसको सुधारने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द ।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग में अभी राजस्व विभाग में मीणा, रावत सब जोड़कर जन-जाति वर्ग का सामान्य वर्ग में परिवर्तन किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से सोचा-समझा, गरीबों के साथ, शोषित वर्ग के साथ अन्याय है। सरकार ने एक परि-पत्र जारी किया अभी 23.11 96 को, जो गलत है। वहां पहले भी कई ईसाई मिशनरी आई थी और उन्होंने भी सोच-समझकर लोगों को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले में ईसाई बनाया। आज भी रावत मीणा जोड़कर लोगों को परिवर्तन किया जा रहा है। उन लोगों के आज, राजकीय सहयोग और, जिस प्रकार से पिछड़ों के उत्थान के लिए उपयोजना क्षेत्र में काम हो रहा है, उसके पीछे साजिश है। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस आदेश को तत्काल रोका जाये, वापस लिया जाये अन्यथा वहां हालात बुरे हैं। लोगों की नासमझी में फार्म भरे जा रहे हैं। कहीं 8,000 फार्म आ रहे हैं, कहीं 10,000 फार्म आ रहे है, कहीं 5,000 फार्म आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुनः पुरजोर शब्दों में माननीय गंगाराम जी, राजस्व मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आज ही, ऐसे कानून में इस प्रकार के परिवर्तन इस परिपत्र के माध्यम से हो रहा है, रोका जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, आज मानसून को मध्य नजर रखते हुए सम्पूर्ण नागौर जिले में और खासकर परबतसर विधान सभा क्षेत्र में जो मानसून की वर्षा हुई वह प्रथम वर्षा अपर्याप्त और असन्तोषजनक थी। शुरू में तो नाममात्र की वर्षा हुई थी। किसान महंगा बीज और खाद, महंगा उपकरण, जो खेती के काम में आता है, जैसे ट्रेक्टर, खेत की जुताई-बुवाई में जो फसल बीजी है, वह भी वर्षा के अभाव में सफेद लट और कातरे ने बरबाद कर दी है जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। खेती करने वाले किसान को 12 महीने में ये ही चार महीने ऐसे मिलते हैं जिस समय वह अपनी खेती में व्यस्त रहता है और खेती के लिए अपना काम करता है।

चरागाह का चारा भी जो पर्याप्त मात्रा में उगा था, वह बारिश नहीं होने से भस्म हो गया और नाडी, जोहड़, तालाब जितने भी थे, पानी नहीं होने से, बरसात नहीं होने से सूख गये और खेती पर निर्भर करने वाले किसान खेती का काम, जो सीजन आते ही शुरू कर देता है, अभी भविष्य में होने वाली जो वर्षा है यह किसानों के लिए बराबर अपर्याप्त है। इसमें इजाफा नहीं कर सकते तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, सम्पूर्ण नागौर जिला और परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य जल्दी से शुरू करवाये जाएं ताकि किसान, गरीब और मजदूर काम पर जा सकें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, बैठिये।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य बात रह गई। परबतसर तहसील के कई गांवों जैसे कुराडा, परबतसर, पीठबालिया, कुल्लर, हरसाबा, भादवा, बागोठ के मवेशियों में, विशेषकर गाय, भैंस, नागौरी बछड़ों के जानलेवा बीमारी गलघोंटू बीमारी है। वह रोग जबरदस्त प्रकोप पर है, जबरदस्त चल रहा है। जगह-जगह सैंकड़ों की तादाद में पशु अकाल मौत मर चुके हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आजीविका का एक मुख्य साधन है। सरकार को चाहिए कि तत्काल परबतसर विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसी टीम भेजे जो गलघोंटू बीमारी का इलाज कर सके, टीकाकरण कर सके। जिनके भी पशु मरे हैं, उन्हें राज्य सरकार सहायता प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि यहां पर शिक्षा मंत्रीजी नहीं है। एक प्रश्न मैंने पूछा था और उसका आज मुझे जवाब मिला। उसमें यह कहा गया है कि 1996–97 में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था और हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया है....

श्री अध्यक्ष : यह किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा यह निवेदन है कि शेरगढ़ तहसील के अन्दर, मैंने प्रश्न के साथ यह भी पूछा था कि हमारे यहां की कई पंचायतें ऐसी रह गई हैं जिनके अन्दर प्राइमरी से मिडल स्कूल नहीं किया गया है। मैंने पंचायतों के नाम भी दिये है। और मैंने इसी प्रश्न के साथ यह पूछा था कि यह पांच पंचायतें हैं जिनके अन्दर अभी तक आपने प्राइमरी को मिडल स्कूल नहीं की है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रूल 49 में आता है, इसमें आधा घंटे की चर्चा मांग सकते हैं आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, इसमें आधे घंटे की चर्चा की जरूरत नहीं है। मेरी समस्या का समाधान, मुझे विश्वास है, उपमुख्यमंत्री जी करवा देंगे। आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, मान्यवर कि इन पंचायतों के क्षेत्र में कोई दूसरी मिडल स्कूल नहीं है। प्राइमरी तो है लेकिन मिडल स्कूल नहीं है। आप माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को यह निवेदन करें या उनको आदेश दें कि वह कृपापूर्वक यह जो पांच पंचायतें हैं जिनमें प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करके मिडल स्कूल करायें। क्योंकि इन्होंने जवाब में कुछ ऐसा उलटा सा जवाब दे दिया इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

सूचना प्राप्ति प्रश्न
श्रीमती शशीदत्ता, की सदन से अनुपस्थिति

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। आप विराजें तो मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री ग्रमराराम)

ग्रापके माध्यम से निवेदन है कि टीबी से ग्राने वाली माननीय सदस्या ने 29 तारीख के लिए यह घोषणा की थी कि उनके क्षेत्र में ग्रगर सीपेज की, सेम की समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं 29 तारीख को आत्मदाह करूंगी। लेकिन ग्राज क्योंकि सरकार इस बात से पूर्णतया, मैं समझता हूं, सचेत नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि ग्राज वह यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं। ग्रौर मुझे ग्राशंका है कि, सरकार की पुलिस ने क्या उनको गिरफ्तार कर लिया है, कहां वे उपस्थित हैं, कहां उनकी स्थिति

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें। विराजें आप। मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठिये। चार रोज पहले मेरी ग्रौर उप मुख्य मंत्री महोदय की बातचीत हो चुकी है, उन्होंने ग्रात्मदाह का ग्रपना प्रस्ताव वापस ले लिया हैं।

श्री विष्णु मोदी : सदन में क्यों नहीं है ?

श्री ग्रध्यक्ष : अब यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : ग्राप केवल इतना सुनिश्चित करा लें कि उनको इस सरकार ने गिरफ्तार तो नहीं किया है....

श्री ग्रध्यक्ष : आप सदन में कल क्यों नहीं थे ? क्या मेरी जिम्मेदारी है ? क्या बात है (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : दिल्ली में रैली में गया था ? आप यह सुनिश्चित करा लें कि उनको सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें, विराजें.... (व्यवधान) याचिकाग्रों का उपस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मानेंगे, इस सदन के माननीय सदस्यों ग्रौर मंत्री मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों को मामला समाधान करवाने के लिये अपनी काया को भस्म कर आत्मदाह करने की नौबत ग्राये, ग्रौर फिर ग्राप उसको टलायें, यह स्थिति राजस्थान के ग्रन्दर ग्राये, यह बड़ी भारी दुखदायी स्थिति है। हमें बहुत दुःख है इस बात का।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्रापको स्वयं ज्ञात है, ग्राज के पांच दिन पहले स्वयं ग्रध्यक्ष महोदय ने मुझे ग्रौर माननीय सदस्या, शशीदत्ता जी को अपने चैम्बर में बुलाया। मैंने उनसे पूछा, ग्रापकी समस्या क्या है ? मैंने कहा यह सेम की समस्या ? बोली, हां। मैंने कहा कि यह एक दिन में समाप्त हो जायेगी क्या ? बोली नहीं। तो मैंने कहा इस सम्बन्ध में जो भी ज्ञात तकनीक है उसके ग्राधार पर सरकार काम कर रही है। ग्राप बतायें ग्राप क्या चाहती है ? उन्होंने कहा, ग्रभी जो काम हो रहा है वह सूरतगढ़ में हो रहा है, यह काम जीरो हैड से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा ग्रापकी बात सही है। विधान सभा का सत्र समाप्त होने के बाद सी.ए.डी. मिनिस्टर ग्रापके साथ चले जायेंगे ग्रौर ग्राप जो-जो भी स्थान बतायेंगी, तकनीकी आफिसर भी साथ में होंगे ग्रौर जो भी ग्राप सुझाव देंगी, निश्चित रूप से सरकार उन पर उचित कदम उठायेगी। इस पर वह संतुष्ट हो गईं। मैंने 27 तारीख को उनको यही बात लिखकर दे दी ग्रौर लिखित में देकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया ऐसा काम नहीं करें जिससे ग्रापके शरीर को कष्ट हो या विधान सभा की गरिमा में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

किसी प्रकार की कमी आये। मैं समझता हूं कि उस बात को वह मान गईं और जैसा कि अध्यक्षजी ने कहा है कि उन्होंने वापस ले लिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर वह सदन में क्यों नहीं आईं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब यह तो आपकी जिम्मेदारी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने छिपा रखा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, जानकारी यह मिली है कि पुलिस उनके घर के चारों ओर बैठी हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब इसके बाद जानकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता.... (व्यवधान) ...मैंने आपसे निवेदन कर दिया, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, क्या उनको अरेस्ट कर रखा है, अध्यक्ष महोदय ?

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत गुन्दाली में बेकुड़ी एनीकट का निर्माण कराने बाबत

(1) उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत गुन्दाली में बेकुड़ी एनीकट का निर्माण कराने बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

उदयपुर जिले की गुन्दाली मुख्य गांव से जरगाजी तक सड़क निर्माण बाबत

(2) उदयपुर जिले के गुन्दाली मुख्य गांव से जरगाजी तक सड़क निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत दादिया के ग्राम शिवडिया तक सड़क निर्माण बाबत

(3) उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत दादिया के ग्राम शिवडिया तक सड़क निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

जिला पाली की गोचर भूमि खसरा नं.300 (ग्राम बल्दों की ढाणी) से अतिक्रमण हटाने बाबत

(1) जिला पाली की गोचर भूमि खसरा नं. 300 (ग्राम बल्दों की ढाणी) से अतिक्रमण हटाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

पंचायत समिति पाली के ग्राम भाटों की ढाणी (जबड़ीया) में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलाने बाबत

(2) पंचायत समिति पाली के ग्राम भाटों की ढाणी (जबडीया) में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। धन्यवाद।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा प्रभारी मंत्री राजस्थान स्टाम्प विधेयक,

(श्री अध्यक्ष)

1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पाइंट ग्राफ आर्डर ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ ग्रार्डर । माननीय वित्त मंत्रीजी जो यहां पर विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कांस्टीट्यूशनल रीजन्स के कारण से आपत्ति है और कृपया मेरी बात को सुना जाय । मैं नियम ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पुरःस्थापित करते समय कोई आपत्ति नहीं होती है । यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए । यह व्यवस्था नहीं है । संविधान के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मालूम है इसलिए आप कृपया सुन लीजिये । आपत्ति है इस वक्त मुझे, यह लेजिस्लेटिव पावर्स के बाहर है । आप स्टाम्प एक्ट बना नहीं सकते, यह आर्टिकल 246 में स्पष्ट दिया हुआ है ..

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, यह केन्द्र सरकार के पास जायेगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह आप बिना नहीं सकते हैं । कान्करेट लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, सेन्ट्रल लिस्ट बनी हुई है । उस चीज का अगर आप अध्ययन करेंगे, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें । मैं समझ गया । आपका पाइंट ग्राफ आर्डर मैं समझ गया, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं । विराजें । आगे प्रश्न ही नहीं होता । विराजें ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : रूल 64 को आप देख लीजिये । पूरी बात सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, आप कृपया पूरी बात सुन लीजिये, दो मिनट के अन्दर । आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी । मैंने एक कांस्टीट्यूशनल पाइंट उठाया है, रूल कोट कर रहा हूं मैं । रूल 64 कोट कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : सुन लिया । रिजेक्ट करने के बाद मैं क्या सुनूं ? प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह रूल 64 देख लीजिये +++ कृपया मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिये । आप रूल 64 पढ़ लीजिये । रूल 64 में स्पष्ट दिया हुआ है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक....

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधायिनी शक्ति से परे विषय पर सदन को विधान निर्माण का अधिकार नहीं

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर है। वित्त मंत्रीजी और इस राजस्थान विधान सभा की लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर है और इसलिए आपको डिबेट अलाउ करनी पड़ेगी। आपके बनाये हुए रूल्स कह रहे हैं, आपके रूल्स बनाये हुए कह रहे हैं। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। मैं रूल कोट करके कोई बात कह रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : रूल तो सुन लीजिये आप। एक मिनट रूल तो सुनिये। आप रूल ही नहीं सुन रहे हैं। आप बिना बात के कह रहे हैं। आप रिजेक्ट कर दीजियेगा बाद में। आप रिजेक्ट कर दीजियेगा।

एक माननीय सदस्य : कोई बात बोली ही नहीं उससे पहले ही आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको सुन तो लीजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इन्होंने बोला ही नहीं उसको, रिजेक्ट कहां से करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, रूल 64 जो हमारी विधान सभा का बनाया हुआ है। कृपया, इस रूल 64 को सुन लीजिये एक बार। रूल 64 यह स्पष्ट कहता है, अध्यक्ष महोदय–

"Motion for leave to introduce Bill.–If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question :

"Provided that where a motion is opposed on the ground the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussing thereon."

अध्यक्ष महोदय, यह आपकी लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस में नहीं है। आपको इसको सुनना पड़ेगा। बाद में आप रिजेक्ट कर दीजियेगा। हां, इसमें डिबेट करने के लिए आप अधिकृत हैं।

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। माननीय मंत्री महोदय ने जो राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 प्रस्तुत करा, पहली चीज तो इसमें इन्होंने जैसे रूल 58 और रूल 61 दिया हुआ है कि इसके साथ में फाइनेंशियल मेमोरेंडम होना चाहिये था। माननीय चतुर्वेदीजी भी एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ में आपने फाइनेंशियल मेमोरेंडम दिया है। लेकिन, इस स्टाम्प एक्ट के साथ में फाइ-

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

नेंशियल मेमोरेंडम नहीं दिया हुआ है जब कि इसमें एक्सपेंडीचर इन्वाल्व है ।

दूसरी, इससे भी गम्भीर बात है, अध्यक्ष महोदय । ये जो रूल-64 कोट किया है कि आउटसाइड हमारी लेजिस्लेटिव कंपीटेंस में हैं । आर्टिकल 246 कांस्टीट्यूशन का बना हुआ है उसके अन्तर्गत सेवन्थ शिड्यूल हैं । सेवन्थ शिड्यूल में एक स्टेट लिस्ट है, एक सेन्ट्रल लिस्ट है और एक कान्करेंट लिस्ट है और उसी के अनुरूप हमको कानून बनाने पड़ते हैं । राजस्थान की विधान सभा ऐसे किसी विषय पर कानून नहीं बना सकती जो कि सेन्ट्रल लिस्ट से सम्बन्धित हो । क्या हम डिफेन्स के सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं ? क्या हम रेल्वे के सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं ? इसी प्रकार से यह जो स्टाम्प एक्ट है, यह भी स्टेट लिस्ट में भी है, कान्करेंट लिस्ट में भी है और सेन्ट्रल लिस्ट में भी है । अब कृपया मुझे एक मिनट और दीजिये आप । कृपया इस बात की तरफ गौर कीजिये कि इस सेवन्थ शिड्यूल की जो सेन्ट्रल लिस्ट है उसमें क्या दिया हुआ है एन्ट्री नं. 91 पर, स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित ही है यह, "Rates of stamps duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of landing, letters of credit, policie of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts:" इनके ऊपर यह विधान सभा कानून नहीं बना सकती । अब माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो हमको यह स्टाम्प एक्ट का बिल दिया है इसके अन्दर कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके अन्दर स्पष्ट रूप से, जो मैंने अभी एन्ट्री-91 पढ़ी है सेन्ट्रल लिस्ट की, जिसमें फोरबिडन है कि यह विधान सभा उन विषयों के ऊपर कानून नहीं बना सकती है । और अगर हम अपनी सीमा से बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल से यह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध होगा । मैं तीन एग्जाम्पल देना चाहूंगा । जो आपने हमको स्टाम्प बिल दिया है, इसमें पेज 14, इंगलिश एडिशन में आपने ड्यूटीज हाऊ टू बी पेड में इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब इन द केस ऑफ बिल्स आफ एक्सचेंज जो प्रोमेजरी नोट इसके ऊपर आप कानून नहीं बना सकते जबकि इसके ऊपर आप कानून बनाने जा रहे हैं । इसी प्रकार से एक है पेज नं. 70 पर, शिड्यूल में एक एन्ट्री है जिसमें लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ प्रोपर्टी, एक्सचेंज के सम्बन्ध में आप कोई स्टाम्प ड्यूटी से सम्बन्धित कानून नहीं बना सकते, उसको आपने इसके अन्दर, परव्यू के अन्दर ले लिया है । आप अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं । इसी प्रकार से आपने शेयर्स से सम्बन्धित, पेज नं. 84 में एन्ट्री-52, शेयर्स से सम्बन्धित आप यहां पर कानून बनाने जा रहे हैं जबकि कांस्टीट्यूशन के अन्दर दिया हुआ है कि इस विषय पर आप कानून नहीं बना सकते ।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर बिन्दु को गम्भीरता से लिया जाये और सरकार इसके ऊपर पूरा अध्ययन करे । जो भी आब्जेक्शंस मैंने रेंज लिये हैं कि जिनके ऊपर यह विधान सभा कंपीटेंट नहीं है, ये केन्द्र से सम्बन्धित हैं । यह मैं मानता हूं कि कांकरेंट लिस्ट में है स्टाम्प ड्यूटीज का विषय, लेकिन हमारी इसमें

(82)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

सीमा है। हम अपनी सीमा लांघ नहीं सकते हैं और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपनी सीमा लांघ करके इस प्रकार से राजस्थान की विधान सभा के सामने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया हैं राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998 यह केन्द्र की सीमाओं का एन्क्रोचमेंट है और इसलिए इस बिल को ये वापस लें और वापस इस बिल को नये सिरे से प्रस्तुत करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर....

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी एक ही तो करेंगे पाइंट ऑफ आर्डर, जवाब सुन लीजिये।

इसी बिल में इसके उद्देश्यों और कारणों में माननीय सदस्यों ने जो भी आपत्तियां उठाई हैं उसका निराकरण प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके समक्ष वह पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

संघ और राज्य की विधायी शक्तियों के वितरण की स्कीम भारत के संविधान के भाग–11 में अन्तर्विष्ट है। अनुच्छेद 246, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में संसद को और सूची 2 में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डलों को विधियां बनाने की शक्तियां प्रदत्त करता है। यह सूची 3 में उल्लिखित विषयों पर संसद और राज्य विधान मंडलों को समवर्ती शक्तियां प्रदत्त करता है।

मान्यवर, समवर्ती शक्तियों का मतलब यह होता है कि यदि इस केन्द्र की सरकार ने कोई कानून बताया हो तो राज्य सरकार समवर्ती सूची में होने पर भी उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि केन्द्र सरकार का कोई कानून नहीं हो तो समवर्ती सूची में राज्य को अधिकार दिया हुआ हैं वह कानून बना सकता हैं। यदि केन्द्र बाद में कोई कानून बनाये तो वह सब्जेक्ट टी केन्द्र का जो कानून बनेगा, उसी के अन्तर्गत राज्य का कानून बनाया जायेगा।

स्टाम्प शुल्क दरों के सिवाय का विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है और उसकी प्रविष्टि 44 निम्नलिखित रूप में है :—

"44–न्यायिक स्टाम्पों के द्वारा संग्रहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टाम्प शुल्क।" किन्तु इसके अन्तर्गत स्टाम्प की दरें नहीं हैं। हमने दरें नहीं मांगी। दरें जब हम तय करेंगे इसके अन्तर्गत तय होगा। इसलिए इस विषय में सम्बन्धित विधियां बनाने के लिए संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों सशक्त हैं।

विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय–पत्रों, बीमा–पॉलिसियों, शेयरों के अन्तरण, डिबेन्चरों, परोक्षियों और प्राप्तियों की प्रकृति के दस्तावेजों को पूर्वोक्त सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि-91 में सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दरें विहित करने के लिए

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

संसद की शक्तियां दी गयी हैं। वह हम नहीं मांग रहे हैं। प्रविष्टि–91 इस प्रकार है :–

"विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, प्रत्यक्ष-पत्रों, बीमा-पॉलिसियों, शेयरों के अन्तरण, डिबेन्चरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दर।" यह इसमें लिखा हुआ है।

सभी अन्य प्रकार के दस्तावेजों के लिए ये शक्तियां सूची–2 की प्रविष्टि–63 के आधार पर राज्य विधान मण्डल में निहित हैं, जो निम्नलिखित रूप में है :–

"स्टाम्प-शुल्क दरों के सम्बन्ध में सूची-1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प-शुल्क की दर।" ये राज्य सरकार की है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999 कतिपय वर्ग की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण करके राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिनियमित किया गया एक राजवित्तीय उपाय है। भारत के संविधान के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्या–2) प्रवृत्त था और संविधान के अनुच्छेद 372 के उपबंधों के क्रियान्वयन से यह उक्त प्रारम्भ के पश्चात भी प्रवृत्त रहा। तथापि, संविधान के ऊपर यथा-निर्दिष्ट उपबंधों की सम्यक अनुपालना के लिए सन् 1952 में राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन अधिनियम, 1952 अधिनियम संख्या–7 अधिनियमित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि–91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प-शुल्क की दरें विहित की गयी थीं। यह राजस्थान अधिनियम समय–समय पर संशोधित किया गया था जिससे कि केन्द्रीय अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों को उपान्तरित किया जा सके और स्टाम्प शुल्क की दरों को भी पुनरीक्षित किया जा सके।

स्टाम्प पर एक पृथक् व्यापक स्टाम्प विधि की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् अब एक नयी अधिनियमिति के माध्यम से स्टाम्पों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने और राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन अधिनियम, 1952 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। इसलिए संविधान में हमको अधिकार है। यह समेकित सूची में है। इस पर संविधान में हमको अधिकृत किया गया है।

जहां तक आपने फाइनेंस की बात की, मान्यवर, स्टाम्प शुल्क में व्यय नहीं है इसमें तो आमदनी का सवाल है। इसमें कोई व्यय नहीं होगा। इसमें तो हम जो शुल्क लगाएंगे, उससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इसलिए फाइनेंशियल मेमोरेंडम की जरूरत नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को कि आपने डिटेल्स बतायीं....

श्री अध्यक्ष : विराजिये कृपया। इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है। विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं। सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो एन्ट्री नं. 91 है सेन्ट्रल लिस्ट में....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मैं अपना निर्णय दे रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसमें जो डिटेल हैं, क्या आप × × ×

व्यवस्था

संविधान की समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधान सभा भी कानून निर्माण कर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। बाई फोर्स इस तरह से आप अपनी बात नहीं लावें कृपया।

सदन की वैधानिक क्षमता की सीमा के अन्तर्गत किसी विधेयक की संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्षपीठ से निर्णय नहीं दिया जा सकता। एक बात। विधेयक कान्करेंट लिस्ट का है जिसका अर्थ यह है कि राज्य भी उसको बना सकता है और केन्द्र भी बना सकता है। कहा यह गया है कि चूंकि यह कान्करेंट लिस्ट में है और वैधानिक रूप से यहां नहीं लाया जा सकता। इसमें वैधानिक दृष्टि और है, और वह यह है कि, जैसा कि सदन में भी तय किया हुआ मामला है, पार्लियामेंट से भी तय किया हुआ है कि कान्स्टीट्यूशनल पाइंट उठ जाए तो उसको कांपीटेंट कोर्ट डिसाइड कर सकती है, न कि स्पीकर। ऐसा कन्वेंशन है। मैं लोक सभा का उदाहरण भी आपको पढ़कर सुना सकता हूं। इसलिए आपके पाइंट ऑफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1985 में ला चुके हैं। 1985 में आप खुद ला चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय मंत्री महोदया। कृपया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह मैंने माना है। यह मैं कह चुका हूं कि कान्करेंट लिस्ट में है लेकिन उसमें आपकी लिमिटेशंस हैं।

विधेयक का पुर : स्थापन

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक,

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 को पुरः-स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 1998

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर प्रभारी मंत्री के संशोधन के सन्दर्भ में संशोधन पेश करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाना

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा पाइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिये। यह आपके पुरःस्थापन के सम्बन्ध में ही है। मेरा निवेदन सुनें आप।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के समय, आप स्वयं जानकार है, प्रस्ताव जब भी किया जाता है कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इंट्रोडक्शन की बात है अध्यक्ष महोदय, इंट्रोडक्शन की स्टेज नहीं है यह ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : विचारार्थ है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं, विचारार्थ लिया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : विचारार्थ स्टेज है, इंट्रोडक्शन तो हो चुका। इंट्रोडक्शन तो इसका हो गया जिस दिन बजट स्पीच आई थी उस दिन। यह विचारार्थ की स्टेज है। विचारार्थ की स्टेज पर तो आब्जेक्शन हो ही सकता है।

श्री अध्यक्ष : चलिए, बोलिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरा निवेदन यह है आपसे कि एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जिस दिन आपने बजट रखा था और आज आप इसको विचारार्थ रख रहे हैं। फाइनेंस बिल में क्या चीज होती है, श्रीमान्, मैं आपको निवेदन करूं। फाइनेंस बिल में सरकार अपने पूरे बजट के प्रस्तावों को रखती है, जो शुरूआत में आता है। उसके बाद जो मांगें होती हैं उन मांगों में अगर कोई फेरबदल होता है, उन्हें रखते हैं। इस पीरियड में सरकार को कोई और अगर विचार में आता है, किसी

(श्री हरिसिंह)

टैक्स को कम करना, किसी टैक्स को बढ़ाना, किसी में कटौती करना, वह सब इसमें लाती है और फिर एप्रोप्रिएशन बिल आता है इस हाउस के सामने। उस समय उसके अन्दर सरकार जो रियायतें देती हैं उनको लाती है। इन सबका संकलन करके फाइनेंस बिल इस हाउस के सामने पेश होता है और किसी भी बिल पर हम अमेंडमेंट कब कर सकते हैं, 24 घंटे पहले। यह प्रक्रिया के नियम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सूरज को कौन दीपक दिखावें? कम से कम 24 घंटे पहले हम अमेंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह फाइनेंस बिल का प्रारूप कर लीजिए, अन्तिम प्रारूप जो सरकार की नजर में आया, जो हाउस के सामने रख रहे हैं कल शाम को जबकि एप्रोपिएशन बिल पास हुआ, उस समय आया। उस सबका संकलन, एप्रोप्रिएशन बिल का, उस फाइनेंस बिल में है। अब हम कब इस पर अपने अमेंडमेंट पेश करते? हमें 24 घंटे का मौका मिलना चाहिये। सरकार के पास तो बहुत बड़ी मशीनरी है, सरकार के दिमाग में सब बातें थीं। इन्होंने 17-18 अमेंडमेंट पेश कर दिये। अब हम उन पर विचार करेंगे तब फाइनेंस बिल पर अपने अमेंडमेंट पेश करें। हमें 24 घंटे का मौका नहीं मिला। हमें तो एक घंटे का ही मौका नहीं मिला। सुबह हाउस में आये और यह आ गया इसमें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी फाइनेंस बिल को पेश करने के लिये बड़ी अहम बात है यानि सरवार पब्लिक के ऊपर एज पर बजट स्पीच, एज पर अमेंडमेंट, एज पर आपके विचार, यह सब बात फाइनेंस बिल में आ रहे हैं और पब्लिक पर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स घटेगा इन सब प्रोविजन्स को देखकर इसमें अमेंडमेंट रखने के लिये हमें 24 घंटे का अवसर मिलना बहुत जरूरी था, आप वह दे नहीं रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एज आपकी प्रक्रिया 24 घंटे का समय हमें देने के लिये इस बिल को कल लिया जाय, यह मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है और जिस फाइनेंस बिल की व्याख्या की, वह पूरी तौर से उससे सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल दोनों को मिला दिया। वह जो बात कह रहे हैं वह एप्रोपिएशन बिल पर लागू थी, जो कल पास हो चुका। फाइनेंस बिल में तो वह कानून है जिन कानूनों में हम फाइनेंस बिल के अनुसार और उसके अलावा परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए उसकी सूचना पहले से दी है, तत्काल लागू होने वाली इसमें एक भी बात नहीं है, जो एप्रोप्रिएशन बिल में थी। हमने जो घोषणा की वह तत्काल लागू हो गई। इसमें वह तत्काल लागू वाली बात नहीं है और इसलिए यह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार ही इसमें काम हुआ है। इसमें कहीं पर भी कोई डिवियेशन नहीं है, कोई डिवियेशन नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही सब्मिट करना चाहता हूं कि रूल 66 में दिया हुआ है कि दो दिन पहले आपके पास में कन्सर्न्ड पेपर आने

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

चाहिये। आज जो हमारे पास सर्कुलेट हुआ हैं। 10 बिल में से 5 बिल के अन्दर सरकार अमेंडमेंट लेकर आ रही है और वह बड़े मेजर अमेंडमेंट हैं। उनको एक तरह से डीफेक्टो तो यही माना जायेगा, वह आपके इन बिल के पार्ट्स है। अब आपने आज सुबह हमको सर्कुलेट किया है, अब इनके अमेंडमेंट कब देंगे? इसलिए इसको कृपया गम्भीरता से लें। सदन में इसके ऊपर चर्चा करने के लिये, अगर वास्तव में सरकार सीरियस है कि हम इसमें इनवाल्व होंवे, तो इसको एक दिन आगे बढ़ाना चाहिये जिससे कि हम इसके ऊपर अध्ययन कर सकें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं यह अर्ज कर रहा था कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया उसका तो हां में जवाब फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने भी दिया कि अलग-अलग प्रावधान है, अलग-अलग कानूनों में उनमें आप संशोधन करना चाहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल तो अलग चीज है, आपको अथोरिटी देता है। लेकिन दूसरे कानूनों में, इसके कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन होंगे तो जो नियमों के अन्दर दिया हुआ है कि हमको अमेंडमेंट देने के लिये इतना टाइम मिलना चाहिये था, वह टाइम मिल ही नहीं रहा है। एप्रोप्रिएशन बिल में तो खण्डशः कोई आता नहीं है कि यह अमेंडमेंट करो, यह करो। वह तो एज ए होल आता है। यह इनका पाइंट जो है वह बिल्कुल वाजिब है और आप भी मान रहे हैं।

व्यवस्था

विधेयक पर प्रभारी मंत्री के संशोधन के सन्दर्भ में संशोधन पेश करने हेतु सदस्यों को समय नहीं दिया जा सकता

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह आपकी दी हुई यहां रूलिंग है। प्रभारी मंत्री द्वारा जल्दी संशोधन पेश करने का, वह किसी भी स्टेज पर संशोधन पेश कर सकते हैं। इसलिए इनके संशोधनों के प्रत्युत्तर या सन्दर्भ में आप कोई और संशोधन पेश करना चाहें तो उसके लिये समय दिया जाना सम्भव नहीं है। इन नियमों में इसका प्रावधान है। इसलिए जो आपने एतराज उठाया, उसे मानने को मैं असमर्थ हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो यह हुआ कि कोई भी बिल आ रहा हो उसमें सरकार चाहे जब अमेंडमेंट पेश कर सकती है। यह मानने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें, जैसे मंत्रीजी ने संस्कृत बिल पेश किया, उस वक्त अमेंडमेंट पेश कर दीजिए आप। लेकिन फाइनेंस बिल के अन्दर तो वह सब बातें आती हैं जो कि सरकार करती चली आ रही है। इसमें, कल शाम तक जो इन्होंने किया है, वह सब आ रही है। एक दिन और लग जायेगा, ऐसी क्या दिक्कत है? हमें मौका मिल जायेगा अमेंडमेंट पेश करने का। हमें शाम तक का टाइम दे दो, पेश कर देंगे अमेंडमेंट। उसमें क्या बात है? शाम तक टाइम दे दीजिए हमें आप, ऐसा होता रहा है।

(88)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फाइनेंस बिल को विचारार्थ ले रहे हैं, इसमें मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : वह तो ले लिया, हां हो गया।

श्री विष्णु मोदी : अब आप पारित करवायेंगे, उसके पहले मुझे बोलना हैं। आप जो पारित कराने जा रहे हैं, जो आपने विचारार्थ लिया है उस पर मुझे आपसे निवेदन करना है। विचारार्थ पर ही बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूचना मिली है कि 12.20 बजे इस सदन की माननीय सदस्या, श्रीमती शशी दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, वास्तविकता क्या है ? माननीय उप मुख्यमंत्री जी विराज रहे हैं। आप इनसे मालूम करके सदन को जानकारी देने की मेहरबानी करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी इस सूचना पर जानकारी करके बताते हैं।

विधेयक पर विचार
राजस्थान वित्त विधेयक, 1998

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल, 1998-99 जो अभी आपने विचारार्थ लिया है और जो आप पारित करने जा रहे हैं, इसमें 1998-99 के राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावित करने के लिये आपने होटल और बासों में विलास कर अधिनियम, राजस्थान कराधान अधिनियम, राजस्थान स्टाम्प विधि अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 आपने लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को जो आप संशोधित कर रहे हैं, वह बात तो आप करें। लेकिन इस सरकार के आबकारी विभाग में क्या स्थिति पैदा हो गयी है उसको जरा आप देख लें। और उसके बाद में यह जो आप अमेंडमेंट लाये हैं, क्या यह अमेंडमेंट आप वास्तव में राज्य हित में लाये हैं या राज्य हित में नहीं लाये हैं ? इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि 40 साल में आपने क्या किया ? 40 साल में हम लोगों ने जो किया वह इस राजस्थान की जनता के सामने हैं और आपने तो ऐसे-ऐसे काम किये हैं जो 40 साल में नहीं हुए। आपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, आर.पी.एस.सी. के पर्चे आउट हुए तो या तो 1978 में हुए या 1997 में हुए। वह काम कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। एक्साइज के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेण्डर होते हैं, बिड होती है, आक्शन होता है। लेकिन इस सरकार ने जो 40 साल के कांग्रेस शासन में नहीं हुआ कि आज तक कभी शराब माफिया ने कांग्रेस की सरकार

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं चलायी। मेरा आपके माध्यम से आरोप है कि शराब माफिया इस राजस्थान सरकार को चला रहा है और उसका उदाहरण 31 मार्च, 1997 की रात को 12 बजे गंगानगर शुगर मिल का जो सहकार भवन में दफ्तर है, वह खुलता है। जो राजस्थान की आबकारी नीति थी कि हम एक-एक बड़े शहर में दुकान को नीलाम करेंगे, हम छोटे-छोटे ग्रुप में कम्पीटिशन करवायेंगे क्योंकि 1996 के अन्दर राजस्थान के अन्दर बिड हुई, हरियाणा के अन्दर शराबबंदी हुई तो राजस्थान के लोगों ने बढ़-चढ़ कर बोली लगायी। तो उसमें उन्होंने उतना पैसा नहीं कमाया तो एक साजिश रची। और साजिश यह रची कि अलवर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर और बाकी के राजस्थान के जो ठेके थे, जो बिड के माध्यम से नोटिफाई हो चुके थे, जो रिजर्व प्राइस से ऊपर आ गये उनको भी कैंसिल कर दिया और रात को 12 बजे गंगानगर शुगर मिल के कमिश्नर बैठ गये और शराब के जितने ठेकेदार थे उन्होंने एक काटेज बना लिया और रिजर्व प्राइस के अन्दर उन्होंनें उन सबको एक खाली कागज के ऊपर एप्लीकेशन ली, और उनको ठेके अलाट कर दिये। यहां तक कि अलवर, सीकर, हनुमानगढ़ के जो ठेके रिजर्व प्राइस से ज्यादा बिड में आये थे जो नोटिफाई हो चुके थे, मान्यवर, उन सबको भी कैंसिल कर दिया गया और रिजर्व प्राइस के ऊपर उनको दे दिया गया। और उसमें कहा गया कि जयपुर का ठेका नहीं उठाया। पहले राजस्थान में देशी शराब का अलग ठेका होता था, अंग्रेजी शराब का अलग ठेका होता था। और एक जिले के अन्दर भी 4-4 ठेके होते थे। लेकिन इस सरकार ने एक जिला नहीं, दो-दो जिलों को एक कर दिया। जयपुर के अन्दर ही 89 शराब की दुकानें होती थी, जो कि एक-एक शराब की दुकान होती थी। उन सबको भी एक करके जिले को एक कर दिया। अलवर का जो ठेका ऊपर छूटा था, उसके भी दाम कम कर दिये। सीकर का ठेका जो ऊपर छूटा था उसके दाम कम कर दिये। हनुमानगढ़ का ठेका जो ऊपर छूटा था उसके दाम कर दिये। यहां तक कि जिन शराब के ठेकों पर शराब बिक्री पर चूंगी लगती है और जिन ठेकेदारों ने चूंगी के पैसे जमा नहीं कराये हैं, जिनको कमिश्नर ने नोटिस दे रखा था चूंगी जमा कराने का, उनकी चूंगी की वसूली भी नहीं की गयी। और तो और, आज तक राजस्थान के इतिहास में यह नहीं हुआ कि शराब का ठेका बगैर गारन्टीमनी के दे दिया गया हो। लेकिन 1997 के अन्दर जो शराब के ठेके दिये गये उनमें 8-8 महीने तक गारंटी मनी भी नहीं दी गयी। यही नहीं, इसके बाद में इस साल उसको 15% वही रिजर्व प्राइस। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक सदन की समिति गठित करें और इस बात की जांच करे कि क्या 40 साल में ऐसा हुआ है कि खाली कागज पर दरख्वास्त ले ली और शराब के ठेकेदार बाहर बैठ गये ? उन्होंने आपस में तय कर लिया कि किसको कहां कहां ठेका लेना है। और इस प्रकार कम से कम राजस्थान सरकार को 25 करोड़ रुपये का नुकसान दिया गया और उसी दिन 31 मार्च, 1997 को 10 करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये। मैं नहीं समझता कि कोई एक्साइज कमिश्नर 10 करोड़ रुपये खा

(श्री विष्णु मोदी)

सकता है। यह पैसा ऊपर तक बंटा है। जयपुर में ही नहीं, राजस्थान भर में इस बात की आवाज गूंज रही है कि आज तक शराब माफिया किसी सरकार को इतना नहीं दबा सका जितना कि यह सरकार दब गयी। यह जो 15 प्रतिशत बढ़ा कर इस साल ठेके दिये गये, उसमें लोक सभा चुनाव के बाद 2 करोड़ रुपये उन्हीं शराब के ठेकेदारों से इकट्ठा करके और इस सरकार के पास पहुंचाया है।

श्री अनंग कुमार जैन : यह क्या कह रहे हैं ?...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : आप बता दें कि क्या जयपुर में 89 शराब की दुकानें अलग-अलग आदमियों के नाम पर हैं ?.... (व्यवधान)...

श्री अनंग कुमार जैन : मैं तो अभी भी कह सकता हूं कि कांग्रेस 40 साल से शराब माफिया के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : क्या जयपुर जिले का सारा ठेका एक ही आदमी के नाम पर है ?....(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : मैं भी कह सकता हूं (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : क्या अलवर का यह ठेका जो अगस्त माह में खुला था, क्या उसके दाम कम नहीं किये गये? क्या सीकर के ठेके के दाम कम नहीं किये गये? क्या हनुमानगढ़ के ठेके के दाम कम नहीं किये गये? इस बात का आप जवाब दें कि राजस्थान की जनता यह सवाल पूछ रही है ... (व्यवधान) ..

श्री अनंग कुमार जैन : मैं भी कह सकता हूं कि कांग्रेस 40 साल से शराब माफिया के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है .. (व्यवधान) .. शराब माफिया किसने बनाया ? 1952 से लेकर 1990 तक कांग्रेस राज रहा है और शराब माफिया के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं.... (व्यवधान) आपको बोलने का अधिकार है तो मैं भी बोल सकता हूं ..(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : शराब का माफिया यह सरकार चला रही है... (व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : यह शराब माफिया बनाया किसने ?....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : शराब माफिया किसी ने बनाया हो, लेकिन शराब माफिया के आगे अगर कोई सरकार झुकी है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि झुकी है। और उसके बाद में जो चूंगी का पैसा जिन शराब के ठेकेदारों में बाकी था, वह आज तक, फाइलें बस्ते में बन्द हैं ...(व्यवधान)....

श्री अनंग कुमार जैन : लाखों रुपये आप लेकर शराब माफिया के आधार पर चुनाव लड़ते हैं ...(व्यवधान).... अब शराब माफिया कोई आपके पास आता नहीं है तो आपको तकलीफ हो रही है... (व्यवधान) ....हमने जो पालिसी बनायी है वह बिलकुल क्लियर है। उसके अन्दर जो भी ठेके दिये गये हैं, तीन दिन पहले टेण्डर किये गये हैं...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : एलिगेशन।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

बिलकुल डेफिनेट हैं और डेफिनेट एलिगेशन का डेफिनेट जवाब आना चाहिए। इसमें क्या है, उत्तर दे दीजिये आप...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1997 को आपके शराब के ठेकों की बोली लगी। जब आपने बिड इन्वाइट की तब आपकी एक्साइज पालिसी क्या थी? क्या आपकी एक्साइज पालिसी यह नहीं कहती थी कि हम एक-एक दुकान का आवंटन करेंगे, हम छोटे-छोटे ग्रुप में एक्साइज के ठेके देंगे? आपकी एक्साइज पालिसी के खिलाफ आपने उन ठेकों की बोली पर आये, उनके दाम कम किये रिजर्व प्राइस के नाम पर, और उस दिन 31 मार्च, 1997 को रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सहकार भवन में गंगानगर शुगर मिल के दफ्तर में 10 करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये। और कोई एक्साइज कमिश्नर 10 करोड़ रुपये नहीं खा सकता है...(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : 10 करोड़ रुपये आपको खाने की पड़ी हुई थी इसलिए आप क्या डरा रहे हो। इनकी आड़ में तो खूब सारे नोट खाये हैं इन्होंने शराब माफियाओं से, और अब यहां + + + मैं कह रहा हूं जैसा इन्होंने आचरण किया वह सोच रहे हैं कि यह सरकार भी गंदी होगी। यह सरकार ईमानदारों की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ध्यान रखो: (व्यवधान)...रात में तो शराब माफियाओं से मिलते हैं और दिन में यहां आकर बोलते हैं. + + + (व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या 40 साल में राजस्थान में देशी शराब और अंग्रेजी शराब का ठेका एक आदमी को दिया? क्या आपकी पालिसी के अन्दर एक-एक दुकान आवंटन करने की बात थी? क्या आपकी पालिसी के अन्दर छोटे-छोटे ग्रुप में ठेके देने की बात थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्म आती है यह कहते हुए, आपकी सरकार यह किस तरह का दावा कर रही है कि एक ही आदमी को जयपुर में पूरे जिले का ठेका दे दिया। 89 दुकानों का ठेका दे दिया। देशी का दे दिया, अंग्रेजी का दे दिया। लेकिन कागजों में आज भी वह पैसा एक-एक दुकान का, अलग-अलग नाम से लेती है जो कि यहां आकर गलत बयानी कर सके।

श्री प्रमोद कुमार जैन : आप न तो पालिसी पढ़ते हो और मर्जी आये जो बोल देते हो यहां पर...(व्यवधान)...पालिसी में यह नहीं था कि एक-एक दुकान नीलाम की जायेगी... (व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : आप फाइनेंस बिल के माध्यम से जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो एक्साइज के ठेकेदारों के सामने, शराब माफिया के सामने आलरेडी यह सरकार झुक चुकी थी, आलरेडी यह सरकार पिट चुकी है। अगर फिर भी आप यह चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इतनी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

बड़ा अन्याय होगा जिसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी। आप बोल रहे हैं न ?

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह अभी मिली है। मैं यह एक्ट ही देख रहा था। मुझे इसमें अभी तक जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल नजर आया है .. (व्यवधान)....नहीं, नहीं जल्दी नहीं। मैं जो तैयारी कर सका हूं, आज ही मिला है इसीलिए, यह माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अब आपको तो आज पास कराना जरूरी है। जो मेरे को ध्यान आया, वह तो बोलना जरूरी है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज फाइनेंस बिल सकुलेट किया था उसमें एक अमेंडमेंट चाह रहे हैं सैल्स टैक्स में। इसमें यह है

(14.00 बजे)

insertion of new Section 9(d), 9(c) in Rajasthan Act No. 24 of 1957.

अब इसमें यह है सरकार कि "Grant of instalments". They want to amend the Act by giving the permission to the prescribing authority. इसमें यह लिखा है-"The Prescribing Authority may submit to such conditions and restrictions, as may be prescribed, in respect of the particular proprietor for reasons to be recorded and extend the date of payment of any demand under this Act and allow the proprietor to pay the same in instalments."

अब जिस असेसी को समय पर जो टैक्स पैमेंट करना पड़ता है, वह अगर समय पर पैमेंट नहीं कर रहा है तो आप यह अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं कि उसको इंस्टालमैंट की परमिशन दे दी जाए। फिर हर आदमी यही चाहेगा कि इंस्टालमैंट की परमिशन उसको मिल जाए। टैक्स समय पर कोई देगा नहीं। अभी जो आपका प्रोविजन है, प्रेस्काइब्ड डेज हैं, 20 डेज हैं। सैल टैक्स कलेक्ट किया, 20 दिन के अन्दर जमा कराते हैं। अब आप उस असेसिंग अथोरिटी को परमिशन दे रहे हैं इंस्टालमैंट देने की। अध्यक्ष महोदय, और तो और, इसमें आगे और पावर दे रहे हैं सेक्शन 9(सी) में, यह तो 9(बी) में पावर है 9(सी) में पावर दे रहे हैं-"Power to reduce or waive interest and penalty in certain cases."

मतलब यह जो इन्ट्रेस्ट असेसिंग अथोरिटी ने, किसी ने लगाया है और जो पेनल्टी लगायी है उसको रिड्यूस करने का या उसको वेव करने की आप अथोरिटी दे रहे हैं। उसको इतनी एम्बिगुअस और इतनी ब्लेंकेट अथोरिटी दे रहे हैं कि उससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी असेसिंग अथोरिटी ने अगर कोई पेनल्टी इम्पोज की है या कोई इन्ट्रेस्ट उस पेनल्टी और टैक्स की, रिकवरी लेट हुई उसके

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भीमराज भाटी)

बारे में कोई इन्ट्रेस्ट उसने इम्पोज किया है, उसको आप असेसिंग अथोरिटी को वेव करने की परमिशन दे रहे हैं। वह इतनी ब्लेंकेट परमिशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें आगे एक और लिखा है कि

"Every order made under this Section shall be final and shall not be called into question before any Civil court or any other authority."

(14.04बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो किसी भी असेसिंग अथोरिटी को आप इतनी ब्लेंकेट परमिशन दे देंगे कि वह चाहे जिस पर तो, जो सरकार का, राज्य सरकार का राजस्व होगा, उस राजस्व को इंस्टालमैंट में कन्वर्ट करने की उसको परमिशन मिल जाएगी। उस इन्ट्रेस्ट को और उस पैनल्टी को वेव करने की उस असेसिंग अथोरिटी को परमिशन मिल जाएगी तो यह कहां तक जायज है अगर इतनी ब्लेंकेट अथोरिटी किसी टैक्स असेसिंग अथोरिटी को दे दी तो फिर व्यापारी और असेसिंग अथोरिटी मिलकर राज्य सरकार को और राज्य के राजस्व को चाहे जितना घाटा पहुंचा देंगे।

इसी तरह आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट में, तीन महीने तक किसी व्हीकल को सरेंडर का सर्टिफिकेट लेकर, तीन महीने तक का कोई सरेण्डर सर्टिफिकेट मिल गया तो उसका टैक्स वसूल नहीं करने की उसको परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह से— this will lead to coruption and this will lead to a nuisance between the taxing authority and the dealer. तो यह कहां तक उचित है, कि आप इतनी ब्लेंकेट परमिशन, इस फाइनेंस बिल के तहत दे रहे हैं।

इसी तरह आप होटल्स और एण्टरटेनमैंट में दे रहे हैं। तो इतनी पैनल्टी अगर आप दे देंगे, तो यह सारा टैक्स रिड्यूस करके राजस्व में कमी करने के लिए ही, मुझे ऐसा लगता है कि जान-बूझकर इस फाइनेंस बिल को पास करने में जल्दबाजी की जा रही है। उसके पीछे मंशा यही है कि समाज के कुछ वर्गों के लोगों को, जो शायद आपके हितों के पोषक हो सकते हैं, उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए आप जल्दबाजी में यह फाइनेंस बिल पेश करके और इसके अमैण्डमैंट आज ही सकुलेट करके, आज ही इसको पेश करके, आज ही उसको पास करवाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री महोदय से और उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको प्रोपर कंसीडरेशन के लिए, और हम लोग भी इसको प्रोपर तरह से गौर कर सकें, उसके लिए इसको स्थगित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते समय इस प्रकार के आरोप लगाये हैं कि जिनमें किंचित मात्र भी सत्य का अंश नहीं है। मान्यवर, यह बात सही है कि शराब-माफिया को तोड़ने के लिए, जो कुछ लोगों के हाथ में आ गया था, हमने यह पॉलिसी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बुलायी थी। उसको विकेन्द्रित किया हमने और यह कहा कि नीचे एक-एक तहसील पर अगर एक-एक लोग लें, तो हम उनको भी देंगे। यह बात सत्य है। इसी आधार पर हमने सारी कार्यवाही की। लेकिन उसमें कठिनाई यह आयी कि बहुत कम जगह पर लोग टेण्डर लेकर आए। यह बात भी सही है कि कहीं पर वह ज्यादा रेट भी लेकर आए। हमारे सामने समस्या यह खड़ी हुई कि सारे माफिया गैंग-अप हो गये और किसी आदमी की टेण्डर देने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि कोई टेण्डर देने वाला नहीं। तब इस सम्बन्ध में नेगोसिएशंस भी हुई, बातचीत भी हुई। और पूरे जिले का टेण्डर दें तो उनकी यह शर्त थी कि यदि हम पूरे जिले का देते हैं, जो कि रिजर्व प्राइस से सब अबव हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं हुआ, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। और उसमें यह तय किया गया कि यदि कहीं पर किसी एक तहसील में किसी ने टेण्डर दिया है, वह ज्यादा भी होता है, बाकी का सारा जिला खाली रह जाएगा। कहीं से भी कोई टेण्डर आएगा नहीं और इसलिए ये ठेके उठेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में यदि एक जिले में केवल एक ने, किसी ने टेण्डर दिया है, बाकी कहीं नहीं है, तो हमें उसको उस पूरे जिले का ठेका देना पड़ा जो हमारी रिजर्व प्राइस से ज्यादा में तय करके, सब जगह, कहीं पर भी हमने रिजर्व प्राइस से कम में नहीं लिया। बार-बार हमने इस पर टेण्डरिंग की थी, कई बार की थी। उन्होंने भी बहुत रेजिस्ट किया और तरह से कोशिश की, नेगोसिएशंस भी हुई। आखिर [illegible] हम इस बात पर कामयाब हुए कि रिजर्व प्राइस से अधिक टेण्डर हमने थ्रू-आउट राजस्थान में दिये और हमने हमारा रेवेन्यू बढ़ाया और आगामी दो साल के लिए बढ़ाया। अगले साल फिर यह परिस्थिति पैदा न हो इसके लिए भी बढ़ाया।

लेकिन मैं फिर भी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि राज्य सरकार अपने इस प्रयास को छोड़ेगी नहीं। हम निरन्तर यह प्रयास करेंगे कि जितने अधिक लोग, चाहे वह तहसील स्तर तक भी दें, वे टेण्डर दें तो हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे; बजाय एक आदमी को देने के। इसलिए किसी से हमारा सौदा होना या पैसे का [illegible] होना, यह हमारे लिए तो [illegible] है। [illegible] होगा उनको अनुभव होगा। मुझे [illegible] नहीं है। लेकिन कम से कम मैं (व्यवधान) मैं जवाब दे दूं पूरा मैं जवाब दूं। मैं पूरा जवाब दे दूं।

श्री विष्णु मोदी : पूरा सुनकर जवाब दीजिए आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : [illegible] डिस्कशन तो होगा नहीं। (व्यवधान)।

श्री विष्णु मोदी : आप जवाब देंगे नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि आपकी आदत रही है कि आपको जो कुछ बोलना है, वह गलत [illegible] आप करते आए हैं और बाद में आप जवाब देते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। जवाब के बीच में इण्टरप्शन नहीं। विराजिए।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे बीच में, आप इनको बैठाइये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप या तो यह शो कर दीजिए कि उप मुख्य मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसके बाद में आप मुझे सवाल पूछने का मौका देंगी।

श्री हरिशंकर मामड़ा : I am not yielding. I am not yielding. मैं नहीं बैठ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री विष्णु मोदी : नहीं तो मैं अब यह कहना चाहता हूं कि 1996 में इन्होंने प्रमोस किया ... (व्यवधान) किया लेकिन 1997 में (व्यवधान)

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है इण्टरप्ट करने का? I am not yilding. किसकी परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। जवाब के बीच में इण्टरप्सन नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री हरिशंकर मामड़ा : मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य, ऐसे सवाल, जिसका कोई आधार नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री हरिशंकर मामड़ा : अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिये, आप मेरी तरफ क्या, उनकी तरफ देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है उनको।

श्री हरिशंकर मामड़ा : माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं और जब मैं प्रश्नों का उत्तर देते समय नग्न सत्य बोलने लगता हूं तो आपको बुरा लगता है। अब उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब फिर उठ गये, जवाब ही नहीं देने देते। विराजिए।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह + + + शब्द निकाल दो। यह सारा ही निकाल दो। मैंने इन्हें इजाजत ही नहीं दी।

श्री हरिशंकर मामड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले माननीय सदस्य हैं जो मेरे पर + + + बोलने का आरोप लगाते हैं जबकि मेरी आदत।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम नहीं है आपको निकालूं। आपको तो बड़े अच्छे सुझाव हैं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, मेरी आदत नग्न सत्य बोलने की है । +++ नहीं, नग्न सत्य बोलने की है । जो कभी इनको टोलरेट होती नहीं । मैं कभी डेरोगेटरी/शब्दों का प्रयोग नहीं करता, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग नहीं करता, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको कड़वा सत्य सुनने की आदत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में इण्टरप्ट नहीं करते । बार-बार व्यवधान डालते हैं, आप । विराजिए आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सुन नहीं सकते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुन सकते हो तो +++ विराजिये आप (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ आप हम लोगों के बैठने पर....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात हुई, जवाब दे रहे हैं और बार–बार इण्टरप्शन कर रहे हैं आप (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका दोष नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर खड़े हो गये आप । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं । इसलिए मैं आपकी, इस तरह के निर्णय लेते हो आप । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दे रही । विराजिये ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करने का अधिकार है । और बार–बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा की मेरे कथन में जो बीच में खड़े होकर के बोल रहे हैं उनको आप बैठने के लिये, उनके कथन अंकित नहीं हो, यह निर्देशित करिये । यह मेरी रिक्वेस्ट है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे तो ध्यान आकर्षित करते हैं, आप भी करते ही हैं । आप कौनसा नहीं करते ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : और इसलिए नग्न सत्य जब कोई बोलता है, तो वह सहन होता नहीं है । वह सहन होता नहीं है और इसलिए ऐसी सूरत में मैं जानता हूं, मैं कुछ भी कहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे लगता है कि आप गम्भीर नहीं हैं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : तो वे सुनने को तैयार नहीं होंगे । अब उनको अपनी बात कहनी है और वह बात चाहे कितनी भी असत्य हो, उसमें कहीं कुछ नहीं है । लेकिन कोई–न–कोई आरोप, किसी भी तरीके से घेर-घारकर के लगाना, यह आजकल प्रतिपक्ष का एक व्यवहार बन गया है कि अनर्गल आरोप लगाना ताकि अखबार में छपे ..

श्री हीरालाल बिश्नोई : आप हमेशा ऐसे ही करते थे ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अखबार में छपे, इसलिए मैं तो वह बातें नहीं बोल सकता जो आपके बारे में जानता हूं। और इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्यों कि मैं अपने आपके स्तर को गिराना नहीं चाहता। इसलिए मैंने जो आपसे निवेदन किया कि राज्य सरकार की यह नीति कि हम अधिक से अधिक लोगों को टेंडर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, वह हमारी नीति आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन जो व्यावहारिक कठिनाई हमारे सामने आयी हमने प्रस्तुत की। इसलिए कि आखिर हमें एक्साइज पर रेवेन्यू भी करना है। हम यह कह करके कि सारा माल राज्य सरकार सरकारी स्तर पर बेचेगी, इसमें किसी प्रकार की आमदनी की सम्भावना नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। ऐसी सूरत में वह रिस्क हम नहीं ले सकते। और इसलिए हमारे सामने माफिया ग्रुप अपने तरीके से लड़ता है, हम अपने तरीके से लड़ते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ लोगों के हाथ में जो शराब का ठेका है, इसको हम समाप्त करेंगे। इसके लिए निरन्तर संघर्षशील रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की सौदेबाजी की या चर्चा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : अलाऊ नहीं करूंगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल उठाये हैं। हमने वही तीन तरह की तबदीली इन कानूनों में की है। कुछ तो बिलकुल मैकेनिकल हैं और कुछ प्रोसीजरल हैं, जिसमें प्रोसीजर में परिवर्तन किया गया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कुछ ऐसी हैं जिसमें हमने सुपरवीजन के पावर्स में परिवर्तन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आसन को ऐसे कमेन्ट्स भी आपको शोभा नहीं देते। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज तक ए. सी. टी. ओ. के आर्डर से, सी. टी. ओ. कुछ भी नहीं कर सकता था। हमने उसको पावर्स दिये हैं कि वह भी उसको रिव्यू कर सकता है ताकि लोगों को तत्काल सहायता मिले वरना एस. सी. टी. ओ. के आर्डर की भी अपील डी. सी के पास करिये, फिर कमिश्नर के पास करिये। तो मॉनिटरिंग करने के लिए, सुपरवीजन को और चुस्त बनाने के लिए जिसका फायदा आम जनता को मिले, असेसर्स को मिले, इसी प्रकार के हमने इसमें संशोधन किये हैं। पैनल्टी और ब्याज कम करने के अधिकार दिये हैं। कमिश्नर को अधिकार दिये हैं। जो ट्रिब्यूनल तक जाते थे आप, वह अधिकार भी हमने दिये हैं। हमने इन कानूनों के माध्यम से कानून को और अधिक सरलीकृत किया है लेकिन कुछ पीनल क्लाजेज में जहां पर लोग करवंचना करने की कोशिश करते हैं, हमने उनको कठोर बनाया है। क्योंकि मैंने जो बजट पेश किया है, उस बजट में यदि हमें अपने बजट की पूर्ति करनी है तो निश्चित रूप से वह पूर्ति कठोरता से वसूली

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करके ही हम कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने चुंगी हटा दी। हमने सबको कहा कि चुंगी का विकल्प बताइये। किसी ने सुझाव नहीं दिया। फिर हमने तय किया कि हम कोई चुंगी का विकल्प नहीं लगाएंगे। हम कोई चुंगी का विकल्प लगाएंगे नहीं, लेकिन राज्य सरकार के बजट में जो घाटा हुआ है, 60 करोड़ की हमने करों में छूट दी है, 42 करोड़ की ऋणों में छूट दी है, 280 करोड़ रुपये हम नगरपालिकाओं को भुगतान करेंगे, 382 करोड़ रुपये की जो हमने छूट दी है उनको किस प्रकार से हम अतिरिक्त आय के स्रोत बनाकर इनको हम बजट में मीट करके यह घाटा नहीं रहने देंगे। इसी तरह से जब हम करों में छूट दे रहे हैं, सरलीकृत बना रहे हैं तो इसमें कर-वंचना नहीं हो इसलिए हमने इसमें कुछ कठोर कदम उठाये हैं, कुछ सुझाव दिये हैं। इसलिए हमने और कठोरता बरतने की की है। यह तीन तरह की बातें इस फाइनेंस बिल में हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको विचारार्थ रख लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह यह तो बता दें कि ...(व्यवधान) क्या किया आपने ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार, जो भी हैं।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो से ग्यारह कोई संशोधन नहीं। संशोधन नहीं है कोई भी (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राइट है हमारा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो अधिकार है हमारा (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, अधिकार है यह तो।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार है आपका, यहां पर आपके कोई संशोधन नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो अधिकार है हमारा।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार तब है जब आप संशोधन देते। आपको संशोधन देने चाहिये थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हमारा विनम्र अनुरोध है, यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : संशोधन देना जरूरी नहीं है, बोलने का अधिकार है (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या तरीका हुआ ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पहले विराजिये। आसन पैरों पर है, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हमारा अधिकार है। हमारा अमैंडमैंट आ रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप खण्ड पर बोल लेना।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, खण्ड पर क्या बोल लेना, हमें तो पूरे संशोधन पर ही बोलना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिये। खण्डशः विचार में 2 से 11 तक कोई संशोधन नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : संशोधन तो किसी का नहीं है, सिवाय सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो बुलवा देंगे।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन जब सरकार संशोधन लाती है तो उस पर बोलने का हमें अधिकार है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना। आप जब भी चाहें बोल लेना। आप बोल लेना, थर्ड रीडिंग में बोल लेना। क्या दिक्कत है, इसमें ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 11 स्वीकृत किये गये।

खण्ड 12, प्रभारी मंत्री।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 12 के शीर्षक में तथा इसके द्वारा अन्तःस्थापित की जाने के लिए प्राशयित नयी धारा 5-ख में विद्यमान अभिव्यक्ति "5-ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति '5 ख ख' प्रतिस्थापित की जायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन तो आप पढ़कर सुनायें कि क्या संशोधन रखा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़कर सुनाया न अभी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कहां पर सुनाया आपने संशोधन पढ़कर के ? "ख ख" कर दिया है। 'ख' का संशोधन, है क्या 'ख' ? कैसे विचार करें हम उस पर ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने सुनाया है, मैंने सुनाया है पढ़कर के।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, 'ख' ही कहा है आपने। सुनाया नहीं है आपने। नहीं सुनाया, आप सुनाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा सुना दें इनको एक बार।

श्री हरिशंकर मामड़ा : मैंने पढ़कर सुनाया है। फिर सुना दूं आपको।

"खण्ड 12 के शीर्षक में तथा इसके द्वारा अन्तःस्थापित की जाने के लिए आशयित नयी धारा 5–ख में विद्यमान अभिव्यक्ति "5 ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति–"5 ख ख" में प्रतिस्थापित की जाए।"

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया आपने ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 13, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

खण्ड 14, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर मामड़ा : मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लें आप।

खण्ड 14 में, जिसके द्वारा नयी धारा '9 ग' अन्तःस्थापित की जानी आशयित है, उक्त अन्तःस्थाप्य धारा '9 ग' में अभिव्यक्ति "कर लेने के पश्चात्" और अभिव्यक्ति "उक्त स्वत्वधारी द्वारा" से पूर्व, अभिव्यक्ति 'और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्" अन्तःस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–14 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–15

खण्ड–15 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–15 के उप खण्ड (क) में, जिसके द्वारा धारा 10 उपधारा (13) के खण्ड (ख) प्रतिस्थापन आशयित है, (i) उक्त खण्ड (ख) के अन्त में आयी अभिव्यक्ति "या अपवंचित कर की रकम की दुगुनी राशि, जो भी अधिक हो", के स्थान पर अभिव्यक्ति "की राशि, और" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरा पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–15 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है (व्यवधान) और है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापन के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाए :–

"(iii) खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में, उसके द्वारा संदेय कर की रकम के साथ-साथ पांच सौ रुपये से अनधिक या अपवंचित कर की रकम की दुगुनी राशि, जो भी अधिक हो।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–15 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–15 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–15 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–16 से 18, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड–16 से 18 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–16 से 18 स्वीकार किए गए।

खण्ड–19

खण्ड–19 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : खण्ड–19 में, जिसके द्वारा नई धाराएं 13 क, 13 ख, 13 ग, 13 घ, 13 ड. अन्तःस्थापित की जानी आशयित है :–

(i) उपधारा (1) में, अभिव्यक्ति "मनोरंजन और विज्ञापन" के पश्चात् और "अभिव्यक्ति "के विरुद्ध अपील" के पूर्व, अभिव्यक्ति "कर नियम, 1957 के नियम 15 के अधीन पारित किसी भी आदेश" अन्तःस्थापित की जाए :

(ख) उपधारा (2) में, अभिव्यक्ति "जिसको की वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है या मांग नोटिस, अपील प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "जिसको कि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी ईप्सित है या मांग नोटिस. स्वत्वधारी या सम्बन्धित व्यक्ति को तामील किया जाए, तथा अपील प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जाए :

(ग) उपधारा (5) में, अभिव्यक्ति "निम्नलिखित प्ररूप" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील विहित प्ररूप" प्रतिस्थापित की जाए :

(घ) उपधारा (6) में, शब्द "चुने" के स्थान पर शब्द "सुने" प्रतिस्थापित किया जाए :

(ड) उपधारा 7 (ख) में, अभिव्यक्ति "रद्द कर सकेगा" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "या ऐसे आदेश को" के पूर्व,

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

अभिव्यक्ति "या उसमें परिवर्तन कर सकेगा" अन्तःस्थापित की जाए :

(ii) प्रतिस्थाप्य धारा 13 क की—

(क) उपधारा (5) में, अभिव्यक्ति "एकल पीठ से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एकल पीठ द्वारा" प्रतिस्थापित की जाए।

(ख) उपधारा (9) में, अभिव्यक्ति "द्वारा पारित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "द्वारा पारित आदेश" प्रतिस्थापित की जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–19 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–20 से 23, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड–20 से 23 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–20 से 23 स्वीकार किए गए।

खण्ड–24

खण्ड–24, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर मामड़ा : खण्ड–24 में, जिसके द्वारा अनुसूची के अनुच्छेद 55 के खण्ड (क) का प्रतिस्थापन प्रस्तावित है, अभिव्यक्ति "या पुत्र या पुत्री या किसी पूर्व मृत पुत्र की पुत्री या त्यागने वाले" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या पुत्र या पुत्री या किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्र की पुत्री या त्यागने वाले:' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–24 में, प्रभारी मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–24 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–24 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–25 व 26, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड–25 व 26 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–25 व 26 स्वीकार किये गये।

खण्ड–27

खण्ड–27, प्रभारी मंत्री महोदय संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–27 में, जिसके द्वारा धारा

(श्री हरिशंकर माभड़ा)

70 की उपधारा (1) में संशोधन आशयित है, संशोधन धारा 70(1) में अभिव्यक्ति "शमनार्थ" के पूर्व आये शब्दों "दस हजार रुपये तक की" के स्थान पर शब्द "विनिर्माण इकाइयों/बंधपत्रों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शमनार्थ" के पश्चात् और शब्द धनराशि। स्वीकार कर सकता है" के पूर्व आये शब्दों "दस हजार रुपये तक की" के स्थान पर शब्द "विनिर्माण इकाइयों/गोदामों" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-27 में, प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-27, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-27 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-28 से 31, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-28 से 31 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-28 से 31 स्वीकार किये गये।

खण्ड-32

खण्ड-32, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर माभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-32 में, जिसके द्वारा धारा 4-ख की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना आशयित है :-

(i) उपखण्ड (क) में, अभिव्यक्ति "के पूर्व आयी अभिव्यक्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "के पूर्व आयी अभिव्यक्ति" 1,000/- "के स्थान पर अभिव्यक्ति" प्रतिस्थापित की जाए :

(ii) उपखण्ड (ख) में, अभिव्यक्ति "पश्चात्" और अभिव्यक्ति "पांच प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पश्चात् और" अभिव्यक्ति "से अधिक नहीं होगा" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "दो प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-32 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-32, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-33, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-33 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-33 स्वीकार किया गया।

खण्ड–34

खण्ड–34, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : खण्ड–34 में, जिसके द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित किया जाना आशयित है, उक्त उपधारा (1) में अभिव्यक्ति "अनुज्ञात कालावधि की समाप्ति की तारीख से ऐसी दर से शास्ति संदत्त करने का दायी होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित की जाए और जो प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये देय कर की कालावधि की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए देय कर "के स्थान पर अभिव्यक्ति" ऐसी दर से शास्ति संदत्त करने का दायी होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित की जाए और जो देय कर की अनुज्ञात कालावधि की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए, देय कर प्रतिस्थापित की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुलवाऊं ? अभी नहीं हुआ पूरा। जरूर बुलवाएंगे आपको तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पूरा हो गया है। खण्ड–38 है आगे।

जो हिन्दी में है, उसका अंग्रेजी में संशोधन, वह पढ़ कर सुना देता हूं।

खण्ड 34

"In clause 34 of the Rajasthan Finance Bill, 1998 (Bill No. 10 of 1998) which seeks to substitute sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951. in the English Version of the said sub-section for the expression 'of tax due for each month or part thereof from the date of expiry of the' perid occurring after the expression 'of the amount of tax due fot each month or part thereof from the date of expiry of the period' and before the expression 'allowed' be deleted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-34 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–34 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–35 से 37, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 35 से 37 स्वीकार किये जाएं ?

(दर्शकदीर्घा से नारेबाजी एवं सदन में पर्चे फैंके गये)

प्रश्न यह है कि खण्ड–35 से 37 स्वीकार किये जाएं ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 35 से 37 स्वीकार किये गये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ढाई लाख के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह काम नहीं है आपका ।

श्री रामस्वरूप मीणा : और यह कागज फेंके हैं इनको उठवाओ । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 38, माननीय खण्ड 38 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हर बात में बोलना जरूरी नहीं है । अपना उनसे कोई ताल्लुक नहीं है । यह अब विधान सभा के अध्यक्ष अपने आप देखेंगे । हर बात में बोलना जरूरी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 38 के उप-खण्ड (II) में, जिसके द्वारा धारा 3 से नया खण्ड "घ घ" अन्तः स्थापित किया जाना आशयित है, अभिव्यक्ति "विधि के अधीन गति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विधि के अधीन गठित" प्रतिस्थापित की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 38 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 38 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 39 से 42 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 39 से 42 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 39 से 42 स्वीकार किये गये ।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि । कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियम–सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियम–सूत्र, नाम स्वीकार किये गये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय ।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं यह रख दूं, बाद में बोलेंगे आप । मैं यह रख दूं बाद में पूछेंगे आपके बोलने के कि पारित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को पारित किया जाय ।

अब बोलिये आप ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया । इसके लिए धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो मेरे बिना बुलाये खड़े हो गये ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हम बजट के बिलकुल

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव उसी दिन नहीं किया जा सकता

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

"85. Passing of Bill- ..

(2) Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended, be Passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded "

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह पहले डिसाइड हो चुका है ।

श्री रामनारायण चौधरी : कब हो गया ? कब ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जब आप थे नहीं, तब ।

श्री रामनारायण चौधरी : एडोप्ट तो अब किया है । प्रस्ताव का पेश किया है । आपने ... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो पारित होने की स्टेज है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब तो पारित होने की स्टेज है ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कर दिया । पारित हो रहा है अब तो ।

श्री हरिशंकर भामड़ा: पारित हो रहा है अब तो ।

श्री रामनारायण चौधरी : पारण की स्टेज ही तो चल रही है न ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : रूलिंग आ गयी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पारित की स्टेज है ।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां आ गयी रूलिंग ? कब आ गयी ? हां, तो पारण की स्टेज पर हुआ, आयेगा यह ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरिसिंह जी ने उठा लिया तब तक ..

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह जो पेश हुआ तब उधर से आपत्ति आ गयी । डिसाइड हो गया । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : The Bill has undergone .., इस बिल के ऊपर सरकार की तरफ से बहुत संशोधन आये हैं और उनको हमने स्वीकार किया है । तो जहां अमैंडमैंट हो गये हों, अमैंडेड बिल उसी दिन किसी भी सूरत में पेश नहीं किया जा सकता और वो उस दिन पास नहीं जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : अब वो तो पेश हो गया और आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : रूलिंग हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग हो गयी इसलिए पाइंट ग्राफ ग्राडर रिजेक्ट । विष्णु जी, बोलिये । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कहां हो गया, वह तो ग्रभी आयेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रिजेक्ट कर दिया पाइंट ग्राफ आर्डर । रूलिंग हो गयी न ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो अभी ग्रायेगा । नहीं, रिजेक्ट कैसे कर दिया ऐसे ही ? इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकती । यह ग्रापको भी ग्रधिकार नहीं है । यह स्पीकर को ही अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें ग्राप ।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई भी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता । (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हम बोलते हैं, उसकी वरबेटिम रिकार्डिंग होती है । व्यवस्थाएं दी जाती हैं, वह ग्राज नहीं, ग्रपन दुनिया से चले जायेंगे तो भी कायम रहेंगी । हमारी बुद्धि का बखान करेंगे लोग ग्रागे कि कैसे लोग विधान सभा में बैठते थे ग्रौर कैसे सदन को चलाया जाता था । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि थोड़ा नियमों का ध्यान रख कर, और हम सदन को भी संतुलित करें, सब मिल कर ।

श्री रामनारायण चौधरी : 85 क्लाज (2) क्लियर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : विष्णु जी, बोलिये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वह तो हो गया, पहले डिसाइड हो गया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप रिजेक्ट करती हैं तो व्यवस्था दीजिये । रिजेक्ट, यह कोई व्यवस्था नहीं है । सहकारण होना चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : कैसे हो गया ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्रब पेश किया है पारण के लिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : पारण के के लिए पेश किया है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं हमेशा निवेदन करता हू चार साल से कि जो पक्ष में हों हां कहें, विपक्ष में हों ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, यह तरीका नहीं है पूछने का । पूछने का तरीका यह है कि हां पक्ष जीता, फिर ठहरिये । इसका मतलब यह है कि, मेरा मत यह है कि, हां पक्ष जीता । जब कोई ना नहीं दे तो दो दफे, ग्राप दो दफे फरमा देते हैं उसके बाद तो हाउस स्पीक कर दिया । ग्राप स्वयं को ही ग्रधिकार नहीं है उसको दोबारा बोलने का । फिर तो कानून को ग्रमैंड करने की प्रक्रिया चालू करो तब होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बिल ग्राज पास नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल पास हो सकता है । (व्यवधान) एक मिनट ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो 85 (2) का कह रहे हैं, इसमें यह है कि जब किसी विधेयक में संशोधन किये गये हों तो यह प्रस्ताव कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए, उस दिन प्रस्तुत न किया जायेगा जिस दिन उस विधेयक पर विचार समाप्त हुआ हो। जब तक अध्यक्ष उस प्रस्ताव की अनुमति न दे।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां है स्पीकर की अनुमति ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अनुमति के तो यहां कुछ आ ही नहीं सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पीकर की अनुमति कहां है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के तो आप और हम यहां बोल ही नहीं सकते। तो यह प्रस्ताव लाने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पीकर की अनुमति के बगैर यह पेश नहीं हो सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अध्यक्ष की अनुमति के तो....

श्री रामनारायण चौधरी : यह स्पेसिफिक है। यह कोई आर्डिनरी प्रस्ताव नहीं है। इसमें दसों अमेंडमेंट आपने स्वयं किये हैं। स्पीकर से आपको अनुमति मांगनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय; पहले मंत्री महोदय को स्पीकर से अनुमति मांगनी पड़ेगी कि इन कारणों से, इन विशिष्ट परिस्थितियों के अन्दर, एज अमैंडेड बिल को आज पेश करना चाहता हूं। फिर उस पर विचार करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। हम कहेंगे ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रीजंस तो दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : रीजन नहीं दिया। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आज ही ? पहले तो आपका प्रस्ताव आयेगा अध्यक्ष महोदय के पास, फिर उसमें आप मांगेंगे....(व्यवधान) ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विराजिये। मैं आपके आदेश को मान लेता हूं और यह फार्मेलिटी पूरी कर लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पीकर हैं इसमें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें आगे स्पीकर का पढ़ लीजिये। जो भी यहां पर बैठते हैं वो स्पीकर होंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सारे अधिकार, स्पीकर के पूरे अधिकार होते हैं, जो यहां सभापति को भी होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिप्टी स्पीकर हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति को भी होते हैं। उनको भी होते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्त विधेयक आज ही पास करना इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार के पास खर्चा चलाने के लिए केवल 31 जुलाई तक की ही मांगें पारित की हुई हैं, उसमें केवल दो दिन बचे हैं। यह विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर साहब के पास जायेगा और 31 जुलाई तक इसकी कंसेंट मिलकर यह एक तारीख के पहले-

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पहले तैयार होना चाहिए। अन्यथा राजस्थान राज्य के सारे खर्चे, सब कुछ बंद हो जाएंगे। इसलिए आज, आवश्यक रूप से इसको आज ही पारित करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : आपने अपनी अनुमति दे दी ?

श्री उपाध्यक्ष : सहमति हो गयी न। आप कहें तो मैं दुबारा प्रस्ताव करा दूं ? बाकी तो सहमति हो गयी।

श्री विष्णु मोदी : हां, हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी ने पारित करने के लिए यह प्रस्ताव रख दिया है। आप बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अनुमति दीजिये।

एक माननीय सदस्य : उधर से गलती मंजूर हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दे दी है और प्रभारी मंत्रीजी ने पारित करने का अनुरोध कर लिया है। अब आप बहस करना चाहें तो कर लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार की तरफ से जो गलती की गयी उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बजट के उस अन्तिम क्षण में हैं कि जिसमें यह पास होने जा रहा है। फाइनेंस बिल (व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं। एक बार शांत रहें। इस हाउस को आर्डर में चलने दें। वैसे आपने फैसला कर रखा है कि इस हाउस में आर्डर भी नहीं रहे और मंत्री होने के बाद में आप इस तरह के कमेन्ट्स पास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत शर्म आ रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैलाशजी हंसते हैं साहब, और ये इशारे भी करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नवनियुक्त केबिनेट मिनिस्टर का बर्ताव+++है। उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप साधारण सदस्य नहीं हैं। आप केबिनेट के वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने तो वैसे ही+++। क्या हो गया ?

विधेयक का पारण

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, हम बजट के अन्तिम क्षणों में हैं। फाइनेंस बिल पास होने जा रहा है और इस फाइनेंस बिल में एक्साइज और टैक्सेज में भी सरकार अमैंडमैंट लेकर आयी है। उसको अभी इस सदन ने मंजूर किया है और यह फाइनल पास होने जा रहा है। एक्साइज हमारे स्टेट की एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है और मैं समझता हूं कि आज तक जो भी सरकारें आयी हैं उन्होंने इस बक्त की

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

कोशिश की है कि एक्साइज से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हो। मुझे इस बात में भी कोई संकोच नहीं है कि 1996 के अन्दर इस सरकार ने एक प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। यह प्रयास किया कि यह शराब माफिया किसी तरह से टूटे। तो उन्होंने, पहले जो एक-एक जिले के ठेके होते थे, बड़े-बड़े ठेके होते थे, उनको छोटा करने की कोशिश की, छोटे ग्रुप बनाये। देशी का जिस तरह से अलग ठेका होता था, उससे अलग किया। अंग्रेजी का अलग किया बल्कि बड़े शहरों में एक-एक दुकान का भी आक्शन करने की परिपाटी बनायी। अच्छा काम किया लेकिन उस एक साल के अन्दर ही पता नहीं क्या कारण थे, इस राजस्थान के अन्दर पहले भी कई मर्तबा ऐसे मौके आये हैं कि लोगों ने बिड नहीं की। आक्शन के अन्दर पार्टिसिपेट नहीं किया। तब भी सरकार माफिया के आगे, उन ठेकेदारों के आगे झुकी नहीं। चाहे उन्होंने अपने स्रोत पैदा करके चाहे आर. टी. डी. सी. के माध्यम से, चाहे गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से और चाहे किसी और माध्यम से उन्होंने किया है। ठेका नहीं उठा। वहां शराब की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की।

इस सरकार ने 1996 में तो ठीक किया लेकिन 1996 के खतम होते-होते जब 1997 में ठेका आया, उसके पहले भी उनकी नियत साफ थी। चूंकि उन्होंने जो अपनी नीति अपनायी, उस नीति में वही पुनरावृत्ति की जो 1996 में उन्होंने की थी। लेकिन अचानक एक तरफ आपकी नीति, और एक तरफ आपने कुछ ठेके नोटिफाई कर दिये जिनके टेण्डर आ गये। जिनके रिजर्व प्राइस से भी ऊपर आये। मैं स्पेसिफिक फिर रिपीट कर रहा हूं कि अलवर, सीकर, हनुमानगढ़ व अन्य जगहों पर जो रिजर्व प्राइस थी उसके ऊपर भी ठेके आये लेकिन कुछ जगह ठेके नहीं आये। उस नाम पर कहते हैं कि हमने रिजर्व प्राइस से कम पर नहीं दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से स्पेसिफिक आरोप है, जनरल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक आंकड़ों से आप बता दें कि 1996 के अन्दर कितनी रेवेन्यू हुई और देशी की कितनी हुई? अंग्रेजी की कितनी हुई? उसकी आपने क्या रिजर्व प्राइस रखी और कौनसे ठेके आपके, उसके ऊपर आ गये थे जिनको आपने फिर कम किया? आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो सरकार की अपनी नीति बनी हुई है। आज जरूरी नहीं है कि जो 40 आदमी 31 तारीख की रात को 12 बजे सहकार भवन में इकट्ठा थे, वही लेना चाहते थे नीति के निर्णय। तो आपके पूरे राजस्थान के लोगों,ने बल्कि यहां तक है कि राजस्थान के लोगों ने यू. पी. में जाकर ठेके लिये हैं और यू. पी. के लोगों ने आकर राजस्थान में भी ठेके लिये हैं लेकिन वह नीति पढ़कर आते हैं। उस नीति को आपने रात को 12 बजे बदला और आपने किसी अखबार में चस्पा नहीं किया, आपने उसको नोटिफाई नहीं किया और आपने खाली कागज पर, जो ठेके नोटिफाई हो चुके थे उनके दामों में कमी की, और बाहर शराब के ठेकेदार बैठे थे, अन्दर सरकार का दफ्तर खुला हुआ था सहकार भवन में, गंगानगर शुगर

(श्री विष्णु मोदी)

मिल के दफ्तर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। और किसी एक्साइज कमिश्नर की या फाइनेंस डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं हो सकती कि वे नीति को बदल दें, ग्राक्शन नहीं करें, बिड नहीं मांगें। बाहर जो एप्लीकेशंस लेकर आये कि मुझे सीकर का दे दो, उसको सीकर दे दिया, मुझे गंगानगर का दे दो उसको गंगानगर दे दिया। मुझे जयपुर का दे दो, उसको जयपुर का दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपया उस दिन रात को इकट्ठा किया गया। मैं समझता हूं कि कोई अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी कि 10 करोड़ रुपये खुद लेकर चला जाये। वह पैसा इस सरकार ने बनाया। नीति इस सरकार ने बदली है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती। तो इतना बड़ा नुकसान, इतने बड़े शराब माफिया के आगे+++, इस राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान की जनता की पसीने की कमाई, सरकार ट्रस्टी होती है, और लोक सभा के चुनाव में तो बाद में पैसा लिया, चूंकि उन्होंने कहा था कि हम दो साल का ठेका देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : आपने भी तो लिये थे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्री लोगों को बता दें कि कोई आरोप लगाना है तो खूब लगाएं और हिम्मत है तो उसका फिर जवाब .

श्री मदन दिलावर : ये तो 40 साल तक लेते रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन चलते रास्ते कोई बोल दे तो शोभा नहीं देता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर यह सरकार चलेगी, पहले कहा गया कि भू-माफियाओं को पकड़ेंगे। आज यह सरकार भू-माफिया, शराब माफिया, चुंगी माफिया और जितने भी माफिया हैं, उनके दबाव में चल रही है। और मैं समझता हूं कि यह सरकार इस राजस्थान की जनता की भलाई कभी नहीं कर सकती। और जितना बड़ा गबन इस एक्साइज ने, इस सरकार ने किया है, उतना राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार फाइनेंस बिल पास करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सो रहे थे। आपने तो विष्णुजी को सुना ही नहीं। हां, सो रहे थे आप तो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह सरकार फाइनेंस बिल पास कराने जा रही है। पहले यह बात सरकार ने बजट पेश करते समय रखी थी कि 280 करोड़ की जो नगरपालिकाओं से आमदनी होगी, उसके सम्बन्ध में इस सदन में विचार करेंगे कि जो कमी, इस बजट में वैसे 280 करोड़ रुपये का जो एक्सचेकर में पैसा कम आयेगा उसकी किस प्रकार से पूर्ति करेंगे ? आज इन्होंने फाइनेंस बिल इन्ट्रोड्यूस किया। उस समय कह दिया कि हम कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते। कोई

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

आमदनी का स्रोत नहीं बताना चाहते। और किस प्रकार से हम अपनी आमदनी बढ़ा लेंगे और जो आमदनी के स्रोत हैं उनमें से एकदम से 280 करोड़ रुपये किस प्रकार ने बढ़ाकर लायेंगे और काम चला लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस स्टेट के बजट से, इस स्टेट के फाइनेंस के चलने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गड़बड़ चीज है। या तो आप अब तक 280 करोड़ रुपये का नुकसान हर वर्ष राजस्थान को पहुंचाते आये हैं। आप इसी साल में 280 करोड़ रुपये एकदम कैसे पैदा कर देंगे, कैसे बढ़ा लेंगे ? अब तक पिछले सालों में क्यों नहीं बढ़ाये ? आप फाइनेंस में ऐसे माहिर थे तो पिछले साल 280 करोड़ रु० की आमदनी क्यों नहीं कर ली और अब सरकार क्यों पब्लिक से टैक्स के रूप में वसूलने जा रही है ? आपका क्या करिश्मा है, क्या जादुई तरीका है ? कि आप 280 करोड़ रुपया कर लेंगे ?

मैं आपसे स्पष्ट रूप से दो-तीन आश्वासन चाहता हूं कि नगरपालिकाओं की इस समय जो आमदनी चल रही है, वह आमदनी, जो चूंगी हटाने से कम होगी, वह उनको हर महीने या तिमाही देंगे ? इससे नगरपालिकाओं का खर्चा चलता रहेगा या नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर देंगे? अथवा आप इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि नगरपालिकाओं में पैसा नहीं जायेगा और वहां सफाई बन्द हो जायेगी ? अगर आपने, सरकार ने नगरपालिकाओं को पैसा नहीं दिया तो पूरे राजस्थान के अन्दर गन्दगी पैदा हो जाएगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, प्लेग, अनेकों बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसलिये हमको बड़ी चिन्ता है इस बात की। आपने जो कह दिया कि हम कर लेंगे और उसको मीट कर लेंगे। तो मैं आपसे इस बात का स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय, कि क्या आप नगरपालिकाओं के लिये आने वाले कल से, जो आप कह रहे थे कल ही इसको पेश करना चाहते हैं, आप इसी दिन से एक अगस्त के बाद अगले महीने में एक सितम्बर को जो उनका महीने भर का नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे आप ? उनके किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं करेंगे ? दूसरी बात यह चाहता हूं कि आपने ऐसा सोच रखा है क्या कि हाउस खतम हो जाय उसके बाद कोई आर्डिनेंस लाकर आप इसमें पूरा कर लेंगे ? आमदनी के लिये कोई नया टैक्स लगा देंगे आप चुपचाप राजस्थान के अन्दर। इस बात का भी आश्वासन, श्रीमान्, आप दें कि इस हाउस के बाद में कोई नया टैक्स राजस्थान की सरकार आर्डिनेंस के माध्यम से पीछे से नहीं लगाएगी। यही आपसे निवेदन करना है।

दूसरा, स्टाम्प एक्ट के अन्दर भी अमेंडमेंट आप लाये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के किसानों की कमर तोड़ दी है इस स्टाम्प एक्ट से। आदमी अगर अपना एक खेत भी बेचता है और उसको पांच हजार प्रति बीघे की आमदनी होती है, पांच हजार रुपया उसको सेल प्राइस मिलती है और उसको पांच हजार रुपया स्टाम्प ड्यूटी का देना पड़ता है। उसे इस प्रकार से दस हजार का खर्चा करना पड़ता है। पांच

(श्री हरिसिंह)

हजार रुपया उसकी जेब में आता है और पांच हजार आपके एक्सचेकर में आता हैं। स्टाम्प एक्ट जब फोर्स में आया था, इसकी मंशा यह थी कि हम इतना खर्चा उस आदमी से ले लें कि स्टाम्प आफिस मेन्टेन करने में, रजिस्टरों को मेन्टेन करने में सक्षम हो सके। आपने इसे आमदनी का स्रोत बना लिया। आमदनी का स्रोत तो कब से बना लिया आपने। इसके लिये, स्टाम्प एक्ट के लिये कभी मंशा नहीं थी और किसी पब्लिक की मंशा नहीं थी कि मैं अपनी प्रोपर्टी बेचूं और प्रापर्टी बेचने में आधा पैसा आप हम से ले लें स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर। तो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बेतहाशा स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर किसानों की जो कमर तोड़ रहे हैं, मेहरबानी करके उस बात से बाज आएं।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है। बुरी तरह से महंगाई बढ़ रही है। हर चीज का भाव बढ़ता चला जा रहा है। सब्जी का भाव बढ़ रहा है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। आज इतनी महंगाई बढ़ गयी है उसके बारे में आपने इस फाइनेंस बिल के अन्दर कुछ किया है क्या? यह मामूली अमेंडमैंट ले आये। आपको एज ए फाइनेस मिनिस्टर यह करना चाहिए। आपका दायित्व होता है कि हमारे राजस्थान की जनता का किस प्रकार से पेट पालन हो सके, किस प्रकार से किसानों के लिये बिजली, पानी, अटरम-शटरम सब तनख्वाह हिसाब से अपना गुजारा हो सके। वह आपने कुछ नहीं किया फाइनेंस बिल के अन्दर। फाइनेंस बिल आपने पास कर दिया, बजट आपने पास कर दिया। ऐसा केमोफ्लेज्ड बजट मैंने आज तक किसी सरकार का नहीं देखा। इसलिये मैं इस फाइनेंस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, 1993 के इलेक्शन के पहले सरकार की तरफ से यह वायदा किया गया था राजस्थान की जनता को चुंगी हटाकर राहत दी जाएगी। पौने पांच साल बीत गये और अब हालत यह है कि जिस तरीके से एस.एम.एस. में भर्ती एक वह मरीज जिसका एक, दो या तीन रोज में स्वर्गवास होने वाला हो और आखिर में वकील को बुलाकर वसीयत लिखता है, ठीक उसी प्रकार से आपने चुंगी माफ करने का वायदा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह वेलिड तो होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में खतम कर रहा हूं, एक मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना नहीं कर रही हूं। वह वसीयत वेलिड होती है या नहीं? यह बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वसीयत तो मरने के वक्त लिखता है आदमी वर्ना तो वह चेन्ज कर देता है वसीयत को। वसीयत कई बार चेन्ज हो जाती है अगर जवानी में लिख देवे तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने वेलेडिटी का पूछा है, वेलिड रहती है क्या? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस वक्त तो, मैं शक्ल देख-देख कर वसीयत

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लिखूंगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि आपने बजट प्रस्तुत करते वक्त वैकल्पिक व्यवस्था की बात यहां पर की थी, 280 करोड़ रुपया जो नगरपालिकाओं को नुकसान हुआ है उसके लिये हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आज आप उस वैकल्पिक व्यवस्था से मुकर गये। कर आप लगाओगे नहीं क्योंकि वापस आने की आपको चिन्ता है। जो आएगा वापस वह भुगतेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगों पर, और जिन व्यवसायियों पर चुंगी नहीं लगती थी, आप यह तो कम से कम बता दें कि उन पर कोई नया कर भार तो नहीं थोप दोगे आगे जाकर ? इतना ही फरमा दे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस तरह से सर्कास्टिक–वे में बोलते हैं, मैं जवाब दे सकता हूं मगर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आप बहुत नाराज होते हैं इसलिये मैं उस भाषा में नहीं दूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी नाराजगी की चिन्ता नहीं करें। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलें। आप पहले भी मेरे लिये कुछ फरमा चुके हैं और उनके जवाब भी आंप मुझ से सुन चुके हैं। आज फिर फरमा दें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अभी मैं खड़ा नही हुआ और आप खड़े हो गये। मैं बोल रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब यह हाउस पता नहीं कितने दिन चलेगा और अगले वर्ष शायद आप रहोगे या मैं नहीं रहूंगा। आज जो कुछ हो आप बोल लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अपनी बात का प्रतिवाद आप स्वयं कर रहे हैं। आप बैठिये, मैं बोल रहा हूं। आप बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, मेरे बारे में कुछ जानकारी रखते हों तो बोलें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यही तो मैं कह रहा हूं आप सुनना नहीं चाहते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वर्ना मुझे मौका दें। मैं आपके बारे में जो जानकारी रखता हूं, मुझे मौका फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं। आप बैठिये। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा मैंने आपको कहा, सारे तथ्यों की जानकारी बिना प्राप्त किये जो एक वेग आरोप लगाया है, पहले तो मैं उसका खण्डन करता हूं, प्रतिवाद करता हूं। और साथ ही उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के आरोप लगाने की प्रथा अब बन्द करें तो अच्छा है वर्ना इसका कहीं अन्त नही आएगा। यदि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे तो कोई बच नहीं पाएगा। माननीय सदस्य भी नहीं बच पाएंगे। इसलिये बिना पूरी बात को समझे। इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है।

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

मान्यवर, हमने यह नीति बनायी थी 1993–95 में कि मदिरा समूह की संख्या हम अधिक बढ़ाएंगे और वह हमने बढ़ायी। 1993–95 में यह संख्या 70 की है, 1995-96 में 131 की, ¡1996–97 में यह संख्या 176 की और 1997–98 में 216 की। जो हमने नीति बनायी उस नीति के हिसाब से हमने समूहों की संख्या बढ़ायी है और उसी प्रकार से हमने नीति को लागू किया है।

श्री विष्णु मोदी : 1997 की संख्या बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 216।

श्री हरिशंकर मामड़ा : बता रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : वह 216 है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक आदमी को जयपुर जिले का ठेका है, 89 दुकानें एक ही आदमी के पास में हैं। देशी एक ही आदमी के पास में हैं, अंग्रेजी एक ही आदमी के पास हैं और 89 का अलग-अलग पैसा लिया जा रहा है और वह समूह बताया जाता है।

श्री अनंग कुमार जैन : आप पूरा जवाब तो सुनिये। जवाब दे रहे है वह, जवाब सुनिये पूरा। जरा हिम्मत भी रखिये चार्ज लगाते हो तो चार्ज सुनने की भी।

श्री हरिशंकर मामड़ा : यदि माननीय सदस्य इतने पैसे वाले हैं जो अपनी माइन्स की संख्या भिन्न-भिन्न नामों से बढ़ा सकते हैं तो यह सम्भव है कि कोई भी एक आदमी, जिसके पास बहुत पैसा हो, भिन्न-भिन्न नामों से ले सकता है। यह सम्भव है, मैं इसका प्रतिरोध नहीं करता।

श्री विष्णु मोदी : मेरी खानें हैं तो उनकी तो जांच करवा लें लेकिन एक बार ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं लिया। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे है ?

श्री विष्णु मोदी : अगर यह सरकार का रिकार्ड बना लें, अगर 89 दुकानें जयपुर की अंग्रेजी की और जयपुर की देशी की 8 अलग-अलग हुई हैं तो आप सारे कागज मंगा लें। चार तारीख से पहले मंगा लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो विराजें। आपका नाम ही नहीं लिया तो भी आप स्वीकार कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा था, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया। यही तो मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा तो आप टोलरेट नहीं कर पाओगे। इसलिये वह बात तो मैं कहना ही नहीं चाहता। अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, उसमें भी आप+++कर रहे हो। तो, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने समूहों की संख्या बढ़ायी। जहां तक आमदनी का प्रश्न है, मान्यवर, पिछले वर्ष 1996-97 में हमारी टोटल आमदनी एक्साइज के ठेके से 784,56 करोड़ रुपये थी जिसको बढ़ाकर इस वर्ष हमने 1997–98 में 922.79 करोड़, अर्थात् 138 23 करोड़ बढ़ाया है। इसलिये यह कहना कि

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

हम रिजर्व प्राइस से नीचे चले गये, हम तो पिछली आय से बढ़ाकर, हमने यह आय प्राप्त की है। इसलिये आपका यह आरोप तो बे-बुनियाद है कि हमने इसमें किसी तरह का कन्सेशन दिया है या पिछली आमदनी से हमने कम आमदनी की है। हमने आमदनी बढ़ायी है और जैसा मैंने शुरू में कहा (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : 1997–98 में ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, इसलिये माननीय सदस्य का यह आरोप बिल्कुल निराधार साबित होता है। हमने रिजर्व प्राइस से अधिक और पिछली साल से अधिक आमदनी बढ़ायी है, यह बात बिल्कुल सही है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, फिर स्वीकार करता हूं कि माफिया ग्रुपों से सरकार की लड़ाई निरन्तर जारी है। वह अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपनी मोनोपोली को टूटने नहीं दें, वह कोशिश करते हैं लेकिन सरकार उनको तोड़ने के लिये प्रतिबद्ध है और इसलिये हम निरन्तर इस बात के प्रयास, और इस बार हमको कई बार बिड्स मांगनी पड़ीं।

(15.00 बजे)

प्रारम्भ में उन्होंने बिड दी नहीं, मगर फिर हमने दुबारा मांगी, फिर बिड्स आयीं। फिर तिबारा मांगी, फिर तीसरी बार. यानि कुल मिलाकर हमने राज्य सरकार को फायदा किया और पिछले साल से 132 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त की। यह हमारी जद्दोजहद का परिणाम था। हमने सरेंडर नहीं किया। हमने अधिक राशि जो हम चाहते थे... (व्यवधान) आप उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये...

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना मजबूर कर दिया है, उपाध्यक्ष महोदय—

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। मैं जानता हूं कि वह मेरे एक-एक शब्द पर खड़े होंगे, हालांकि वह शब्द साधारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उपाय तो मुख्य सचेतकजी के पास है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है मैं समझता हूं कि उसमें कोई दम नहीं। हमने आमदनी बढ़ायी हैं, समूह बढ़ाये हैं और माफिया ग्रुपों से भी निरन्तर हमारी लड़ाई जारी है और निश्चित रूप से हम उन ग्रुपों को तोड़ेंगे और उसका विकेन्द्रीकरण करेंगे। यह जो हमारी नीति है उस नीति पर हम कायम हैं।

कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया। मैं भी चाहता था कि इस प्रश्न पर विस्तार से बोलूं। यह बात बिल्कुल सही है कि हमने चुंगी समाप्त की। हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना कि चार साल के बाद अन्तिम समय में हमने, पांच साल का हमारा मैनिफेस्टो था। एक टर्म पांच साल की होती है। हमने अपने मैनि-

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

फेस्टो में कहा था कि हम चुंगी हटाएंगे। हम उसके लिये चार साल से निरन्तर प्रयासरत हैं। भिन्न-भिन्न लोगों से हमने कम से कम पचासों मीटिंग्स हर साल में कीं। उनको पूछा आप विकल्प बताइये। कुछ लोगों ने विकल्प बताये। उनमें एकमत हुआ नहीं। निरन्तर यह प्रक्रिया चल रही है और इसलिये हम लगातार इसमें लगे हुए थे। अब चूंकि, जैसा कि हमारी टर्म पूरी हो रही है पांच साल। हमने कमेटीज बैठायीं, मथुरादास, सारा कुछ हमने किया, कोई कमी नहीं रखी। अब हम हमारा जो कमिटमेंट था उसको पूरा कर दिया। इसलिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिराजिये आप। बार-बार यूं ही बीच में इंटरप्ट करेंगे। विराजिये (व्यवधान) विराजिये आप। मैं आपको अलाऊ नहीं करती। विराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा: और इसलिये हमने समय रहते हुए, अपने समय में ही चुंगी को समाप्त करके जो हमने जनता को आश्वासन दिया था, वह पूरा कर दिया है। इसमें अब किसी प्रकार का मीनमेख निकालना उचित नहीं है।

इस चुंगी को समाप्त करने के साथ-साथ, जैसा मैंने आपको प्रारम्भ में ही कहा, मैंने माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना और निवेदन किया था कि इस चुंगी को समाप्त करने पर 280 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार पर आएगा। और इसलिये हमने केवल उसको मेन्शन किया। यदि आप इस सम्बन्ध में कोई विकल्प बताना चाहें तो आप राय दें। पूरी बहस में किसी भी माननीय सदस्य ने इसमें कोई सुझाव नहीं दिया। और इसलिये मैंने यह कहा कि चुंगी के विकल्प का जब विधान सभा से ही कोई सुझाव नहीं आया है तो हम विकल्प लगाने की चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन 280 करोड़ का भार हमारे पर है। राज्य सरकार 280 करोड़ के इस भार को वहन करेगी और जैसा कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप आश्वासन दें, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि नगरपालिकाओं को 31 जुलाई तक तो वह स्वयं चुंगी कर रही हैं, निश्चित रूप से प्रति माह हम उनको उनकी चुंगी की राशि देंगे और नगरपालिकाओं को किसी भी प्रकार से इस चुंगी की कमी की वजह से, जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके मिलने में कठिनाई नहीं होगी।

जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, यह मैं हाउस में पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं, किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। इनकी सर्विसेज रहेंगी।

तीसरी बात यह है कि, अब आपने यह कहा कि, यह तो आपने कह दिया मगर अब आप 280 करोड़ का भार लेकर हमें यह तो बताएं कि आप पूरा कैसे करेंगे। मैंने केवल इतना ही आपको इंगित किया था कि उस सम्बन्ध में केवल 280 ही नहीं बल्कि 60 करोड़ की जो हमने कर में रियायतें दी हैं वह, 42 करोड़ का जो हमने ऋण माफ किया है वह, कुल मिलाकर 382 करोड़ रुपये का भार हमारे ऊपर है और इस भार को पूरा करने के लिये हम अतिरिक्त आय के स्रोत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अगले ही दो दिनों में आपके सामने हम कानून लाएंगे और उन कानूनों के अन्तर्गत सरकार यह अधिकार प्राप्त करेगी कि हम अतिरिक्त साधन पैदा कर सकें। उसमें हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो चुंगी नहीं देते थे उनके लिये कहा आपने, सेल्स टैक्स वालों के लिये कहा... (व्यवधान) हम दोनों के लिए ही कानून ला रहे हैं। उन सब में यह व्यवस्था होगी और इसलिए चुंगी से इसका सम्बन्ध नहीं है। 382 करोड़ रुपये का जो हमारे ऊपर भार है, उस भार को कम करने के लिये और राजस्थान के बजट को सन्तुलित बनाये रखने के लिये, जिससे हमारी पंचवर्षीय योजना और विकास के कामों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर हम दो दिनों में आपके सामने कानून लेकर प्रस्तुत होंगे। मुझे विश्वास है जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप हमारा सहयोग करेंगे और राज्य सरकार को इस घाटे से निपटने के लिये समुचित अधिकार प्रदान करेंगे, ताकि हम बजट को असन्तुलित किये बिना जो हमने रियायतें दी हैं और जो कुछ हमने सहूलियतें दी है, जो विकास के काम हमने योजना में बनाये हैं, उन सब को हम पूरा कर सकें।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने महंगाई का सवाल उठाया। मान्यवर, राज्य सरकार महंगाई के सम्बन्ध में दो ही काम कर सकती है। एक तो यह कि जो लोग महंगाई जान-बूझकर के, बाजार में चीज होते हुए भी कम करते हैं, होर्डिंग करते हैं, उसको निकालते नहीं हैं और जान-बूझकर उसको महंगा करते हैं, उसमें मैंने अभी चूंकि खाद्य विभाग, पिछले दो दिनों से मैं देख रहा हूं। मैंने कल ही हमारे खाद्य विभाग को इंस्ट्रक्शन जारी किये है कि इस सम्बन्ध में हम तुरन्त ऐसे आदेश निकालकर, कानून सम्मत कि जिससे इस प्रकार के लोग, चाहे माल हो, जिसको वह होर्डिंग करते हैं और उसके कारण महंगाई हो रही है, उसकी बराबर मानीटरिंग और चैकिंग की व्यवस्था की जाए। और बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि इस सम्बन्ध में हम कठोर कदम उठाएंगे। दूसरा जो हम कर सकते हैं, वह यह था कि हम टैक्सों में रियायत दे दें और टैक्सों की रियायत आम, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे टैक्स आकर तो आम जनता पर पड़ते हैं। तो जो हमारी रियायत है वह भी आम जनता पर पड़ेगी। यदि हमने किसी टैक्स को 10 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया है तो वह 2 प्रतिशत का फायदा आम जनता को होगा। कोई भी टैक्स पेयर जो 4 प्रतिशत देता था वह जब बिल में 2 प्रतिशत लिखेगा तो जो 14 रुपये में चीज आती थी चार परसेंट टैक्स को मिलाकर, वह 12 रुपये में आएगी। इस तरह से महंगाई कम करने का जो अधिकार हमें प्राप्त है, जो हम कर सकते हैं उसके करने में हम कोई कोताही नहीं रखेंगे और अपने अधिकार के अन्तर्गत जितने भी हम इसमें कदम उठा सकते हैं, निश्चित रूप से उठायेंगे।

मैं सारे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने बजट में जो अभी अतिरिक्त भार है, उस भार से निपटने की व्यवस्था भी हम करेंगे और जो विकास के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कार्य हमने तय किये हैं उनको भी पूरा करेंगे और इस महंगाई को कर में राहत देकर जितना हम कम कर सकते हैं, या ऐसे कदम उठाकर जिससे कि लोग निश्चित रूप से महंगाई बढ़ा न पायें, उनको भी हम सम्भालेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, जवाब हो गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 संशोधित रूप में पारित किया गया। श्री घनश्याम तिवाड़ी, ऊर्जा मंत्री।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्रीमती शशीदत्ता की सदन से अनुपस्थिति

श्री जगतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह तो बताया जाए कि हमारी माननीय सदस्या श्रीमती शशीदत्ता जी को आपने कहां रखा है और किस पोजीशन में रखा है ? अभी पूछा था और माननीय मंत्रीजी यहां

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जगतार सिंह : नहीं ऐसा है हम तो बैठ जाएंगे....

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सदस्या .. (व्यवधान) उनको अरेस्ट किया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अपने घर में हैं कि कहां हैं ? गृह मंत्रीजी यहां विराजें हैं आप जवाब दीजिये... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसकी पूरी जानकारी दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया,

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दे रहे हैं। दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायकों को किसी भी तरह निरुद्ध किये जाने पर या गिरफ्तार किये जाने पर विधान सभा सचिवालय को सूचित किया जाता है और विधान सभा सचिवालय से ही उसकी सूचना दी जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विधान सभा सचिवालय तक सूचना पहुंचने वाली है। वही उसको घोषित करेंगे।

श्री किशन मोटवानी : आपको जानकारी होगी ना ?

श्री कैलाश मेघवाल : है मगर

श्री किशन मोटवानी : बता दो ना। आप ही बता दो। उसमें फर्क क्या पड़ता है....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बता देता हूं कि श्रीमती शशी दत्ता....

श्री राजेन्द्र पारीक : अरेस्ट किया है कि कहां रखा हुआ है....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मानसरोवर में अपने समर्थकों के सामने भाषण देकर आत्म-दाह की घोषणा की और इसलिए उनको प्रिवेंटिव सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है ।

श्री जगदीप धनखड़ : उनको उठाकर के ले गये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पुलिस उनको उठाकर के ले गयी है ।

श्री जगदीप धनखड़ : कौन से सेक्शन में बताइये ?

श्री कैलाश मेघवाल : 151, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब, प्रिवेंटिव सेक्शन 151 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ।

श्री रामचन्द्र रावत : आपने एस.सी. के विधायक को गिरफ्तार करके....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, सदन की माननीय सदस्या हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह जहां भी हैं सुरक्षित हैं । आप विराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : तो कहां रखा है उनको (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमें यह तो बताइये (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत बधाई है । हम गैर-हाजिर थे इसलिए, और एक निवेदन करना है कि पहले माननीय सदस्यों को सुन लें, विद्युत मंत्रीजी उसके बाद में कुछ बयान दें तो अच्छा रहेगा । हम लोगों को तो बताने दें अपनी बातें । आप घोषणाएं करना चाह रहे हैं । आप बहुत उतावले हैं, ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, विद्युत मंत्रीजी कुछ अपनी बात कहें । फिर आप सवाल करें ।

श्रीमती कमला : चर्चा में माननीय सदस्य हमेशा पहले बोलते हैं । फिर उसका जवाब मंत्री महोदय देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं विद्युत मंत्रीजी अपनी बात कह दें । फिर आप पूछ लीजियेगा ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह ...

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां पर कह दिया कि 151 में उनको रखा गया है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : समस्याओं का निवारण किया जाना चाहिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दो मिनट विद्युत मंत्रीजी बैठिये । हमारे हाउस की सदस्या को गिरफ्तार किया गया है । विधान सभा चल रही है तो विधान सभा

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करने का उनका मौलिक अधिकार है।

श्री राजेन्द्र पारीक : और कह दिया 151 में गिरफ्तार किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री किशन मोटवानी : आप आसन से व्यवस्था दीजिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह हाउस में आनी चाहिए थी।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय ...

एक माननीय सदस्य : आपको व्यवस्था देनी चाहिए थी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता तो दिया आपको (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह सरकार (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कैसे कर दिया, उनका प्रिविलेज था हाउस में आने का.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनका हाउस में आने का प्रिविलेज था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया आपको (व्यवधान) विराजिये।

एक माननीय सदस्य : विशेषाधिकार था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया आपको।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह हमारे अधिकारों का हनन है। क्या वे सदन में नहीं आ सकती हैं ? अगर उनको रोकना था तो (व्यवधान) यहां रोकना चाहिए था उनको... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। उनको सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाये जाने चाहिए थे वह उठाये हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस में .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्या उनकी सुरक्षा यहां नहीं कर सकते थे (व्यवधान) इसका मतलब सुरक्षित नहीं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब हम भी सुरक्षित नहीं हैं....(व्यवधान) इसका मतलब यह कि आप और हम सुरक्षित नहीं हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सदस्य को हाउस में आना चाहिए था (व्यवधान) नहीं रोका जाना चाहिए था.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह बताया जाये कि उन्हें कहां रखा गया है ? किस तरह बन्दी बनाकर रखा है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : इस सरकार से इस तरह (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : उनकी बात रखिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हाउस में तो आने दिया जाये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा आपसे अनुरोध है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस-किस का अनुरोध सुनूं मैं .. इतने सब एक साथ... किसका अनुरोध सुनूं (व्यवधान) मैं नहीं सुन पा रही हूं बैठिये (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदया (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : उनको हाउस में आने दिया जाये (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत : एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। एक साथ बोलने से नहीं सुन सकती। विराजिये (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यह तो उनको मारना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन नहीं पा रही हूं। विराजिये (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सरकार ने उनको यहां पर आने नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ सुनने में नहीं आ रहा। विराजिये (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेती (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस में आने का अधिकार था (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य .. (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह हमारी बात.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्या सदस्या की सुरक्षा यहां पर नहीं हो सकती? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदया, क्या सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? (व्यवधान) या आप वह सुरक्षा नहीं दे सकते (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती कमला : सदन में यह बयान दिया गया था कि माननीय सदस्या को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। सदन की व्यवस्था में सहयोग करिये .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : गिरफ्तार कर लिया (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुनिये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, आप सदन की व्यवस्था में सहयोग कीजिये। (व्यवधान) विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्री जी .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक साथ बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी)

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामचन्द्र रावत : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग स्थान पर जाएं। आप अपने-अपने स्थान पर जाएं माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर पधारें।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर पधारें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थान पर पधारें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान पर पधारें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान पर पधारें। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप स्थान पर पधारें।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान पर पधारें माननीय सदस्य। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने स्थान पर पधारें।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप मेरा अनुरोध मानिये। आप अपने स्थान पर जाइये। आप से अनुरोध करती हूं कि आप अपने स्थान पर पधारें। मुख्य सचेतक जी सम्भालिये इनको।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी, आप इन्हें संभालिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्रीमती कमला (बैराठ) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, अपने स्थान पर जाइये, माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने स्थान पर जाकर विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी, इनको रोकिये।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन पर विराजें, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। (व्यवधान) मैं तो आपकी तरफ देख रही हूं।

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप पधारें अपने स्थान पर। आप आसन को मजबूर नहीं करें। सीमा में रहें आप।

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

(सदन कूप में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय मुख्य सचेतकजी को परेशान कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर विराजिये, फिर आपकी बात सुनी जायेगी।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(125)

श्रीमती कमला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थान पर पधारें, आप मेरे अनुरोध को मानकर अपने स्थान पर पधारें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर पधारें, आप विराजें तो कोई बात सुनी जाए।.... (व्यवधान)। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। आप विराजिये तो सब बात सुनेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री कालूलाल गूजर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिजली पर वक्तव्य आ रहा है, विराजिये। कुछ बात करिये, आसन पर पधारें (व्यवधान) बिलकुल नहीं, आप विराजें। अपने स्थान पर जाइये, फिर आपका अनुसरण सब करेंगे। इसे मानियेगा, विराजें। (व्यवधान)...आपके निर्देश से आसन नहीं चलेगा।

श्री कालूलाल गूजर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री कालूलाल गूजर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

(15.30 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने-अपने स्थान पर पधारें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं सरकार से कुछ कहलाऊंगा। कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें। उपनेता महोदय कुछ कहेंगे, आप विराज जाइए। आप क्या चाहते हैं, कृपया फरमायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह बयान दिया गया था कि शशिदत्ता से वार्ता हो चुकी है और हमारा उनसे समझौता हो गया, वे आत्मदाह नहीं करेंगी। उस समय यह कहा गया। आपके चैम्बर में बात हुई और इस तरह का फैसला हो गया। लेकिन जब वे अपने समर्थकों के साथ राजस्थान विधान सभा आ रही थीं तो फिर उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण बना? जब समझौता हो गया, फिर आत्मदाह उन्होंने वापस ले लिया, ऐसा बयान हाउस में माननीय उप मुख्य मंत्रीजी की तरफ से दिया गया। फिर क्या कारण बना कि एक सदस्य को अपने अधिकारों से यह सरकार वंचित कर रही है?

श्री अमराराम (धोद) : यह भी कहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तार कर लिया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उनको गिरफ्तार कर लिया था, ऐसा बताया जा रहा है। 151 में गिरफ्तार करने की

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

नौबत क्यों आ गई ? जब आपके समक्ष सारी चीजें तय हो गईं, वे आतीं, अपना स्टेटमैंट देतीं, अपने अधिकारों का प्रयोग करतीं। अपने क्षेत्र के लोगों को जो कुछ कहकर आयीं, उस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहती थीं, समझौते की बात यहां आकर कहतीं। उनको कहां रोक रखा है, अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा है। उनके घर पूछते हैं, उनको विधान सभा में बुलाया जाए और उनका स्टेटमैंट कराया जाए कि उनके साथ किस तरह की ज्यादतियां की जा रही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। आपके चैम्बर में सारी बात हुई, शशीदत्ताजी स्वयं वहां मौजूद थीं। आप विराज रहे थे, उप मुख्य मंत्रीजी वहां उपस्थित थे, सारी वार्ता होने के बाद यह निश्चय हुआ कि उनके साथ में मंत्रीजी जाएंगे, इंजीनियर्स भी जाएंगे, वहां का मौका देखेंगे और उसके बाद में जो उनको शिकायत है उसका समाधान हो जायेगा। यह आश्वासन यहां पर उप मुख्य मंत्रीजी ने दिया था। हम उस आश्वासन के भरोसे बैठे थे। आज अभी यह मालूम हुआ कि वे यहां आ रही थीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह बिलकुल ही अजीब-सी परिस्थिति बन गई। क्यों गिरफ्तार किया गया, जब उनसे कम्प्रोमाइज हो गया, जब उन्होंने आपकी बात मान ली ? आपके सामने सारी बात होने के बाद में कोई बात बचती ही नहीं। उन्होंने आपके चैम्बर का हवाला दे दिया तो हमें भी विश्वास हो गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बात होने के बाद फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उसके बावजूद हमको यह डाउट हुआ कि मामड़ा जी ने जो स्टेटमैंट दिया उसमें मिसगाइड किया।

दूसरा यह कि उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता कहां पड़ी, क्यों पड़ी ? वे आत्मदाह तो कर नहीं रही थीं, वे यहां आ रही थीं। एक हरिजन महिला, मंत्री से उतर कर हमारे विधायक दल, अपोजिशन में आ गईं तो खामख्वाह के लिए परेशान करना, यह कतई वाजिब नहीं था। इसलिए गृह मंत्रीजी से स्टेटमैंट दिलवाइए और उनको कृपापूर्वक यहां बुलाइए ताकि वे अपनी समस्या आपके सामने बखान कर सकें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त पीड़ा का विषय है। एक महिला सदस्या ने अपना मामला उठाया और जनसमस्या के निराकरण के आश्वासन के बावजूद निराकरण न होने के कारण ऐसे कदम की उनको घोषणा करनी पड़ी। मान्यवर, आपके सचिवालय को कोई सूचना नहीं और माननीय गृह मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं कि सूचना सचिवालय के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। यहां पर यह मुद्दा उठाया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में एक सदस्य को गिरफ्तार करना, जब विधान सभा सत्र चल रहा है, उस सदस्य के अधिकार हैं, विशेषाधिकार है, जनता के मामले को यहां उठाने का उसका उत्तरदायित्व हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकारी पक्ष इस प्रकार का कदम उठाता है और एक ऐसी संस्कृति को जन्म देता है जो तानाशाही का संकेत देती है।

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा घटना-क्रम इस बात का संकेत देता है कि ताना-शाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए एक महिला सदस्य के अधिकारों का हनन किया गया है और जिस तरह से पूरी कार्यवाही की गई है उससे लगता है आम नागरिक कितना असुरक्षित है। मान्यवर, आशा की जाती थी जब आपके कक्ष में बातचीत होगी। एक आश्वासन सरकारी पक्ष से दे दिया गया, उसकी पूरी अवहेलना हुई है। हाउस को मिसगाइड किया गया है। सदन के उप नेता ने इस प्रकार का कृत्य किया है जो पूरी तरह से संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। तो मान्यवर, ऐसी परिस्थिति से गम्भीर परिस्थिति और क्या हो सकती है ? जनता जब हमें चुनकर भेजती है तो जनता हमें यह उत्तरदायित्व देती है कि इस सदन में हम जनता की बात करें। इस परिस्थिति में यदि सत्ता पक्ष बिल्कुल चुप रहकर ऐसे अधिकारों पर कुठाराघात करेगा तो मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली के लिए बहुत ही खतरा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, विचारों की अभिव्यक्ति की हमको स्वतन्त्रता है। कांस्टीट्यूशन के अन्दर हमको अपना राइट दिया हुआ है। माननीय शशीदत्ता जी, जो पहले मंत्री थीं और बाद में इधर आ गईं, उन्होंने एक गम्भीर समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। उस समय हो सकता है उन्होंने भावावेश में आकर यह बात कही, वह उसकी गम्भीरता को दर्शाता है कि वे वास्तव में कितनी पीड़ित थीं। उसके पश्चात् कई दिन निकल गए। दो बार यहां हाउस में उन्होंने रिमाइण्ड भी कराया और उसके बाद आज, जैसा कि उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आपके चैम्बर में इस विषय पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने एश्योर कर दिया कि वे आत्मदाह नहीं करेंगी। वे भी सन्तुष्ट हो गयीं और आप भी सन्तुष्ट हो गए। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि आपने या सरकार ने उनको यहां आने से रोका ? हर व्यक्ति जानता है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा है तो माननीय सदस्यों का अधिकार है कि विधान सभा के सत्र में जाएं और वे वहां जाने से रोके जाते हैं तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है। यदि वह किसी क्रिमिनल केस में इन्वोल्व होतीं तो हम निश्चित रूप से यहां कोई बात नहीं करते। लेकिन वे विधान सभा में अपने क्षेत्र की बात कर रही थीं, गम्भीर समस्या को लेकर उन्होंने घोषणा की। फिर एक समझौता हो गया, उसके बाद वे यहां शायद अपने अन्य कार्यों के लिए आ रही थीं तो उनको आपने 151 में बन्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, उससे भी गंभीर बात है इस निष्क्रिय और+++सरकार ने तीन घंटे, 12 बजकर 20 मिनट पर वे गिरफ्तार हुई हैं और तीन घंटे तक यहां पर आपके विधान सभा सचिवालय को उसकी सूचना नहीं भेजी। माननीय गृह मंत्रीजी कहते हैं इस सम्बन्ध में यहां सूचना आएगी और आपके द्वारा या चेयर के द्वारा यह डिक्लेरेशन होगा। यह तो अजीब

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

स्थित है। किसी भी छोटे-मोटे केस के लिए तो यहां घण्टे भर में सारी डिटेल मंगाकर डिक्लेयर कर देते हैं। और माननीय सदस्या ने यहां जयपुर के अन्दर जनभावनाओं को दर्शाने के लिए अपनी बात कही उसको लेकर उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं और तीन घण्टे तक सूचना नहीं है। यदि सूचना है तो आप उसको दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। मेरे सवाल से इस सरकार की जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा शशीदत्ता जी को यहां उपस्थित किया जाए, उनको लाया जाए जिससे कि वस्तुस्थिति मालूम पड़े कि वास्तव में क्या कारण बना था जिससे उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री अध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी सरकार की तरफ से इस सदन के उप-नेता महोदय ने सदन को सूचना दी, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सदन ने इस बात का विश्वास किया उप नेता महोदय के कथन पर, कि मामला निपट गया और शशीदत्ता जी राजी हो गयीं, अब आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्षजी, अब जो दूसरी सूचना मिली है कि उनको प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया गया है। तो क्या उस वक्त, जिस वक्त माननीय उप नेता महोदय ने सदन को सूचित किया था, उस वक्त स्थिति क्या थी? उस वक्त यदि स्थिति यह थी कि पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सदन को यह कहा गया, यह बहुत ही एतराज के काबिल बात है। सदन की मानहानि है और हमारे प्रिविलेज का हनन है। यदि उसके बाद में गिरफ्तार किया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे सरकार से, कि इस प्रकार की कौनसी परिस्थितियां बनीं जिनकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया? क्या 144 लगाया गया? क्या उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया? यह सब बातें हैं।

माननीय अध्यक्षजी, अब सत्ता पक्ष के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब उप नेता महोदय ने एक बात कही और वह बात सही नहीं निकली तो हम सत्ता पक्ष के न तो उप नेता महोदय पर और न गृह मंत्रीजी पर विश्वास कर सकते। इसका विश्वास एक ही हो सकता है कि माननीय सदस्या को सदन में आने की अनुमति दी जाए। उनको लाया जाए और उनके मुख से हम जानना चाहते हैं कि आखिर यह विरोधाभासी बातें हो रही हैं, उनमें सत्यता क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। सार्वजनिक हित की बात कहते हैं, सरकार ने उसको मान लिया और मानने के बाद यह कार्यवाही हुई है, यह अशोभनीय है।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, नाम पुकार लिया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : (उप मुख्यमंत्री) : एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने सुबह केवल यह कहा था कि आपने हम दोनों को बुलाया, मैंने उनसे समस्या पूछी, उसका समाधान बताया, वह चुप रही। फिर मैंने लैटर लिखा। आपने यह कहा था। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आपने कहा कि मान लिया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनिये पहले। प्लीज हियर मी। आपने यह कहा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये पहले। पूरा सुनें पहले।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि मेरे से उनकी बात हो गयी है। वह आत्मदाह नहीं करेंगी। उनका हवाला मैंने दिया कि अध्यक्षजी ने जैसा अभी कहा कि वह आत्मदाह नहीं करने के लिए तैयार हैं, यह कहा। अपनी ओर से मैंने नहीं कहा। अपनी ओर से मैंने इतना ही कहा कि मैंने उनको लैटर लिखा है। अध्यक्षजी के सामने मेरी बात हो गयी, मैंने उनकी बात मान ली। सी.ए.डी. मिनिस्टर से कह दिया कि वह विधान सभा के सत्रावसान के बाद साथ चले जाएं और वह जो सुझाव देती हैं उनके सुझाव को सुन लें और उस पर कदम उठायें। यह मैंने कहा। मैंने कोई सदन को गलतबयानी नहीं की। माननीय अध्यक्ष ने जो कहा उसी को मैंने रिपीट किया है। अध्यक्षजी ने यह कहा था कि उन्होंने उनको कह दिया है कि मैं आत्मदाह नहीं कर रही हूं। मैंने उसी का हवाला दिया था, अपनी ओर से मुझे उन्होंने कहा नहीं क्योंकि....

श्री किशन मोटवानी : यह प्रोसीडिंग देख लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिये। यदि आपकी प्रोसीडिंग में यहां आ जाए कि मैंने कहा है तो मैं अभी उसके लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, यदि इस बात के लिए कि मेरे नाम से आ जाए तो। लेकिन आप हर बात पर जिद्द करते हैं। जब मैं कह रहा हूं और इस हाउस में कहा है मैंने

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कृपया विराजें। (व्यवधान) वह सारी बात समझ में आ गयी। अब इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सारी बात आ गयी, फैक्टस सारे सामने आ गये, सारी बात आ गयी। कृपया सुनिये। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने मुझे समय दिया था।

श्री अध्यक्ष : दिया हुआ समय वापस ले लिया। जो समय दिया वह वापस ले लिया। विराजिये। (व्यवधान) कृपया रामस्वरूप जी।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब पांच दिन पहले मेरे चैम्बर के अन्दर शशीदत्ता जी को मैंने बुलाया था और सरकार की ओर से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी पधारे थे। उनकी और इनकी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वह सन्तुष्ट हो गयीं। श्री भाभड़ा जी ने यह फरमाया था कि यह

(श्री अध्यक्ष)

सदन समाप्त होने के बाद जो मंत्री हैं, वह घटनास्थल पर जाएंगे। उस समस्या का अवलोकन करेंगे और उस समस्या का निराकरण किस प्रकार से सरकार कर सकती है वह सारी व्यवस्था हम करेंगे। उसके बाद मैंने शशीदत्ताजी से निवेदन किया था कि जो कुछ भी मेरे चैम्बर में बातचीत हुई और जो कुछ भी आपने उस बात के आधार पर अपनी यहां सहमति व्यक्त की है, उसको आप कृपया लिखित रूप में मुझे दे दें। उन्होंने कहा, मैं कल दे दूंगी। वह कल आज भी नहीं आया। पिछले दो रोज से मैं इस बात के प्रयास कर रहा हूं। टेलीफोन के द्वारा सम्पर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह अटेन्ड नहीं हो पायीं। आज सुबह 9 बजे जब मैं विधान सभा में अपने चैम्बर में आया तो मुझे विश्वास सूत्र से यह जानकारी मिली कि वह बात मानने को तैयार नहीं हैं। 10 बजे मैंने सरकार को यह आदेश दिया कि इस प्रकार की परिस्थिति, जहां भी हों वहां उनको गिरफ्तार कर लें। यह आदेश मेरा था और यह आदेश मैंने इसलिए दिया कि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहां पैदा नहीं हो। इसलिए मैंने आदेश दिया। उनकी सुरक्षा के लिए आदेश दिया, इस सदन के सम्मान के लिए आदेश दिया। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : जब उप-मुख्य मंत्री जी कह रहे थे और आपको भी इंगित कर रहे थे तो आप कह देते। यह बात हम सबको बता देते आप, कि मैंने आदेश दिया और आप किस कानून के तहत आदेश दे सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके आदेश तो शिरोधार्य हैं। उन्होंने ऐसे आदेश दिये हैं। (व्यवधान)

सूचना
श्रीमती शशीदत्ता, माननीय सदस्या, की गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष : विराजें। अब मुझे एक मिनट और सुन लें। थानाधिकारी, शिप्रा-पथ, जयपुर, दिनांक 29 7.98। श्रीमान् माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा. विधान सभा सदस्या श्रीमती शशीदत्ता, विधान सभा क्षेत्र टीबी (हनुमानगढ़) की गिरफ्तारी की सूचना। निवेदन है कि आज दिनांक 29.7.98 को 12.40 पर श्रीमती शशीदत्ता विधान सभा सदस्या, राजस्थान, जयपुर को स्थान 80/67, न्याय पथ, मानसरोवर से अन्तर्गत धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार किया गया है।

श्री किशन मोटवानी : आपके आदेश से किया है, यह कहां है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय; आपने जो व्यवस्था दी है उसके लिए तो...

श्री अध्यक्ष : 4-4 को मैं नहीं सुन सकता और जवाब भी नहीं दे सकता, सम्भव ही नहीं है। एक अकेले तो जवाब मिले।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि जो इतनी भयंकर समस्या है, उनके खेत, गांव और घर, सब बरबाद हो गये उसके लिए...

श्री अध्यक्ष : वह अलग-से सवाल है।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना बहुत जरूरी था, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी सदन को सूचना दी कि 12.40 बजे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जब यहां सदन में मैंने इन्फार्मेशन के रूप में आपके माध्यम से सवाल पूछा तो उप मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यह बात हो गयी और उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। यह बात 12.40 के बाद, शायद 1.30 बजे की घटना है। जब सदन में उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अरेस्ट नहीं किया गया है तो हम यह जानना चाहते हैं कि उप मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा, और यहां यह भी कहा कि उन्होंने वापस ले लिया है। तो मैं समझता हूं कि उप मुख्य मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया है। यह बात सही है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो आप आदेश दें, यह शिरोधार्य है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस हाउस को, राजस्थान की जनता को मिसगाइड किया है कि उनके साथ वार्ता हो गयी है, अब उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, नहीं किया हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। यह उनका, मैं समझता हूं, राजस्थान के इस हाउस को मिसगाइड किया है। यह निन्दनीय कार्य है और मेरी मांग है कि उनको यहां उपस्थित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर आ जाएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उन्होंने अपना निर्णय स्थगित कर दिया अरेस्ट होने के बाद ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट आदेश दे दें, मैं बोलूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : .. मरवा दिया इस प्रकार के +++ के माध्यम से। राधेश्याम जी, ध्यान तो दें आप। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट सिर्फ। मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राधेश्यामजी जब मैंने एक व्यवस्था दे दी तो अब उस पर क्या बात करें ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जो आपने हुक्म फरमा दिया वह बिलकुल सही हैं। पर एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, आपने जो भी हुक्म दिया है वह कैसा भी हो, पर एक मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूं, हो सकता है जो जानकारी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनकी आत्मा बहुत प्रबल है, आप ऐसे मत कहिये इनसे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ...सदन को ध्यान नहीं हो। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं और आदेश के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बिना बोलूंगा नहीं जब तक आप नहीं कहेंगे। एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : फरमायें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सारा हाउस मानता है और यह मानना हमारा धर्म भी है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं पुनः अपील करता हूं आपसे, कि आप पुनः थोड़ा इस पर विचार कीजिए गम्भीरता से। आप कस्टोडियन हैं हमारे, आप पांच करोड़ जनता के मालिक हैं। जो फैसला आप करेंगे, प्रजातन्त्र के अन्दर, सारी दुनिया के अन्दर वह फैसला जायेगा। इंग्लैण्ड और अमेरिका भी इसको देखेगा कि किस अध्यक्ष ने क्या फैसला किया है। एक महिला अनुसूचित जाति की, जनहित के लिए उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मुझे आज 12.02 बजे हमारे उप नेता महोदय ने निर्देश दिये। हमारे उपनेता महोदय ने 12.02 बजे चैम्बर में कहा कि आप जाइये, पूरी स्थिति का आकलन करके मुझे रिपोर्ट पेश कीजिये। मैं वहां मौके पर गया। (व्यवधान) 1.02 बजे हो सकता है, सॉरी, आप जो फरमा रहे हैं, वही होगा। मैं वहां मौके पर गया। उस समय जब मैं वहां गया, उनके घर के चारों तरफ पुलिस थी। वहां 3–4 बसें किसानों की आई हुई थीं, वे वहां मौजूद थीं। मैं वहां से टेलीफोन करके उप नेता महोदय और उनके पतिश्री की बात आपसे करवाई। उन्होंने अपना सारा दुखड़ा रोकर, और उन्होंने 12.00 बजे से पूर्व गिरफ्तारी की बात शायद जो मुझे कही, अगर वही आपको भी उन्होंने कही है तो जो आपने हुक्म दिया, उसमें और सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है, एक ही सरकार है या दो सरकार है। यानी उप मुख्य मंत्री जी, जो कुछ आप कह गये और हमारे होम मिनिस्टर साहब दूसरी बात कर रहे हैं। तो इस पर पुनर्विचार करके आप हाउस में उनको लाइये, यह हमारे अधिकारों का हनन है, यह डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात है। मैं एक निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बस चलता तो वह उनको उकसा-उकसा कर आत्महत्या करवा देते। एक तरफ तो कोई आत्महत्या करता है तो उसके लिए सदन में मांग की जाती है कि (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह कहता हूं कि आपने, जब सरकार ने (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : प्रिवेन्टिव एक्शन लेकर के उनको बचाया जा सकता था, क्यों नहीं बचाया गया ? और आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो सारा विपक्ष (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उकसाना चाहते हैं, उनको मराना चाहते हैं। (व्यवधान) और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि वह आये और यहां उनको और उकसाये और... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आज इस बात को पूरे 10 दिन हो गये। आपने... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : यह जो समस्या है सेम की, यह कोई आज की समस्या नहीं

(श्री कालूलाल गूजर)

है। जब से राजस्थान कैनाल बनी तब से यह समस्या है और उसका समाधान करने के लिए सरकार सोच रही है और जानबूझ कर इस तरह से उनको उकसाये जाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर: सरकार सोई रही, सरकार को नींद आती रही। यह बात, आज सरकार, कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने फौरन एक्शन लिया तो सरकार ने... (व्यवधान) एक्शन नहीं लिया अन्यथा यह परिस्थिति आती नहीं (व्यवधान) अगर वह चार दिन पहले

श्री कालूलाल गूजर : .. यह इनके खिलाफ भी गया है....

श्री राधेश्याम गंगानगर : .. कोई सरकार के पास जादू का डंडा नहीं कि एक मिनट में सेम को खतम कर दे। लेकिन वार्ता की जा सकती है, आश्वासन दिया जा सकता है। और जो उनकी भावना थी, पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए .. (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो राधेश्यामजी गंगानगर से आये हैं, और यह वह गंगानगर है जहां एक व्यक्ति ने आत्मदाह करके पूरे राजस्थान को शर्मिंदा किया है और आज फिर एक महिला हरिजन को अपने आप आग में झोंकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह शर्मनाक घटना है, आप इस पर नियंत्रण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ....उनको अरेस्ट किया गया है। जब आपने आदेश फरमा ही दिया था तो आपका, यह आसन का दायित्व नहीं बनता था कि आप सदन को अवगत कराते कि हमने यह आदेश दे दिये हैं? (व्यवधान) यह आज सबसे अधिक पीड़ित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या शशीदत्ता के सम्बन्ध में जो घटना घटी है और उसकी सदन में जिस तरह से परिस्थितियां बताई गई हैं, उनमें 2–3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि जब सदन में यह पूछा गया कि माननीय सदस्या कहां है, क्यों नहीं आईं, क्या उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी वह स्टेण्ड करती है, क्या यह ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब तथ्य आ चुके हैं।

श्रीमती कमला : आपको क्या परेशानी हो रही है। आप तो घोषणा करना आराम से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे फैक्ट्स सदन में आ चुके हैं।

श्रीमती कमला : आपकी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तरीका, आपका भी ठीक नहीं है।

श्रीमती कमला : आप, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े हो जाइये । आप मेरे बोलने के अधिकार को कम नहीं कर सकते । मेरा हक है, मुझे अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है....

श्री [illegible] तिवाड़ी : वह पक्ष आ चुका है, वे बातें सब कही गई हैं ।

श्री कालूलाल गूजर : .. बेकार समय बरबाद किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने, जिन्होंने यहां पर विवरण दिया और स्थिति से अवगत कराया, उसको उसी समय पूरी तरह से ज्ञान था, भान था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बावजूद इस सदन के अन्दर यह बयान दिया कि गया उनकी इस तरह से यह बात हुई और इस तरह से मिले । वह भी सहमत हो गईं । और जब सदन में यह पूछा गया कि क्या आपने उनको गिरफ्तार किया है, तब आपकी तरफ से कहा गया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया । जब कि उससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था । पहला मुद्दा तो यह है कि यह सदन के अधिकारों का हनन है और जिन किन्हीं मंत्री महोदय ने विवरण दिया है, उसके ऊपर कार्यवाही होने लायक है ।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, आपके उस आदेश की पालना करने के बावजूद भी मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि आपने [illegible] अपने स्तर से यह आदेश दिया कि माननीय सदस्या को गिरफ्तार कर लिया जाये । आपको गिरफ्तार करने के आदेश देने से पहले क्या यह नहीं कहना चाहिए था कि उसकी पूर्ण सुरक्षा की जाये ? और जब सरकार यह कहती कि हमें जेल डालने के अलावा.... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए, आप चर्चा शुरू कराइये । यह बिजली किसानों के लिए, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू होनी चाहिए । यह सब तथ्य सदन में आ चुके हैं । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपको क्यों दुःख हो रहा है, कहने दीजिये । आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप भी अध्यक्ष नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कोई यशोदत्ता जी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है । यह भी किसानों का ही मामला है अध्यक्ष महोदय ...

श्री किशनाराम नाई : वे सब तथ्य आ चुके हैं सदन में ।

श्रीमती कमला : मैं आप से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपके उसे सुरक्षा प्रदान करने के निर्देशों के बावजूद सरकार यह कहती कि हमें तो जेल भेजने के अलावा और कोई जरिया नहीं था, तब उनकी मांग को स्वीकार करते । बजाय इसके कि आपने सीधा गिरफ्तार करने के आदेश दिये । यह मैं समझती हूं अपने आप में सही परम्परा नहीं बनती है इस सदन के अन्दर ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से दो बातों की ओर संकेत

(श्री जगदीप धनखड़)

देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सुरक्षा की दृष्टि से एक निर्देश दिया (व्यवधान)

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में धरना)

श्री भीमराज भाटी : यह+++की परम्परा में इस तरह (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : यह राधेश्याम जी भी+++हैं। इन्होंने जानबूझकर शशीदत्ता जी को आत्मदाह करने के लिए प्रेरित किया है। अध्यक्ष महोदय, आत्मदाह के लिए जो प्रेरित किया है, वह भी आई. पी. सी. में जुर्म का भागीदार होता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई भी अपनी मुसीबत पर बोले तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : इन्होंने पहले भी एक पार्षद को मरवा दिया था अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : आप बुलाओ अभी हाउस में। वह क्या कहती है, वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री कालूलाल गूजर : उनको उकसाया है और अभी ...

श्री रामेश्वरलाल भाटी : आत्मदाह करने के लिए उकसा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बुलाकर, उनको उकसाकर आत्महत्या, करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये किसान विरोधी हैं और किसानों की बिजली की चर्चा, जो आज किसानों का महत्वपूर्णमुद्दा है बिजली का, उसके ऊपर यह चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। एक अनुसूचित जाति की महिला, जो सदस्य है इस विधान सभा की, उनको मराने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं और इनके लिए यह सबसे ज्यादा शर्म की बात है। वह आत्मदाह नहीं करना चाहती और ..

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिये कि ये अपने शब्द वापस लें। जब जो मुंह में आये, वही बोल देते हैं।

श्री राकेश मेघवाल : ये जबरदस्ती उनको आत्मदाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह सब प्रेरित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी जो सेम की समस्या थी....

श्रीमती कमला : सत्ता पक्ष में होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई भी आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं। आपको बड़ी दया आ रही है। पांच वर्ष तक तो लूटकर खा गये सारी जनता को।

श्री राकेश मेघवाल : ....उसने अपने आप ही आपके साथ बैठकर यह समझौता कर लिया कि सरकार उसकी सेम की समस्या का समाधान करेगी और वह आत्मदाह नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने उसको बार-बार प्रेरित किया और आज भी ये मरवाना चाहते हैं। ये अनुसूचित जाति के

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(136)

(श्री राकेश मेघवाल)

खिलाफ हैं, महिला के खिलाफ हैं। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदया जब बैठी थीं तो उनके एक भी माननीय सदस्य... कांग्रेस वाले, ये अपने आपको किसान विरोधी कहें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने तो बचा दिया। जेल में डालकर बहुत भारी इज्जत बचा दी आपने उनकी। उनको लाते हाउस में। यहां पर दिया है आश्वासन कि हम.... (व्यवधान) सुनते उनकी बात। यहां पर दिया है आश्वासन कि हम, यहां समस्या का हल हो जाता, उसे सदन में ही नहीं आने देते (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, जैसे पहले सतियां होती थीं और सती करने के लिए उसको प्रेरित करते थे, उसको महिमा मंडित करते थे। ये पुनः उन्हें सती, जैसे पहले होती थी वैसे ही महिमामंडित करके उसको आत्मदाह कराना चाहते हैं, उन्हें मरवाना चाहते हैं।

श्री राकेश मेघवाल : जब यह बात सदन में तय हो गई कि अध्यक्ष महोदय का आदेश है और अध्यक्ष महोदय का आदेश... (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : और यदि उन्होंने आत्महत्या कर ली तो प्रतिपक्ष के नेता जिम्मेदार होंगे, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जिम्मेदार होंगे।

श्री राकेश मेघवाल :....और ये अवहेलना करते हैं और ये+++ करके अभी बहिष्कार करेंगे और इसलिए बहिष्कार करने के पहले यह (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ये चाहते हैं कि वह मर जाये और उसकी लाश के ऊपर अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चले और बिजली की यह जो गम्भीर समस्या है....

श्रीमती कमला : आपकी सरकार के पास डंडे मारने और जेल में डालने के अलावा है ही क्या? पांच वर्ष तक यही करते रहे आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : 40 साल तक आपने इस राजस्थान को लूटा है, खसोटा है, नोच खाया है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल :....सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य। मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्थान पर जाइये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शशीदत्ता जी के छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो उनको बैठाओ तो सही। विराजें। कृपया विराजें। आप विराजें जब स्टेटमैंट कराऊंगा, बैठे आप,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अपने-अपने स्थान पर जाइये, पधारिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....उसको मारा है, पीटा भी है उसको।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हाउस है, हाउस। सदन है यह। यह कोई +++ नहीं है। कृपया विराजें। विराजें। (व्यवस्था)

श्री रामस्वरूप मीणा : ...उसको मारा है, पीटा है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, सरकार को तो आपने अपने ऊपर लेकर बचा लिया +++

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्टेटमैंट सुनिये माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने आदेश क्यों दिये गिरफ्तारी के ?

श्री गोपीचन्द गुर्जर : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराज जायं। कृपया, माननीय सदस्य बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह अद्भुत घटना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उपनेता महोदय कह रहे हैं, आप विराजें। आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या कारण थे कि आपको गिरफ्तार करने के आदेश करने पड़े ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा का ध्यान रखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गरिमा को ध्यान रखते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें, अपनी गरिमा का...., (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमें होम मिनिस्टर के स्टेटमैंट की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें, सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें, आसन की गरिमा का भी ध्यान रखें। कृपया विराजें माननीय सदस्य। कृपया।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने मुझे बोलने का समय दिया था (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(138)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या कसर रही इस सदन की आन के बट्टा लगने में....

श्री अध्यक्ष : मैंने गरिमा का शब्द बोला है आपसे । गृह मंत्री महोदय । सुनिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया था ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक हफ्ते से जिस रोज माननीय सदस्या ने सदन में घोषणा की ...

एक माननीय सदस्य : जोर से ।

श्री अध्यक्ष : खूब जोर से बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : पर ज्यादा जोर से मत बोलियेगा जैसे दो बार बोल चुके हैं पहले ।

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल ठीक । इस विधान सभा में अपने क्षेत्र की सेम समस्या को हल कराने के लिए 28 तारीख की सीमा निर्धारित करते हुए आत्मदाह की घोषणा की, माननीय अध्यक्ष महोदय, तभी से सभी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष . कृपया, इससे लाभ नहीं होगा, इससे नहीं होगा लाभ, बैठे–बैठे बोलने से । आपको कुछ कहना है, पहले गृह मंत्री जी को कहने दीजिये, उसके बाद बोलिये । कृपया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि यह ध्यान से सुनना भी नहीं चाहते । मैंने यह कहा था ..

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम ध्यान से सुन रहे हैं, आप तो जवाब भी नहीं देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं, जवाब दे, रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : 28 तारीख तक, माननीय उप नेता महोदय, क्राउडलेस जो है ...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्राउडलेस नहीं, साइलेंट है ।

श्री कैलाश मेघवाल : साइलेंट है इसीलिए तो बोल रहा हूं ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बोलिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : विराजिये आप । माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख की समय सीमा निर्धारित की थी कि 28 तारीख तक मेरी इस समस्या का हल नहीं हुआ तो मैं 29 तारीख को इस सदन में आत्मदाह करूंगी । इस घोषणा के बाद समाचार–पत्रों में भी छपी, और इसके बाद माननीय विधायिका ने 22 जुलाई, 1998 को यह एक पत्र, चार–पांच पेज है जिसकी प्रति आपको भी दी गई है ...

श्री अध्यक्ष : मुझे नोटिस दिया है, कानूनी नोटिस दिया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुख्य मंत्री जी को भी दी गई, उसकी प्रति मुझे दी गई

(श्री कैलाश मेघवाल)

और उसमें अपना यह निश्चित मत व्यक्त किया है कि मेरी समस्या का हल अगर नहीं होगा तो फिर से लिखित में उन्होंने इसमें यह मत व्यक्त किया है, निश्चय व्यक्त किया है कि मैं 29 तारीख को सदन में आत्मदाह करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे निवेदन किया कि समस्याएं, समस्याओं के ढंग से हल होती है। आपकी समस्या गम्भीर है। इस बारे में सरकार भी गम्भीर है और आप इस तरह का यह कदम न उठायें। मैंने उनसे दो बार निवेदन किया, हाथ जोड़ कर निवेदन किया, विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। तो मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं भी दो दिन से, मेरे बिलकुल ठीक सामने रहती है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं हो रही थीं। कल शाम को भी मैंने कोशिश की, आज सवेरे भी कोशिश की और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे, मुझे एक घटना याद आती है। 1990 में जब इस देश में मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी, मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था उस समय और दिल्ली में था। उस समय मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हो, पिछड़ी जातियों का आरक्षण लागू नहीं हो, इसके ऊपर देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ था। और, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं, ऐसे प्रकरण हुए जिनमें छात्रों को जबरदस्ती छात्रों ने जला डाला। और ऐसी स्थिति में एक भावुक महिला, कमिटेड महिला, हम नहीं चाहते थे कि गिरफ्तार करें, लेकिन उनके क्षेत्र के तीन सौ, चार सौ लोग आ गये। वह रात्रि विश्राम अपना जो मानसरोवर का उनका मकान है, वहां पर किया और वहां पर करने के बाद उन्होंने उनके सामने भाषण देना चालू किया। हमने पूरे संयम के साथ, पुलिस ने कहा था कि यह इस तरह की बातचीत चल रही है, अगर इनका आत्मदाह का जो निश्चय है इससे पीछे हट जाती हैं, ऐसा कोई नहीं करती हैं, तो अपने को कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन मंच से उन्होंने अपने उन समर्थकों के सामने भाषण दिया, अब आज मैं आपके लिए विधान सभा जा रही हूं और आत्मदाह करूंगी। यह घोषणा होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप भी चिंतित थे, हम भी चिंतित थे, कि कहीं रास्ते में वैसा प्रकरण नहीं हो जाय जैसा कि वहां गंगानगर में हुआ कि वह व्यक्ति दूर से जलता हुआ भाग कर आया। जब भावावेश में, जब गरिमा, जब इगो, यह सामने आ जाय, तो पुलिस ने बड़ा संयम बरतते हुए 12.40 पर उनको गिरफ्तार किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (दक्षिण) के कार्यालय में अभी वह हैं। वहीं पर शांति से विराजी हुई हैं और पुलिस कस्टडी में है। यह अभी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। नो, माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी, ऊर्जा मंत्री राज्य में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। कृपया बड़ा महत्वपूर्ण मसला है माननीय सदस्य, विराजें।

राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विद्युत आज व्यथित व

140

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समाज की मूलभूत आवश्यकता है। विभिन्न स्थगन, ध्यानाकर्षण व विशेष उल्लेख प्रस्तावों द्वारा माननीय सदस्यों ने न केवल अपने क्षेत्र परन्तु पूरे राज्य में विद्युत की निरन्तर आपूर्ति, विद्युत की समुचित उपलब्धता, संचारण एवं वितरण तंत्र में सुधार और विभिन्न समस्याएं विशेषतया कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों के प्रति राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कृषि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति राज्य सरकार विशेष रूप से जागरुक है। पिछले पांच वर्षों में सिंचाई हेतु दो लाख से अधिक कुओं को ऊर्जीकृत किया गया है। विद्युत उपलब्धता, संचारण व वितरण में आशातीत सुधार हुआ है। राज्य सरकार को कृषि उपभोक्ताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। हाल ही में विद्युत मण्डल द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के लिए समस्या समाधान शिविर भी आयोजित किये गये जिनमें विभिन्न प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए। माननीय विधायकों से भी विभिन्न माध्यमों से सुझाव प्राप्त हुए। इन सब पर विचार कर राज्य सरकार एवं विद्युत मण्डल द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इन आदेशों से ग्रामीण उपभोक्ताओं को वांछित राहत मिलेगी तथा उनकी परेशानियां भी दूर होंगी। प्रमुख निर्णयों का सार निम्न प्रकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र भी हैं, विद्वान भी हैं, धनखड़ साहब और इस समय विधायक भी हैं, उन्होंने मुझे व्यंग्य करते हुए कहा था कि पहले तो आपको मंत्री नहीं बनाकर, इस प्रकार प्रताड़ित....

श्री अध्यक्ष : किसान भी हैं। आप भी किसान हैं, वह भी किसान हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसान भी हैं, प्रताड़ित किया गया था और अब आपको मंत्री बनाकर प्रताड़ित किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : स्टेटमेंट तो दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दे रहा हूं। अब, माननीय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो मुद्दे उठाए थे, आप भी संवेदनशील हैं, मैं भी उनके बारे में आपको स्पष्ट कर रहा हूं।

पूर्व में कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई थीं। वर्ष 1989 में अघरेलू श्रेणी में नलकूप के लिए कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया था जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण व्यय जमा करना होता था तथा अघरेलू कनेक्शन के लिए लागू दर के अनुसार विद्युत बिल चुकाना पड़ता था। कई वर्षों पूर्व लागू योजना जटिल थी। इसलिए सुविधा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रमाण-पत्र विभिन्न विभागों से, जैसे वन विभाग आदि से प्राप्त करने पड़ते थे। इस जटिल योजना के बारे में दुरुपयोग की भी कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

माह फरवरी, 1995 में पूर्व में लागू इस योजना का सरलीकरण किया गया। योजना कृषि कनेक्शनों के लिए लागू कर दी गई। प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत अघरेलू दर से बिजली की कीमत चुकानी पड़ती थी परन्तु कृषकों की समस्या को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दृष्टिगत रखते हुए योजना को संशोधित किया गया एवं इसकी बिजली की दर एन.डी.एस. की आधी ही कर दी गई। आमतौर पर यह स्वैच्छिक योजना लोकप्रिय रही एवं इसके अन्तर्गत लगभग 50 हजार कृषकों को कनेक्शन हो चुके हैं। नर्सरी योजना के अन्तर्गत नये कनेक्शनों के लिए निरन्तर मांग बनी हुई है। योजना के अन्तर्गत बिजली की सामान्य 50 पैसे की दर की बजाय कृषकों को 108 से 133 पैसा प्रति यूनिट भुगतान करना होता है। इस अधिक दर के सम्बन्ध में लाभान्वित कृषकों में असन्तोष था एवं उन्हें राहत पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिक दर केवल दो वर्ष के लिए ही लागू रहे। एवं जिन नर्सरी उपभोक्ताओं के दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनसे सामान्य दर ही वसूल की जाए। यह आदेश दिनांक 8 को जारी कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विद्युत मण्डल पर कनेक्शन रिलीज करने के वास्तविक खर्च को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया था परसादीलाल जी, कि प्रति पोल की राशि 9 हजार से 12 हजार कर दी जाए ताकि दो वर्ष के पश्चात् दर सामान्य कर देने में होने वाली क्षति की कुछ सीमा तक पूर्ति हो सके। प्रति पोल की वास्तविक कीमत अब 12 हजार रुपये हो गई है। इस संशोधन के कारण भी नर्सरी उपभोक्ताओं में असन्तोष है एवं उनके द्वारा मांग की गई है कि पोल की दर पूर्ववत ही रखी जाए। कृषकों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब पोल की दर पूर्ववत मात्र रुपये 9 हजार रखी जाए। ताकि उन पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं बढ़े।

श्रीमती कमला : क्या + + बनाया है।
अध्यक्ष महोदय, क्या + + + बनाया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें आप बीच में इन्टरप्ट नहीं करें। बीच में नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह करने से औसत पांच पोल के कनेक्शन पर आवेदकों को लगभग 15 हजार रुपये की राहत प्राप्त होगी एवं विद्युत मण्डल पर लगभग 15–20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का भार आएगा। नर्सरी कनेक्शन को सामान्य दर में परिवर्तित करने के निर्णय से इस वर्ष लगभग 21 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। और उनकी संख्या प्रति माह बढ़ती जाएगी। अगले वर्ष लगभग 17 हजार तथा वर्ष 2001 में लगभग 14 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। वर्तमान में नर्सरी कनेक्शनों के सामान्य दर पर परिवर्तन होने से सम्बन्धित कृषकों को लगभग 45 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का लाभ होगा और इतना ही भार विद्युत मण्डल पर बढ़ेगा। और जो अन्दाज लगाया अध्यक्ष महोदय, जिन 21 हजार किसानों को इस बार यह लाभ मिला है,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

142

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनको 22 हजार रुपये प्रति वर्ष का लाभ इसी साल शुरू हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और आदेश था जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। विद्युत मंडल ने पूर्व में अपने विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत ऐसे सभी उपभोक्ताओं पर, जो कि शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें 20 से 24 घण्टे तक की बिजली मिलती हैं, कृषि नर्सरी श्रेणी की दर लागू की थी। सम्बन्धित उपभोक्ताओं ने इस सम्बन्ध में अनुरोध किया था कि जोत उनकी सीमित है एवं वे अधिक समय तक विद्युत सप्लाई का लाभ नहीं उठा सकते। शहरों के आस-पास 5-5, 4-4 बीघा के किसान रहते है। अध्यक्ष महोदय, उनके कनेक्शन भी वर्षों पूर्व साधारण दर पर ही दिये गये थे। उक्त समस्या को देखते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे सभी सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों पर कृषि नर्सरी की दर के स्थान पर सामान्य श्रेणी की दर ही ली जाएगी। उपरोक्त संशोधित आदेशों में ऐसे सभी उपभोक्ताओं को बिजली का भुगतान पूर्ववत साधारण दर पर ही करना होगा। उपरोक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग 9 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आर्थिक लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और दूसरी बात थी कृषि नर्सरी श्रेणी के उपभोक्ताओं से कृषि कनेक्शन जारी करते समय 1250 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से राशि वसूल की जाती थी, जो कि 25 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह की दर से मासिक बिलों में समायोजित कर लगभग चार वर्षों में लौटानी थी। फिर एक अन्य आदेश कर उपरोक्त राशि को कनेक्शन जारी होने की तिथि से पांच वर्ष पश्चात समायोजित कर लौटाने के निर्देश जारी किये गये थे। अब नये आदेश द्वारा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् प्रथम बिल से ही उक्त राशि समायोजित कर लौटाना चालू कर दिया है। उक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग 17 करोड़ रुपये के ब्याज का लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, घरों में जो कनेक्शन हैं किसानों के गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए कम से कम 950 रुपये कोई पोल नहीं अथवा एक पोल तक, एवं दूसरे से पांचवें पोल तक निम्नलिखित दर से अनुदानित राशि लेने के आदेश प्रसारित किये गये थे। कोई खम्भा नहीं अथवा एक खम्भे तक 950 रुपये, यदि एल.टी. लाइन एक पोल से ज्यादा खींचनी पड़े दूसरे खम्भे के लिए 1450 रुपये, और तीसरे, चौथे और पांचवें खम्भे के लिए प्रति खम्भा 1950 रुपये। पांच खम्भों से ज्यादा लाइन खींचनी पड़े तो पांच खम्भों के बाद प्रति खम्भे की निर्धारित राशि वसूल करने के भी आदेश थे। अब संशोधित आदेश जारी कर दिये हैं जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति चार उपभोक्ता तक एक खम्भे की कीमत मण्डल द्वारा वहन की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता ग्रुप में भी आवेदन कर सकते हैं। इन संशोधित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार चाहे तो पूर्व के प्रचलित आदेशों के अन्तर्गत भी कनेक्शन लेने के लिए विकल्प दे सकता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग दो करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष के हिसाब से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी उपभोक्ता को सीधे सर्विस लाइन से टैप करके विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है तो रुपये 950 भी नहीं लिए जाएंगे। कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू तथा अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ताओं से मीटर बक्से हेतु ग्यारह सौ रुपये प्रति बक्से के हिसाब से राशि वसूल की जाने की व्यवस्था थी। अब संशोधित आदेश में यह प्रावधान कर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर के लिए एक मुश्त राशि 1100 रुपये वसूल नहीं की जाकर 12 रुपये प्रति माह के हिसाब से मीटर बक्से के किराये के रूप में वसूल की जाए। इससे ग्रामवासियों को विद्युत सम्बन्ध लेते समय बहुत सीमित व्यय करना होगा एवं उन्हें वर्तमान में लगभग तीन हजार रुपये के स्थान पर केवल मात्र पांच सौ रु० जमा कराने पर कनेक्शन मिल जाएगा। अतः अब ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के लिए प्रति उपभोक्ता को लगभग 2500 रुपये की राहत मिलेगी। उपरोक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग 9 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक राहत मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शन के उपभोक्ताओं से मीटर की कीमत वसूल नहीं करना। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शन के उपभोक्ताओं से मीटर की कीमत वसूल की जाती थी। अब इन नये आदेशों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से मीटर की कीमत वसूल नहीं की जाएगी, अपितु उनसे सिर्फ प्रति माह मीटर का किराया ही लिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं से पूर्व में मीटर की कीमत वसूल की जा चुकी है व मीटर किराया भी लिया जा रहा है। उनसे मीटर किराया लिया जाना तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया गया है एवं वसूल किया गया किराया आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किया जाएगा। उक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आर्थिक लाभ मिलेगा।

सिर्फ सर्विस लाइन टैपिंग वाले उपभोक्ताओं को त्वरित गति से कनेक्शन। पूर्व में सर्विस लाइन टैपिंग एवं नयी लाइन खींचे जाने वाले दोनों तरह के उपभोक्ताओं को एक ही प्राथमिकता में रखा जाता था, इससे सर्विस लाइन टैपिंग के कनेक्शनों में अधिक समय लगता था। अब नये आदेशों के अनुसार उन घरेलू कनेक्शनों को जिनमें सिर्फ सर्विस लाइन टैपिंग से ही कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं एवं जिनके लिए लाइन खींचनी पड़ती हैं, अलग-अलग प्राथमिकता रखी जाएगी। इससे सिर्फ सर्विस लाइन टैपिंग वाले उपभोक्ताओं को जल्दी-जल्दी कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को दीपावली के पूर्व कनेक्शन जारी कर दिये जाएं।

पूर्व में जारी मण्डल के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान नर्सरी श्रेणी एक-दो पोल कनेक्शन व सामान्य श्रेणी के कनेक्शन में बढ़ा हुआ लोड पाये जाने पर अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ा हुआ लोड पाये जाने पर अलग अलग राशि चार्ज की जाती थी। जिसमें अनियमितताएं होती थीं। नर्सरी व 1–2 पोल में चार्जेज सामान्य श्रेणी से अधिक है। सतर्कता अथवा अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान बढ़ा हुआ लोड मीटर के नाप के अनुसार मान का जुर्माना वसूल किया जाता था। कृषि श्रेणी में सभी प्रकार के कनेक्शन में भार वृद्धि में एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए तथा विद्युत भार भी चैकिंग के दौरान वोल्टेज तथा पावर फैक्टर के हिसाब से देखना चाहिए। इस विषय में नये आदेशों में यह प्रावधान किया गया है कि निरीक्षण के दौरान विद्युत भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर 20% तक का अधिक भार बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। विद्युत भार वृद्धि कृषि श्रेणी में एक समान कर दी गई है तथा चार्जेज में भी रियायत दे दी गई है। ये जो बिजीलेंस का सारे किसानों पर खतरा मंडराता रहता था, इस निर्णय से उपभोक्ताओं को लगभग पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से राहत मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में एक सामान्य कृषि योजना थी ग्रुप योजना। पूर्व में बन्द की गई सामान्य श्रेणी में ग्रुप योजना को पुनः चालू कर दिया गया है। इस ग्रुप योजना में उन आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन हेतु नम्बर आ गया हो। पूर्व में सामान्य कृषि श्रेणी के लिए ग्रुप योजना लागू थी तो साधारणतया ग्रुप के किसी भी उपभोक्ता को कोई पोल चार्जेज नहीं देने पड़ते थे। यदि देने भी पड़ते थे तो काफी कम खम्भों की कीमत सामूहिक रूप से देनी होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि किसी एक उपभोक्ता को मिलने वाली कुल अनुदान राशि के कुछ हिस्सों का फायदा दूसरे उपभोक्ता को मिल जाता था। इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी 10 हार्स पावर वाले उपभोक्ता के यहां मात्र 4 खम्भे लगने हों एवं ग्रुप के दूसरे उपभोक्ता के यहां, जिसका कनेक्टेड लोड 5 हार्स हावर हो, यदि 8 खम्भे लगने हों, तो सभी 12 खम्बों पर अनुदान मिल सकेगा।

कृषि उपभोक्ता की मृत्यु पर वारिस के नाम से कनेक्शन स्थानान्तरित किया जा सकता है। अब तक कृषि उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आदेश प्रसारित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता के नाम परिवर्तन के लिये कृषि कनेक्शन आवेदक अथवा उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिस का राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाम परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में पुनः प्रतिभूति राशि नहीं ली जायेगी।

एक–दो पोल योजना के अन्तर्गत विवादित आवेदन। अध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक–दो पोल योजना में कई लोगों ने डिमांड की जमा करा दी और किसी कारण से उनके कनेक्शन नहीं हो रहे थे। रुपये भी जमा करा दिये थे इसलिए राज्य सरकार ने साफ–साफ निर्णय लिया था एक–दो पोल योजना के विवादित कनेक्शन, जो अन्य कृषकों के एतराज या कोर्ट के स्थगन आदेशों से नहीं हो पा रहे हैं, उन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में 2 पोल से अधिक की 11 के.वी.एल टी लाइन खींच कर कनेक्शन दिये जायं। उनको किसी भी साइड, यह भी कहा गया एक साइड से अगर नहीं हो रहे हैं तो दो खम्भे खींच कर, कैसे भी करके उनको जितने कनेक्शन बाकी हैं, शीघ्र से शीघ्र उनको कनेक्शन दे दिये जायं।

कृषकों के द्वारा जमीन बेचने पर नये क्रेता। लम्बे समय से कृषि कनेक्शन नहीं मिलने के कारण कृषक द्वारा जमीन बेच देने पर नये क्रेता को सुविधा देने के लिये मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब क्रेता को विक्रेता की वरीयता पर ही क्रेता के नाम से कनेक्शन दे दिया जायेगा। उपरोक्त सभी कदमों से उपभोक्ताओं को मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और लगभग 17 करोड़ की एक बार की राहत प्राप्त होगी और विद्युत मण्डल पर उतना ही अधिक भार पड़ेगा। सूरतगढ़ प्रथम इकाई को दिनांक 10-5-98 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर दिया है। इसके लिये विद्युत मण्डल व परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के अनवरत प्रयासों के लिये बधाई मैं देता हूं। इस इकाई से शीघ्रातिशीघ्र कोयले पर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जावेगा ताकि आने वाली रबी में प्रदेश के किसान बिजली से लाभान्वित हो सकें।

केन्द्रीय विद्युत गृहों में आर.ए.पी.पी. की 300 मेगावाट डीरेटेड क्षमता वर्ष 1994-95 कूलेन्ट चैनल को बदलने के कारण उपलब्ध नहीं थी। आर.ए.पी.पी. की प्रथम इकाई व द्वितीय इकाई में उत्पादन क्रमशः 1 अप्रेल, 1997 व 12 जून, 1997 से आरम्भ हो गया है। अभी इन इकाइयों से लगभग 280 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। पहली बार देश में अपने ही साधनों से सस्ते से कूलेन्ट चैनल बदलने का कार्य आर.ए.पी.पी. के इंजीनियरों ने करके असाधारण तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उनकी इस सफलता के लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं।

राज्य में एवं राज्य के बाहर स्थापित पन-विद्युत गृहों से उपलब्ध विद्युत का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार कोटा तापीय विद्युतगृह से अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस विद्युत गृह ने रिकार्ड 6117 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया। वर्ष 1997-98 में कोटा तापीय विद्युत गृह ने अधिकतम 82 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर कार्य किया जो कि इसके इतिहास की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है।

रबी के मौसम में विद्युत की मांग प्रायः हर वर्ष ही बढ़ जाती है, जिसकी वर्ष 1998-99 में अधिकतम मांग 790 लाख यूनिट व 3350 मेगावाट प्रतिदिन रहने की सम्भावना है। जबकि 1997-98 के दौरान अधिकतम मांग 720 लाख यूनिट दिनांक 15-2-98 को रही है। केन्द्रीय कोटे से आबंटन तथा सूरतगढ़ की पहली 250 मेगावाट की इकाई से विद्युत उत्पादन कर रबी मौसम की मांग पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम से कम 7 से 8 घंटे विद्युत प्रति-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिन उपलब्ध करवाने की पुख्ता व्यवस्था निश्चित रूप से की जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संकलित सूचना, जो कि पावर लाइन पत्रिका में प्रकाशित किये गये हैं, के अनुसार वर्ष 1996-97 में प्रदेश में चरम मांग व पूर्ति में 5-6 प्रतिशत का अन्तर था जो वर्ष 1997-98 में एक प्रतिशत से भी कम रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इस दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर आता है। इसके लिये मैं राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं।

राजस्थान अपनी आवश्यकता की लगभग 50 प्रतिशत बिजली क्रय करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मण्डल की आय इसी के अनुरूप हो अन्यथा इसका असर न केवल विद्युत की कटौती के रूप में सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा परन्तु निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन के प्रयत्नों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ विद्युत मण्डल ही राज्य में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिये समर्थ हो सकता है।

राज्य में 1991 की जनगणना अनुसार कुल 39810 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च 1998 तक 35252 ग्रामों, यानि 88.55 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य के कुल 39810 ग्रामों में से लगभग 2800 ग्राम अभ्यारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र व दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है, जहां पर परम्परागत तरीके से विद्युतीकरण संभव नहीं है व उन ग्रामों का विद्युतीकरण रेडा द्वारा किया जायेगा। जो ग्राम विद्युत लाइनों से बहुत दूर हैं, उनमें विद्युतीकरण का खर्चा औसत ग्राम से काफी अधिक आएगा और रेडा द्वारा अपरम्परागत तरीके से ही इनका विद्युतीकरण किया जाना व्यावहारिक होगा। सरकार का यह संकल्प है कि बाकी बचे हुए गांव या प्रदेश 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करें तो उक्त श्रेणी से गांवों को छोड़कर शेष सभी गांव विद्युतीकृत हो जायं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमने मीटिंग करके तय किया कि इस बार 550 का बजट, माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की थी इस बार साढ़े सात सौ गांव पहले वर्ष के अनुरूप विद्युतीकृत किये जायेंगे। फिर आगे आने वाले दो वर्षों में इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि 2000 पूरा होते-होते 2001 में जब राजस्थान प्रवेश करे तो अभ्यारण्य आदि के जो गांव हैं उनको छोड़कर 100 पर्सेंट गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाय।

कुओं का उर्जीकरण। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या है। 10-10, 15-15 वर्ष तक कनेक्शन नहीं है। वर्ष 1982 से 1990 तक कुल 1,41,660 कुओं का उर्जीकरण किया गया। 1990 से 1998 तक कुल 2,04,055 कुओं का उर्जीकरण किया जा चुका है जो पूर्व अवधि से लगभग 80 प्रतिशत अधिक है। यहां पर मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको अध्यक्ष कहने में संकोच क्यों है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें दो लाख , "म्हाके तो मीणा और जाट से ही जजमान है, लाला कोई दिक्कत कोनी आये।" 2,04,055 कुए हैं इनमें सिर्फ 48 हजार कुए हैं जो नर्सरी में हैं बाकी सारे के सारे सामान्य हैं।

विद्युत मण्डल के अभिलेखों के अनुसार लगभग दो लाख आवेदन कृषि कनेक्शन के लिए लम्बित है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसकी दुबारा सर्वे की गई है। अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दे दें कि आटोमेटिकली इसमें अध्यक्ष महोदय लिख दिया जाय। ऐसा अनुमान है कि इनमें से लगभग 1.25 लाख आवेदक ही वस्तुतः कृषि कनेक्शन के लिये गम्भीर है। सरकार का यह प्रयास होगा कि वर्तमान में लंबित ऐसे सभी विचाराधीन आवेदनों का निस्तारण सन् 2000 तक कर दिया जाए। इसलिए मैं इस बार संख्या बढ़ा रहा हूं, अभी आगे आ रहा हूं। चौमूं का पूरा कर रहा हूं, चिंता मत करो।

इस वर्ष 30 जून, 1998 तक लगभग 6000 कृषि कनेक्शन रिलीज किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु बिजली की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 अगस्त, 1998 तक 20,000 कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जायेंगे। लगभग 20,000 कुओं के उर्जीकरण हेतु मंडल को रुपये 100 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। और यह जो 20,000 हैं जो 31 अगस्त तक जारी कर दिये, यह सब के सब सामान्य श्रेणी के किसानों को जारी किये गये हैं। जिन आवेदकों को इस वर्ष कनेक्शन जारी किये जाने हैं उनकी पंचायत समितिवार प्राथमिकता सूचियां प्रकाशित करवायी जा रही हैं बार–बार यह शिकायत आती है कि नाम तो लेते हैं साधारण का, करते हैं नर्सरी में। इसीलिए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सांसदों, विधायकगणों, जिला प्रमुखों, पंचायत समिति प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका अध्यक्षों को यह सूचियां अगले माह अगस्त में ही वितरित कराने की व्यवस्था कर दी गई है। यह सूचियां सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में भी अवलोकनार्थ उपलब्ध होंगी। यदि किसी आवेदक का कट ऑफ दिनांक के अनुसार इन सूचियों में नाम नहीं हो तो वे इस सम्बन्ध में अपना नाम जुड़वाने के लिये प्रस्तावित शिविरों में अथवा उच्चाधिकारियों को आवेदन कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह प्रयत्न कर रहा हूं कि 31 अगस्त तक पुस्तक में 20,000 की एक सूची बनाकर एक्स. ईएन वाइज सभी माननीय सदस्यों को मैं भिजवा दूंगा ताकि यह पता लगे कि इन 20,000 लोगों को नर्सरी में नहीं, सामान्य में विद्युत मंडल कनेक्शन दे रहा है। इसकी पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।

वर्ष 1997–98 से राज्य में अनुसूचित जाति के कृषकों व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को "तुरन्त आओ तुरन्त पाओ" के आधार पर कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में दिये जा रहे हैं। अन्य कृषकों को सामान्य कूप में 10 से 12 वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है। राज्य सरकार का यह निर्णय है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

31 जुलाई, 1998 तक प्राप्त अनुसूचित जाति एवं उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के प्राप्त आवेदकों को अक्टूबर, 98 में निस्तारण कर कनेक्शन दे दिया जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : चुनावी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, चुनाव का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कन्विक्शन है।

श्री परसादीलाल मीणा : माडा का क्या हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माडा पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माडा पर आ रहे हैं, विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एल.टी. लाइन रहित प्रणाली–अध्यक्ष महोदय, टी. एण्ड डी. लासेस व बिजली की चोरी को कम करने के लिए एल.टी लाइन रहित प्रणाली उत्तरोत्तर अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत दो या तीन कृषि उपभोक्ताओं को एक अलग ट्रांसफार्मर से, सिर्फ उन्हीं के लिए सर्विस लाइन द्वारा बिजली प्रदान की जाती है। इस प्रणाली को अपनाने से ऊर्जा की छीजत में कमी आयी है व ट्रांसफार्मर जलने की दर में भी अनुकूल असर पड़ा है। इससे किसानों को काफी राहत मिली है। इस योजना का अन्य जिलों में भी व्यापक प्रसार किया जा रहा है।

विद्युत दर :

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न श्रेणियों कृषि व घरेलू श्रेणी के अलावा, विद्युत दरों में वृद्धि की गयी थी जिससे मात्र 11.5 करोड़ रुपये प्रतिमाह से राजस्व प्राप्ति हुई थी। वह विद्युत मण्डल के घाटे, जो मुख्यतः कृषि व घरेलू श्रेणी को कम दर पर विद्युत देने के कारण है, के मुकाबले काफी कम है। वर्ष 1997-98 में विद्युत मण्डल की अनुमानित राजस्व हानि बिना राहत के 561.63 करोड़ रुपये है। अभी हाल ही में तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक तथा हरियाणा में विद्युत दरों में भारी वृद्धि की गई है। इन वृद्धियों के बाद विद्युत की दरों में तुलनात्मक अध्ययनानुसार औद्योगिक श्रेणी में राज्य का 6 से 8 वां, कृषि में 9 वां व घरेलू श्रेणी में 15 वां स्थान है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित रहेगा कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 5 हार्स पावर तक के कृषि कनेक्शनों पर कोई विद्युत खर्च नहीं वसूलने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के पश्चात् ऐसा पता चला है कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गयी है तथा किसानों द्वारा 5 हार्स पावर के पम्प के स्थानों पर, मनमाने भार की विद्युत मोटरें लगाई जा रही हैं। पुलिस की मदद के उपरांत भी मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल नियंत्रण करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, अध्यक्ष महोदय, तय किया है कि राज्य में विद्युत की दरें कृषि व घरेलू या औद्योगिक दरें, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी नहीं बढ़ा रहा है।

गत 50 वर्षों में राज्य में लगभग, अभी बहुत है, कई घोषणाएं बाद में आयेंगी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित हुई थीं उसके मुकाबले पांच वर्षों में राज्य में करीब दुगनी क्षमता की स्थापना सम्भावित है। यह वर्तमान में विद्युत उपलब्धि से एक लम्बी छलांग होगी। विद्युत गृहों की स्थापना लागत में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप नये विद्युत गृहों से उत्पादन लागत अधिक होगी। राज्य विद्युत मण्डल को लगभग 6500 करोड़ रुपये का वार्षिक भुगतान विद्युत विक्रय के लिए करना होगा जो वर्तमान में इस मद में व्यय से चौगुने से भी अधिक होगा।

केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों को सामयिक भुगतान न करने वाले विद्युत मण्डलों को नकद भुगतान के आधार पर बिजली, कोयला, ईंधन आदि दिया जायेगा और भुगतान में दोषी होने पर लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा भुगतान करना पड़ेगा या फिर केन्द्रीय करों में राज्य की भागीदारी व राज्य को केन्द्र से योजना सहायता राशि से बकाया राशि काट ली जायेगी। इस निर्णय से विद्युत मण्डलों को अब उधार में विद्युत/कोयला नहीं मिल सकेगा और न ही रेल्वे उधार में कोयले का परिवहन करेगी तथा ऐसी कटौती राज्य के विकास योजनाओं पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

आज उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी के बावजूद भी राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत गृह से आबंटन व विशेष आबंटन का कारण, राज्य की विद्युत क्रय भुगतान की सुदृढ़ स्थिति है। इसी सुदृढ़ स्थिति के कारण पिछले वर्षों में बॉन्ड के माध्यम से रुपये जुटाना सम्भव हुआ है। राज्य में विद्युत विकास के लिए, मण्डल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखना आवश्यक है। माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा कर सकता है अथवा आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त विद्युत मण्डल ? अध्यक्ष महोदय....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार उपाध्यक्ष महोदय क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो अध्यक्ष ही लिख रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, अध्यक्ष ही लिख रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पता नहीं क्यों, शिड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष महोदय से पूरा राजस्थान प्रसन्न है, प्रतिपक्ष भी प्रसन्न है। क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह चरितार्थ इस बात को कि "अग्रे, अग्रे ब्राह्मण नदी नाले वर्जयन्ते" आप खेद व्यक्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपने आप को सुधारो, बिजली सुधार लो। को अपने आप को भी सुधारो, तभी बिजली सुधरेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तीन बार बोल लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत लम्बे समय तक उपाध्यक्ष रहा इसीलिए अभ्यास हो गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री जगदीप धनखड़ : यह तो मंत्री तीन महीने के लिए ही बने हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्ष 1990 से 1998 के आठ वर्ष की अवधि में

श्री रामनारायण चौधरी : घनश्याम जी तो जवान मंत्री हैं । इनको इतनी विस्मृति क्यों होती है बार-बार ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका असर हो रहा है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : आपसे जवान हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्ष 90 से 98 तक बिजली की स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा ।

वर्ष 1990 से 1998 के आठ वर्ष की अवधि में 9252 करोड़ यूनिट बिजली की उपलब्धि रही, जो उससे 8 वर्ष की पूर्व की अवधि वर्ष 1982–90 में 4189 यूनिट रही । वर्ष 1990–98 की उपलब्धि वर्ष 1982–90 की उपलब्धि की 220 प्रतिशत रही । कृषि कनेक्शन बढ़ गये, सब कनेक्शन बढ़ गये ।

कृषि क्षेत्र को वर्ष 1982 से 1990 के दौरान 1274 करोड़ यूनिट बिजली दी गयी, वहां वर्ष 1992 से 1998 के दौरान 3017 करोड़ यूनिट बिजली दी गयी, जो कि 137 प्रतिशत अधिक है । जहां वर्ष 1982 से 1990 के दौरान कुल उपलब्ध विद्युत का 30.4 प्रतिशत कृषि कार्य के लिए किया गया, वहां वर्ष 1990 से 1998 के दौरान कृषि कार्य हेतु 32.6 प्रतिशत बिजली उपलब्ध करायी गयी ।

वर्ष 1982 से 1990 के दौरान 220 के. वी., 132 के. वी. एवं 33 के. वी. के क्रमश: 5,40 एवं 187 सब-स्टेशन स्थापित किये गये जबकि वर्ष 1990–98 के दौरान क्रमश: 22,71 एवं 509 सब-स्टेशन स्थापित किये गये । इस प्रकार 220 के. वी., 132 के.वी. एवं 33 के.वी. के सब-स्टेशन की स्थापना का प्रतिशत 1984–90 की तुलना में क्रमश: 340,77 एवं 172 प्रतिशत अधिक रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को, जो प्रस्ताव आए थे 33 के. वी. और 132 लगाने के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष की योजना में 80,33 के. वी. के, 132 के.वी. के और 220 के. वी. के प्रस्तावित हैं । जो कटौती प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने दिये थे उनको शामिल कर लिया गया, अलग से मैं उनका जवाब आपके पास भिजवा रहा हूं ।

वर्ष 1982-90 के दौरान कुल 10334 गांवों का विद्युतीकरण एवं 114660 कुओं का उर्जीकरण किया गया । .. (व्यवधान) . कटौती प्रस्ताव नहीं स्थगन, ध्यानाकर्षण, आपके जो आये थे उनके जवाब भिजवाऊंगा । जहां वर्ष 1990–98 के दौरान 8286 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 2,05,055 कुओं का उर्जीकरण किया गया है । इस तरह कुओं के उर्जीकरण में 79

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अगले पांच वर्षों में हमारे पास बिजली किस प्रकार आयेगी, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अगले पांच वर्षों में 2545 मेगावाट क्षमता की वृद्धि अपेक्षित है। इनमें राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में सूरतगढ़ प्रथम चरण, रामगढ़ द्वितीय चरण और निजी क्षेत्र में धौलपुर, बरसिंगसर मुख्य होंगी। यहां मैं माननीय सदस्यों को राज्य क्षेत्र के नये विद्युत गृहों के बारे में कुछ विवरण देना चाहूंगा।

सूरतगढ़ तापीय परियोजना, द्वितीय चरण

सूरतगढ़ तापीय परियोजना के प्रथम चरण की 250 मेगावाट की द्वितीय इकाई के दिसम्बर, 99 में आरम्भ होने की सम्भावना है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह (2 × 250 मेगावाट) द्वितीय चरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं प्राप्त की गयी थीं परन्तु प्रीक्वालिफाइड निविदादाताओं से संतोषजनक निविदायें प्राप्त न होने पर पुनः अन्तर्राष्ट्रीय प्रीक्वालिफिकेशन निविदाएं 30-12.97 को प्राप्त की गयीं। परन्तु ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार की जयपुर में 10.4.98 को हुई वार्ता के बाद यह तय किया कि इस परियोजना को विद्युत मण्डल स्वयं क्रियान्वित करे तथा कोल लिंकेज एवं आर्थिक तकनीकी स्वीकृति टी.ई.सी. अपने नाम से लेने व फाइनेंशियल क्लोजर का प्रयत्न करे। सफलता न मिलने पर निजी क्षेत्र की कम्पनी का निविदाओं के माध्यम से चयन करे। उनके नाम कोल लिंकेज एवं टी.ई.सी. में परिवर्तन कर दे। विद्युत मंडल द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोल लिंकेज एवं टी. ई. सी. देने की प्रार्थना कर दी गयी है।

रामगढ़ गैस तापीय विस्तार परियोजना। आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रामगढ़ गैस तापीय परियोजना के लिए 5 लाख घन मीटर प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त गैस की उपलब्धता सन् 2000 तक दर्शायी गयी है। इसको ध्यान में रखते हुए विद्युत मण्डल ने रामगढ़ गैस तापीय विस्तार, तापीय योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत 35.5 मेगावाट क्षमता की एक अतिरिक्त गैस टरबाइन एवं 35.5 मेगावाट क्षमता की वाष्प टरबाइन, राज्य के वित्तीय संसाधनों से लगाने का निश्चय किया है व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी एवं आर्थिक अनुमोदन के लिए परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डांडेवाला/तनोत स्थित गैस कुओं से मिलने वाली सम्पूर्ण गैस का आवंटन रामगढ़ विस्तार परियोजना के लिए कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों तथा अन्य जन-प्रतिनिधियों से मुझे कुछ और बिन्दुओं पर बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुझावों के सम्बन्ध में, नियमों की वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना वांछनीय है। सुझावों पर लिये गये निर्णयों तथा स्पष्टीकरण की स्थिति निम्न प्रकार है :—

विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी इकरारनामों पर पिछले वर्ष मुद्रांक शुल्क 10 रुपये से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया था। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को परेशानी थी। मैंने माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया कि वे मुद्रांक शुल्क पूर्ववत 10 रुपये ही रखें। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है एवं अब मुद्रांक शुल्क मात्र 10 रुपये ही रहेगा।

यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि विद्युतीकृत ग्रामों के बीचों-बीच डी पी. स्थापित की जाये। कई बार गांव के मध्य घनी आबादी तथा सकड़ी गलियों के कारण डी. पी. बीचों-बीच स्थापित करना व्यावहारिक नहीं होता। इसके अतिरिक्त वर्तमान नीति के अनुसार डी. पी. हरिजन बस्तियों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं ताकि उन्हें बिजली मिलती रहे। यह प्रयत्न किया जाएगा कि हरिजन बस्तियों के निकट एवं गांव के मध्य में जो भी सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान हो, वहां पर डी. पी. लगायी जाए।

कुछ माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि एक-दो पोल योजना के अन्तर्गत जिन आवेदकों ने डिमाण्ड राशि जमा करा दी है, उन्हें नर्सरी योजना के बजाय एक-दो पोल योजना के अन्तर्गत ही कनेक्शन दिया जाए। यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि जो आवेदक एक-दो पोल योजना के अन्तर्गत कनेक्शन पाने के पात्र है एवं जिन्होंने वांछित राशि जमा करा दी है, उन्हें एक-दो पोल योजना के अन्तर्गत ही कनेक्शन दिया जाये।

भार वृद्धि के सम्बन्ध में यह सुझाव आया है कि डिमाण्ड राशि जमा होने के पश्चात बिजीलेंस पार्टियां चैकिंग कर उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करें। इस सम्बंध में यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि भार वृद्धि हेतु निर्धारित राशि मण्डल में जमा होने के पश्चात कोई बिजीलेंस केसेज नहीं बनाये जाएंगे तथा राशि जमा होने के दिनांक से उसे भार वृद्धि स्वतः स्वीकृत कर लिया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एक ही कुएं में एक से अधिक कनेक्शन होने पर उसके ट्रांसफर की अनुमति न होने की कठिनाई का उल्लेख किया गया था। नियमों के अन्तर्गत यदि उपभोक्ताओं को ऐसी परिस्थितियों में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है, जिन पर कि उनका कोई नियन्त्रण नहीं है तो अनुमति दी जा सकती है। इसी प्रकार एक ही कुएं के समस्त हिस्सेदार अपने-अपने नाम से कनेक्शन ले सकेंगे। इस प्रकार के स्पष्ट आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक घर में अगर भाई अलग-अलग होते थे तो कई बार यह समस्या होती थी कि, प्रतिबन्ध था कि एक कुएं पर एक कनेक्शन होगा। यह आदेश जारी किया जा रहा है कि अब बंटवारे के बाद, दोनों भाई चाहें तो उसी कुएं पर दूसरा कनेक्शन भी ले सकते है।

यह सुझाव आया है कि यदि कृषक उपभोक्ता एक खसरा नम्बर से दूसरे खसरा नम्बर में कनेक्शन को स्थानान्तरित कराना चाहता है तो उसे स्थानान्तरण की अनुमति दे दी जाए, बशर्ते कि दोनों खसरा नम्बर उसी राजस्व गांव में स्थित हों। इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुविधा हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा बोलिएगा, इसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या दुबारा बोलूं, कुछ माननीय सदस्यों का यह सुझाव आया है कि यदि कृषक उपभोक्ता एक खसरा नम्बर से दूसरे खसरा नम्बर में कनेक्शन को स्थानान्तरित करवाना चाहता है तो उसे स्थानान्तरण की अनुमति दे दी जाए बशर्ते कि दोनों खसरा नम्बर उसी राजस्व गांव में स्थित हों।

कुछ माननीय सदस्यगणों का यह भी सुझाव है कि स्थायी रूप से काटे गये कनेक्शनों को पांच वर्ष के पश्चात् भी सामान्य श्रेणी में कनेक्शन दे दिया जाये। फिलहाल यह सुविधा पांच वर्ष की अवधि तक उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, यह नियम, कुछ इन्होंने कर दिया था कि कनेक्शन कट गया है तो उसको नर्सरी में लेना हो तो लो। तो अब हमने इसमें संशोधन जारी कर दिया है कि अब पांच साल की सुविधा के बजाय माननीय सदस्यों की मांग को देखते हुए इस अवधि को अब 5 से 7 वर्ष बढ़ाया जा रहा है। कनेक्शन काटने के 7 वर्ष तक यदि कोई किसान वापस कनेक्शन लेगा तो उसको उसी सामान्य श्रेणी में कनेक्शन कर दिया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है कि विद्युत मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में पांच हजार रुपये की दर से वसूल की जा रही राशि से उपभोक्ताओं में असन्तोष है। यह राशि ऐसे उपभोक्ताओं से भी वसूल की जा रही है जिनके आवासों के सामने से सर्विस लाइन जाती है। इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर यह आदेश जारी किये जा रहे कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ताओं से वास्तविक लागत की राशि ही वसूल की जाएगी। शहरी क्षेत्र में जो पांच हजार रुपये, जो ग्रुप-हाउसिंग में और जो कालोनियों में लिये जा रहे थे, उसको अब समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप योजना की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जिसमें कि सम्बन्धित उपभोक्ता लागत की राशि बांट सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सभी घोषणाओं और रियायतों से मण्डल पर लगभग 60 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष भार पड़ेगा तथा आम उपभोक्ताओं और किसानों को इतनी ही राशि की राहत मिलेगी। राज्य सरकार हर परिस्थिति में वांछित विद्युत आपूर्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर कृत संकल्प है। माननीय सदस्यों का इस दिशा में मार्गदर्शन प्रार्थनीय है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री ने जो आज सदन में रखा है, मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक डाकुमैंट है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनको मैं सदन की तरफ से बधाई देना चाहूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, इसे (व्यवधान) अल्बर्ट हाल में रखा जाए। (व्यवधान) तो फिर इसे अल्बर्ट हाल में रख आएं, अगर यह ऐतिहासिक है। अगर यह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ऐतिहासिक डाकुमेंट है तो इसको ग्रल्बर्ट हाल में रखा जाए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष, महोदय, एक-एक प्रति दिलवायी जाए। दूसरी बात, ग्रध्यक्ष महोदय, यह हैं कि.... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए ग्रौर बढ़ाया जाए।

श्री ग्रध्यक्ष : सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

राज्य में विद्युत प्रापूर्ति की स्थिति पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था है कि ...(व्यवधान) ऐसे मामलों में....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माडा का क्या हुआ ?

श्री शांतिलाल चोईवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, ऊर्जावान मंत्री ने ऊर्जा विभाग की कई ग्रच्छी-अच्छी घोषणाएं की हैं। मैं आपका एक मिनट लूंगा, इसी से सम्बन्धित मैं ग्रापका... (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया, ग्राप विराजिये। ग्राप बोलिये, विष्णु मोदी।

श्री शांतिलाल चोईवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान इस मुद्दे पर ग्राकर्षित करना चाहूंगा... (व्यवधान) एक मिनट सुनिये ग्राप।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, एक मिनट लेना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : परसादीलाल जी, माडा के बारे में मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये घोषणाएं क्रियान्वित करने में तो बहुत जोर आएगा, समय लगेगा, वह समय आपके पास है नहीं, मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप एस.सी. के लोगों को जनजाति उप योजना क्षेत्र में सुविधाएं दे रहे हैं। एस.सी. के लोगों को ग्रापने माडा के जो गांव हैं, उनके किसानों के लिए ग्रापने कुछ भी नहीं किया है।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, नहीं, ग्राप बोलने के लिए समय ले लीजिएगा। ग्राप बीच-बीच में क्यों कह रहे हैं ? नहीं, नहीं। श्री विष्णु मोदी।

श्री परसादीलाल मीणा : वे घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं वे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सुझाव ग्रा जाएंगे। इसके बाद में मैं माडा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के बारे में ग्रौर सारी बातों के बारे में ग्रापके सुझाव ग्रा जाएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रासन की तरफ से पहले व्यवस्था दी हुई है कि इस तरह का स्टेटमैंट, ग्रगर मंत्री महोदय देंगे तो उसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को दी जाएगी।

श्री ग्रध्यक्ष : वक्तव्य की ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों को मंत्री महोदय के स्टेटमैंट की कापी वितरित की जाएगी। ऐसी व्यवस्था पूर्व में हुई है। तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक प्रति उपलब्ध करवाएं।

श्री ग्रध्यक्ष : वह आपने ध्यान से सुना होगा ? मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसको हम सबने ध्यान से सुना है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : लम्बा-चौड़ा स्टेटमैंट है- साहब, दे देनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : याद थोड़े ही रहेगा साहब, इतना लम्बा वक्तव्य है।

श्री ग्रध्यक्ष : याद नहीं रहता।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से पहले ऐसी व्यवस्था होती रही है, तो स्टेटमैंट की कापी सर्कुलेट करवाइए।

श्री ग्रध्यक्ष : क्या ग्राप वक्तव्य की कापी दे सकते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पूछ कर पता करवा सकता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : इतने में बोल लें, श्री विष्णु मोदी, बोलने दो।

श्री रामस्वरूप मीणा : बांट रहे हो क्या, बांट दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें तो मैं इतनी व्यवस्था तो कर सकता हूं कि 10-15 कापी तो ग्रभी उपलब्ध हैं। और ग्राप कहें तो मैं सभी माननीय सदस्यों को कल सुबह तक कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि बिजली पर चर्चा होगी ग्रौर ग्राज की कार्य-सूची में पढ़कर कि राज्य में विद्युत ग्रापूर्ति के सम्बन्ध में विचार, श्री घनश्याम तिवाड़ी, ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में विद्युत ग्रापूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाए।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जब सदन में ग्राये तो यह उम्मीद थी कि राजस्थान राज्य में विद्युत की क्या स्थिति है, उसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमैंट ग्राएगा। माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमैंट हुग्रा लेकिन मैं समझता हूं कि वह मात्र चुनावों को मद्देनजर रखकर। जिस तरह से बिजली की चर्चा इस सदन में हुई ग्रौर सत्तापक्ष के सदस्यों ने उसी तरह से मेजें थप-थपाकर हर ऊर्जा मंत्री का स्टेटमैंट.... (व्यवधान)...ग्रौर थप-थपाओं। आपने हर ऊर्जा मंत्री के स्टेटमैंट पर खूब मेजें थपथपाई ग्रौर कुल-मिलाकर ग्राज जो बयान ग्राया, जो स्टेटमैंट ग्राया वह मात्र इस राजस्थान की जनता को छलने जैसा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप छल रहे हैं, अब तो इस राजस्थान की जनता को। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : जब ऊर्जा मंत्री बोल रहे थे तो मैं बहुत ही सिंसियरिटी से, अटेंटिव होकर उनका भाषण सुन रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ....

श्री पराक्रम सिंह : ज्ञान की बात कह रहे थे।

श्री विष्णु मोदी : उससे आपका तो सम्बन्ध ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता कि ऊर्जा मंत्री पहले हमें बताते कि पांच साल में इस सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कार्य किया और पांच साल में इस सरकार ने प्राइवेट सैक्टर में, पब्लिक सैक्टर में या सैण्ट्रल एलोकेशन में, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब तक तो इस सदन में जब भी बिजली पर चर्चा हुई तो चाहे मुख्य मंत्री जी हों और चाहे ऊर्जा मंत्रीजी हों, उन्होंने मात्र एक लक्ष्य रखा कि भारत सरकार को गोली मारो कि भारत सरकार की इन नीतियों के कारण हम राजस्थान का भला नहीं कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो इन्होंने घोषणाएं की है और उनका क्या अन्त होगा, वह तो मैं अपने भाषण के अन्त में आऊंगा। चूंकि बिजली, होमी भाभा ने जब इस देश के अन्दर एटोमिक एनर्जी बनना शुरू हुई थी, उसके पहले रिएक्टर के वक्त में इस देश में एक चर्चा चली थी कि एटोमिक एनर्जी की बिजली बहुत महंगी होगी। तो क्या इस गरीब देश के लिये उतनी महंगी बिजली की आवश्यकता है? तो उस वक्त पण्डित जवाहरलाल नेहरू उस फंक्शन में मौजूद थे तो होमी भाभा ने कहा कि Any power is better than no power. तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि बिजली तो आप देंगे। कितने पैसे लेंगे, किस तरह से कनेक्शन देंगे, यह तो मात्र एक पार्ट है बिजली का। लेकिन अगर बिजली हमारे पास होगी ही नहीं तो बिजली हम देंगे कहां से?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1993 से इस सदन का सदस्य बनकर आया और जब-जब भी हुआ, जब-जब भी लम्बी चौड़ी बातें हुयीं, मैं एक-एक करके उन पर सिलसिलेवार आ रहा हूं। लेकिन जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था तो उसके पहले मैं यह समझता था कि माननीय भैरोसिंहजी शेखावत एक बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और हमारे इस राज्य का भला, जो कांग्रेस के जमाने में जब देश का विभाजन हुआ और जब सिन्ध नदी के पानी के बंटवारे की बात आयी, जब इंडस ट्रीटी हुई, उस इंडस ट्रीटी का यह कारण है कि राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर आज सर-सब्ज होने लगा है और उस इंडस-ट्रीटी का ही कारण था कि आज हमें भाखड़ा के सिस्टम से, व्यास के सिस्टम से जो बिजली मिल रही है, वह मात्र 14 पैसे यूनिट मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था तो अखबारों के

(श्री विष्णु मोदी)

जरिए से, मुख्य मंत्रीजी ने जब कांग्रेस का शासन था, तो बड़े जोर-शोर से खड़े होकर के यहां पर भाषण दिया था, मैं लोक सभा में था, कि कांग्रेस की सरकार ने घुटने टेक दिये। कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार दिल्ली के दबाव में आ गयी और राजस्थान के हितों पर पानी फेर दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1990 से लेकर के आज 1998 तक एक साल को छोड़ दें, तो आप निरन्तर सरकार में हैं, क्या हुआ उन प्रोजेक्ट्स का जिन पर 1980 से 1990 तक कांग्रेस की सरकार ने पंजाब की सरकार से और हिमाचल की सरकार से समझौते किये थे? उन समझौतों से जो राजस्थान को बिजली मिलने वाली थी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कोल डेम 800 मेगावाट जिसमें हमारा हिस्सा 63 परसेंट था, नाथपा झाकरी 1500 मेगावाट, जिसमें हमारा हिस्सा 63 परसेंट था, पार्वती-फर्स्ट, पार्वती-सैकण्ड, पार्वती-थर्ड जो...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : चालू होगी तब मिलेगी या पहले ही मिल जाएगी?

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, वी. पी. सिंह जी, प्लीज आप मंत्री हैं और आप सुन लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा मत करो, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो बिजली मंत्री हैं वे तो ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आई सीक योअर प्रोटेक्शन।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अलग बात है मंत्री महोदय, कि आपको यह विभाग नहीं मिला (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, व्यवधान नहीं करें। व्यवधान न करें।

श्री विष्णु मोदी : पार्वती-वन, पार्वती-टू, पार्वती-थर्ड स्टेज जो 2051 मेगावाट का है, जिसमें हमें 40 परसेंट शेयर मिलना था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि थीम-डेम, आनन्दपुर साहिब, मुकरेल...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुकेरिया।

श्री विष्णु मोदी : मुकेरियम।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी-हिन्दी का बड़ा चक्कर पड़ जाता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सीरियस डिबेट को नोन-सीरियस करना है तो आपकी मर्जी चाहे जो करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री विष्णु मोदी : अगर आपको जो अच्छी नहीं लगती है, वह नहीं सुनना तो वह आपकी मर्जी है। आप चाहते क्या हैं? मैं सीधे राजस्थान के हितों की बात कर रहा हूं। आपकी अगर इनकाम्पीटेंस है, अगर आपकी इनएफिसिएंसी है

श्रीमती कमला : यह चाहते हैं कि इन्होंने जो घोषणाएं थोथी की हैं, उन पर

(श्रीमती कमला)

आप पानी नहीं फेर दें, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यू. बी. डी. सी. स्टेज-टू, शाहपुर कांडी, जो 536.7 मेगावाट के थे, शाहपुर कांडी जो 1800 मेगावाट का था, जिसमें से हमें बिजली का शेयर मिलता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ यह, जब अभी माननीय वी. पी सिंह साहब फरमा रहे थे कि जब बनेगी जब मिलेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको भी और इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार ने और हिमाचल की सरकार ने .

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मना कर दिया।

श्री विष्णु मोदी : जो कांग्रेस के शासन में 1980 से 90 तक समझौते हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, उन एग्रीमेंट्स को मना कर दिया और उन्होंने अपने स्तर पर उन सब पर काम शुरू कर दिया और उसमें राजस्थान को एक मेगावाट बिजली नहीं मिलने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि कोई भी बिजली जो हाइडल से पैदा होती है, वह सबसे सस्ती बिजली होती है। राजस्थान को जो इन सब प्रोजेक्ट्स से बिजली मिलनी थी, वह कैंसिल हो चुकी है। हिमाचल की सरकार और पंजाब की सरकार ने मना कर दिया है और उसके बाद इस सदन में ही नहीं,

(16.59 बजे)

(श्री अर्जुनदास मदान, सभापति, पदासीन)

माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने कहा था और इस सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुबारक हो।

एक माननीय सदस्य : आपका स्वागत है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री विष्णु मोदी : . कि हमारी राजस्थान की सरकार के जो समझौते थे, जो हिमाचल की सरकार और जो पंजाब की सरकार इन समझौतों को नहीं मान रही है, और यहां तक माननीय वी. पी. सिंह साहब को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पार्वती और नाथपा-झाकरी तो उन्होंने पब्लिक सैक्टर को दे दिया है। उस पर काम चालू हो रहा है, और हो चुका है और आपका शेयर खतम हो चुका है। तो उन्होंने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में भी कहा कि राजस्थान को जो बिजली मिलने वाली है, माननीय सभापति महोदय, जब इंडस-ट्रीटी हुई, जब राइपेरियन-थ्योरी मान ली गयी कि राजस्थान को सिन्ध नदी का पानी है, वह भी, राजस्थान का भी इसमें हक है, उसी कारण तो आई. जी. एन. पी. में पानी मिल रहा है। और वही कारण है कि भाखड़ा और व्यास की बिजली हमें मिल रही है। लेकिन इस 1990 से 98 तक, बीच में इस राजस्थान के हितों की रक्षा यह सरकार नहीं कर

(श्री विष्णु मोदी)

सकी और इस सरकार के वायदे के बावजूद कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ग्राठ साल का लम्बा ग्रन्तराल बीत गया। लेकिन यह सरकार न तो दिल्ली से ही कोई समझौता करा सकी ग्रौर ग्रब आज की

(17.00 बजे)

तारीख में तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब में ग्रापके सहयोगी दल ग्रकाली दल की सरकार है। केन्द्र में आपकी सरकार है। उसको ग्राए हुए भी इतने दिन हो गये। सभापति महोदय, ग्रफसोस है कि प्रकाश सिंह बादल ग्राए थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी उनकी बगल में बैठे हुए, ग्रौर एक पत्रकार ने पूछा कि वाटर के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि मैं राइपेरियन थ्योरी में विश्वास नहीं करता ग्रौर मुख्य मंत्री जी चुप बैठे रहे। तो ग्राज हमें शंका है। इस बात की....

श्री देवीसिंह भाटी : कभी नहीं कहा।

श्री विष्णु मोदी : यह ग्रखबारों में छपा है। अखबारों में छपा है। अखबारों में गलत छपा होगा। ग्रापने खण्डन किया होता।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रापने खण्डन क्यों नहीं किया?

श्री विष्णु मोदी : वह तो इंडसट्रीटी में लिखा हुग्रा है, इंडस-ट्रीटी में लिखा हुग्रा है तो मना तो करते। ग्राज तक....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी का पानी मिला है न अपन को।

श्री विष्णु मोदी : मिला है, मैं खुद कह रहा हूं। ग्रौर उसी से बिजली मिली है ग्रौर उसी से जो बिजली मिलने वाली थी ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाकिस्तान से भी हमें पानी मिला है।

श्री विष्णु मोदी : ग्रब ग्राप उस इतिहास में तो, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से ही इंडसट्रीटी का समझौता हुग्रा ग्रौर उसी से हमें पानी मिला।

श्री राजेन्द्र पारीक : पाकिस्तान तो क्या, ग्राप पंजाब की बात कर लो।

श्री विष्णु मोदी : ग्रौर उसी से भाखड़ा ग्रौर व्यास स्टिम से बिजली मिल रही है और उसी के ऊपर, ग्राप कहें तो दुबारा नाम पढ़ दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब नाम ध्यान हैं मुझे। ग्राप तो बोलो मुझे ध्यान है।

श्री विष्णु मोदी : कि कौन-कौन-से हमारे, जो एग्रीमेंट हो चुके थे। शिवचरण जी माथुर की सरकार ने, शिवचरण जी माथुर की, जब कांग्रेस की सरकार इस राजस्थान में थी, तब हिमाचल प्रदेश की सरकार से, इन सबसे समझौते हुए हैं। ग्रौर उन समझौतों को पिछले आठ साल में, जबकि हिमाचल की सरकार ने नहीं माना, पंजाब की सरकार ने नहीं माना, यह घोषणा हो गयी कि ग्रगर यह नहीं मानेंगे तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मैं ग्रापके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ग्राठ साल का लम्बा ग्रन्तराल होने के बावजूद इस सरकार ने क्या किया?

(श्री विष्णु मोदी)

सभापति महोदय, कितनी+ + + कितनी ही बड़ी–बड़ी बात कर लो। लेकिन जब तक हाइडल बिजली नहीं मिलेगी, कल्पना कीजिए अगर इंडसट्रीटी से पानी नहीं मिलता तो राजस्थान का क्या होता ? राजस्थान को इंडसट्रीटी से बिजली नहीं मिलती तो आज क्या स्थिति होती ? और अगर इन समझौते के, जो रद्द कर दिये गये हैं, उनसे अगर बिजली नहीं मिलेगी तो राजस्थान के अन्दर बिजली की आपूर्ति में कभी हम सफल नहीं हो सकते ।

माननीय सभापति महोदय, यह तो हाइडल की बात है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पचास परसेंट की कमी आ जाएगी ।

श्री विष्णु मोदी : वह तो आज की तारीख में है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपके किताब दी, इसी में लिखा है कि पचास परसेंट की कमी होगी ।

श्री विष्णु मोदी : उससे ऊपर कमी होगी । माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि इंटरस्टेट के अपने चैम्पियन कहलाने वाले मुख्य मंत्री, इंटरस्टेट के अन्दर घण्टों इस विधान सभा में भाषण करने वाले मुख्य मंत्री अपने शासन काल में कुछ नहीं कर पाए । इसके बावजूद कांग्रेस शासन में हाइडल पॉवर के लिए योजना बनी थी राऊघाट 79 मेगावाट, जाखम 5 मेगावाट और माही स्टेज–और अफसोस है कि वहां तो कोई मजबूरियां रही होंगी लेकिन राजस्थान में जो हाइडल कैपेसिटी है, जिसकी योजना बनी हुई है, उनके ऊपर एक इंच भी काम नहीं हुआ । यह तो इस सरकार की कथनी और करनी की, हाइडल की स्थिति है ।

माननीय सभापति महोदय, अब दूसरा स्रोत आता है थर्मल । थर्मल में जब से कभी तीन हजार मेगावाट, कभी पांच हजार मेगावाट और कभी 5300 मेगावाट और आ रही है । आ रही है माननीय तिवाड़ी जी जब विधायक थे, तब भी जोर–जोर से कह रहे थे कि बस यह आयी, वह आयी । पांच साल हो गए । कहां से आ रही है, और कहां अटक रही है, उसकी भी जानकारी दें तो अच्छा होगा ।

मैं जानकारी चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, बहुत स्पेसिफिकली, हाइडल की मैंने बात की है उनकी, और अब जिन थर्मल की मैं बात करने जा रहा हूं । आज से बारह-तेरह साल पहले चित्तौड़गढ़ 500 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ किसला से । क्या हुआ उस चित्तौड़गढ़ का ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं इस सदन को और राजस्थान की जनता को, कि राजस्थान का सचिवालय यह फैसला नहीं कर सका कि उसको पानी कहां से मिलेगा । इस कारण से 500 मेगावाट चित्तौड़गढ़ का, आज तक काम में जरा भी प्रगति नहीं हुई । इस फैसले के कारण कि उसको पानी की आपूर्ति कहां से होगी ।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : यह थोथा आप

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लोगों ने, शिवचरणजी ने करवा दिया था। क्लियरेंस मिलने वाली ही नहीं थी।

श्री विष्णु मोदी : आप कैंसिल कर देते।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कैंसिल ही है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, आप तो अधिकृत नहीं है कि आपके कहने से मान लूं कैंसिल है। यह सरकार कहे। पिछले आठ साल से फिर क्यों पेंडिंग है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एनवायरनमेंटल क्लियरेंस मिल ही नहीं सकता था। यह तो आप भी जानते थे तो शिवचरण जी ने ऐसे ही घोषणा कर दी थी।

श्री विष्णु मोदी : अब एनवायरनमेंट, माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा इस सरकार से, कि क्या मिनिस्टरी ऑफ एनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट में एप्लीकेशन लगी? क्या इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी?

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप सुनें। (व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि पांच मिनट में इसे समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं, सभापति महोदय, पांच मिनट में समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बात जितनी कहनी है, वह मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। बात को रिपीट नहीं करूंगा।

श्री सभापति : नहीं, अगर आप सारे लोग इनको ही समय देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक भी बात को रिपीट नहीं करूंगा। अपनी बात संक्षिप्त से संक्षिप्त कहने की कोशिश करूंगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : मुझे आप सुन लें एक मिनट। मेरा आग्रह यह है कि आपको अपनी बात रखते हुए पूरे 15-17 मिनट हो चुके। उपयुक्त होगा यदि आप सम-अप करके पांच-सात मिनट में समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं पांच-सात मिनट में तो सम-अप नहीं कर सकता। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ, क्या प्रगति हुई और किस कारण और किसकी कमी रही? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कपूरड़ी–जालीपा 1500 मेगावाट, जो 5300 मेगावाट की बात पिछले पांच साल से सुनते-सुनते कान पक गये कि इतनी बिजली आ रही है, इतनी बिजली आ रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कपूरड़ी-जालीपा का आपने किस कम्पनी से एग्रीमेंट किया है? माननीय सभापति महोदय, जयपुर हिज हाइनेस के भाई से इस कम्पनी का एग्रीमेंट किया है और उसमें पांच साल बीत जाने के बाद में भी आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ के लिए मैं जरूर धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंत्री महोदय को, और मैं धन्यवाद देना

(श्री विष्णु मोदी)

चाहूंगा राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कि जो सूरतगढ़ की हालत थी, इन्होंने फैसला किया कि स्टेज-वन में सैकिण्ड यूनिट हम आर. एस. ई. बी. में लेकर आएंगे। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ का जो इन्होंने फैसला किया, उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये फैसले चार साल पहले हो जाते तो यह स्टेज टू भी आ जाता। लेकिन पिछले चार साल में, मतलब छह महीने छोड़ दें तो राजस्थान राज्य विद्युत का जितना बुरा हाल किया गया है, जितना केलकुलेटिवली, जितनी बुरी दुर्गति की गयी है, वह तो माननीय मंत्री महोदय अभी, जब अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे तो उसमें हर जगह संशोधित आदेश पारित कर दिये गये हैं। संशोधित आदेश पारित कर दिये गये हैं। पिछले चार सालों में आपने जो दुर्गति की इस राजस्थान के किसानों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, उसमें अब आप धन्य हैं देर आयद दुरूस्त आयद कि अब आप संशोधन आदेश पारित कर रहे हैं। लेकिन कपूरड़ी–जालीपा में क्या हुआ?

मान्यवर, सूरतगढ़, अभी भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत जोर से जब सुनने में नहीं आया तो जोर से बोले कि स्टेज-वन की सैकण्ड यूनिट 1999 में आ जाएगी। स्टेज-वन की यूनिट की बात करना चाहता हूं कि स्टेज-वन में सी ई. ए. ने क्लियरेंस दिया टू फिफ्टी बाई टू। 500 मेगावाट की मंजूरी मिली और, माननीय सभापति महोदय, मैं वह मंजूरी आपके सामने संक्षिप्त में पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि 13 जून, 1991 को सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने सूरतगढ़ की फर्स्ट स्टेज की दो यूनिट की मंजूरी दी और वह मंजूरी दी 1253 करोड़ रुपये में। 1253 करोड़ रुपये के 500 मेगावाट की मंजूरी दी। माननीय सभापति महोदय, इसमें स्टेट इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी शामिल होता है और अब इन्होंने क्या किया? हर गवर्नर स्पीच में पढ़ाते आये हैं कि अब चालू हो रहा है, अब चालू हो रहा है। आज गनीमत हुई ऊर्जा मंत्री जी ने इतना कहा कि रबी की फसल के वक्त में हम सूरतगढ़ से उसकी पूर्ति करेंगे। तारीख नहीं दी। तारीफ करूंगा, आप कहते हैं आपने पहले परिपाटी नहीं निभाई लेकिन 1993 में आने के बाद से दो–तीन बातें सुनते–सुनते कि 5300 मेगावाट बिजली आ रही है और यह कुशल वित्तीय प्रबन्धन सरकार है। 125 करोड़ रुपये की जो मंजूरी दी उसमें 175 करोड़ रुपये पावर इवोकेशन के लिए दिया कि जो बिजली पैदा होगी वह बिजली कैसे ट्रांसमिट की जायेगी। कुल मिलाकर, सभापति महोदय, 1991 में सी. ई. ए. ने सवा दो करोड़ रुपये पर मेगावाट के ऊपर थर्मल की मंजूरी दी और अब कुशल वित्तीय प्रबन्धन सरकार, यह माननीय सिसोदिया जी का मेरे पास 22 जून का पत्र है। उन्होंने 1997–98 तक, मार्च, 1998 तक कुल खर्चा 250 मेगावाट पर 1508 करोड़ रुपया होना बताया है। 1251 करोड़ रुपये की तो कुल मंजूरी है 500 मेगावाट की और मार्च, 1998 तक अभी 250 मेगावाट प्रोडक्शन में नहीं आया। और जून, 1998 तक 1508 करोड़ रुपये

(श्री विष्णु मोदी)

आप खर्च कर चुके हैं। सभापति महोदय, जब तक 250 मेगावाट की पहली इकाई आयेगी तब तक 1700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे। 500 करोड़ रुपये ज्यादा। और जब 250 करोड़ की दूसरी यूनिट आयेगी तब तक कम से कम हजार करोड़ रुपये से 1200 करोड़ रुपये जो सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने मंजूरी दी थी, उससे ज्यादा यह सरकार खर्च कर चुकी होगी। यह इनका कुशल वित्तीय प्रबन्धन है कि बिजली के मामले में यह सरकार कितनी सीरियस है और कितनी अकाउंटेबल है। यह इनके अपने कागज हैं, यह कागज कोई मैं बना कर नहीं लाया हूं।

सभापति महोदय, यहीं मंशा पूरी नहीं हुई, बिजली से दुर्गति करने की मंशा सूरतगढ़ में ही पूरी नहीं हुई कि 100 परसेंट से ज्यादा ओवर-रन हो जाय इस सरकार को चिन्ता नहीं। अब आइये धौलपुर। धौलपुर भी, आप भी सुन रहे होंगे बहुत दिन से, माननीय बनवारीलाल जी वहीं से आते हैं, 750 मेगावाट, पहले 800 मेगावाट, कभी 825 मेगावाट, कभी 850 मेगावाट। यह सरकार जो जोर-जोर से मेजें पीट-पीट कर यह कहती थी कि हम को भारतवर्ष में इस प्रकार की प्रशंसा मिली है कि हमने ग्लोबल टेंडर किये, हम ग्लोबल टेंडर से काम कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं और कोई भी आकर देख लेगा। इन बातों को कहने के अलावा किया क्या? धौलपुर में एम.ओ.यू. किया। कोई ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ, कोई इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग नहीं हुई। एम ओ.यू. किया गया। और एम ओ.यू. किस के लिये किया गया कि कोल फायर्ड थर्मल स्टेशन लगेगा। रातों-रात जो आदमी लगाने वाला होता है उसको पता लगा कि कोल से तो इस वक्त नैफ्था सस्ता है तो वह जयपुर आता है और वह ट्रांसपेरेंट सरकार, वह इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग की सरकार, वह ग्लोबल टेंडर की सरकार, With one pen stroke without notifying, without talking, without thinking, without seeing the consequences, कि क्या इसके रिपरकशंस होंगे और आर्डर देती है, जैसे बहादुरशाह जफर के जमाने में आर्डर होते थे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विष्णुजी, यह गलत मत कहो आप, आप भी जानते हैं कि नैफ्था बैटर है कोल से। आप मानते हैं या नहीं कि नैफ्था कोल से बैटर है ?

श्री विष्णु मोदी : हाई-डिस्टिलेट तो उससे भी बैटर है, Then talk about high distillate. What I am talking, I am talking about corruption of this Government, कि उन्होंने ओवर नाइट जो कोल बेस पर एम.ओ.यू. किया गया था वह इस सरकार ने पैसा लेकर, नैफ्था में चूंकि उस वक्त इन्टरनेशनल प्राइसेज क्रैश हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने नैफ्था के ऊपर चेंज कर दिया। सभापति महोदय, क्या अच्छा है या क्या नहीं है, वह तो एनरान के अन्दर जब बी.जे.पी. ने महाराष्ट्र में प्रचार किया था कि शरद पंवार ने जो समझौता एनरान कम्पनी से किया है वो हैवी डिस्टिलेट किया था इसलिए कि वहां एलकेसो मैंगो पैदा होता है। लेकिन यह सरकार ने की। इसमें करप्शन हुआ है। जबकि वहां जांच

(श्री विष्णु मोदी)

हुई उसके बाद में उनकी सरकार आ गयी। कोई करप्शन नहीं मिला तो अपने फेस सेविंग के लिए नैफ्था से उसको कन्वर्ट कर दिया Which again is hazardous for the envirenment.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Naphtha is hazardous ?

श्री विष्णु मोदी : Yes, it is hezardous.

श्री समापति : माननीय सदस्य, आप से मेरा निवेदन है....

श्री रामप्रताप कासनियां : समापति महोदय, कई हार्ट पेशेन्ट हैं, थोड़ा धीरे बोलिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : Naphtha is hazardous.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस नैफ्था के पीछे मिला है।

श्री समापति : मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यवधान न करें। माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है, आप मेरी बात सुन लें। मेरा आपसे आग्रह है कि कुल मिलाकर

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ताजमहल का क्लीयरेंस ही नहीं मिल रहा था कोल पर, आप भी जानते हैं।

श्री समापति : श्री विष्णु मोदी, मेरी बात सुन लें। कुल मिलाकर 24 सदस्यों द्वारा अपने विचार प्रकट करने की सूची इस समय मेरे पास है....

श्री विष्णु मोदी : समापति महोदय, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री समापति : आप मेरी, इस सदन की सीमा सोच लें। यदि आप यह उचित समझते हैं कि एक-एक सदस्य को आधा-आधा घण्टा दिया जाय तो 24 माननीय सदस्यों को कहां तक ?

एक माननीय सदस्य : हमारा समय दे दिया जाय। (व्यवधान)

श्री समापति : यह तो आप लिख कर दे दो मुझे कि सारा आपका जो दल का समय है वह मैं आपको दे दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री विष्णु मोदी : समापति महोदय, मेरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा।

श्री समापति : मेरा आपसे आग्रह है कि आप दो-तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा लेकिन आप मुझे इंटरप्ट करने से रोकिये।

समापति महोदय, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि कोल फायर्ड से एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद में उसमें करप्शन हुआ। उसमें पैसे लिये गये और उसको नैफ्था पर आधारित चेंज कर दिया गया। मेरा यह आरोप है कि naphtha is hazardous to the envirenment. क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट का परसेंट जब वैरी हो जाता है तो it is very very hazardous (व्यवधान)

श्री समापति : यह क्या हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मंत्री हो, कुछ मर्यादाएं हैं।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, यहां छोटे प्रोजेक्ट्स की नैफ्था पर आधारित ..

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर के सपूत हैं, काम्पीटेंट हैं, वी, पी. सिंहजी।

श्री विष्णु मोदी : नैफ्था पर आधारित छोटे प्लांट्स की .. (व्यवधान)....

श्री सभापति : पारीकजी, बैठिये आप। प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : 22, 24, 27 के हमने एम.ओ.यू. कर लिये। हमने दुनिया में सबसे सस्ता ग्लोबल टेंडर किया, इन्टर-नेशनल बिडिंग किया। उसके आधार पर हमने देश के अन्दर सबसे सस्ती दर पर बिजली का सौदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। और हर जगह घोषणा सुनने को मिली कि यहां लग रहा है, यहां लग रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार ने नैफ्था आधारित समझौते किये तो क्या भारत सरकार से इन्होंने पूछ लिया था कि इनको कितना नैफ्था मिलेगा ? नहीं, मन मर्जी से किया है। फिर उसके बाद में क्या किया कि जब इनको नैफ्था का एलोकेशन हुआ तो 750 तो यह धौलपुर में ही कर चुके थे। 3000 समथिंग का एलोकेशन हुआ, यह जितने का भी हुआ, मेरे पास एक्जैक्ट फिगर नहीं हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 1500, मैं बता देता हूं।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, बता दूंगा, मेरे पास फिगर हैं। वह फिगर जो भी है....

श्री सभापति : केवल दो मिनट में आप समाप्त करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग कीजिये। दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, उसमें 750 मेगा-वाट तो यह पहले ही दे चुके थे उसके बाद मेरा आरोप है, स्पेसिफिक आरोप है, और आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप उसका स्पेसिफिक जवाब दिला दें। जो एलोकेशन हुआ उसमें 750 तो दे दिया पहले ही धौलपुर को। बाकी जो बचा हुआ था उसमें शवर टाक की एक कम्पनी है, उसने 150 मांगा। उसको 150 दिया बाकी के किसी को 25 दिया, किसी को 50 दिया और किसी को 75 दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब वो रिमेनिंग नैफ्था था तो उसकी क्या यार्डस्टिक अपनायी थीं ? सरकार कोई फैसला करती है तो एक यार्डस्टिक होती है, एक फार्मूला होता है। लेकिन पिछले चार साल में, मैं अब चार–छः महीने की बात तो नहीं करता लेकिन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अलावा इस राजस्थान विद्युत मण्डल विभाग ने मनमाने फैसले किये।

सभापति महोदय, बरसिंहसर जो कि इस स्टेट का सबसे बड़ा इमिजिएट प्रोजेक्ट था जो कि काम शुरू हो सकता था, उसके साथ क्या किया ? आर.पी. मोदी साहब से समझौता किया। कैसे किया ? ग्लोबल टेंडर से किया कि काम्पीटिटिव बिडिंग से

(श्री विष्णु मोदी)

किया, मैं आपको कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चार बार चर्चा हो चुकी है।

श्री विष्णु मोदी : यह अंश नहीं आये है जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ दीजिये।

श्री सभापति : देखिये, मैं अब आपसे अन्तिम निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट में आप समाप्त करे। ऐसा नहीं चलेगा।

श्री विष्णु मोदी : खेत सिंहजी, मुझे बोलने दें।

श्री सभापति : आप मेरी सीमाएं समझें। मेरा आपसे आग्रह है....

श्री विष्णु मोदी : पांच मिनट बोलने दें मुझे। सिर्फ पांच मिनट। मैं सिर्फ पांच मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है। पांच मिनट, आप तो दस मिनट....

श्री विष्णु मोदी : आप देख लें, मैं टाइम से केवल पांच मिनट ...

श्री सभापति : मेरी बात सुन लें। मैं आपको घड़ी देखकर ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : पांच मिनट बोलूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप तो हर 10 मिनट से यही कह रहे हैं कि मुझे दो मिनट के लिए बोलने दें।

श्री विष्णु मोदी : पांच मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : पता नहीं आपके पांच मिनट कब समाप्त होंगे।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, यह पोल खुल रही है इसलिए नहीं सुनना चाहते। चूंकि इसमें सरकार का सारा जो किया है वह सामने आ रहा है इसलिए नहीं सुनना चाहते। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान सरकार ने आर एस. एम.एम. और इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को, काम्पीटिटिव बिडिंग को इवेल्युट करने के लिए अपना कंसलटेंट बनाया। तो आर. एस. एम. एम, ने और इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने जो रिकमण्डेशंस कीं, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

"A list of marks awarded by Engineers India Limited under the matrix is given in Annexure III. EIL has further reported that the marks awarded to M/s Coleman Associates is low only because they have not given relevant financial data along with the bid. M/s. Coleman have stated that these documents have been submitted to the Government. EIL suggests that in terms of the technical competence, M/s Coleman ranks high and the Government may like to consider their case as well."

यह तो कमेंट्स इंजीनयर्स इण्डिया लिमिटेड

(श्री विष्णु मोदी)

के हैं और आर. एस. एम. एम. करती है कि—

"We agree with EIL's view regarding the competence of M/s. Coleman. We also endorse the EIL's action in not awarding marks for financial data to Coleman in strict compliance with the instructions given to them (as summarised in para 3 above). However, as pointed out by EIL, strict adherence to this criterion is some what harsh on M/s Coleman Associates. We would also like to add that their partner Ms. SECV are one of the most respected names worldwide in the field of power generation from lignite. The combined financial strength of the Consortium is also very high. The Government may like to consider these points before rejecting the bid of M/s. Coleman Associates."

श्री सभापति : यह आप सब्मिट कर दीजियेगा। जो कोई डाकुमेन्ट देना है तो दे दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं दे दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सदन की जानकारी में तो आने चाहिए। देने से ही थोड़े काम चलेगा।

श्री विष्णु मोदी : आप यह कहना चाहते हैं कि मैं इनको दे दूं। मैंने 28 अगस्त, 1995 को मुख्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी है। ये सारे फैक्ट्स मैं सी एम. के नोटिस में ला चुका हूं। मैं वह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आपने टाइम कम दिया है। अब मैं आपको इसका कुशल पार्ट सुनाना चाहता हूं कि अब इन्होंने क्या किया। टैक्निकल कंसलटेंट्स की बात नहीं मानी।

श्री सभापति : आप मेहरबानी करके एक मिनट में समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : पांच मिनट।

श्री सभापति : नहीं, बिलकुल नहीं। पांच मिनट नहीं। आप हर बात पर....खेतसिंहजी, यह क्या हो रहा है? पांच मिनट बिलकुल नहीं दे पाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं कि पांच मिनट नहीं दे पाऊंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा दो मिनट में समाप्त करता हूं। इनका जो फाइनेंशियल कंसलटेंट था आई. सी. आई. सी. आई., उन्होंने कहा कि—

"Based on the scores as above, it may be noted that there is almost no difference between the scores of HDC and Smeed & Wilkinson. It is, therefore, recommended that both the parties be called for negotiations.

"It is reiterated that these prices are on the higher side and

(श्री विष्णु मोदी)

it is not recommended that R. S. E.B. finalize the bid at these prices. The alternatives available with R.S.E.B. are :

(a) cancel the tendering process and go in for separate tenders for mining and power components, respectively; .. "

माननीय सभापति महोदय, यह सब मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे चुका लेकिन इसके बाद इन्होंने 6 करोड़ रुपये मेगावाट की सूरतगढ़ में और सवा दो करोड़ रुपये की मंजूरी मिली थी 91 में 1 बरसिंहसर में 6 करोड़ मेगावाट का इन्होंने समझौता किया। 200 करोड़ रुपये का समझौता किया। मेरी चिट्ठियों को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया। इसके बाद मैंने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी में शिकायत की और इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के मंत्री श्री कुमार मंगलम के पास में मेरी शिकायत को पढ़ा गया। और उसके बाद 361करोड़ रुपया इस सरकार ने जो 2400 करोड़ रुपये का मंजूर किया था उसमें 361 करोड़ रुपया काट दिया। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार बिजली के नाम पर सिर्फ धोखा-धड़ी करती रही हैं। सिर्फ राजस्थान की जनता को भुलावे में रखती रही है और उसके आंकड़े मैं इस प्रकार पढ़कर बताता हूं ...

श्री सभापति : बस अब नहीं। श्री चुन्नीलालजी गरासिया। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आधा मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमारा समय काट लीजिये। हमारी पार्टी का समय काट लीजिये लेकिन इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, ये कुछ आंकड़ें हैं जो बता देंगे कि कांग्रेस ने 40 साल में क्या किया और आठ साल में इन्होंने क्या किया। Extra high and extra low voltage lines ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, ये जो सारी बातें कोल, पार्वती, नाथ्पा-झाकड़ी, थीन, मुकेरिया, पोंग और बरसिंहसर, ये जितनी बातें हैं, ये जितनी बातें कह रहे हैं, आप इनको पाबन्द कर दीजिये कि इन सब बातों का जवाब मेरे से सुनकर जाएं।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं जवाब ही नहीं सुनकर जाऊंगा बल्कि माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में मुझे कोई शंका होगी तो मैं प्रश्न पूछकर उसके उत्तर भी सुनकर जाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे एक ही खतरा है कि थोड़ी देर बाद में आपका टाइम हो जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : आप चिन्ता ही नहीं करें। आप तो दो बजे तक, चार बजे तक और 6 बजे तक, मैं तैयार हूं।

श्री सभापति : सचेतक महोदय, आपने यह कहा कि हमारा समय काट दीजिये। आप कृपा करके मुझे दो लोगों के नाम बता दीजिये, कोई भी दो लोगों के नाम बता

(श्री सभापति)

दीजिये। मैं उनके नाम काट दूंगा। मुझे पहले बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कह दूंगा आपसे।

श्री विष्णु मोदी : 1950 से 1990 तक, अधिकांशतः कांग्रेस शासन में रही। Extra high, and extra low voltage lines. 2 लाख 69 हजार 516 लाइनें खिंची और 90 से 98 तक हमने इस दौरान 50 से 90 तक मात्र सात हजार करोड़ रुपया सात पंचवर्षीय योजनाओं में चार प्लान में खर्च किया। इन्होंने आठ साल के दौरान साढ़े अठारह हजार करोड़ रुपये खर्च किया और उसमें से बिजली में कितना है, मैं बता दूं आपको, इन्होंने लाइनें खींची 98,500 किलोमीटर। नम्बर आफ कंज़ूमर 1950 से 90 तक 31.13 लाख। 90 से 98 में 17.8 लाख। ऊर्जीकृत गांव और नगर 2,79,038 और इन्होंने किये। इन्होंने किये 7512 और अब जिन पम्पों की, क्योंकि इस सदन में पिछले पांच सालों में चाहे मुख्य मंत्रीजी बोलें, चाहे वित्त मंत्रीजी बोलें और चाहे ऊर्जा मंत्रीजी बोलें, किसी भी एक ईयर का कट आफ ले लेते हैं और फिर उससे अपना कम्पेरीजन कर देते हैं। मैंने इन सब बातों से परेशान होकर ही यह कम्पाइल किया। उसमें हमने 90 तक 3 लाख 81 हजार 552 कुओं को ऊर्जीकृत किया और इन्होंने आठ साल में 01 लाख 65 हजार 936 कुओं को ऊर्जीकृत किया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपने आठ साल में तीन लाख कर लिया है क्या ?

श्री विष्णु मोदी : आपके मंत्रीजी बता देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, सवाल इस बात का आता है कि राजस्थान में जो भी प्रोजेक्ट थे, पिछले पांच सालों में मैंने चर्चा की थी इनकी कि ये प्राइवेट सैक्टर में आयेंगे। पिछले चार साल में तो मुझे एक दिन खुद जब बिजली पर मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे तो उन्होंने यह कोट किया कि क्या मोदीजी, हम पब्लिक सैक्टर की बात करेंगे ? मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। लेकिन चार साल तक तो आप बात करते रहे कि हम सब प्राइवेट सैक्टर में लगायेंगे। अब आपने अच्छा फैसला किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह फैसला चार साल पहले ही हो जाना चाहिए था कि सूरतगढ़ की सैकण्ड यूनिट की आप कर रहे हैं। रामगढ़ की बात आप कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि इस सरकार ने बिजली के नाम पर सिर्फ बात की है, कुछ काम नहीं किया है। और इनका जो लक्ष्य था आठवीं पंचवर्षीय योजना में, वह था 540.19 मेगावाट। इनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में लाना था। उसमें यह कर पाये 262.45 मेगावाट। तो माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों को, मैंने जो निवेदन किया, इसका सार एक ही है कि अदूरदर्शिता है। इनकांपीटेंस, इस सरकार की इंडिसिसिवनैस है और इस सरकार की फैसले नहीं लेने के कारण से राजस्थान पिछले पांच सालों में, मैं कहूं आठ सालों में कम से कम 40 साल पीछे चला गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि ट्रांसमिशन

(श्री भिष्णु मोदी)

लॉसेज में क्या किया है आपने ? क्या ट्रांसमिशन लॉसेज हैं ? और आपका ट्रांसमिशन लॉसेज को केलकुलेट करने का फार्मूला क्या है ? कितनी बिजली आपने दे दी ? यह कुल मिलाकर जो फिगर आ गया वह फिगर क्या आया ? सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर, जैसाकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि हम चौथे नम्बर पर आ गये हैं मेरे पास यह किताबें हैं उसको कोट तो नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत के क्षेत्र में सबसे पिछड़ों में से है।

श्री सभापति : आपको पूरे 45 मिनट हो गये। अब आप अगर खतम नहीं करना चाहते हैं तो उचित नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : सबसे पिछड़ों में से है तो यह कहना कि यह नर्सरी, वह नर्सरी, राजस्थान की बिजली की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो इससे काम चलेगा नहीं।

श्री सभापति : अब आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ईमानदारी से उठाने पड़ेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, दो मिनट मैं बोलना चाहती हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिजली पर सभी बोलना चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। कल एक और डिबेट इसी पर कंटीन्यू कर दें तो ज्यादा अच्छा है .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपका जवाब..

श्री सभापति : आप विराजें। रामस्वरूप जी, आप विराजें। सचेतक महोदय, मैंने आपके पास सूची भेजी थी। आपके हस्ताक्षर के लिये मैंने भेजी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने चिट बना दी है उनको मत बुलवाइये।

श्री सभापति : नहीं काटा ना, इसमें कोई नहीं काटा आपने।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं की हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि शहरों के अन्दर जहां कहीं भी कच्ची बस्तियां हैं वहां पर मकानों के ऊपर से तार निकलते हैं उन तारों को भी क्या हटाने की व्यवस्था करेंगे ?

दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि मैं जोधपुर क्षेत्र से हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर इतनी कच्ची बस्तियां नहीं हैं। मगर जब विधान सभा, लोक सभा के चुनाव होते हैं तो मैं कहीं कच्ची बस्तियों में जाती हूं तो मेरे को यह देखना पड़ता है, वहां मेरे को रोज शिकायत इस बात की करते है। तो मैं ऊर्जा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि यह व्यवस्था करें।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। ... (व्यवधान) ..

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे को दो मिनट, मेरी बात तो कहने दो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सभापति महोदय, शहरों में, कस्बों में, गांवों में भी यही समस्या है। इसलिये मंत्री महोदय जहां भी यह तार हैं चाहे वह कस्बे हों, चाहे शहर हों, सब जगह विद्युत मण्डल अपने स्तर पर उनको हटाये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह पूरे राजस्थान की समस्या है इससे बहुत राहत मिलेगी।

श्री सभापति : दूसरे सदस्य भी जब बोलेंगे तब ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पर महिलाओं और पुरुषों को बिल जमा कराने के लिये बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है। तो, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि जहां-जहां बिजली के सब स्टेशन हैं, आप कोई भी ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि उनको कम से कम चार पांच किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े और वह अपने बिल वहीं पर जमा करा दें।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर दो ट्रांसफार्मर लगाने का मामला बहुत लम्बे अरसे से लम्बित पड़ा हुआ है। अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगी उसको तुरन्त करायें।

श्री सभापति : आप विराजें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है। आप देखियेगा कि कुल वक्ता 22 हैं और इस तरह से, मुख्य सचेतक महोदय ने कहा था कि मैं दो नाम काट दूंगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के जिन दो सदस्यों के नाम काटना चाहते हैं वह काट दें। मैं इस वक्ता के बाद जो सत्ता पक्ष से बोलेंगे श्री चुन्नीलाल गरासिया, उनसे आग्रह करूंगा कि वह 15–20 मिनट में समाप्त करें। इसके बाद मैं किसी भी सदस्य को दस मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनको ही 15-20 मिनट क्यों।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, इसलिये नहीं दे रहा कि आपके प्रथम वक्ता को पौन घंटा दिया है तो यह भी प्रथम वक्ता हैं। ... (व्यवधान).... समय आप जितना भी बढ़ाएंगे, सदन के ऊपर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन यह नहीं हो सकता कि 22 में से हर आदमी को....

श्री रामस्वरूप मीणा : सबको समानता की दृष्टि से देखिये आप। यह नहीं कि बाद वालों को कम दो और पहले आप ज्यादा नम्बर दे दो किसी को।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमेशा यह व्यवस्था लास्ट में होती है। मेरा यह निवेदन है कि यह व्यवस्था प्रारम्भ में शुरू की जानी चाहिये। पहले वाले वक्ता आधा घंटे, बीस मिनट बोलते हैं, बाद वालों को पांच मिनट भी नसीब नहीं होता।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गलत है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिये यह व्यवस्था लास्ट में आप हमेशा देते है। मेरा आग्रह कि जब डिबेट प्रारम्भ हो उस व्यवस्था को उस समय से प्रारम्भ की जानी चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, पहले व्यवस्था कर दो हर माननीय सदस्य दस मिनट बोलेगा। तय कर दो आप।

श्री सभापति : यह व्यवस्था, देखियेगा जितना मेरा अनुभव है, प्रथम दो सदस्य, चाहे वह पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उनको थोड़ा समय ज्यादा मिलता है। लेकिन उसके उपरान्त तो अपन निर्धारित कर देंगे। हर वक्ता को अगर ज्यादा समय देंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : चालीस मिनट तक एक माननीय सदस्य बोले, बाद में दो मिनट बोले। क्या कहेगा वह दो मिनट में अपनी बात ? यह तो आसन के देखने वाली बात है। आसन विचार करे इसके ऊपर।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल अनुमति है।

श्री सभापति : सदन का समय बढ़ाया गया। बोलिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, आज सदन में बिजली पर चर्चा हो रही है। माननीय विद्युत मंत्री जी ने अपने ऐतिहासिक डाक्यूमेंट्स में यह सदन को आश्वस्त किया है। उनके नेतृत्व में....

श्री हरिसिंह (महुआ) : वाजपेयी जी से स्टाइल सीखकर आये हो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : राजस्थान के विद्युत मण्डल को एक नयी दिशा मिलेगी एक नया मार्ग दर्शन मिलेगा। साथ ही साथ राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने की घोषणा की है उसके लिये मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि विद्युत व्यक्ति की और समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त को देख लें प्रगति की ओर पहले अग्रसर वही रहा है जिसके पास पावर है। राजस्थान में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान निरन्तर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर है और यह केवल थ्योरिटिकल नहीं है। अपने आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह दिखाया कि वास्तव में कुछ करने की तमन्ना है और वास्तव में कुछ करके दिखाया है। मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेस के माननीय मोदी जी ने जिस तरह की परि-

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

योजनाओं के बारे में शंकाएं जाहिर की, राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये मैं समझता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने प्रयास किया है, कोई चाहे कितना भी विरोधी हो, मन से अगर वह कहेंगे तो वह आलोचना नहीं करेगा। इस सरकार की नीयत में खोई खोट नहीं है। यह निश्चित है कि केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के लिये, इन परियोजनाओं के लिये जहां–जहां भी इनके सहयोग की आवश्यकता थी, सहयोग नहीं दिया। उनकी शंकाओं के जवाब तो माननीय मंत्री महोदय देंगे लेकिन मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस समय के भाषण में राजस्थान की जनता को साठ करोड़ की रियायत देकर एक ऐतिहासिक कदम रखा है और सारी योजनाओं का कार्यान्वियन करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, अगर इतिहास में जाना चाहेंगे तो थ्योरीटिकल और प्रेक्टिकल में कहीं अन्तर आएगा इसीलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को आगाह करना चाहूंगा कि आपने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को योजनाबद्ध ढंग से प्रदेश की जनता के सामने रखें और निश्चित समय पर करके दिखाएं तो मैं समझता हूं इतिहास में आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राज्य विद्युत मण्डल के प्रगति पत्र मेरे सामने हैं और उसको देखकर यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि विद्युत मण्डल ने हर क्षेत्र में अपने बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी की है। चाहे ताप बिजली हो, पन बिजली हो, चाहे साझेदारी की परियोजना हो और चाहे परचेज किया हो, लेकिन डिमांड के अनुसार बराबर उसका उत्पादन बढ़ा है। और जैसा कि बताया, वास्तव में निरन्तर मांग बढ़ती गयी है। और जब मांग बढ़ेगी तो, क्योंकि हमारा उत्पादन उतना नहीं है, इसलिये अन्य प्रदेशों से खरीदना पड़ा है और महंगी बिजली खरीद करके भी हमारे प्रदेश के किसानों और प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर उपलब्ध करायी है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कुओं का विद्युतीकरण हो, चाहे गांव का हों, चाहे हरिजन बस्तियों का हो। आंकड़ों के आधार पर अगर तुलना की जाए तो आंकड़े निरन्तर बढ़ते गये हैं। जहां कुओं का विद्युतीकरण की बात हो 97–98 में लक्ष्य रखा गया 25,000, लेकिन यहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25306 की प्राप्ति की और यह भी एक उल्लेखनीय कदम है। 1997–98 में कुओं के विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति करके जो संख्या बढ़ायी है और जिस तरह का अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि जितने आवेदन किये गये हैं उनको दो हजार तक हम कनेक्शन दे देंगे, बधाई के पात्र हैं।

हरिजन बस्तियों की बात आती है। तीन सौ की उपलब्धि, जो तीन सौ प्राप्त की है और 97–98 तक 18926 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

माननीय सभापति महोदय, हर पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक धनराशि पूंजीगत कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी है। जहां छठी योजना में 259 करोड़ रुपया व्यय हुआ था, वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1717 करोड़ रुपये खर्च किये गये। नवीं पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष में 1097 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके साथ सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देने के लिये योजना बनायी है। राज्य की 3308 करोड़ की योजना में विद्युत क्षेत्र को 792 करोड़ रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। इस तरह मण्डल ने भी अपने अनुमानों में विकास कार्य हेतु 1073.58 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की थी और उसके अनुसार 146.50 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। यह प्रगति का द्योतक है। कल ही हमने, माननीय सदस्यों ने लिखकर सजेशन दिये थे उन्हीं के अनुसार घोषणाएं की हैं। जैसे घरेलू कनेक्शन के बारे में इन्होंने जो कटौतियां की है, घरेलू कनेक्शन को दीपावली तक पूर्ण कर देने का आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब माननीय सदस्य आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी, सबसे बड़ा डर रहता था विजिलेंस का। और विजिलेंस के बारे में मंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि होता यह था कि विजिलेंस के नाम से किसानों को लूटा जाता था। जो किसान मिली-भगत से बिजली की चोरी करते थे, या जो बिजली चोरी करते थे, विजिलेंस वाले हमें छोड़ दें। लेकिन जहां चोरी नहीं होती थी, छोटी–मोटी गलती निकालकर विजिलेंस वाले जिस तरह का आर्थिक दोहन करते थे, मैं समझता हूं वहां पर भी कुछ राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, एस.टी., एस.सी. के कनेक्शन निस्तारण की अक्टूबर, 98 तक मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है, इसके लिये भी मैं व्यक्तिशः आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं, उनकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए जनता की तरफ से भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने यह जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उसके लिये पूरी जनता आपके प्रति कृतज्ञ है।

माननीय सभापति महोदय, नर्सरी कनेक्शन की बराबर मांग बढ़ रही है। वास्तव में सरकार की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना थी। जिसके बारे में किसानों के मन में जो बिजली का केवल सपना देखते थे, कोरा सपना देखते थे, वह कोरा सपना साकार हुआ और इसका माध्यम था नर्सरी कनेक्शन। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भैरोंसिंह सरकार ने यह योजना प्रारम्भ करके एक ऐतिहासिक कदम इस प्रदेश में रखा है। इसके साथ ही नर्सरी कनेक्शन में दो वर्ष के बाद समान दर लागू करने का मंत्रीजी का निर्णय भी वास्तव में अपने आपमें साहसिक है। उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में और प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कनेक्शन में कुछ कमियां, या कुछ कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार रखा जाता है, दोहरे निर्णय होते हैं। उसके लिये भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र में जहां कनेक्शन की बात है, जनजाति विभाग पैसे देता है। चाहे कुओं का विद्युतीकरण हो, चाहे गांव का विद्युतीकरण हो, राज्य बजट का 12.44 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र में खर्च करने का एक प्रावधान है। यह पैसा जनजाति के गांवों को लाभ हो, यह गाइडलाइंस हैं, यह नीति है। लेकिन अब तक विभाग ने इस पैसे से केवल अपने आधारभूत ढांचे को खड़ा करके दिखाया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को आगाह करना चाहूंगा कि आपका इस साल का जो बजट है, उस बजट में जो विद्युतीकरण से वंचित गांव है, वह जनजाति क्षेत्र में चाहे माडा हो, क्लस्टर हो, चाहे टी.एस.पी. एरिया हो, इस बजट पर खर्च करेंगे तो जो आपका प्रतिशत 71 है, अभी मैंने प्रगति पुस्तिका उठाकर देखी। अन्य गांवों के विद्युतीकरण के प्रतिशत और जनजाति क्षेत्र के गांवों के प्रतिशत में अन्तर है। इस अन्तर को पाटने के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि स्टेट प्लान में जो जनजाति का प्रावधान है, उस प्रावधान को जनजाति क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण के लिये खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से इस वर्ष में पाट देंगे।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण का प्रतिशत 88.11 है और वहीं जनजाति क्षेत्र के गांवों का प्रतिशत 81.18 है। इसको बराबर करने के लिये लगभग सात सौ गांवों का और विद्युतीकरण किया तो पांच साल में यह अन्तर पूरा हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि जो योजना आप बनाते हैं, उनका सीधा लाभ जनजाति को मिले, न कि कहीं, बिजली परियोजना बनाने में। चाहे माही हो, चाहे बरसिंहसर हो, वहां आप पैसा खर्च करके जनजाति साइड में दिखाते है तो गाइडलाइन को आप बाईपास करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा विद्युत विभाग ने, पहले जैसा लाइन पर न रहकर किया, वास्तविक जनजाति क्षेत्र में लाभ हो उसके लिए आप खर्च करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

अब तक के जनजाति क्षेत्र के जो गांव विद्युतीकृत हुए हैं, वहां पर विभाग ट्रांसफार्मर को गांव के प्रारम्भ में कोने में खड़ा करके अपने रिकार्ड में दिखा देता कि यह गांव विद्युतीकृत हो गया है। मंत्री महोदय, इस तरह के उदाहरण देखना चाहेंगे तो कई मिलेंगे। मेरा सजेशन है, मेरी सलाह है कि किसी भी गांव का विद्युतीकरण करना चाहते हैं, तो कम से कम ट्रांसफार्मर को गांव के बीच में लगा दें, तो जो गांव के लोग कनेक्शन लेना चाहेंगे कम दूरी में, उनके कनेक्शन हो जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कर दी न घोषणा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। आपने घोषणा की तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में मेरा थोड़ा-सा निवेदन यह भी है कि कम से कम तीन कनेक्शन ले तब उसको विद्युतीकृत माना जाए। आपने

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

ट्रांसफार्मर तो लगा दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं लें तो, तीन कनेक्शन मिनिमम आप कर देंगे तो मैं समझता हूं वह गांव विद्युतीकृत हो जाएगा। और जो बाहर लगे हैं, उनको वापस शिफ्ट कर दें। हमारे जुड़वा भाई कह रहे हैं तो उनकी बात को भी, आप सलाह मान लें।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के परिवारों को जो कुओं में कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए एक निश्चित प्रतिशत है लेकिन जनजाति परिवारों के लिए नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है कृषि कनेक्शनों के लिए, जनजाति वर्गों के लिए निर्धारण करेंगे तो मैं समझता हूं एक समान नीति होगी। सभापति महोदय, हमारे माननीय विधायक जो सामने बैठे हैं, मैं आपके लिए ही बोल रहा हू इसलिए आप थोड़ा धीरज रखें। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम विरोधियों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कुछ....

श्री परसादीलाल मीणा : फिर बाद में छुट्टी... मेरे को तकलीफ है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : विराजें आप। वैसे तो आप बहुत होशियार हो इस मामले में, इसलिए आप विराजें। माननीय सभापति महोदय, जनजाति विभाग ने बहुत सारा पैसा हमारे विद्युत विभाग को दिया है लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जितने गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिये, नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय किसी काम से यहां से अपनी सीट से गये हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पैसा है उतना फिजिकल काम हो जाये क्षेत्र में, गांवों का विद्युतीकरण हो जाये, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। क्योंकि जिस तरह से मेरे पास आंकड़े हैं, उसके अनुसार जो फिजिकल अचीवमेंट है, वहां आधा भी नहीं है। जैसे उदयपुर के लिए 52 गांव के लिए पैसा दिया था। लेकिन विद्युतीकरण उतने गांवों का नहीं हुआ है। उसी तरह बांसवाड़ा के लिए 47 गांवों के लिए पैसा दिया था, डूंगरपुर के लिए 61 गांवों के लिए दिया था, चित्तौड़ के लिए 18 के लिए दिया था, सिरोही के लिए 22 के लिए दिया था। लेकिन जितना पैसा विभाग ने दिया, उस परिप्रेक्ष्य में उतना काम नहीं हुआ है। और क्योंकि जनजाति का पैसा, यह एस.टी. का पैसा भारत सरकार देती है, उस पैसे को हो सकता है विभाग कहीं और खर्च करता हो, लेकिन जनजाति के लिए पैसा दिया गया है। यह राज्य सरकार का पैसा नहीं है। भारत सरकार का पैसा है। समयबद्ध कार्यक्रम करके गांवों का विद्युतीकरण हो। आपके माध्यम से सरकार से, ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि विशेष रूप से आप अलग से मीटिंग करके, जनजाति के क्षेत्रों में जितना पैसा दिया है, उस पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं हुआ और कब हो जायेगा इसे देखें। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बने और मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें, हमारे माननीय सदस्य को आश्वस्त करें, ऐसा आपके माध्यम से मेरा निवेदन है। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

177

श्री सभापति : श्री हरजीरामजी बुरड़क (अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द जी विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री रतनलाल जी ताम्बी आ जायेंगे तब तक आ जायेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति : मैंने तो यह सोचकर कहा था कि शायद आ जायेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं सबसे पहले राजस्थान की पांच करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने पौने पांच साल तक इस जन विरोधी, किसान विरोधी सरकार के दर्जनों बार अलग-अलग दरें बढ़ाने के भार को सहन किया। और सहन करने के बाद फरवरी, 1998 में अपने आक्रोष को और परेशानियों को मतदान के जरिये जाहिर कर दिया। मैं इस सरकार को और उसके नये ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पौने पांच साल बाद जनता पर लगातार विद्युत प्रभार बढ़ाकर, अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति करके जनता की जलालत को, परेशानियों को महसूस करके आज कुछ रियायतों की घोषणा की है। इसके साथ-साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जनवरी, 1990 में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बिजली में इसी प्रकार की बहुत रियायतें दी थीं। इस प्रकार चुनाव के तीन महीने पहले रियायतें देने को जनता ने उस समय भी नकारा था और इस समय भी नकारेगी। यह मैं आपको विश्वास से, उस पुराने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने लगातार इस समस्या को बड़े-बड़े आन्दोलनों के जरिये, बड़े-बड़े ज्ञापनों के जरिये राज्य सरकार को सुझाव दिये थे और अभी नये ऊर्जा मंत्री जी ने उन मांग पत्रों और सुझावों पर मैं समझता हूं गम्भीरता से चिंतन और मनन किया। और मनन करके आज घोषणाएं की है। इसलिए राजस्थान के किसानो को भी लड़ाई में एक तरह से सफलता मिली है। आपने आज जो कुछ रियायतें दी हैं, समय को देखते हुए मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जनजाति योजना के नाम से एक क्षेत्र बना हुआ है। उसमें जनजाति के लोग निवास करते हैं। उनको रियायतें मिलें। उनकी गरीबी को, उनकी परेशानियों को देखकर इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु वह की वह स्थिति माडा योजना के गांवों में होती है। उसमें भी 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं। तो भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार वह माडा क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय आप जनजाति में रहने वालों को कैसे विस्मृत कर गये? इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप उन जनजाति क्षेत्रों को जो लाभ देना चाहते हैं, उसमें माडा क्षेत्र की जनजाति को भी सम्मिलित करें, समकक्ष उसको भी लाभान्वित करें। यह मेरा आपसे एक निवेदन है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि 1991 के बाद राजस्थान में हजारों नये राजस्व गांव बन गये। उन हजारों राजस्व गांवों को भी आज के दिन आप

(178)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्व गांव मानते हुए, उनको भी जो बकाया राजस्व गांव रह गये, उनके अनुसार उनका विद्युतीकरण करने के लिए वहां के लोगों को विद्युत सुविधा सुलभ हो सके, इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने मकानों के ऊपर तारों का सवाल रखा था। यह सवाल गम्भीर है। इसमें आये दिन राजस्थान में कई मौतें होती हैं और राजस्थान की करीब पौने चार करोड़ के आस-पास जनता गांवों में रहती हैं। गांवों में भी मकानों के ऊपर, मौहल्लों में बिलकुल लटके हुए तार जगह-जगह देखे जा सकते हैं। इससे भी आये दिन मौतें होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक समान तरीके से मकानों पर और आबादी के बीच में तार कहीं लटके हुए हैं, उनको भी आप ठीक कराने की व्यवस्था करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इस मौके पर मैं एक मोटी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, कोई भी कल्याणकारी सरकार हरित क्रांति की बात जरूर करती है और राजस्थान में जलोत्थान सिंचाई योजनाएं विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से बड़ी संख्या में, मेरा अनुमान है कि हमारे जिले में लगभग 125 हैं। राजस्थान में एक हजार से अधिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं चलती हैं और पचास हजार से अधिक परिवार उससे लाभान्वित हैं। मगर इस सरकार ने एक बहुत बड़ा जुल्म ढाया है, उसकी ओर मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार के समय जलोत्थान सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों से प्रति यूनिट 50 पैसा समान दर से मिनिमम चार्ज लिया जाता था और दूसरे अधिभार नहीं लगते थे। अभी सरकार ने क्या किया? यह जरूर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने इस मुद्दे को गत वर्ष काफी उठाया था उसमें, मिनिमम चार्ज में कुछ फर्क उन्होंने कम किया था। उसके बावजूद मेरे पास उदाहरण हैं। मैं यह सारे लाया हूं। बिल भी हैं मेरे पास सोसायटियों के। और उससे यह सारा योजनाओं का जो अच्छा कार्य हो रहा है, वह प्रायः ठप्प हो गया। इसलिए हो गया कि आपने इसकी जो दर है किसान के लिए कृषि की दर 50 पैसा है, कहीं 75 पैसा, कहीं 82, कहीं 87 पैसा

(18.00 बजे)

प्रति यूनिट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि पर समान दर, क्योंकि कृषि आधारित योजना है, मिनिमम चार्जेज आपने प्रति वर्ष प्रति हार्स पावर 75 रुपये लगा रखा है। मेरे पास 75 की रसीद है, इसलिए मैं अपनी बात करूंगा। मेरा यह निवेदन है कि किसान से कृषि पर आप मिनिमम चार्जेज लेते हैं और इस प्रकार के प्रभार के बीच में एक बहुत बड़ा अन्तर है, उसको समाप्त करें। मैं तो यह चाहता हूं कि किसान की भलाई इसी में होगी कि वह अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से योजनाएं चला करके अपने खेतों में पानी ले जा रहा है। यह मिनिमम चार्जेज प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष 75 रुपये आपने लगा रखा है,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसको प्रति मास, जो 900 रुपये सालाना लेते हैं आप, इसको समाप्त कर दीजिए। और समाप्त करने में यदि आपकी उदारता और संवेदनशीलता कहीं कम रहे तो मेरा निवेदन है कि 25 रुपये प्रति हार्स पावर, प्रति माह लगा दें वरना पूरा समाप्त कर दें तो ये योजनाएं राजस्थान में बहुत अच्छी चलेंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर गम्भीरता के साथ अपने अधिकारियों से बात करेंगे। मैंने पहले भी काफी प्रतिनिधि मण्डलों को, किसानों को, विद्युत मंत्रीजी से मिलवाया था। उन्होंने भी सहानुभूति प्रकट की और कुछ रियायतें उन्होंने पिछली बार दी थीं। लेकिन वे रियायतें ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरे क्षेत्र में 15 लिफ्टें इन तीन-चार महीनों में, बिलों से बंद हो चुकी हैं और आठ-दस लिफ्टों के और नोटिसेज आए हुए हैं। वे बंद होने वाली हैं। बाकी की भी मैं समझता हूं कि बंद हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम साल में चार महीने चलती है। मात्र चार महीने चलने वाली स्कीम से आप 12 महीनों का पैसा ले रहे हैं। मिनिमम चार्जेज, यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। या तो आप उसको चार महीने के आधार पर कीजिये या मिनिमम चार्ज को समाप्त कीजिये या जो मिनिमम चार्जेज लगा रहे हैं, उसका 1/4 मिनिमम चार्जेज रखा जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातें और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

जहापुर विधान सभा क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या ढाई लाख है और बहुत बड़े पहाड़ी इलाके में फैला हुआ है, उसमें विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। समय पर आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाजपुर में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन का प्रस्ताव आपके यहां पर लम्बित, विचाराधीन है। यह योजना आपके पास आई हुई है। मैं चाहूंगा कि इसको आप स्वीकृत करके जल्दी क्रियान्वित करें। इसके साथ ही मेरे दो क्षेत्रों में 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन आमरवासी और शक्करगढ़ में स्वीकृत होने के बाद जमीन की समस्या थी, वह जमीन की समस्या भी हल कर दी गई है। मैं समझता हूं कि उसको भी आप जल्दी से जल्दी देखेंगे और उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर जनता के सामने परेशानी आ रही है उसका समाधान करेंगे।

एक मैं आखिरी बात अपने क्षेत्र की बतलाना चाहता हूं कि देवली और जहाजपुर की सीमा पर मोरला ग्राम है, जहां पर आपके देवली और केकड़ी को जाने वाला ग्रिड बना हुआ है। देवली में बिजली जगमगाती रहती है और जहाजपुर, नगर क्षेत्र है, नगरपालिका है, वहां 1968 से, उसके बावजूद भी आपका विभाग उसको ग्रामीण क्षेत्र मानता है। इसलिए विद्युत आपूर्ति में देवली और जहाजपुर के बीच में बड़ा अंतर है और कंट्रोल सारा उधर है। उधर देवली में बिजली सुलभ रहेगी और जहाजपुर के गांव अंधेरे में रहते हैं। अस्पताल है वहां पर, पी. एच. ई. डी की स्कीमें हैं। वे सब की सब प्रभावित होती हैं। इसलिए उसका बहुत विस्तार से मैंने आपके चेयरमैन साहब को और सम्बन्धित अधिकारियों को 20

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दिन पहले, महीने भर पहले इन सारी समस्याओं के लिए, कहां-कहां गड़बड़ हो रही है, यह सुझाया था। उसमें क्या सुधार हो सकता है, वह भी सुझाया था। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पत्र के द्वारा मुझे सूचित किया है कि उस मामले को गम्भीरता से देख रहे हैं और शीघ्र ही कार्यवाही कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति हमारे इलाके में पैदा हो रही है, उसको आप समाप्त करेंगे।

पढ़ाई के समय मैं देखता हूं और भगवान की बात अक्सर आप लोग करते हैं, शाम के सात बजे जब भगवान की आरती होती है तब प्रायः हमारे यहां बिजली बंद होती है। बच्चों की परीक्षा के दिनों में सुबह-शाम पढ़ते हैं तो बिजली बंद मिलती है। कम से कम यह व्यवस्था तो करें कि ऐसे समय बिजली की बराबर आपूर्ति होती रहे। साथ में लाइनमैन की बात भी कहना चाहता हूं। क्षेत्र में विद्युत प्रसार के बाद लाइनमैन की संख्या बढ़नी चाहिए। लाइनमैन नहीं बढ़ने से देखभाल नहीं होती। कहीं तार टूटे पड़े हैं, कहीं तार टच हो जाने से एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी घटनाएं बराबर होती हैं इसीलिए लाइनमैन को भी अधिकाधिक बढ़ाया जाए।

अन्त में मैं पुरजोर शब्दों में पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माडा क्षेत्र को जनजाति में शामिल किया जाए साथ ही साथ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के मामले को विद्युत मंत्रीजी बहुत गम्भीरता से देखें। राजस्थान की चरमराती जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को पुनर्जीवित करके, गरीब किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है, उस पर भी आप ध्यान देंगे।

मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बड़े अधिकारियों के साथ, आपके मण्डल में जो सर्वोच्च शक्तिशाली अधिकारी हैं, उन सब के साथ डिस्कस करके देख लें। मैं मेरी ही बात नहीं कह रहा हूं, मेरे इलाके में तो, सवा सौ झालावाड़ जिले में हैं। और यह आपके आदिवासी इलाकों में माननीय पूर्व विद्युत मंत्री, कौशल साहब के इलाके में, झालावाड़ में, ये सब जगह विद्युत की व्यवस्था इस प्रकार की रेटों की है। जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर है, वह बहुत गम्भीर मामला है। आपको रियायतों में सबसे पहले इस पर आना चाहिए था, जो आया नहीं है। यह आंखों से कैसे ओझल हो रहा है, यह मुझे तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूं कि मण्डल को इस बारे में हमने सब दे रखा है, उनको आप देखेंगे। और चाहेंगे तो मैं और भी आपको जानकारी दे दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे मौका दिया, सभापति महोदय, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, बिजली का आधुनिक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो भारत और पाकिस्तान के मरुस्थल का मध्य है। प्रसन्नता की बात यह हुई है कि उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पिछले वर्षों में भूजल काफी मात्रा में जगह-जगह उपलब्ध हुआ है। लेकिन उसमें

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कुओं में से पानी निकाल कर सिंचाई नहीं की जा सकती। नलकूपों से सिंचाई होती है और नलकूप 125 से 150 मीटर की गहराई से 25 हार्स पावर का इंजन लगता है, तब पानी ऊपर आता है। इससे सिंचाई किसान के लिए बहुत महंगी पड़ जाती है। इसलिए मरुस्थलीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहां पर सिवाय कृषि के अन्य कोई धन्धा न होने से ये बड़ी राहत मिलेगी किसानों को, यदि आप एक तरीका बनाएं कि जो कृषक 125 या 150 फीट से ज्यादा गहराई से सिंचाई करता है नलकूपों से, उसको दूसरे जो साधारण उपभोक्ता है, उससे आधी कीमत ली जाएगी। आप, स्वयं ऊर्जा मंत्रीजी कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। इनको शौक हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इस समस्या पर अवश्य ही विचार करेंगे। इस बात के लिए आपने जो रियायतें घोषित कीं, उसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। और क्योंकि आप कृषि से जुड़े हुए हैं इसलिए कृषि में जैसे नर्सरी योजना में भी कुछ कनेक्शन दिये हैं, एक पोल के 12 हजार रुपये कर दिए थे, उसको वापस 9 हजार आपने कर दिया है, यह बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया है।

एक हमारी समस्या यह है कि जिसे आम तौर से मैं विधान सभा में निवेदन करता रहता हूं कि हमारी सब आबादी ढाणियों में बसती है। गांव में तो पंचायत, या स्कूल या कहीं डाकघर है तो वह है या महाजनों के, सुथारों के या दर्जियों के घर हैं। बाकी सब आबादी अपने-अपने खेतों में बसती है और वहां प्रत्येक गांव का राजस्व क्षेत्रफल अत्यधिक है। जैसे चाखू करके गांव है, उसका क्षेत्रफल ढाई लाख बीघा है। और भी बहुत से गांव हैं, जिनका क्षेत्र-फल बहुत बड़ा है। पिछले वर्षों में सरकार ने नए राजस्व गांव स्वीकृत किये लेकिन आपके विद्युत निगम में उनको अलग गांव तो मान लिया है लेकिन क्योंकि मूल राजस्व गांव है, वह विद्युतीकृत था। इसलिए नव सृजित गांव को ही विद्युतीकृत मान लिया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ढाणियों मे जो नये राजस्व गांव बने हैं, वहां तक बिजली की लाइनें गई हुई ही नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, खिदरत गांव का, जो आखिरी गांव है जोधपुर जिले का। उस गांव से, उसका जो मूल गांव है, कानसिंह की सेडल, लगभग कई ढाणियों से तो 15 किलोमीटर पड़ता है, कई से 10–12 किलोमीटर पड़ता है। क्योंकि कानसिंह की सेडल गांव विद्युतीकृत है इस-लिए उसको विद्युतीकृत मान लेते हैं और 10 किलोमीटर की लाइन और ट्रांसफार्मर आप नहीं पहुंचाते हैं। तो उनके विद्युती-करण कैसे होगा ? उन्होंने कहा कि वहां की कोई अर्जी ही नहीं है। अर्जी कैसे दें, कौन इतनी लम्बी लाइन खुद डलवा सकता है ? तो जितने भी राजस्व गांव बने हैं और जो मूल गांव विद्युतीकृत थे उन गांवों के मुख्यालय पर कम से कम आपको लाइन और ट्रांसफार्मर पहुंचा देना चाहिए।

तीसरी समस्या यह है कि कई लाइनें इस तरह की जल्दबाजी में खींची हुई हैं, कोई दबाव में खिंच गई होंगी, लेकिन 11 किलोमीटर की लाइन 65 किलोमीटर तक लम्बी है और अंतिम छोर पर 45 नलकूप आए हुए हैं जिन पर प्रत्येक पर 32 हॉर्स-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पावर की मशीन लगी हुई है। अन्तिम छोर पर इतना भारी लोड है जिसे लाइन उठा नहीं सकती। नतीजा यह कि वहां पर विद्युतीकृत होते हुए, सब कुछ होते हुए भी मशीनें खराब हो जाती हैं। पिछले साल जब मैंने इस कठिनाई की ओर इंजीनियरों का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने तत्काल एक टेम्परेरी उपचार कर दिया। लेकिन इस प्रकार की समस्या जगह–जगह पर है। उसका एक ही इलाज है। मरुस्थल में जहां छितरी आबादी है, वहां 33 के. वी. और 11 के. वी. के स्टेशन अधिक से अधिक बनने चाहिए। मरुस्थल का क्षेत्र हैं, कहने को तो आप आठ घण्टे बिजली देते हैं लेकिन इतना फ्लक्चुएशन आता है, खासतौर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सब जगह क्यारियां बनाकर सिंचाई करते हैं। ठीक है, पाइप लाइन डाली है। मालदार किसान लगा सकता है। तो भी 50–50 गज कच्चे में ही चलाना पड़ेगा। आमतौर से होता यह है कि एक घण्टे तक बिजली आयी, आधा घण्टे में तो हमारी क्यारियों तक पानी पहुंचता है, रेतीला है इसलिए। इतने में फ्लक्चुएशन आ गया और दो मिनट के लिए बन्द हो गई तो वह पानी वहीं बैठ जाएगा। वापस एक घण्टे आएगी तब आधा घण्टे सिंचाई होगी और आधे घण्टे में वहां पानी पहुंचेगा। इसलिए मरुस्थल के क्षेत्रों में जहां पर कृषि की बालुई जमीन है, वहां पर लाइनों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि इस तरह के फ्लक्चुएशन्स नहीं आएं। नहीं तो सिंचाई होगी ही नहीं। वहां करें कैसे? दूसरी जगह तो डीजल सैट लगा सकते हैं, लेकिन नलकूप में डीजल सैट से बिजली का उत्पादन करें तो किसी को पोसा ही नहीं सकता। क्योंकि आप कृषि से सन्निकट से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं इस कठिनाई की ओर आप पूरा ध्यान देंगे।

मेरे इतने ही कुछ व्यावहारिक सुझाव थे। बाकी तो जो हिसाब-किताब है वह तो महाजन लोग बताएंगे हम तो कोथली में हिसाब रखने वाले आदमी हैं। पैसा है या नहीं, कोथली में देखले हैं तो खतम हो गया। वह कितनी मेगावाट हैं कितनी नहीं है वह हमारे साथियों ने बता दिया और बता देंगे। ये मेरे कुछ व्यवहारिक सुझाव थे, इन पर आप कृपया गौर करें, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री उगमराज जी मेहता। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय हमारे ऊर्जा मंत्री श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ने जिस प्रकार से एक वक्तव्य दिया ..

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मेरा नाम तो नहीं है।

श्री सभापति : जहां भी जिसका है आएगा। आप विराज जाइए।

श्री उगमराज मेहता : उन्होंने इतनी राहत प्रदान की है किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति को, हर स्तर पर हो, घोषणाएं की हैं और जो राहत प्रदान की है....

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, आपने कुछ नहीं कहा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे पास जो सूची है और मेरे पास जो हैं, मैं

(श्री सभापति)

आपसे कह रहा हूं आपका जब नम्बर आयेगा तो आपको आमंत्रित करूंगा। अभी आप विराज जाइए। श्री मेहता जी।

श्री उगमराज मेहता : माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो राहत प्रदान की है, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को, किसान को, मध्यम परिस्थिति के व्यक्ति को, शहर के व्यक्ति को, हर क्षेत्र में आज अपने वक्तव्य में राहत दी है उसके लिए मैं बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं और सारी जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। आप पावरफुल मंत्री के रूप में आए हैं और मैं पावरफुल मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार से पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो करप्शन वगैरह की बात कही है, उनका तो काम यही है किसी भी चीज, किसी भी वक्तव्य के बाद वे इसी प्रकार से कुछ न कुछ कहते हैं। उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं।

जो आपने राहत दी है इसमें मुझे वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं दो मिनट ही लेऊंगा बाकी मेरा समय माननीय सनाढ्य साहब को दे दें। आपने एन. डी. एच. नर्सरी में कनेक्शन लिए हुए हैं, दो–दो साल हो गए हैं उनको भी राहत दें, मेरा आग्रह है कि उनको भी राहत मिल सके।

(18.16 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, 131 में हमारा ध्यानाकर्षण था।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आप बोलिए।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान पी.एच. ई. डी. के कनेक्शन की ओर भी दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र ब्यावर में जो पी. एच. ई. डी. के कनेक्शन हैं, जो आपने दे रखा है उसे लालपुरा सेंदरिया फीडर, जो जी. एस.एस. से लालपुरा पाली की ओर लाइन है जिसकी लम्बाई लगभग 20 किलोमीटर होगी, उससे कंट्रोल करने के लिए कोई सर्किट ब्रेकर अथवा ओ. सी. बी. स्विच के नियंत्रण के बगैर अभी चल रही है। मैंने बार–बार मीटिंग में कहा, जो अजमेर जोनल एडिशनल चीफ इंजीनियर वहां बैठते हैं, हर महीने वहां मिटिंग होती है। हर महिने की मिटिंग में हम जाते हैं। सेंदरिया फीडर और कहां पाली बोर्डर। पाली बोर्डर लालपुरा में वह पाली के एस. ई. के अण्डर में है। वहां अगर फाल्ट हो जाता है तो हमारे वहां पानी आना बन्द हो जाता है और जी. एस. एस. सेंदरिया पर फाल्ट आता है, उन दोनों लाइनों के बीच में 7 किलोमीटर, गोविन्दपुरा पम्पिग स्टेशन भी है। फाल्ट आते ही, ज्यों ही 120 के.वी. जी. एस. एस. से वह लाइन कट ऑफ हो जाती है तो सारा शहर अंधकार में हो जाता है। पिछले दिनों में 7 करोड़ 60 लाख रुपये इस योजना के लिए मिले हैं। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा सा आप दबाव दें ताकि इस दो महीने के पीरियड में वे इस प्रकार से सुधार ला सकें ताकि शहर में जो समस्या विद्युत की है वह जल्दी से जल्दी दूर हो सके।

(श्री उगमराज मेहता)

पिछले दिनों मेरे ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण की एक योजना बनी। उसमें 2 करोड़ 36 लाख रुपये वहां आए। परन्तु बहुत से गांव विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा पंचायत बड़ा खेड़ा में जिलेदार की वाडिया, सोनलदा, बसन्तपुरा, रूपा खुमा का वाडिया, आसन पंचायत में हीरों का बास, चापोता का वाडिया, ब्राह्मणों का वाडिया, जोगमण्डी, गोगामण्डी, खानों का वाडिया, बांठिया रेल, राटगढ़ में समादेवरी (लूणेता), मालातो की बेर पंचायत में नालीया, सरदरी और तारागढ़ पंचायत में माल का चोड़ा, केना का तालाब, बीरम का वाडिया, भाखरड़ा, बिरदो, मरीयाली, खोराट, सूरजपुरा पंचायत में केमड़ी का वाडिया, दूधपुरा का वाडिया, रावतमाल पंचायत में बिडादोती, उपरला का बाडिया, इन्द्रा कालोनी, जबाजा पंचायत में पुनेरा, चांदोता का बाडिया, कानपुरीया, दावगावक, देवाखेड़ा, रूपाणा, कंजर बस्ती, ओडावास, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। इसी साल आप इनको इलैक्ट्रिफाइ कर दें ताकि दीवाली के पहले-पहले इन गांव, मजरे, इन ग्रामीण क्षेत्रों के भाइयों को बिजली मिल जाए तो मेरे क्षेत्र का सेंट पर्सेण्ट विद्युतीकरण हो जाएगा।

एक ए. ईएन. आफिस ग्रामीण का मेरे ब्यावर में खोला है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु उसका आफिस उसी जगह है जहां मौजूदा आफिस है। न टेलीफोन है वहां पर। हमें बार-बार उन्हीं ए. ईएन. से कहना पड़ता है। जो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं वह कहां जाएं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र का ए. ईएन. आफिस ऐसी जगह खोल दिया जाए जहां किराये की बिल्डिंग भी हो, तो भी कोई बात नहीं। परन्तु आप अलग से खोल दें ताकि ग्रामीण भाइयों को बिजली के बिल वगैरह भरने के लिए, या कोई शिकायत करने के लिए ब्यावर आना पड़े तो इधर-उधर भटके नहीं।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की सात पंचायतें हैं यह भीम देवगढ़ फीडर से जुड़ी हुई हैं। अब जब कभी भी शार्टेज होती है, बिजली की कमी होती है, या कोई फाल्ट आता है तो इन सातों पंचायतों की सप्लाई बन्द कर देते हैं। मैंने बार–बार निवेदन किया कि इसका जसाखेड़ा पर 11 के. वी. का सब-स्टेशन लगा दीजिये या जसाखेड़ा से थोड़ा आगे, ताकि इन सातों पंचायतों में इस प्रकार से सुविधा मिल सके। यही कह कर मैं आपसे पुनः माननीय तिवाड़ी साहब, आप बहुत-बहुत बहादुर मंत्री साबित हुए हैं और मुझे आशा है कि आने वाला बजट भी आप ही इस प्रकार से घोषणा करेंगे। आपने जो घोषणाएं की हैं, आने वाले समय में आप और पूरी करेंगे जो अधूरी रह जाएंगी। जय भारत।

सदन की अवमानना

श्री राजकुमार विलियम द्वारा सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचना देता हूं कि आज जब सदन की कार्यवाही चल

(श्री अध्यक्ष)

रही थी तो अपराह्न 2.45 बजे दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने जिसका नाम ही राजकुमार विलियम पुत्र श्री एन. विलियम आयु 59 वर्ष, जाति क्रिश्चियन निवासी सी–62, मालवीय नगर, जयपुर, व्यवसाय प्रधानाध्यापक ने नारे लगाये, पर्चे फेंके कि–"सरकार असंवेदनशील है। राजस्थान के 2 50 शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप को हमारी बात सुननी होगी।"

उक्त व्यक्ति को वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त ही अपनी सुरक्षा में ले लिया तथा पूछताछ की गयी व इनके बयान अभिलिखित किये गये। श्री विलियम ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह कृत्य विरोध प्रकट करने के लिए व विधान सभा अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, क्योंकि दो लाख शिक्षक कर्मचारियों का मामला था ताकि सरकार की संवेदनहीनता समाप्त हो तथा शिक्षकों को उनका वाजिब हक अविलम्ब दिया जाए। श्री विलियम ने अपने इस कृत्य के लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया है और न ही माफी मांगने को वे तैयार हैं।

मैं चाहूंगा कि सदन इस मामले में उचित निर्णय ले।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको राजकुमार विलियम पुत्र श्री एन. विलियम कहता है, जिन्होंने आज 2.45 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और पर्चे फेंके। जिनका वाच एण्ड वार्ड के अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया। उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन की अवमानना के दोषी हैं। यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त श्री राजकुमार विलियम को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं शिक्षक रहे हैं, मैं समझता हूं कि सदन को उदारता पूर्वक आप उनको प्रताडना देकर छोड़ दें। यह मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : इसमें क्या संकल्प हुआ कि छोड़ दें। जैसा कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने प्रस्ताव रखा है, आप अपने विचार रखें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं भी उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहता हूं कि उन्होंने भावावेश में भी कुछ ऐसा कर दिया है तो प्रताड़ना देना ही काफी होगा। उन्होंने प्रताड़ना देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, यही समीचीन होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि श्री विलियम को प्रताड़ना देकर छोड़ दिया जाए ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह कहां दी जाएगी ? यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : सदन की तरफ से माननीय अध्यक्ष भी दे सकते हैं।

(186)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जैसा आप चाहें ।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं तो आपसे अनुमति ले रहा हूं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप अपने चेम्बर में बुलाकर दे दीजिये साहब । सदन के माननीय हैं ।

राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विषय बिजली पर बिजली मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, उस चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड की घाटे की स्थितियां है, इसके लिए पूर्ण रूप से जिस तरह से सरकार और बिजली बोर्ड के तमाम अधिकारियों का यह जो सोच है कि यह बोर्ड का घाटा मात्र किसानों को सब्सिडी देने के कारण है, यह कतई उचित भी नहीं है और यह सही भी नहीं है । क्योंकि दिल्ली का बिजली बोर्ड जिसकी किसानों को सप्लाई नाम मात्र की भी नहीं है, बिजली बोर्ड में घाटे के और दूसरे कारण हैं । लेकिन जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है यह किसानों पर कोई रहम करने की बात नहीं है । यह केवल किसान के लिये नहीं, इस देश के लिये आवश्यकता है । देश का कृषि उत्पादन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा । इसलिए किसान को सब्सिडी पर बिजली देना देश की आवश्यकता है न कि किसान की है । यह किसान पर कोई मेहरबानी का काम नहीं है ।

जहां तक सप्लाई का सवाल है, मंत्री जी ने इस सप्लाई में भी निश्चित रूप से गांव और शहर, किसान के खेत और कारखाने में जो सोच डवलप की है और जो भेद है, यह सबसे भयंकर शोषण है । मैं समझता हूं कि गांव का और किसान का इससे बड़ा अनादर कोई नहीं हो सकता । अध्यक्ष महोदय, आज जो भी शहर हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनमें 24 घंटे बिजली रहेगी और गांव में लाइट के लिए बोर्ड का आदेश निकलता है कि शाम को 6 बजे से 10 बजे तक रहेगी । गांव में रहने वाला विद्यार्थी 10 बजे के बाद नहीं पढ़ सकता । परीक्षा है तो वह सुबह उठकर नहीं पढ़ सकता । जबकि हमेशा सीजन के वक्त यह आर्डर निकलता है गांव के लिए । गृह मंत्री जी चिमनी में पढ़ाना चाहते हो 50 साल के बाद भी, तो भी नहीं पढ़ सकते । अगर आप उसको चिमनी में ही रखते तो वह चिमनी में पढ़ सकता था । लेकिन जिसने बिजली में पढ़ लिया, जिसने ट्यूब लाइट और बल्ब में पढ़ लिया वह चिमनी से नहीं पढ़ सकता ।

जहां तक किसान के कृषि के लिए डिमांड एण्ड सप्लाई में जो गैप हुआ है, आप यूनिटों के हिसाब से हिसाब बता सकते हैं कि आपने इतना, क्योंकि कंजम्प्शन, कनेक्शन बढ़े हैं इसलिए यूनिट ज्यादा ली होंगी । लेकिन किसान को सप्लाई नहीं करने में जो रिकार्ड इस सरकार ने कायम किया है, पिछली गर्मियों में जब सीजन नहीं था, एक महीने तक चार घंटे के आदेश थे और दो घंटे भी नहीं आ रही । जो मंत्री जी ने घोषणा की है कि 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी, अगर सरकार यही निश्चित कर दे कि 8 घंटे किसान को

(श्री अमराराम)

अनट्रिप्ड बिजली मिलेगी तो यह सबसे बड़े ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री होंगे । लेकिन नहीं हो सकता । आज न इनके पास सिस्टम है....

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़े होंगे यह आपको समझ में नहीं आया आज भी ? सबसे अच्छे ऊर्जावान मंत्री होंगे, यह आपकी समझ में नहीं आया क्या ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा की घड़ी तो अब आयेगी । आज इन्होंने घोषणा की है । आज मैं कह सकता हूं, आप जहां से चुनकर आते हैं, जिस गोविन्दगढ़ में 8 घंटे की बात कर रहे हैं, आज बरसात हो नहीं रही है । किसान, चाहे सीकर ले लें, चाहे चौमूं विधान सभा क्षेत्र ले लें, चाहे शाहपुरा ले लें, चाहे जहां भी बिजली से सिंचाई होती है आज बरसात नहीं हो रही है । किसान अपनी फसल को बचाने के लिए, पहले तो बरसात ही नहीं हुई, जिससे फसल मरी हुई है । अब जैसे-तैसे कराके फसल को बचाना चाहता है । चार घंटे बिजली मिलती है और वह भी 10 दफा या 12 दफा मिले, कोई नहीं ..

श्री अध्यक्ष : यह कब तक की सूचना है।

श्री अमराराम (धोद) : यह सुबह 10 बजे तक की सूचना है । और मंत्री जी दरियाफ्त कर लें सीकर में । मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं । मंत्री जी खुद जानते हैं इस बात को कि सीकर जिले में जहां 8 घंटे देने के लिए आपको 120 मेगावाट चाहिए । आप 65 मेगावाट देंगे तो कोई अधिकारी नहीं, आप चाहे जिस अधिकारी को लगा दें, अब आप बिजली देंगे नहीं तो अधिकारी के अन्दर से बिजली नहीं निकलेगी । आज यह हालात है । और यह बिजली अनट्रिप्ड नहीं मिलती है । आज हालत यह हैं कि फव्वारे से हम चलाते हैं । 10 मिनट बिजली आई, आधा घंटा नहीं आई । जितना पानी जमीन पर गिरा वह सूख जायेगा । आज क्यारी को, जो क्यारी को किसान पिलाता है, उसका स्टार्टर दबाकर जायेगा । धोरे से पानी क्यारी तक नहीं पहुंचता, उसके पहले ही बिजली गायब है । और यह हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है । सबसे बड़ा सोच जो किसानों के प्रति हुआ है, यह जब तक सोच नहीं बदलेगा प्रशासनिक अधिकारियों का, और सरकार का जब तक यह सोच नहीं बदलेगा, इसमें सुधार नहीं हो सकता ।

अब जहां तक सप्लाई का है, आज यह हालत पूरे राजस्थान में जहां नर्सरी योजना के लिए मंत्रीजी कह रहे थे, यह बहुत प्रसिद्ध योजना हुई । इसको लोगों ने बड़ा ग्रहण किया । अध्यक्ष महोदय, ग्रहण नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : स्वागत किया ।

श्री अमराराम (धोद) : स्वागत नहीं किया । किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया । मंत्रीजी ने कहा कि 12 साल से कनेक्शन नहीं मिलते । 12 साल से जिस किसान को कनेक्शन नहीं मिलता चाहे आप नर्सरी के नाम से दें चाहे मुर्गीपालन के नाम से दें, चाहे एक पोल के नाम से दें । जिस तरह भी आपने दिया राजस्थान में किसान अपनी जमीन बेचकर, जेवरात बेचकर जो कुछ भी मांगा आपने, उन्होंने पैसा दिया । उनकी मजबूरी का फायदा

(18.36 बजे)

(श्रीमती तारा भंडारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री अमरराम)

उठाया। यह प्रसिद्ध योजना नहीं थी और इसका सबूत है कि जिन 48000 किसानों को नर्सरी में कनेक्शन देने का आपने यहां बताया है, उनसे केवल सिक्योरिटी के नाम पर 192 करोड़ 77 लाख रुपये पिछले चार साल मे आपने लिये हैं। तीन गुना, एक रुपया 43 पैसे तो प्रति यूनिट चार्ज है, बाकी सरचार्ज, श्यूल चार्ज। मीटर आपका है, जल जाता है तो पैसा दो। आज यह हालात है। मैं समझता हूं कि किसानों की मजबूरी का जो निश्चित रूप से, उद्योग और किसान के खेत में कितना फर्क है? आज उद्योग लगायेगा, राजस्थान में हम इन्वाइट कर रहे हैं बाहर जाकर। और देश-विदेश से बुला रहे हैं और आज लाखों किसान 12 साल से, 14 साल से बिजली का कनेक्शन चाह रहा है, उनको कनेक्शन नहीं दे रहे है। क्या वह उत्पादन नहीं करेगा? क्या बिजली लगने के बाद उसके खेत में काम करने वालों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या राज्य में उत्पादन नहीं बढ़ेगा? एक लाख कनेक्शन अगर उनको हम रिलीज कर सकें तो पांच लाख लोगों को राजस्थान में रोजगार मिलेगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जिस तरह कल वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि हम उनकी क्रय शक्ति अगर इस तरह बढ़ाना चाहते हैं, आप 200–200 करोड़ उनसे लेकर, उनकी जमीन, उनके जेवरात बेचकर किसान की मजबूरी का फायदा राजस्थान की सरकार ने सबसे भयंकर उठाया है, यह इसका उदाहरण है।

कुछ व्यावहारिक निर्णय मंत्रीजी ने जरूर लिये है और जितनी छूट दी है, मैं कहना चाहता हूं कि जितना लूटा, उसमें से एक चौथाई भी नहीं छोड़ा है अभी। जितना चार-साढ़े चार साल में लूटा इस सरकार ने, उसका तो 10 प्रतिशत की छूट आपने नहीं दी (व्यवधान) कहना नहीं है। मंत्रीजी ने बताया है, मैं थोड़े ही बता रहा हूं, यह रिकार्ड पर है। और अभी भी एक बचा हुआ है। आज किसान बिल जमा नहीं करा पाया, जो गरीब है, वह बिल जमा नहीं करा पाता। अगर उसका कनेक्शन कट गया, छह महीने के बाद पी.डी.सी. हो गया तो अभी भी बोर्ड ने आदेश निकाल रखा है कि 9000 रुपये एक पोल से देगा और बकाया बिल देगा। अगर 10 पोल का कनेक्शन है तो 90,000 रुपये और बकाया बिल देगा तो इसका मतलब यह है कि इस आदेश के निकलने का मतलब ही बोर्ड का यह था कि यह आपने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बदल दिया है। आर्डर निकाल दिया है।

श्री अमरराम (धोद) : यह आपने 5 साल से 7 साल किया, उसमें आपने घोषणा नहीं की थी। बदल दिया है तो बढ़िया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो एक पोल के हैं उसमें 90 प्रतिशत आर्डर निकाल दिये। 2–3 बातों के लिये मैंने कहा कि आर्डर नहीं निकले, उनका आज या कल आर्डर निकाल देंगे।

श्री अमरराम (धोद) : इसमें आपने नहीं की थी। अगर

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें घोषणा की है मैंने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पांच साल के बाद नर्सरी में होता था

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच साल के बाद नर्सरी में होता था, अब वह सात साल तक का समय बढ़ा दिया है। वह नर्सरी में नहीं होगा, सामान्य श्रेणी में होगा।

श्री अमराराम (धोद) : सामान्य वाली बात नहीं कह रहा, मंत्रीजी मैं तो यह कह रहा हूं कि जो कनेक्शन छह महीने के बाद पी.डी.सी. हो जाता है, उसके जितने पोल हैं, चाहे खड़े हो, आर्डर यह है कि पर पोल 9000 रुपये खड़े हुए पोल पर भी चार्ज लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं लगेगा। सामान्य श्रेणी में जो होगा, वही लगेगा।

श्री अमराराम (धोद) : बहुत बढ़िया है। इसके लिए तो, और आज हालत यह है कि आज बिजली बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार है, जो उनके अधिकारी हैं मेंटिनेंस के लिए, न ऊपर से खरीद, मैं समझता नहीं कि होती है या नहीं होती है। आज हालत यह है कि 10 से 20 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए है। बरसात का मौसम है। सैंकड़ों लोग अकेले सीकर जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीचे पड़े हुए ट्रांसफार्मर के पास घास खोदती हुई तीन औरतें चिपककर मर गई। पशु मर जाएं। बिजली बोर्ड के अधिकारी केवल वह काम करते हैं जिसमें उनकी जेब गरम हो जाये। मेंटिनेंस के लिए वे जाते नहीं। आज राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके केबल नहीं हैं, नंगे तार लगाये हुए हैं जिससे ट्रांसफार्मर जलते हैं।

अभी स्कीम निकाली आपने, एल.टी. लैस। एल.टी. लैस से निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर आपके ज्यादा लगेंगे लेकिन बाकी मैटेरियल जो गांव में है, वह काम में आ जायेगा। वही एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन इस काम को, आपकी बहुत बढ़िया योजना निकली कि पूरे गांव में एल.टी. लैस सिस्टम एक साथ कर दिया जाये क्योंकि कोई अधिकारी नहीं करता। क्योंकि एक ट्रांसफार्मर को, उसको कहां रखना है, यह अलग-अलग करेंगे तो एक ट्रांसफार्मर इधर-उधर करने के बिजली बोर्ड के अधिकारी 20-20 हजार लेते हैं। जिस नर्सरी में आपने लाख-लाख रुपये लिये, उनके कनेक्शन में भ्रष्टाचार के रूप में 20-20 हजार रुपये कनेक्शन देने के लिए ले रहे हैं। केवल यह पाठ पढ़ाकर कि आपने यहां पर दो पोल कम कर दिया है, इस तरह से यह जो भ्रष्टाचार, केवल जब तक मेंटिनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन बिजली का है, वह सही सलामत अगर 8 घंटे अनट्रिप्ड दें तो सबसे ऊर्जावान मंत्री होंगे। लेकिन इनके जिन अधिकारियों का दृष्टिकोण ही यह होगा कि उनकी जेब कैसे गरम हो सकती है, वह काम करेंगे। और जो जनता को रिलीफ होने वाली है, और बिजली की स्थिति आज केवल गांवों में नहीं रही, शहरों में हालत यह हो गई हैं। अलवर में रास्ता रोकना पड़े। और अब तो यह राजधानी होने लग गई। अभी एक साल से तो मैं देख रहा हूं कि यहां जयपुर में भी बिजली जाने लग गई। पहले गांव वालों को तकलीफ दें और शहरों को भी पता लगता है कि बिजली दो घंटे गरमी में नहीं आये रात में, तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन गांव की चिन्ता जब तक हम नहीं करेंगे, और यह

(श्री अमराराम)

सबसे भयंकर, बिजली बोर्ड के विजिलेंस में आपने दी। निश्चित रूप से इससे काफी बेनेफिट होगा। क्योंकि आपकी जो लाइनें हैं, लाइन लोस, आपका 400 बोल्टेज आना चाहिए वही बोल्टेज आता है 150-175। जैसा अभी माननीय विश्नोई साहब कह रहे थे कि 150 बोल्टेज आयेंगे, अगर आप टोंग-टेस्टर लगायेंगे। 10 एच. पी. की मोटर है, 17 एच. पी. बतायेगा। और इसका केवल ये यूज नहीं करते. फर्जी भी लगाते हैं कि पैसा दे दो तो चैकिंग रिपोर्ट गई और पैसा नहीं देते हैं तो 10 की बजाय 18 होगी। तो यह हालत केवल विजिलेंस में चैकिंग के नाम पर सबसे बड़ी भयंकर है।

किसान जो ईमानदार है, जो बराबर अदा करता आ रहा है, लेकिन आडिट के नाम पर दो साल में तो आपने 10,000 का बिल पकड़ा दिया। किसान न तो रिकार्ड रखता है। जब बिजली बोर्ड के अधिकारी, एकाउन्टेंट, आप बिल निकालते हैं, जितना निकाल दिया, दो साल के बाद में उसका निकल जायेगा 8000 रुपये। बिजली बोर्ड के अधिकारी के पास जायेंगे। यह तो आडिट जयपुर से आई हुई है, बोर्ड आफिस से आई है। हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और हजारों केस न्यायालयों में केवल इस बात के लिए कि आडिट हो, आडिट होनी चाहिए। लेकिन जितना भी इम्पोज करते हैं कम से कम आडिट के अधिकारी, सहायक अभियन्ता और उस काश्तकार को बुला लिया जाये कि तुम्हारे ऊपर इस बात का है उसको बिल दिया बोर्ड ने, उतना उसने चुकाया है। फिर किस बात का आठ हजार दस हजार, पन्द्रह हजार? तो यह सबसे भयंकर स्थिति है आडिट के नाम से।

आज हालत यह है कि जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रांसफार्मर हैं, आज सिस्टम इम्प्रूवमैंट बहुत बड़ी आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब तक हम सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो जो बिजली है सही-सलामत, उसका लाइल लोसेज भी सबसे ज्यादा होगा। इन्होंने सबसे बढ़िया किया, वन पोल और टू पोल का जो तीन साल से, सबसे भयंकर, जितना पैसा नहीं आता, उससे ज्यादा तो कोर्ट में हो गया। चार साल हो गये। बोर्ड ने आदेश निकाले, बोर्ड ने डिमाण्ड नोटिस निकाले, किसान ने पैसा जमा करा दिया। चार साल हो गये कोर्ट के चक्कर लगाते। हाईकोर्ट में, मैं समझता हूं कि जो बिजली बोर्ड के तमाम उपभोक्ताओं ने केसेज में जितना पैसा वकीलों को दिया है सिक्योरिटी से ज्यादा लगा पैसा दिया। एक बात स्वागत योग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी शायद भूल गये, एक विशेष सामान्य कृषि योजना निकाली है। दो साल प्रायोरिटी में जो देते हैं, उनसे दो साल पीछे वाले, जिनको 75 रुपये एच. पी. है, केवल 14 साल से कनेक्शन मिल रहा है। 12 साल पेण्डिग था, उसने कनेक्शन लिया है, उसको तो 45 सामान्य वाले को 45 रुपये और उसको 75 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा, मेरा निवेदन है .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चालू करनी है न ?

श्री अमराराम : चालू नहीं, उसकी रेट 75 रुपये एच. पी. है, उसके

(श्री अमराराम)

बजाय 45 कीजिये। उसने 14 साल इंत-जार किया, दो साल पहले लिया है, क्या अन्याय किया है उसने ? तो 12 साल। एक राजस्थान के किसान के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है कि जितना गहरा पानी होगा उसके खेत में, उसको उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसको कुआ बनाने में भी ज्यादा देना पड़ेगा, पम्प सेट लगाने में भी ज्यादा देना पड़ेगा। मंत्री महोदय, हालत ऐसी है कई जगह तो ऐसी है, जहां 25 एच. पी. के कनेक्शन के बगैर पानी नहीं आता। तो जितना गहराई पर होगा, जिस तरह से हरियाणा में है, जितना गहरा होगा उसको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। यह तो उसकी मजबूरी है। लेकिन डिस्चार्ज तो पानी का उतना ही होगा, सिंचाई उतनी ही करेगा। लेकिन उसको बिल चार गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। जब तक आप इसको मीट-आउट नहीं करेंगे, ज्यों गहरा पानी जायेगा, आज किसान की हालत यह है, जो अन्डरग्राउण्ड वाटर हर साल जाता है, हर तीसरी साल किसान को बीस हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपये उसकी गहराई और बोरिंग के लिए लगाने पड़ते हैं। वह तो यों ही मारा जा रहा है। तो डबल मार होगी, एक खुदाई और बोरिंग की होगी और उधर से आपके चार्जेज की होगी। और जो कनेक्शन हैं, मैं समझता हूं, अगर हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो आपके बिजली बोर्ड के कार्यालयों में फाइलें हैं, आज जितनी कम गहरा पानी जाता है, बहुत से किसान इस बिजली की अव्यवस्था के कारण, जहां 5 एच. पी. डीजल इंजन से निकल सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने आज तक फाइलें ही जमा नहीं कराई। अगर आप इन एक लाख को, जिस तरह से आपने घोषणा की है, दो साल में अगर आप सब को दे देंगे तो दो लाख किसान और आ जायेंगे। आज जहां–जहां बिजली की सिंचाई है राजस्थान में वहां सब जगह डार्क जोन घोषित हो गया। वहां जो थोड़ा–बहुत खाता–पीता किसान है वह तो कुंआ बना लेता है। जो गरीब है, जो लघु और सीमांत काश्तकार है वह कुंआ नहीं बना सकता। डार्क जोन की वजह से लोन नहीं मिल सकता। किसान किसी तरह से बना ले और बिजली का कनेक्शन ले, पम्प सेट ले, तो लोन नहीं मिल सकता। इसलिए वह राजस्थान का किसान, जो सबसे ज्यादा गरीब है और जहां बिजली से सिंचाई होती है, वह तो आपकी इस लाईन से ही बाहर हो गया। इसलिए वह किसान, केवलमात्र मध्यम किसान, जिसके पास थोड़ी बहुत ज्यादा जमीन है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके वह कुंआ बनायेगा। वह तो लाईन से ही बाहर हो गया। जहां बिजली से सिंचाई है, वहां वही किसान, जो थोड़ा-बहुत धनी या मध्यम किसान है, वही आयेगा। बाकी गरीब और शिड्यूल्ड कास्ट की तो हालत ही यह कर दी कि वह तो अब आ ही नहीं सकता।

जीवन धारा थी, डार्क जोन के कारण, वह खतम हो गई। जो खाता–पीता शिड्यूल्ड कास्ट में है, वह भले ही आ जायेगा और शिड्यूल्ड ट्राइब में, आप शिड्यूल्ड ट्राइब को उससे भी नीचे सम-

(श्री अमराराम)

झते हैं। है कमजोर। लेकिन जो जनजाति क्षेत्र, माडा में भी आ जायेगा। लेकिन बाकी रहेगा उसको दो साल की ही रिलीफ होगी। तो एक दूसरा मेरा निवेदन है, उनको भी उनके समान किया जाय और जो फौजी हैं, एक्स आर्मीमेन हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, उनको केवल मात्र दो साल की रिबेट है। सब को तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उन एक्स आर्मीमैन को, जिन्होंने देश की सेवा की है, जो रिटायर होकर घर आ गये, जो अपना काम कर सकते हैं निश्चित रूप से उनको भी इस प्रायोरिटी में जो अप–टू–डेट तक देने का है, मैं समझता हूं, उनको दिया जाता है तो इस राजस्थान की, इस देश की सेवा करने में, इस देश की सुरक्षा करने में, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जिन्होंने योगदान किया है, उनको भी लाभ होगा।

अंत में, मंत्री जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से प्रेक्टिकल निर्णय लिये। लेकिन यह मानसिकता, किसान और गांव के प्रति मानसिकता आज तक बनी है कि किसान को आवश्यकता नहीं। आज चोरी के नाम पर किसान को जिस तरह से तंग किया जाता है, और बड़े-बड़े उद्योग जो भी हैं, एक उद्योग पकड़ा जाता है भिवाड़ी में। एक करोड़ की चोरी पकड़ी जाती है। और राजस्थान में किसानों की विजिलेंस पर जितना खर्च किया जाता है पैसा, उनके टी.ए. डी.ए.और गाड़ी का किराया है, उतना पैसा किसानों से पूरा वसूल नहीं किया जाता। आज यह हालत है कि गांव में किसी ने छोटी सी दुकान बना ली। घर से बल्ब जला लिया। पूरे महीने में उसकी तीन हजार की बिक्री नहीं हुई। उस पर पैनेल्टी लगा रखी है तीन हजार पांच सौ रुपये। किसी गरीब ने, पचास साल बाद भी, झोंपड़ी में लट्टू नहीं जल रहा। अगर लट्टू जला लिया,एक बल्ब जला लिया तो उसके एक हजार की पेनल्टी है। आज नहीं जला सकता वह। हमारी जिम्मेदारी है कि जो आज तक, पचास साल तक, गांव में बिजली जाने के बाद अपनी झोंपड़ी में लट्टू नहीं जला सका, वह सरकार की जिम्मेदारी है। कल हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे थे, जब तक मानव संसाधन का विकास नहीं करेंगे। हो सकता है बिजली 82 के बाद तीन गुना हुई हो, चाहे घर में हो, कारखाने में हो, चाहे खेत में हो। लेकिन मानव संसाधन के नाम से बिजली बोर्ड में 82 के बाद एक मानव संसाधन नहीं हुआ। और यह बिजली एक ऐसी चीज हो गई उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली केवल खेती के लिए नहीं है। जिन्दगी का पार्ट हो गई, उसके आदी हो गये। चाहे पीने का पानी हो। इन गर्मियों में दो घंटे बिजली, रिकार्ड कायम कर दिया। और एक मैं यह कहना चाहूंगा कि कई समय ऐसा होता है जहां पूरे महीने आप दो घंटे भी बिजली नहीं दे पाये और 45 रुपये एच. पी. के पर मन्थ के हिसाब से फ्लैट रेट लेना चाहते हो। अगर कहीं भी कारखाना बन्द हो गया और बिजली आप नहीं दे पाते हैं तो कम से कम उसका बिल तो उतना कम कर दीजिये आप। आप सामान भी नहीं देंगे और पैसे भी लेंगे। दो घंटे बिजली देंगे और आठ घंटे के पैसे लेंगे। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि यह सोच बदलने

(श्री ग्रमराराम)

की ग्रावश्यकता है। इस बात के लिए कि किसान की मेहरबानी के लिए सब्सीडी नहीं है, इस देश की ग्रावश्यकता के लिए है। किसान को बिजली देना इस देश और प्रदेश के विकास के लिए ग्रावश्यक है। ग्रगर इस सोच को हम बदलने में सक्षम हुए तो राजस्थान में, विकास में जो बिजली की ग्रावश्यकता है, उसके विकास में हम योगदान दे पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार। श्री भीमराज भाटी।

एक माननीय सदस्य : ग्रा गये साहब, आ गये।

श्री खंगारसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष जी, ग्राज बिजली पर बहस चल रही है ..

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ले लेंगे।

श्री खंगारसिंह चौधरी : मैं बोल लूंगा दो मिनट में। मैं सुझाव दूंगा .

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमार जी ग्रा गये, ग्रापको बुलवायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम बार तो माननीय सदस्य बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण जी ग्राप पांच मिनट वेट कर लें। बोलें।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : ऐसा था कि मंत्री जी ने बिजली के विषय में जो काश्तकारों को फायदा दिया है वह तो काफी बड़ा फायदा दिया है। इसके ग्रलावा भी कई एक सुझाव थे। जब मार्च में बजट सेशन चला था, उस समय इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने ग्रौर ग्रपने चैयरमैन साहब ने ग्रौर ग्राठ-दस हम एम. एल. ए. थे, उस समय काफी गोष्ठी हुई थी। उस गोष्ठी के हिसाब से आज जो काफी रियायतें दी हैं, इसके लिए तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कई एक चीजें रह गई हैं। ग्रभी ग्रमराराम जी ने काफी कुछ बातें कहीं। वह किसानों की जरूरत की बातें हैं। मैं भी इसमें सहमत हूं। ग्रगर ग्राप किसानों को ज्यादा फायदा देना चाहते हैं तो कुछ न कुछ ग्रौर करना होगा। ग्राप मानते हो कि जो ग्रापने इंदिरा गांधी नहर, कोटा प्रोजेक्ट पर करोड़ों ग्रौर ग्ररबों रुपये खर्च किये, काश्तकार एक खेत के ग्रन्दर कुग्रा बनाता है, उसको पांच लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ग्रौर पांच पीढ़ी तक उसमें कोई पानी की गारंटी नहीं रहती कि मेरे पानी यहां पर कायम रहेगा। हर साल लेवल 2, 4, 10 फुट नीचे चला जाता है। ग्राज स्थिति भयंकर है। बरसात नहीं हुई है। शाखें सूख रही हैं। जो बीज बोया हुग्रा है वह भी नष्ट हो गया है। अब इस तरह से काश्तकार कुदरत पर निर्भर है। दूसरा कोई जरिया नहीं है। व्यापारी व्यापार करता है तो एक रुपये का सवा रुपया, एक रुपया बीस पैसा उस पर नफा ले करके बेचता है पर काश्तकार ईश्वर की जोह पर बैठा है ग्रौर ईश्वर की ही ग्रास है। आज अनादि काल से जो कोई सम्पन्न रहा हो चाहे किसी का राज रहे, सब काश्तकारों पर जिन्दा रहे हैं। ग्रौर ग्राज भी सारे

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

देश की नजर काश्तकारों पर लगी हुई है। आप मानते हैं कि 70% काश्तकार हैं और 30% बैठे खाने वाले हैं। जोकें हैं। और वे 30% उनकी लुटाई करते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी कल महंगाई का सवाल चला था। काश्तकारों को वो ही आलू और प्याज के भाव दो रुपये, तीन रुपये और पांच रुपये किलो बिका है और जो बाजार में आज 10 में ही नहीं मिलते हैं। यह किसकी चोरी हुई? जो 30% बचे हुए हैं वे काश्तकारों पर जिन्दा हैं और काश्तकारों का खून चूसने वाले हैं। उनको कभी दया नहीं आती।

इलैक्ट्रिसिटी के मामले में शहरों और गांवों का भेदभाव आपने बताया कि उसके अन्दर भी काफी भेदभाव है। काश्तकार को लाइट रात में दी जाती है जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और उस समय उसको लाइट दी जाती है। यह भी एक बड़ी भारी काश्तकारों के लिए सरकार की सजा है कि आप रात में कड़ाके की सर्दी में खड़े होकर के खेती की पिलाई करो और अनाज पैदा करो और मौज-शौक हम करेंगे। मेरे कड़वे वचन हैं। मैं सही बात कहने वाला आदमी हूं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी काश्तकारों को लाइट दी जाए वह दिन के समय दी जाए और जिस समय लोड ज्यादा लाइनों पर आ जाता है, जिस समय आप फीडर काट देते हैं और काटने के बाद में एक काश्तकार के एक फीडर पर दो घण्टे मिली। अब दूसरे दिन उसका नम्बर आएगा। कहां गई आपकी 7–8 घंटे बिजली? इसके लिए आपने क्या नियम बनाये कि उसको 8 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए इसलिए यह बहुत जरूरी है। जहां तक आप रेगुलर 8 घण्टे की बात कर रहे हो, उस 8 घण्टे से पूरा पड़ने वाला नहीं हैं। शहरों के अन्दर 24 घण्टे आप बिजली देते हो। क्यों भई, हमने कौन-सा गुनाह कर दिया? क्या हम उद्योग में नहीं आते? ये भी उद्योग दर्जा है। खेती के पीछे उद्योग चलता है और उद्योग के पीछे मेहनत मजदूरी चलती है। तो पहली जड़ खेती है। अगर आप इस तरह से खेती को यों अलग तरह देखेंगे तो काम आने वाला नहीं है।

मैं यह जानता हूं कि हमारी यह भूल है। हम काश्तकार पिछड़े रहे हैं। हमको पिछड़ा रखा गया है। जागीरदारों के जमाने में भी रखा गया है। वहां गांवों में स्कूल नही थे। हमें कहते थे कि आप पढ़ कर के क्या कर लोगे? दुकान कर लोगे क्या? ये बातें हमें कही जाती थीं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जो आपने एक जम्प योजना चालू की थी। आज आपने नर्सरी योजना के तो दो साल कर दिये कि ये जो हैं, आपके रेगुलर स्कीम में हो जाएगा। और जम्प योजना जो लागू की, उसमें उसकी रेट डबल है। 75 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से साढ़े सात की मोटर पर तो उसके अन्दर क्यों नहीं कमी की? तो यह बहुत जरूरी पाइंट है। इसके अन्दर भी आपको राहत देनी पड़ेगी।

अब गांवों के अन्दर लाइट रात में आती है। कई फीडर खराब हो जाते हैं और गांवों में लाइनमैन आप रखते नहीं हो। कई सालों से भर्ती इनकी हुई नहीं है। गांवों में बड़ी भारी दिक्कत है। एक लाइनमैन तीन-

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

तीन गांवों को सम्भालता है। यह हो सकता है? इसलिए आपको इसके अन्दर तय करना होगा कि एक लाइनमैन के जिम्मे दो सौ, या सौ या पचास ट्रांसफार्मर की निगरानी वह रखेगा और वहां पर वह ठीक करेगा। नहीं तो काश्तकार बहुत दुःखी होता है। हम गांवों में जाते हैं। हमें यह बड़ी दिक्कत है। हमें बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि हमारी सुनने वाला गांव में कोई नहीं है। मैं यह मानता हूं कि लाइनमैन भी गांव में हमारे वहां का ठाकुर बना हुआ है आज के जमाने का। आप मानते हैं जिस समय फीडर इधर से उधर करता है और काश्तकारों से अनाज वसूली करता है। यह बड़े शर्म की बात है। इस राज के लिए और हमारे लिए चूंकि मैं भी सत्ता पक्ष का आदमी हूं, पर सही बात कहते हमें कोई शर्म नहीं आती है और सही कहना चाहिए। अगर मैं इनको सही नहीं बताऊंगा तो ये तो अंधेरे में रहेंगे। इसलिए अगर मेरी बात थोड़ी-बहुत आपको कड़वी भी लगे तो माफ करना।

एक ऐसा है हमारे पाली जिले में 132 और 33 के. वी. सब स्टेशन पहले से ही प्रपोज्ड है। नागौर के अन्दर हमारे 132 के. वी. सब स्टेशन, जो आज से तीन साल पहले आपके प्लान में लिया गया था किन्हीं कारणों से उसको वहां से हटा करके दूसरी जगह ढाणी में लगा दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पहले की मांग है, और आपके प्लान में था, उसको आपने नहीं लिया। इसलिए मेहरबानी करके 132 के. वी. सब स्टेशन को अपने नागौर के अन्दर करने का कष्ट करावें। यों 33 के. वी. सब स्टेशन अपने भगरतालाब, धेनड़ी, बेनेड़ा, कई जगह प्रपोज्ड हैं। वहां पर जमीन भी दे दी गई है। नागौर में भी जमीन दे दी गई हैं। परन्तु अभी कोई मुझे ठिकाना नहीं लगता है। और दूसरा सवाल है जो आपने बिजली देने का तो वायदा कर दिया कि हम काश्तकारों को इतने कनेक्शन दे देंगे। आज की तारीख में आप हर जगह एक्स. ईएन. को पूछिये, एस. ई. को पूछिये कि आपके कितने कनेक्शन बाकी हैं, जिन्होंने डिमाण्ड चार-चार महीने पहले जमा करा दिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास सामान नहीं हैं। खम्भे नहीं हैं, तार नहीं हैं, इन्सूलेटर नहीं है तो यह खामी काश्तकार कहां से लाकर पूरा करेगा? काश्तकार जब अपने एरिया में लाइट लाना चाहता है तो आपके सब-स्टेशन खण्ड से खम्भे वगैरह आपके खुद के ट्रैक्टर या गाड़ी से ला करके, खुद गड्ढा खोद करके, खुद लाइन खींच करके लाइट लाता है। और आप उस पर चार्ज लगाते हो। यह आपके बिलों में चार्ज जुड़ करके आता है। परन्तु आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं यह चाहता हूं कि हम तो मेहनती आदमी हैं। मेहनत करते रहेंगे और हमारी कमाई का फायदा दूसरे उठाते रहेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ कड़वे शब्द भी कहे हों तो माफ करें। क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूं कि खेती कैसे होती है। बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो अमरारामजी ने कहा है मैं इसमें बिलकुल सहमत हूं और इन्होंने बिलकुल सही बात कही है। ये बिल्कुल जमीन से जुड़े काश्तकार हैं। बाकी यहां नकली

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

काश्तकार हैं कई। जो सही काश्तकार नहीं हैं इन्होंने कभी दुःख नहीं देखा। इन्होंने कभी हल नहीं चलाया। मोदीजी ने फैक्ट्री चलाई होगी, हल को आपने हाथ में नहीं लिया। तो ऐसे जो काश्तकारों की हिमायत करने वाले हैं, वे वोटों के लुटेरे हैं और वे वोटों की मांग करके, लूट करके असेम्बली में यहां तक आ जाते हैं। हमारा 70% भी अगर एकमत हो जायेगा .. आज क्या भाव है ? पानी का भाव 12 रुपये लीटर और दूध का भाव 8 रुपये लीटर। अब पानी से दूध सस्ता है। ये दुनिया का कौनसा हिसाब है ? क्या काश्तकार की उसमें मेहनत नहीं लगती ? पहले कहते थे हम तो एक आने में गाय और दो आने में भैंस रखते हैं। तो अब उसकी सेवा कौन करे ? आज ये मशीनी युग होने के कारण हर गांव में गायें सो–दो सो यों सूनी फिर रही हैं जिनका कोई मालिक नहीं है। खेती में नुकसान करती हैं। पंचायतों में ले जाते हैं। फाटक वाले लेते नहीं है। अगर फाटक में वे रहें तो कोई नीलामी की बोली लगाने वाला नहीं है। ये हिसाब हो गया है आपका। और जो ये गौसेवा के धर्मी हैं और गौसेवा के नाम से करोड़ों रुपये लूट रहे हैं, क्यों नहीं वे इन सूनी गायों को जिनके मालिक नहीं हैं, ले जा करके वहां पिंजरापोल में जमा करायें ? परन्तु यह नहीं हो सकता। यह खाली दिखावा मात्र है। ये दिखावे के हालात है और सिर्फ दिखावे के हिसाब से ये सब गरीबों पर मौज करते आये हैं। जब पानी 12 रुपये लीटर है और दूध 8 रुपये लीटर है यह हमारी मेहनत का फल

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

है। कैसे दूध होता है आपने तो देखा होगा आपने भैंस भी रखी है पर कितनी मुश्किल से भैंस रहती है। जो मवेशी रखे, कहावत है मारवाड़ी में "ढांढा रखेगा वह ढांढा है।"

(19.00 बजे)

जो ढांढा रखता है वह ढांढा है, यह बिलकुल सही बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेती कोई ज्यादा फायदे का धंधा नहीं है। हम उद्योग में जो फैसिलिटी, अनाज के भाव आप बांधते हो। क्यों नहीं गवर्नमेंट के जितने फार्म लगे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिजली के सुझाव दीजिए, बिजली के।

श्री खंगारसिंह चौधरी : बिजली का ही बोल रहा हूं मैं। आपके जितने भी फार्म हैं, बड़े-बड़े फार्म हैं वहां पर पानी की सप्लाई का आराम है। हर फैसिलिटी है। हर तरह के बीज, हर तरह के आदमी, बड़े-बड़े विशेषज्ञ, जहां पर करोड़ों रुपयों का घाटा पड़ता है, इतनी बड़ी खेती करने वालों को भी जहां विशेषज्ञ लगे हुए हैं वहां अगर घाटा बढ़ता है, तो काश्तकार की माली हालत क्या होगी जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा, बाकी और कभी कहूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा हो रही है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

(श्री श्रवण कुमार)

आज खंगार सिंहजी ने किसान के प्रति जो दुःख-दर्द विधान सभा में जाहिर किया है, यह बहुत सही है। किसान का दर्द तो किसान ही जान सकता है। किसान के बारे में जो जानता है उसको मालूम है। जब किसान को कड़ाके की सर्दी में बिजली चार घण्टे आती है, फिर चार घण्टे बाद चली जाती है। और फिर दो घण्टे आती है। जब किसान की फसल जलती है तो किसान रोता है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत जनता जो खेती पर निर्भर हैं, जो किसान गांव में रहते हैं, और जब तक किसान को बिजली नहीं मिलेगी तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। आज चार और पांच घण्टे बिजली मिलती है। किसान की फसल जल जाती है। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान को कम से कम 12 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए और 12 घण्टे बिजली में उसको जो दो सौ, ढाई सौ वोल्टेज मिलते हैं उससे मोटरें नहीं चलतीं। मोटरें साढ़े तीन सौ और चार सौ वोल्टेज से कम चल नहीं पाती हैं और मोटरें जल्दी जल जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम साढ़े तीन सौ और चार सौ वोल्टेज किसान को मिलनी चाहिए और 12 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए।

आज किसान का बेटा गांव में पढ़ता है। परीक्षाओं के दिनों में उसको बिजली नहीं मिलती है। बच्चा पढ़ना चाहता है परन्तु पढ़ नहीं सकता। माननीय मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि शहर में जन्म लेकर भी किसान के प्रति उदार है और इनकी भावनाएं बड़ी उदार हैं। इनके प्रति हमारी भावना है कि माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी जब से मंत्री बने हैं, तब से किसान के प्रति जागृति आई है कि किसान को कुछ मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं घनश्यामजी के प्रति हमारी भावना यह है कि किसान उसी को कहा जाता है जो किसान के प्रति भावना रखता है। घनश्याम जी स्वयं खेतीहर आदमी है। इनके दो सौ, तीन सौ बीघा फार्म है। इसलिए किसान के प्रति इनको जागृति रखनी चाहिए और किसान के प्रति इनकी सहानुभूति होनी चाहिए। आज गांव के बच्चे पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए इनको आज ही विधान सभा में एक बात की घोषणा करनी चाहिए कि परीक्षाओं के दिनों में बच्चों को छह घण्टे अलग से बिजली मिलेगी। किसान को अब की बार फसल के टाइम 12 घण्टे बिजली मिलेगी। आपके बिजली जनरेट करने के जो साधन है, पिछली बार भी भैरोंसिहजी ने इस विधान सभा में घोषणा की थी कि हमने 6–7 पावर हाउस जनरेट करने के शिलान्यास किये हैं। पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करवा कर मार्केट में उन्हें बिकते हुए जरूर देखा, लेकिन आज तक बिजली जनरेट होकर मार्केट में आती हुई नहीं देखी है। मैं चाहता हूं कि जो पी पी. ए. पर हस्ताक्षर किये हैं वह तो फर्जीवाड़े में गये, पर आज किसान को बिजली की महती आवश्यकता है। आज हिन्दुस्तान में जो दुनियाभर के ड्रामे किये जाते हैं, क्रिकेट पर खर्चा किया जाता है, हिन्दुस्तान की यात्राओं पर खर्चा किया जाता है और किसान अंधेरे में सोता है। आज किसान की महती आवश्यकता बिजली हैं और बिजली जनरेट

(श्री श्रवण कुमार)

करने के साधन जब तक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तब तक किसान सुखी नही रह सकता। आज हमारे चिड़ावा और पिलानी में 11 हजार की लाइनें डेड पड़ी हुई है और कुछ एक-दो लाइन चालू हैं जिनके नीचे कुछ कालोनियां बस गई हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 25 युवाओं की वहां मृत्यु हो चुकी है। मकान नीचे बन चुके, वह किनकी गलती से बने है? बिजली बोर्ड की गलती से बने हैं या उन लोगों ने अपने लोभ-लालच से बना लिये, परन्तु मैं आपको रीयल बता रहा हूं, पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हो, 25 आदमियों को मौत हो चुकी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चिड़ावा में एक लाइन सीधी पावर हाउस से जाती है जो डेड पड़ी है। वह लाइन काम में ली जाए और चिड़ावा की कालोनी के ऊपर से जो लाइन जा रही है, उसमें 25 आदमियों की मृत्यु हो गई उस लाइन को सरकारी खर्चे से हटाकर अन्य साधन उपलब्ध करवाये जाएं जिससे वहां के लोगों की जान और माल बच सके।

दूसरा, पिलानी में एक लाइन 11 हजार की डेड पड़ी है। जिसका कोई उपयोग नही है। वह घरों के ऊपर से जा रही है। इसलिए मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हम एक्स.ई.एन. के पास जाते हैं, चीफ इन्जीनियर के पास जाते हैं, उनके पास एक ही जवाब है आधा खर्चा आप जमा करवाओ। आपको मालूम है आज किसान अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। वह किसान पैसे जमा करा सकता है? उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो मेहनत के काम है वह हम कर सकते हैं, खम्भे पड़वा सकते हैं और जो मेहनत है वह कर सकते हैं। पैसे सरकार जमा करवाये और उस लाइन को हटवाए।

आज किसान को नर्सरी के नाम पर लूटा गया और दो साल के बाद बात हुई थी कि उनको जनरल कर दिया जायेगा। आज उनके स्थान पर एक तोहफा और दिया गया है कि अगले महीने का बिल पहले जमा कर लेते, बन्द कर दिया क्या वह? माननीय घनश्याम जी ने किसान के प्रति बड़ी हमदर्दी जताई है जो पहले जमा कराने का बन्द कर दिया। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, आज राजस्थान सरकार ने साढ़े चार साल तक जो माननीय भैरोंसिंह जी ने गलती की कि ऐसे उदार पवित्र आदमी को पहले ही मंत्री बना देना चाहिये था। यह गलती रही है। 18 साल में नेहरू जी ने कुछ नहीं किया और कुछ किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 17 महीने में किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि घनश्याम जी चार महीने में कोई नया चमत्कार दिखाएं जिससे यह रौनक और चमत्कार हमेशा-हमेशा किसान के दिल में बसा रहे।

मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के प्रति जो हमारे अमराराम जी ने हमदर्दी दिखाई, श्री अमराराम जी ने हमदर्दी नहीं दिखाई। अमराराम जी हल चलाये किसान है। मैं भी एक हल चलाया किसान हूं। श्री खगार सिंह जी भी एक हल चलाये किसान हैं। किसान जानता है जब किसान की फसल सूखती है, किसान रोता है। जब किसान की फसल लहराती

(श्री श्रवण कुमार)

है, किसान हंसता है। आज जो किसान के बारे में नहीं जानता है, उसके दुख–दर्द के बारे में मालूम नहीं है, वह किसान की तकलीफ क्या पहचान सकता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज राजस्थान में बिजली जनरेट करने के साधन उपलब्ध करवा दोगे तो किसान 80 प्रतिशत जो गांवों में रहता है, वह आपके प्रति सहानुभूति जागृत करेगा। अगले चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन एक बात जरूर होगी कि आज जो किसान के प्रति हमदर्दी दिखायेगा उस पर किसान हमेशा मेहरबान रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता। मैं आपके माध्यम से माननीय घनश्याम जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन महीने, चार महीने, जब तक आप मंत्री हो, बिजली उत्पादन करने, जनरेट करने के जितने भी साधन है वह किसान को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाइये। किसान के लिये घोषणा करें, पंजाब में जिस तरह फ्री बिजली कर दी गई है, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप फ्री बिजली करो, लेकिन जितनी रियायत दे सकते हो उतनी रियायत जल्दी से जल्दी देकर के किसान का दिल खुश करें और अपनी सहानुभूति को हमारी तरफ प्रदर्शित करें। यही मेरा आपसे निवेदन है, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो–चार मिनट की बात है बस, ज्यादा लम्बी बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई छोटे प्लांट्स के साथ में आपने पी.पी.ए. किया... (व्यवधान) इनका एनवायरमैंटली क्लियरेंस हो गया। एक्सप्लोजिव क्लियरेंस हो गया, आर.एस.ई.बी. ने साइड क्लियर कर दी, उनका वाटर सप्लाई का एग्रीमैंट हो गया, वगैरह, वगैरह सब जगह हो गये। आई.डी.बी.आई. और एल.आई.सी. जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थीं, उन सब के साथ इनका एग्रीमैंट हो गया और 166 के बजाय आपने 138 मेगावाट का फ्यूल एग्रीमैंट कर लिया। अब गवर्नमेंट आफ इण्डिया की पालिसी की वजह से फोरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 30 परसेंट होना चाहिए, उसकी वजह से प्लांट नहीं लग पा रहे है। शुरू में आप भी यही कहते थे कि 30 परसेंट का यह जरूरी क्लॉज होने की वजह से प्लांट लग पायेंगे कि नहीं लग पायेंगे, और सरकार से बराबर मांग करते थे। लेकिन अब तो सरकार आपकी है कि कुमारमंगलम् को यहां पर बुला लिया। और बुलाने के बाद में आपने जो ग्लोबी पिक्चर राजस्थान की जनता को दी, जो बिजली के उपभोक्ता है उसमें एक आशा जागृत हुई थी इस बात की कि यह छोटे-छोटे प्लांट आकर हमें कुछ राहत देंगे, बिजली उपलब्ध करायेंगे। लेकिन इसमें कुछ नहीं कर पाये। आप तो, यह 30 परसेंट का क्लॉज अगर आप आज भी हटवा दें सैन्ट्रल गवर्नमेंट से, तो यह प्लांट आज भी लग सकते हैं। और बड़े कम टाइम में लग सकते हैं। एक निवेदन तो मेरा यह है। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डालर की फ्लक्चुएशन का प्रोटेक्शन धौलपुर को तो दे दिया, यह तो सब आई.सी.बी. के। इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग के थे और धौलपुर को तो आपने एम.ओ.यू. किया था। धौलपुर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

को जो आपने डालर प्रोटेक्शन दिया और इनको नहीं दिया उसकी वजह से इनका तो कोई फोरेन का पार्टनर मिल नहीं रहा और बरसिंगसर को भी दे दिया आपने। एम.पी. ने दे दिया, डालर प्रोटेक्शन। हरियाणा ने दे दिया, महाराष्ट्र ने दे दिया, गुजरात ने दे दिया। कई स्टेट्स ने दे दिया। आप क्यों नहीं दे रहे? जब आपको यह सारा किस्सा मालूम था कि इनको फोरेन पार्टनर मिलेगा नहीं 30 परसेंट के लिये, तो 30 परसेंट की शर्त, आपने उस वक्त क्यों नहीं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रिलेक्सेशन लिया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर यह नहीं हटती थी तो डालर प्रोटेक्शन आपने बरसिंगसर को तो दिया, धौलपुर को दिया तो इनको क्यों नहीं दिया? ये सारे चार साल से इनका जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और दुनिया भर को आपने साधारण भाषा में बेवकूफ बनाया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ये प्लांट अब भी लग सकते हैं। साल डेढ़ साल के अन्दर पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दो बातें आप पूरी कर दें। मंत्री महोदय, आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह धौलपुर का जो पावर प्रोजेक्ट है जिसको कि आप कहते हैं कि साहब, यह जब इसका पी.पी.ए. हुआ उस वक्त डालर की कीमत 31 रुपये 50 पैसे थी और आज डालर की कीमत 42 रुपये हो गयी। मोटे तौर पर 44 करोड़ 36 लाख डालर का फोरेन लोन इन्होंने ले रखा है और एग्रीमेंट के समय, आपको बता ही दिया 31 रुपये 50 पैसे थी। आज 42 रुपये हो गयी तो साफ-साफ 440 करोड़ रुपये की चपत आर.एस.ई.बी. को तो दी आपने। यह प्लांट कब आयेगा, कब इससे बिजली पैदा होगी? अभी तो सिर्फ वहां पर बाउण्डरी वॉल खींची है। इसमें 440 करोड़ रुपये के नीचे तो आप पहले ही आ गये। बरसिंगसर का किस्सा तो माननीय मोदी जी ने आपको बता दिया है। एक यूनिट पैदा हुई नहीं और नुकसान करोड़ों में। मैं आपसे आज भी कहता हूं कि 4 करोड़ 23 लाख प्रति मेगावाट बैठेगा इसका। इससे भी ज्यादा लगेगा और पांच रुपये से कम की यूनिट बैठेगी नहीं। आप पांच साल से बराबर बैण्ड बजा रहे हो धौलपुर, धौलपुर बाउण्डरी वॉल खींची है बस और कुछ नहीं होगा। एक मेगावाट बिजली आपके शासन में न तो पैदा हुई और न होगी। और कंसेशन दिये जा रहे हो। तो कंसेशन आपने दिया उनका तो सब स्वागत है लेकिन पूरा ध्यान, जब आपने इतनी सारी एक्सरसाइज की, इतने सारे आदमियों को इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग में यहां पर बुलाया, शार्ट लिस्ट की, यह की, वह की। दुनिया भर की बातें आपने यहां पर कीं, लेकिन नतीजे के नाम पर सिर्फ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना सा ही निवेदन करते हुए अपना स्थान, उपाध्यक्ष महोदय, चार साल से हम आपको सभापति महोदय कह रहे हैं, यह सौभाग्य हमें एक दो रोज से ही प्राप्त हुआ है, साहब, आप उपाध्यक्ष हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करते हुए अपना स्थान लेता हूं कि एक ग्लोबी पिक्चर जो आपने दी, कृपया उसके लिए आप राजस्थान की जनता से माफी मांगें। जिन उद्योगों को आपने निमंत्रण दिया इस बात का कि हम तुम्हें भरपूर बिजली देंगे, उन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उद्योगों से माफी मांगें। उन उपभोक्ताओं से माफी मांगें। और माफी मांगकर अपना सारा कच्चा चिट्ठा, एक व्हाइट पेपर इश्यू करें राजस्थान सरकार की तरफ से कि यह गलतियां हमसे हुई हैं ताकि आने वाली सरकार भी उससे सबक ले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी.... (अनुपस्थित)। श्री मूलसिंह जी शेखावत।

डा. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम तो राजस्थान की 5 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक ऐसी जन-कल्याणकारी सरकार चुनी है जिसने कि सिर्फ गरीबों, किसानों और गांवों का विकास किया है, दूसरा, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस तरह की रियायती घोषणाएं की है जो न कभी भूतकाल में हुई और न शायद भविष्य में ऐसी कोई आशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्याओं के बारे में करीब 8 पेज लिखकर लाया था लेकिन इसमें से 7 पेज तो जो इन्होंने घोषणाएं कीं, उन्हीं में उनका उत्तर मिल गया। तो ऐसी जो रियायती घोषणाएं किसानों के लिए हुई है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही, मैं मेरे जिले की कुछ समस्याएं हैं उस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हमारा जिला डार्कजोन में कर रखा है। आजकल सिर्फ किसानों के पास जमीनों के सिवाय कुछ बचा नहीं है और उसमें डार्कजोन होने के कारण वहां पर बिजली के कनेक्शनों की संख्या कम हो गयी है। तो इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों से अच्छी बरसात होने के कारण जल का स्तर भी ऊपर आया है। तो इन बातों की ओर मेरे क्षेत्र का पुनः सर्वे करवाकर डार्कजोन के बारे में सरकार अपनी राय बदलने की कोशिश करे।

दूसरा, महोदया, ट्रांसफार्मर्स की समस्या है। ज्यादातर एक ही ट्रांसफार्मर पर काफी कनेक्शन दिये जाते हैं। इसमें जो भी आखिरी कनेक्शन वाले होते हैं, उन किसानों को इस बारे में दिक्कत आती है। इसलिए इनका समय-समय पर निरीक्षण करवाकर और इस बारे में किसानों को राहत दी जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए। ढीले तारों की बात करीब-करीब आ ही चुकी है। इनके कारण काफी दुर्घटनाएं होती हैं तो एक इन्तजाम इस बारे में भी हो। और इस बार मेरे पास अभी किसान लोग आये, उनमें बकाया राशि का था। उन पर एक मुश्त उनसे करीब-करीब बकाया राशि बोर्ड वसूलना चाहता है। इस बारे में निवेदन है कि इन लोगों के लिए आसान किश्तें की जाएं जिससे किसान अपना कर्जा भी चुका दे और इससे सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हो।

तीसरी, बात, मीटर्स के बारे में निवेदन है। कई बार बिजली के कनेक्शन तो हो जाते है लेकिन यह लोग मीटर नहीं लगाते हैं। और 2–3 महीने बाद फिर अचानक कोई विजिलेंस वाला और लोग जाकर उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। इस

(डा. मूलसिंह शेखावत)

तरह के केस ज्यादातर हमारे जिले में हैं। तो इसमें ऐसा कोई नियम हो कि जिस दिन से उसका कनेक्शन हो उसी दिन या तो उसका मीटर लग जाए या जब तक उसका मीटर नहीं लगे तब तक उस उपभोक्ता पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं हो। इसके अलावा, महोदया, स्टाफ और अधिकारियों के बारे में, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार की आम शिकायतें हैं और भ्रष्टाचार तो बहुत पुराना है क्योंकि कांग्रेसी राज से चला आ रहा है। एक ही चीज है जो आज तक भी चल रही है और ज्यादातर उसी समय के ये लोग कर्मचारी, अधिकारी भी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : भ्रष्टाचार तो मुख्य धारा में ही शामिल हो गया है, आज।

डा. मूलसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से कर्मचारी एक ही जगह पर रहते हैं 15-15 वर्ष तक। तो उन कर्मचारियों की अदला-बदली हो। इससे थोड़ी भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। दूसरे जो ए.ई.एन., जे.ई.एन. है, इनकी पोस्टिंग के बारे में। जो भी ए.ईएन. या जे.ईएन. जिस जिले के हैं, उसको उस जिले में आजकल हटाने का कम चला है कि इनको नहीं लगाया जाये। लेकिन हमारे जिले में अभी भी आधे से ज्यादा लोग वहीं बैठे हैं। तो या तो जो लोग अच्छा काम करते थे पुराने वाले, जिनको और कहीं लगा दिया है, या तो उनको पुनः लगाया जाए, या फिर एक नियम करके जो भी लोग हैं उन सबको एक साथ हटा दिया जाए।

इसके साथ ही, मैं मंत्री महोदय को इतनी रियायतों की घोषणाओं के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। इन घोषणाओं से कृषक वर्ग और गरीब वर्ग इतना खुश होगा कि जो आशा कांग्रेस ने कर रखी थी, 1-2 पैसे की, कि वह सत्ता में आ जाएगी, उसको भी मंत्री महोदय की घोषणाओं ने उड़ा दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जो आज अपने वक्तव्य में कुछ रियायतें दी हैं, उनकी सराहना करता हुआ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके इस वक्तव्य से एक बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि अब तक यह ऊर्जा मंत्रालय, मैं यह तो नहीं कहता कि गलत हाथों में था, लेकिन यह कह सकता हूं कि राजस्थान विद्युत बोर्ड या ऊर्जा मंत्रालय गलत रास्ते पर था। किसानों के अहित में काम करता था, किसानों की अनदेखी करता था, किसानों का शोषण करता था। यदि यह बात नहीं होती तो ये रियायतें देने का प्रश्न आज पैदा नहीं होता। लेकिन ऊर्जा मंत्रीजी, ये रियायतें देने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आपका फर्ज, आपका कर्त्तव्य और आपका दायित्व यह है कि आप राजस्थान में इतनी विद्युत का उत्पादन करें कि किसानों को कम से कम 8 घण्टे बिजली मिल सके। यदि ऐसा काम आप नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाएंगे।

आपके मुख्य मंत्रीजी ने 1995 में हमें पत्र भेजा था और उसमें कई बातें लिखी

(श्री हरिसिंह)

थीं। उसमें उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान में उन्होंने इस प्रकार से इतने एल. ग्रो. आइज. ग्रौर पी पीएज. साइन किये हैं जिससे कि राजस्थान में विद्युत का उत्पादन इतना हो जाएगा कि सम्भवतः वे राजस्थान से बाहर हिन्दुस्तान को भी बिजली दे सकेंगे। मैं समझता हूं कि वह सभी आपके एल.ग्रो. ग्राइज ग्रौर पी.पीएज, जिनकी लिस्ट मेरे पास भी है, उसमें से एक भी मेगावाट बिजली उत्पादन ग्राप प्रारम्भ नहीं कर सके। जैसा कि ग्रापके विभाग से उत्तर मिलता है, उसके ग्रनुसार ग्रापने पिछले 4 वर्षों में जो विद्युत उत्पादन किया है, ग्रापके सही-सही ग्रांकड़ों के हिसाब से ग्रापने कोटा तापीय परियोजना के तृतीय चरण में 210 मेगावाट ग्रौर उत्पादन शुरू किया। ग्रापने ग्रार. एम. सी. माही, फर्स्ट पोज एवं सैकण्ड में 0.4 मेगावाट शुरू किया। लघु पन में ग्रापने 0.4 शुरू किया। ग्रापने पूगर में

(19.24 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

1.5 शुरू किया। रामगढ़ गैस परियोजना, जिसके बारे में ग्राप बहुत कुछ कह रहे हो उसमें 3 मेगावट, ग्रौर रामगढ़ गैस परियोजना विस्तार में ग्रापने 35.5 मेगावाट उत्पादन शुरू किया। ऐसा आपने लिखकर दिया है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रापने कुछ नहीं किया।

लेकिन आपके मुख्य मंत्री महोदय ने जो आंकड़े हमको दिये उसके ग्रनुसार राजस्थान में 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन की आवश्यकता उसी समय थी जब उन्होंने 1995 में यह पत्र लिखा था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पन्द्रहवें सर्वे के मुताबिक 48 प्रतिशत, तथा ऊर्जा की कमी 43.8 प्रतिशत ग्रांकी गयी थी। ग्रब इस बिजली का उत्पादन ग्राप कैसे बढ़ा पाएगे? इसके लिए ग्रापके पास दो ही स्रोत हो सकते हैं। एक तो ग्राप ग्रपना स्वयं का उत्पादन बढ़ाएं। दूसरा यह कि ग्रापके जो ग्रंतरराज्यीय समझौते हैं, बिजली के, उनसे आप पूरी बिजली लें। मैं ग्राज ग्रापका ध्यान ग्रंतरराज्यीय विद्युत समझौतों की ग्रोर खींचना चाहता हूं। वह इसलिए करना चाहता हूं कि अगर ग्राप यह नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रापके स्वयं के, जैसा कि कोटा है, या ग्रौर कोई है, वह तो ग्रसफल हो गया। ग्राप नहीं कर पाएगे उसमें। ग्रन्तरराज्यीय समझौतों में भी ग्राप बहुत कुछ राजस्थान का ग्रहित कर रहे हैं। मैं यमुना वाटर से प्रारम्भ करना चाहता हूं। यमुना वाटर से सम्बन्धित, जो कि ग्रपर यमुना कंट्रोल बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी हुग्रा, उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने यह एड कर दिया या करा दिया कि वह स्टेट जहां होकर के नदियों का पानी आता है, उन स्टेट के नोन कंजरवेटिव यूज को ले सकते हैं। बगैर उपभोग के पानी का उपयोग कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुग्रा कि उन नदियों पर वे पन बिजली उत्पादन कर सकेंगे ग्रौर उसमें ग्रापका शेयर नहीं होगा। ग्रगर यही बात स्टैण्ड रही, जहां तक मुझे जानकारी है, ग्रापने उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन उसका नतीजा क्या हुग्रा ? माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय,

(श्री हरिसिंह)

उसका नतीजा कुछ नहीं होता है तो आपके पंजाब की ओर जो पानी की स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रावी पर 3 और व्यास पर 2 हैं, उस पर भी आप अपना यह हक खो बैठेंगे। इसलिए कृपा करके आप सुप्रीम कोर्ट तक इसको फाइट करके इस क्लॉज को उसमें से डिलीट करवाएं कि जो उन स्टेट्स में होकर रिवर बह रही हैं, उनमें वह पानी उपयोग बगैर उपभोग के नहीं कर सकेंगे। यह तो मैंने आपको बात बतायी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान् 10 मिनट देने का आपका आदेश है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं समझता हूं कि मैंने अभी 5 मिनट नहीं लिये। इसी आसन से व्यवस्था हुई है। और वह व्यवस्था अगर आपने बदल दी हो तो मुझे बता दें, मैं बैठ जाऊंगा। अन्यथा 5 मिनट मुझे और ज्यादा दें।

श्री अध्यक्ष : आप 2 मिनट में समाप्त करें। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपकी व्यवस्था आप मेरे ऊपर ही क्यों बदल रहे हैं। (व्यवधान) आप मेरे बोलने से पहले, अगर यह कर देते तो मैं उस हिसाब से कर लेता। 5 मिनट, कृपा करके 5 मिनट और दें।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपका नाम (व्यवधान) आप पर मेरा अधिकार है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपका अधिकार सिर माथे, लेकिन मेरा निवेदन भी तो आखिर आपसे है।

मैं एक और आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जितने एल.ओ आइज. और पी. पीएज. किये हैं उसमें आपने कोई सिक्योरिटी की रकम दाखिल करवाई है, या नहीं करवाई है? अगर करवाई है तो सिक्योरिटी आपने फोरफिट की है?

इसके अतिरिक्त मैं आपको अपने कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय सीमा बहुत कम है। मैंने आपसे निवेदन भी किया है और फिर निवेदन कर रहा हूं कि पूरे कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में केवल एक मात्र 110 के.वी. का एक जी.एस.एस. स्टेशन है। और पूरे क्षेत्र में उससे विद्युत का संचार इतना क्षीण हो जाता है आगे चल कर के, टेल-एण्ड पर जाकर के बहुत ही कम बिजली मिल पाती है। इसलिए दो 33 के वी. के जी. एस. एस. बनाने के प्रपोजल थे। एक तो सेंथरा में और दूसरा अस्तावन में। सेंथरा में तो आज कई महीने हो गये उस सब स्टेशन को बने हुए। लेकिन वह चालू नहीं किया गया है। कृपा करके उसको चालू करवा दें और अस्तावन में दूसरा सब स्टेशन आप बनने दें। जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली मिल सकेगी।

दूसरी बात, आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज से 2 साल पहले हमारे यहां का अधिकतर स्टाफ आपने बाहर ट्रांसफर करवा दिया। छोटे दर्जे का स्टाफ, हैल्पर टाइप का स्टाफ, 160 आदमियों

(श्री हरिसिंह)

को आपने बीकानेर, बाड़मेर इतनी दूर कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस कारण से ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्यों, यह बताया गया कि वहां पर एक ऐसा सिर-फिरा एस. ई. आ गया था। उसने कहा कि यहां पर आदमी बहुत ज्यादा काम करते हैं इस कारण से, और कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर बाकी, आप पुन: एक्सामिन करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह स्टाफ गलत भ्रम में ट्रांसफर किया गया, वहां पर उसकी आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ओ. एण्ड एम. का एस. ई. का आफिस है और दूसरा आपके ट्रांसमीशन वाला, दूसरा आफिस अभी कायम हुआ है। जी. एस. एस. का, आप आफिस बना रहे हैं। अभी ओ. एण्ड एम. का आफिस शहर से काफी दूर है। इसलिए जी. एस. एस. वाला आफिस वहां रखों आप और ओ. एण्ड एम. के आफिस का ताल्लुक सीधा पब्लिक से रहता है। इसलिए उस आफिस का निर्माण आप भरतपुर शहर में करें। पुराने बिजली घर की जहां जगह है, वहां पर आप कर सकते हैं, और अगर जगह लेकर करे तो आप पब्लिक के लिए एक राहत प्रदान कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दो बातें हैं। बहुत ही छोटी बातें हैं। एक तो अजान गांव की, एक गुलसाला गांव की। गुलसाला गांव में तो लोगों को, जब कि बिजली नहीं मिली थी उस समय के मीटर्स के चार्जेज उन पर लगा रखे हैं। और पेमेण्ट होता नहीं है इसलिए कनेक्शन काट रखे हैं। अजान गांव में तार बहुत नीचे जा रहे हैं इसलिए उनको ठीक करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। लास्ट वक्ता।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारा भी है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इस तरह कहा है कि रामस्वरूपजी अच्छे वक्ता हैं इसलिए इनको लास्ट वक्ता बोला है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : वह सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनो तो सही। अब हमारी बात भी कहने तो दो। बात तो कहना चाहते हैं। एक मिनट क्यों देते हो आप हमको ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : हम इनसे भी अपना जवाब चाहते हैं (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप एक मिनट क्यों देते हो हमको ? आप हमको पूरा टाइम बोलने का क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : रामस्वरूप जी को दस बार बुला देते हो आप।

श्री अध्यक्ष : किसको ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : क्या बात करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : क्या फरमा रहे हैं यह ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं इसलिए हमको क्यों नहीं समय देते ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सूची में नाम है और आपने आश्वस्त किया है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट से क्या होता है ? हमें भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दीजिएगा। मैं शुरू करूं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, रामस्वरूपजी कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : रामस्वरूप जी के बाद दे दीजिए हमको।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : परम् आदरणीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके बाद बोलने की तो बहुत कम गुंजाइश है।

श्रीमती कमला : बहुत बोलना है साहब।

श्री बनवारीलाल बैरवा : बहुत बोलने की गुंजाइश है। हरिजन बस्ती और उनके बारे में मैं बात कहना चाहता हूं, न वह किसी ने कही है। यह क्या बात करते हैं आप ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : बहुत बोलने की गुंजाइश है।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो आपकी हैल्प के लिए यह निवेदन किया है, फिर आप खुद जानें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : परम् आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अभी माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से तो ऐसा लगता है कि चुनावों में बजाए चार महीने के शायद एक महीना ही रह गया हो। बहुत धन्यवाद आपकी घोषणाओं के लिए। आपने बहुत कोशिश की है कि चालीस साल में जो कांग्रेस ने किया है, उसको मैं तीन महीने के अन्दर करके दिखा दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने तो उस समय पांच हार्स पावर की मोटर जो लगायी जाती थी, उस समय पांच खम्भे फ्री दिये जाते थे। किसान से किसी प्रकार का उनका चार्ज नहीं लिया जाता था। बिजली की रेट्स भी उस समय कम थी। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने दो पैसा बिजली का रेट बढ़ाया था। उस समय आपने तीन दिन तक इस सदन को नहीं चलने दिया था। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज आप लगातार बजाए दो पैसे के आपने एक रुपया और उससे ऊपर भी आपने रेट को बढ़ा दिया है लेकिन आपने आज तक कभी इस बात का विरोध नहीं किया। इसलिए आपने कोई अहसान नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे सुझाव दे रहा हूं जो किसी ने नहीं दिये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होंने यह बताया है कि हम विदेशियों से नफरत करते हैं। जगह-जगह दीवारों पर लिख रखा है उन्होंने विदेशियों के बारे में। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि महाराष्ट्र में एनरॉन समझौता, जिसका कि इन्होंने विरोध किया था, उसी एनरॉन समझौते को राजस्थान में लागू कर दिया इन्होंने। राजस्थान में लागू कर दिया, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर इन्होंने लागू किया है। बड़ी-बड़ी योजनाओं को इन्होंने, मतलब उनको स्वीकृति दे दी है। उसी का परिणाम है एम ओ.यू.। लेकिन उनके बारे में क्यों नहीं किया समझौता, कैसे किया है ? मैं निवेदन करूं कि क्यों समझौता किया इनसे। उस समझौते का कारण है, माननीय उप नेता महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने चुनाव के अन्दर, मैं विद्युत मंत्रीजी, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, इन कम्पनियों की, जिनकी आप बुराई करते थे, जिनको विदेशी बताते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उन्होंने समझौता किया और इस चुनाव में, गये लोक सभा चुनाव में इनसे चन्दा लिया और उस चन्दे को अपने राजनैतिक काम में लिया। इसलिए इन्होंने इससे समझौता किया। जिनकी यह बुराई करते थे जो इनको बुरे नजर आते थे, वही अच्छे नजर आने लगे। दूसरा पाइंट।

तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान में जो बिजली दी जा रही है, वह महंगी बिजली दी जा रही है। इस बात का प्रमाण यह भी है कि राजस्थान का महंगे प्रदेशों में छठा या सातवां स्थान है। भारत वर्ष में जो भी महंगे प्रदेश हैं, इनमें राजस्थान का छठा या सातवां स्थान है।

चौथा मेरा निवेदन है कि आपने उपभोक्ताओं पर जो भार पटका है, उपभोक्ता के ऊपर जो भार चालीस साल में नहीं पड़ा, इतना भार आपने चार साल के अन्दर पटक दिया। यह भी आपकी असफलता का एक प्रमाण है।

पांचवां, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो किसानों को बिजली दी है, उस बिजली के अन्तर्गत आपने कहा कि बिजली आठ घंटे दूंगा। माननीय विद्युत मंत्रीजी, आप स्वयं ही आठ घण्टे की कहते हो तो फिर समझो कि किसानों को तो चार घण्टे ही बिजली मिलेगी। आप आठ घण्टे की हमारे लिये कहते हैं तो आठ घण्टे मिलने लगेगी। इसलिए आपने आठ घण्टे की कही है, वह भी शंका के साथ कहा है। कृपया मेहरबानी करके इस आठ की बजाये 12 घण्टे आप कर दें तो आठ घण्टे तो मिल ही जाएगी।

छठा मेरा निवेदन है कि जो हमारे बिल आते हैं किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है यह कार्यालय में बैठकर बिल बनाते हैं। कम्प्यूटर के द्वारा भी कई बार गलती होती है। हम विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा एक बिल सात सौ रुपये का आ गया, दूसरा बिल दो सौ रुपये का आ गया। एक बिल चार सौ रुपये का और एक बिल अस्सी रुपये का आ गया। यह हालत हो रही है। जब मैं ठीक कराने गया तो कम से कम नहीं तो चार सौ रुपये का मुझे फायदा हो गया। लेकिन मैं खुद गया, दो घण्टे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बैठा वहां कार्यालय के अन्दर। यह विधायकों के साथ हो रहा है। तो कृपया, मेहरबानी करके आप इसकी जांच की भी कोई व्यवस्था करें कि यह जो बिल आ रहे हैं, आपके सही आते हैं, गलत आते हैं, उनके ऊपर कोई जांच कमेटी बैठायें या कोई जांच की संस्था बैठा दें जो इनको चैक करती रहे।

अब मेरा आपसे मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन है। मेरे क्षेत्र में आपने 132, 133 के.वी. के सब-स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान कर रखी है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां नहीं लगाये इन्होंने। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, यह जानते हैं कि इनके यहां लगा दूंगा तो कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन वहां के व्यक्ति सब जानते हैं इस बात को, माननीय विद्युत मंत्रीजी आप तो न्यायवादी हैं, आप तो नये–नये मंत्री हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अनुसूचित जनजातियों के बारे में मेरा एक निवेदन और है। विद्युत की समस्याओं के बारे में, जनजाति माडा योजना के और दो-तीन सुझाव मात्र हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपसे मेरा सुझाव है कि विद्युत मण्डल अपने बजट में से जनजातीय क्षेत्रों के लिये 12.44 तो जनजाति क्षेत्र में व्यय करे। दूसरा मेरा निवेदन है कि राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत 88.11 है जबकि जनजातीय क्षेत्र का मात्र 81 प्रतिशत है। अतः इसको आप बराबर रखें। तीसरा मेरा निवेदन है विद्युत मंत्रीजी, इन योजनाओं का भविष्य में अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को लाभ कैसे पहुंचाये, ट्रांसफार्मर गांव के मध्य रखे जाएं, जैसा कि अभी आपने कहा है। चौथा मेरा निवेदन है कि तीन सार्वजनिक कनेक्शन देने पर ही गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाए। पांचवां मेरा निवेदन है कि विद्युत चार्ज कृषि के आधार, पर विद्युत कनेक्शन में जो मिनिमम चार्ज लिया जाता है, उसके स्थान पर आप यूनिट चार्ज लागू करें। किसान को बड़ा लूटा जाता है। इस मिनिमम चार्ज के अन्दर बिजली आती है कम और चार्ज लगातार उसमें उतना ही आता चला जाता है। पानी कम रह गया जो धोरे हैं उनके अन्दर। इसलिए आप कृपया, यूनिट चार्ज लागू करें।

जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण, कुल स्वीकृत गांव आपने 178 बताये हैं। राशि विद्युत मण्डल को हस्तान्तरित 172.91 लाख बतायी है। उदयपुर में 72, बांसवाड़ा में 37, डूंगरपुर में 14, चित्तौड़गढ़ में 55, ऐसे ही वे 178 गांवों का आपने विद्युतीकरण बताया है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक विद्युतीकरण 62 गांवों का ही हुआ है। वास्तविक विद्युतीकरण 62 गांवों का हुआ है और 178 गांवों का आपने विद्युतीकरण बता रखा है। इसलिए कृपया, आप इसकी जांच करा लें कि वास्तव में इन गांवों का विद्युतीकरण हुआ हैं या नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अन्त में एक पाइंट के बारे में और कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत की सबसे ज्यादा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

चोरी जो होती है, उसके साथ-साथ आजकल तारों की चोरी होने लग गयी। ढाई लाख के तार मेरे गुढा-चन्द्राजी में जो सब स्टेशन 33 के वी. का बना हुआ है, नादौती के अन्दर, ढाई लाख के तार एक रात में चोरी चले गये जो आकर के उसी रात पड़े थे। आपका चौकीदार वहां पर सो रहा था लेकिन ढाई लाख के तारों को चोर चुरा कर ले गये रात में ही। यह कैसे चले गये जबकि चारों तरफ से बाड़बंदी आपने कर रखी थी? इस प्रकार लगातार तारों की चोरी की घटनाएं होती चली जा रही है। यह बड़े दुःख की बात है। किसान भी परेशान हैं और विभाग भी परेशान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन चोरी की घटनाओं को रोकें, इसके लिये आप व्यवस्था करें।

अन्त में मै पुनः आपसे यही निवेदन करते हुए कि आप हमारे क्षेत्र की जो एक डाइरेक्ट लाइन मण्डावर से टोडाभीम जुड़नी है, मात्र दो खम्भे लगने हैं, नदी के ऊपर। पूरी लाइन बिछा दी आपने इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मात्र दो खम्भे, टावर जो नदी के ऊपर लगने हैं, खाली वह बकाया है। कृपया, अब उन दोनों को लगा दें तो मैं आपको सफल मंत्री ही मान लूंगा वरना तो आप भी मेरे लिये वैसे ही असफल मंत्री हो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कौशल साहब ने जब यह विभाग लिया था, उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उनका पत्ता साफ हो गया, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

अनेक माननीय सदस्य : बोल लिए वह तो।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी। (व्यवधान)....आपका लास्ट में है। आपने ही दिया है अपना लास्ट में। भाटीजी, बोल गये?

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे जो नये विद्युत मंत्री बने हैं उनका ध्यान, एक सर्कुलर निकला है आपके विभाग द्वारा, 1392 सर्कुलर नम्बर है और तारीख है 23.5.97। इस सर्कुलर में आर. एस. ई. बी. ने यह कहा है कि अपना जो लोड है वह एक्सटेंडेड लोड है। दस हॉर्स पावर की जगह साढ़े दस या ग्यारह, बारह, तेरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वह एक्सटेंडेड लोड की स्वेच्छा से घोषणा कर दें तो हम उसको 500 किलोवाट के हिसाब से पैसा लेकर और लोड एक्सटेंड कर देंगे। उसमें कई लोगों ने, हजारों लोगों ने लाखों रुपया आर.एस.ई.बी के पास जमा करा रखा है। लेकिन उस सर्कुलर को आज तक आपने लागू नहीं किया है जिसकी वजह से लोड एक्सटेंड करके जो आपको घोषणा करनी थी, और उनको अलाउ करनी थी, आफिशियली अलाउ करना था, वह आपने अभी अलाउ नहीं किया है।

(श्री भीमराज भाटी)

दूसरा, एक सर्कुलर आपके निकला है 308 नवम्बर, 10.9.97 का। उसमें आपने यह दिया था कि एक ही परिसर में अलग-अलग विद्युत कनेक्शन हैं, उन सबको हम क्लब करना चाहते हैं। एक ही इंडस्ट्रियल प्रेमिसेज में अलग-अलग कनेक्शन हैं, उन सबको क्लब करने से यह लोड बढ़ जायेगा और नहीं तो अलग-अलग बिल्डिंग हैं, मल्टी-स्टोरिड बिल्डिंग्स जैसे बड़े-बड़े शहरों में आने लगी हैं। छोटे-छोटे गांवों में भी अलग-अलग मकान के अलग-अलग हिस्से में किरायेदार रहते हैं। तो वह जो विद्युत कनेक्शन क्लब करने की बात है, क्लब करने से उपभोक्ताओं को और साधारण उपभोक्ताओं को और उद्योगों को भी, दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस सर्कुलर को विद-ड्रा करके या उसमें सूटेबल अमेंडमेंट कराने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पाली शहर से लगते हुए गांव हैं, पाली शहर से दो किलोमीटर पर जो गांव हैं, उन गांवों को बिजली मिल रही है मारवाड़ जंक्शन से। जैसे बोमादड़ा है, मठ है, यह जो तीन-चार गांव हैं, उन गांवों को बिजली मारवाड़ जंक्शन से मिलती है। इसी तरह खेतावास है, सापा है, सोमणिया है, यह जो पाली शहर के नजदीक के गांव हैं, उनको उल्टी दिशा से बिजली देते हैं। और उसमें तकलीफ यह है कि वहां पर जो, मेरे इलाके में तो पम्प सैट और मीठे पानी के कुएं ही बहुत कम हैं और इस तरह से यह नर्सरी के और यह सबमर्सिबल पम्प के कनेक्शन भी बहुत कम हैं। पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है बिल्कुल। पीने लायक पानी है नहीं कुओं में। लेकिन जिन एक-दो गांव में कहीं है तो उन लोगों को बिजली उल्टी दिशा से दी जा रही है। 40 किलोमीटर दूर से बिजली आ रही है। तो मेहरबानी करके, हम लोगों ने बहुत चेष्टा कर ली वहां लेकिन वह कोई न कोई टैक्निकल बात करके और हम लोगों को टालमटोल करके नक्की करते हैं।

महोदय, आज पचास साल हो गये। अपन चालीस साल की बात करते हैं। ठीक है, चालीस साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह जो भी बुजुर्ग है, यहां विराजमान हैं और जो लोग यहां पहले सदन में थे। लेकिन यह पिछले दस सालों में भी, मतलब कई गांव आज भी, जहां अपन कहते हैं कि शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 1990 से मैं लगातार देख रहा हूं कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे मजरे हैं, कई रेवेन्यू विलेजेज हैं भाटों की ढाणी है, मामेलाई है, दादिया की ढाणी है। वह एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर दूर हैं, उन गांवों को आज तक बिजली नहीं मिल रही है। और उन गांवों को जैसे लाइन लगाते हैं तो वह जिधर से लाइन लगाने की बात गांव वाले कहते हैं, बिल्कुल नजदीक लाइन खींची जा सकती है 11 के.वी. की लाइन, तो वह लाइन उधर से नहीं खींचकर वह टेढ़ी-मेढ़ी लाइन खींचने की चेष्टा करते है। जो गांव वाले आपको सलाह दे रहे हैं, उन गांव वालों की सलाह पर आप जाना नहीं चाहते।

एक और महत्वपूर्ण बात है। एक पॉवर प्लांट की पाली जिले में, जो मुख्य मंत्रीजी का जिला है, एक अमेरिका के कोई

(श्री भीमराज भाटी)

उद्योगपति थे, उन लोगों ने इण्डोकेल कैपेसिटर करके, कोई इण्डोकेल कम्पनी थी, उन लोगों ने चालीस मेगावाट का पॉवर प्लांट पाली जिले के लिये मंजूर किया था। पी.पी.ए. हुग्रा था, एम.ग्रो.यू. साइन हुग्रा था। वह पॉवर प्लांट भी पता नहीं कहां उठकर चला गया। हमने जब विधान सभा में प्रश्न किया तो पता नहीं उस प्लांट का क्या हुआ ?

ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे कोई संकोच नहीं है नर्सरी के कनेक्शन में जब मेरे जैसे ग्रादमी के (व्यवधान) एक ही मिनट लूंगा। मेरे जैसे ग्रादमी के, जहां बिल्कुल मीठे पानी के कुएं नहीं हैं, वहां पर लोग नर्सरी के कनेक्शन लेते है। उस नर्सरी के कनेक्शन में ग्रौर विजिलेंस के लिये ग्रापके जो लोग जाते हैं, कोई संकोच नहीं है मुझे यह कहने में कि नर्सरी के कनेक्शन में ग्रौर विजिलेंस में भारी भ्रष्टाचार है। विजिलेंस के ग्रापके जो ग्राफिसर जाते हैं, वह उद्योगपतियों को तो फिर भी चांस मिलता है कोर्ट–कचहरी से स्टे लेने का, उसकी कोई रिकवरी होती है तो वह रिकवरी को स्टे करा लेता है। उसकी कोई चोरी होती है तो उसको स्टे करा देता है। लेकिन एक साधारण बिजली का उपभोक्ता, एक डोमेस्टिक कंजूमर ग्रापका ग्रौर एक साधारण किसान उस चोरी से नहीं बच सकता। उस पर चोरी का हाथों–हाथ केस बनता है। 10–20 हजार रुपये का उसको डर दिखाते हैं ग्रौर 5–10 हजार रुपये उससे लेकर ग्राते हैं। ग्रापका विजिलेंस का जो स्टॉफ है उनसे पता करवा लीजिये। उनके बारे में चैकिंग कर लीजिये ग्रौर उस चैकिंग से ग्रापको पता चल जाएगा कि विजिलेंस के ग्रफसरों ने कितना पैसा कमाया, क्या किया ?

दूसरा, बस एक–ग्राध मिनट ग्रौर लूंगा। ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे पाली शहर में एक मजदूरों की बस्ती हैं, लेबर कालोनी है, ग्रानन्द नगर है, प्रताप नगर है वहां। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं कितने हैवी प्योर कॉपर के कण्डक्टर्स हैं, वह उनके घर के ऊपर से निकल रहे हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कोशिश की कि विद्युत विभाग के लोग उस कॉपर के कण्डक्टर्स को हटा लें। ग्रापको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत लम्बी लाइन है। काफी लम्बी लाइन है। लाखों रुपये, मेरे ख्याल में वह दो–चार करोड़ रुपये उस कॉपर के कण्डक्टर्स को हटाने से ग्रापको मिलेंगे। ग्राजकल जमाना नहीं है कॉपर के कण्डक्टर्स का। वह लाइन भी हट जाएगी ग्रौर शिफ्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। महकमा यह कह रहा है कि उस शिफ्टिंग के पैसे कंजूमर देंगे। तो वह कंजूमर तो बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल मजदूर क्लास लोग हैं। दो हजार ढाई हजार रुपये मुश्किल से कमाते हैं। कच्चे उनके घर हैं। उसमें कई एक्सीडेंट हो गये। कई लोग मर गये। घर के ऊपर, इतना नीचे है कि कोई बच्चा हाथ लगाए तो मर जाएगा। दो-तीन बच्चे मर गए इन पिछले तीन-चार सालों में। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जो कॉपर के कण्डक्टर्स हैं, उनको शिफ्ट करके कॉपर आप रख लीजिए, एल्यूमिनियम उसकी जगह लगेगा। ग्रापका कोई इतना लम्बा-चौड़ा खर्चा होगा नहीं।

(श्री भीमराज भाटी)

मैं इस मौके पर चूंकि विद्युत मंत्रीजी नये बने हैं, ग्रार.एस.एस. के हैड थे ग्रापके, केशव नगर करके एक लोकेलिटी है जहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हुई। वहां बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। वह ग्रार.एस.एस. के मुखिया की जगह है। गरीब लोग वहां पर रह रहे हैं लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

ग्रंतिम निवेदन मैं यह करना चाहूंगा आप पी.ए.सी. के चेयरमैन भी रहे है, आपकी यहां विधान सभा में भी ग्रच्छी छाप रही है। लेकिन सी.ए.जी. ने जो आब्जर्वेशन ग्रार.एस.ई.बी. के लिये विशेषकर किये हैं, वह बहुत जबरदस्त डेमेजिंग हैं। उसमें करोड़ों रुपये के एक–एक इंस्टेन्सेज बताए हैं। तो वह सी.ए.जी. के जो डेमेजिंग आब्जर्वेशन हैं उनके बारे में मेहरबानी करके गौर करिये ग्रौर जो भी जिम्मेवार लोग है, रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करके उन लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ उचित कार्यवाही कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष जी (व्यवधान)

श्रीमती कमला : निर्दलियों को ही बुला रहे हैं, हमें भी तो बुलाओ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ग्रध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जो लाइन चली ग्रा रही थी उससे हटकर ग्रौर इनके मन में कुछ काम करने की इच्छा हैं, इस हिसाब से वक्तव्य आया है। वक्तव्य में काफी कठिनाइयां जो महसूस कर रहे थे, उनको इन्होंने सॉल्व करने की चेष्टा की है। ग्रभी बहुत-सी बाकी रह गयी हैं, वह उनको भी सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे।

माननीय ग्रध्यक्षजी, तीन-चार सजेशन हीं मैं देऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक तो ग्रापके बिजली में मिस-मेनेजमैंट की वजह से घाटा हो रहा है और मिस-मेनेजमैंट इस हिसाब से, कि पर्चेजिंग में, लाइनों के मेन्टीनेंस में ग्रौर लाइन लोसेज में। ग्राप यह चेष्टा करो कि बिजली ग्रापकी छोड़ी, फलां मीटर पर कितनी छोड़ी जाती है ग्रौर उसका बिलिंग कितना होता है? इसको ग्राप देखोगे तो मेरे ख्याल में 40 प्रतिशत या 45 प्रतिशत जो लोसेज में जाता है, इसको यदि ग्राप करेक्ट कराग्रोगे तो बहुत-सी बातें जो घाटे की हैं, वह ठीक हो जाएंगी।

माननीय ग्रध्यक्षजी, दूसरी बात मैं ग्रापसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर्स जलने की कई शिकायतें ग्राती हैं ग्रौर इसमें मुझे जो जानकारी मिली है कि ट्रांसफार्मर खरीदते वक्त उसकी चैकिंग नहीं होती है। चैकिंग नहीं होने के बाद में उसके लिये इंस्टाल करने के लिये जो ग्रावश्यक लाइनें, उसका कनेक्शन करना, ग्रर्थ करना ग्रादि जो हैं, वह उसमें नहीं होता है। उसकी वजह से यह ट्रांसफार्मर जलते हैं और आपको बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है।

ग्रध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, कि हमको एक पीड़ा है, झुन्झुनूं जिले की। कुमको ने एक ग्ररब रुपये की लागत से वहां बिजली का कारखाना लगाना चाहा था। 25 लाख

(श्री शिवनाथ सिंह)

रुपये विद्युत मण्डल को उन्होंने लाइसेंस फीस के जमा करा दिये, मैं आपको दोष तो नहीं देता, उस वक्त आपका कुछ कहना और सुनना नहीं था लेकिन सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति समझो या भेदभावपूर्ण नीति समझो, सरकार ने उस कारखाने को फ्यूल देने से मना कर दिया। उसके कारण से राजस्थान को, और खासकर से झुन्झुनूं जिले को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। यदि उस मामले को आप रि-ओपन कराकर और उसके लिये फ्यूल का इन्तजाम कर सकें तो झुमको, एक अरब रुपया कम नहीं होता, उसकी लागत से यहां कारखाना खुल सकता था।

अध्यक्ष महोदय, पी डी. कनेक्शन के लिए आपने कहा कि पांच साल की अवधि को सात साल कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पी.डी. कनेक्शन हो चुके हैं और जहां लाइन आज भी पड़ी है, पोल खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, उन कनेक्शंस में सात साल की सीमा को बढ़ा दीजिये और उनसे जो बाकी का खर्चा लगना चाहिये वह लीजिये। और जो सीमा पी.डी. कनेक्शन की सात साल रखी है उसको लिमिट मत कीजिये। 10 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में पानी सूख गया। एनीकट बने, और बने इसलिए वाटर लेबल ऊंचा आ गया। तो वो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं। जिनका 15 साल पहले, 10 साल पहले कनेक्शन कट गया था वो आज यदि कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत नीचे चले जायेंगे। इसलिए जहां आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वहां पोल खड़े हैं, लाइन खड़ी हैं उनको कनेक्शन देने के लिए यह सीमा बढ़ाइये।

एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. जब कनेक्शन मांगती है पानी पीने के लिए उसमें आपका जो एस्टीमेट बनता है, डिमांड नोट बनता है वह बहुत बड़ा होता है और आप सब पी.एच.ई.डी. की सब आंतड़ियां बाहर निकालना चाहते हैं। सब का सब ट्रांसफार्मर का खर्चा, लाइन का खर्चा वो सब उससे लेना चाहते हो। इसलिए आप इस बात को देखिये और जो पी.एच.ई.डी. का वाजिब खर्चा हो वह लीजिये। मैं खासतौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जनता जल योजना हमारे जिले में तो चालू है, गांव वालों को रुपया जमा करना पड़ता है और उसमें भी आप उसी लाइन से उनसे खर्चा मांगते हैं, असम्भव है। जिसका डिमांड नोट बीस हजार, तीस हजार का आना चाहिये वहां सवा लाख, डेढ़ लाख का आता है। इस बात को आप देखिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के साथ भेदभाव मत कीजिये। आज शहर में लाइट के लिये बिजली 24 घंटे देते हैं। बाहर गांव में भी आज इस प्रकार एक वर्ग आ गया है जिसके पास टी.वी है, पंखे हैं, कूलर है, सब कुछ है, उनको भी आज सिंगल केस की जो लाइन है वह उनके लिए 24 घंटे के लिए दीजिये और खासतौर से बच्चों की जो पढ़ाई का समय, जब मार्च में आयेगा तो उस वक्त आपके लाइन बन्द कर देते है और कहते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर लगा कर इसको थ्री फेस में कर

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेते हैं। इस समस्या पर नियंत्रण कीजिये। श्री फेस में मत करने दीजिये। उसके कारण से आप लड़कों को पेनेलाइज मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आखरी निवेदन यह है कि जो लाइनें ढीली हैं उनकी वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। हमारे जिले में एक अभियान चलाया गया कि ठेके पर इनको ठीक करने के लिये दिया जाय। पता नहीं वो क्यों रुक गया। लेकिन जितनी भी लाइनें हैं, 11 के.वी. की हैं, 44 की है वो सब नीचे पड़ी हुई हैं और उनसे आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। लोग अपने पाइप कंधों पर लेकर जाते हैं, लाइन के अड़ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं इसलिए इन लाइनों को भी ऊंचा करवाने की चेष्टा कीजिये और यह बिजिनेस का मामला है, इसमें थोड़ा-सा विजिलेंस आप भी रखें। कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जमा हो गया, कंजूमर को सामान दे दिया गया और उसके बाद में एक छोटी-सी बात के लिए, मीटर गोदाम से निकाल दिया गया। लेकिन वह लाइनमैन नहीं लगाता जब तक कि उसको रुपया नहीं दिया जाता और दूसरे ही रोज वो विजिलेंस को भेज देता है।

इस तरह की जो शिकायतें हैं उनका निराकरण कीजिये। आपने जो गांवों की समस्याएं समझ कर कुछ निराकरण करने की चेष्टा की है उसके लिए तो आपको साधुवाद। लेकिन इस विद्युत मण्डल से आप कितना लड़ पाओगे? आज तक हम यह सोचते थे कि विद्युत मण्डल सर्वे-सर्वा है। उसका चेयरमैन सबसे ऊपर है। आज आपने यह दिखाने की चेष्टा की है कि विद्युत मण्डल पर भी कोई अंकुश हो सकता है। आप इस काम को कीजिये, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं। प्रतिपक्ष से जो मुझे लिस्ट दी गयी है वह करीब-करीब सब माननीय सदस्य बोल लिये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये। विराजें।

माननीय मुख्य सचेतकजी जो लिस्ट देते हैं उसके आधार पर मैं बुलवाता हूं। और उसके आधार पर अगर दो-तीन लोगों को मैं अपनी इजाजत देता हूं तो मुख्य सचेतकजी का डिसआनर होता है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हमारा डिसआनर नहीं हो रहा है कि मुख्य सचेतकजी अगर नाम नहीं दें और यह कह दें कि आपका नाम दे दिया तो मैम्बर का डिसआनर नहीं हो रहा है क्या?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं, सुनिये।

इस तरह से अगर मैं बुलवाना चाहूंगा तो यह बहस शायद 12 बजे तक खतम नहीं होगी। इसलिए मै माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपना जवाब दें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक स्थिति है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाये। मैं जिन्दगी में कभी नहीं बैठी हूं लेकिन आज बैठूंगी।

(श्रीमती कमला एवं श्री बनवारीलाल बैरवा द्वारा वेल में धरना)

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा मैं सिर्फ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको बुला लो, अध्यक्ष महोदय, दोनों को।

श्री अध्यक्ष : फिर सब बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने-अपने स्थान पर पधारें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, उधर से तो बहुत-से सदस्यों को बुलवा लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में नाम नहीं है। (व्यवधान) आप अपने-अपने स्थान पर पधारें। माननीय कमलाजी, कृपया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो तीन-चार वक्ता और रह गये हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इधर से भी बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, उधर भी हैं। अब थोड़ा-थोड़ा समय दे दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आग्रह करके राजसमंद से आने वाले माननीय विधायक को, गंगरार से आने वाले विधायक को इसलिए बैठाया कि आपकी आज्ञा नहीं हुई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बुरडक साहब का भी नाम दिया हुआ है, वो बोल नहीं पाये हैं। कमलाजी हैं .. (व्यवधान)...

(श्रीमती कमला और श्री बनवारीलाल बैरवा द्वारा धरना समाप्त)

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले की कोई बात ही नहीं आयी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हमें दो–चार मिनट दीजिये, +++ ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी ने जो नाम दिये हैं वो सारे बोल लिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : नहीं दिया तो आप भी तो कुछ कंसीडर करिये कि आखिर मैं इतनी पुरानी सदस्या हूं और मैं कुछ कहना चाहती हूं और आप भी कंसीडर नहीं कर रहे। उन्होंने तो जैसी अकल दिखाई, जो दिखाई। लेकिन आप तो कुछ विचार करिये। यह कोई तरीका है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती कमला : या तो उनको कह देना था कि आप का नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप दो-दो मिनट में अपनी बात कहिये। श्रीमती कमला।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय चार सदस्य ना पक्ष से बोल चुके हैं, हां पक्ष से अभी तक नम्बर नहीं आया है। हां पक्ष का नम्बर है, उधर से नम्बर ले रहे हो वह ठीक नहीं है, अध्यक्ष महोदय। मेरा नम्बर है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमारा बहुमत है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो बहुत ऊर्जावान है .

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। मैं दो-दो मिनट देना चाहता हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : दो-दो मिनट ही बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कमला जी को पुकार लिया। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : किसानों को बिजली की राहत दी है। उसके लिए मैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी सारी असेम्बली के पीरियड में जो कभी काम नहीं किया वो करना पड़ा इसके लिए .

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कोई नयी बात नहीं है।

श्रीमती कमला : आप खड़े होकर के बोल लें, मंत्री महोदय। आपको इतना ही ज्ञान नहीं कि आज तक मैं कभी वैल में नहीं बैठी हूं और आप कहते हैं कोई नयी बात नहीं है। यह रिकार्ड रख रखा है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : एक मिनट। मेरे को खूब ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान की बात तो छोड़ो।

श्रीमती कमला : फिर किस लिये आप बीच में बोलना चाह रहे हैं? मैं आपके विभाग पर नहीं बोल रही हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय, इनका टाइम खतम क्यों कर रहे हो आप?

श्री भंवरलाल शर्मा : इनका टाइम तो खतम हो गया, मैं क्या कर रहा हूं।

श्रीमती कमला : नहीं, क्या नयी बात है। मैं बैठती हूं क्या रोजाना यहां पर? समय तो किस का खतम हुआ है, जनता बतायेगी। विराजें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : हां जनता बता देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलने का अधिकार सब को है। सब को मौका मिलना चाहिये हमें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई आपत्ति नहीं है और कमला जी जैसी सीनियर मैम्बर को जरूर बोलना चाहिये। और आपने कहा कि नहीं बोलने देंगे, आपने तय कर दिया कि किसी को बोलना नहीं है, फिर वैल में आकर बैठ जाएं और कहें मैं बोलूंगा, तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके ठीक लगने न लगने से सारा प्रजातंत्र नहीं चलता।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हमारे पास उपाय क्या है? जब हमें समय नहीं दो बोलने के लिए, हमारे वर्ग की तरफ से कोई बात नहीं आये, हमारे जिले की तरफ से कोई बात नहीं आये तो हमारे पास उपाय क्या है? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूं। देश के प्रजातंत्र को और राजस्थान के मतदाताओं को कि उन्होंने इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो इतनी संवेदनहीन, निरंकुश, गांव, गरीब और किसान के ऊपर जबरदस्त बोझ मार डालने वाली....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में आप अपनी सारी बात नहीं कह पायेंगी।

श्रीमती कमला : मैं अपनी बात कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में।

श्रीमती कमला : मैं अपनी बात कह रही हूं, पांच मिनट में मैं अपनी बात कहूंगी। उसको आखिर आठ साल के अन्त में ही सही। आखिर मजबूर कर दिया चुनाव के मद्दे नजर, जनता में जाने की मजबूरी के मद्दे नजर, कि वह इस तरह के अन्याय और जनता के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए माफी मांगने के रूप में कभी वित्त मंत्री जी कंशेसन दे रहे हैं और कभी विद्युत मंत्री जी कंशेसन दे रहे हैं। मैं आपको और माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि....

(20.00 बजे)

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, जनता से माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है....

श्रीमती कमला : आप क्यों दुःखी हो रहे हैं। सुन लें (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : कांग्रेस ने तो न मालूम किन-किन +++ के लिए माफी मांगी है....

श्रीमती कमला : हां-हां, मांगने वाली बात होगी तो हम मांगेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : विकास कार्य करते समय हमने जनता के लिए कोई +++ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो गलती करेगा उसको जनता समझायेगी और आपको भी समझाया है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

मंत्री महोदय को बधाई दी है व्यक्तिगत तौर पर।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : (व्यवधान) कोई हथियार नहीं, माफी से (व्यवधान) किया था।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, एक बहुत नेक और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन न तो विद्युत मण्डल के अध्यक्ष *** और न इनसे पहले वाले मंत्री महोदय किसी तरह से भी किसी बात के लिए न तो वह उन्होंने जो ज्यादतियां की हैं उसके लिए जिम्मेदार *** हैं और न इन्होंने जो सहूलियतें दी हैं इसके जिम्मेदार ये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पदनाम से पुकारें।

श्रीमती कमला : जिम्मेदारी अब यह है कि सामने चुनाव हैं और चुनाव के कारण से इस सरकार ने रियायतें दी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी अधिकारी का नाम नहीं लें। पदनाम से पुकारें।

श्रीमती कमला : उनका नाम वापस लेती हूं।

न विद्युत मण्डल ने काम अपनी मर्जी से किया और न इनको इजाजत इनके कारण से मिली है। आज चुनाव के कारण से राज्य सरकार ने यह इजाजत दी है कि आप रियायतें करो, घोषणाएं करो वरना गांवों में जाना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए यह सारा कुछ आया। (व्यवधान) आप चिन्ता मत करिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज जो राजस्थान में विद्युत कनेक्शन के लिए जिस तरह से लोगों से पैसा लिया गया है, कहां 15-20 हजार और कहां हो गया 50 हजार, 80-90 हजार। लाख डेढ़ लाख तक लोगों से कनेक्शन के लिये पैसे लिए। और पैसे लेने के बाद कितने-कितने वर्षों तक लोगों को कनेक्शन के लिए भागदौड़ करनी पड़ती रही है। जब कनेक्शन मिल गया तो कितनी विद्युत सप्लाई मिली? आठ घंटे नियमित रूप से विद्युत देंगे और उसके बाद ऐन फसल के टाइम पर चार घंटे से ज्यादा नहीं और वह भी 10-10 बार ट्रिपिंग होकर। किस तरह से किसानों ने अपनी खेती का काम किया है वह तो आप भी जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से आज विद्युत सप्लाई की हालत है उसको देखते हुए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर विद्युत की सप्लाई सही होगी। इलाके में जितना चाहिये उसका आधा मेगावाट बिजली मिलती है और उसको सप्लाई करने लगते हैं। जिस सोर्स से वह आती है वह सोर्स वाले काटकर बैठ जाते हैं। आखिरी में जो लोग हैं उनको विद्युत मिलती नहीं है। इसलिए आप खेती के समय पर इस बात का ध्यान रखिये। आपकी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो, आपके मंडल की यह खास जिम्मेदारी हो, कि फसल के वक्त में पूरी की पूरी विद्युत सप्लाई किसानों को विद्आउट ट्रिपिंग मिलनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना

*** नाम वापिस लिया गया।

(219)

(श्रीमती कमला)

चाहती हूं कि ट्रांसमिशन लाइन्स। मैं अपने ही इलाके का उदाहरण देती हूं अध्यक्ष महोदय। आठ वर्षों से 132 के.वी. का प्रोग्राम पड़ा हुआ है। सारा सर्वे हो गया, जगह दे दी, जमीन दे दी, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी तक वहां पर बाउण्ड्री वाल तक नहीं बनी। आठ वर्ष से उसको सिर्फ 33के.वी. सब स्टेशन के लिए कभी तो कह रहे हैं कि आप लोड फैक्टर बताइये। आठ वर्षों में वे अधिकारी लोड फैक्टर वर्क आउट नहीं कर पाये। कभी कहते हैं कि यहां पर ट्रांसफार्मर लाकर दूसरा रखना पड़ेगा। आठ वर्षों में ये ट्रांसफार्मर नहीं रख सके। विद्युत लाइनें नीचे लटकी हुई हैं। लोग पत्थर लटका-लटका कर उन लाइनों को अलग करके रखे हुए हैं। वहां पर मवेशी मर रहा है, आदमी मर रहे हैं। उनको खींचने का कोई काम नहीं। जब विद्युत विभाग को कहते हैं तो वह कहते हैं कि साहब, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास हैल्पर नहीं है। 18 वर्ष हो गये हमको नया हैल्पर और लेबर नहीं दिया गया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यह स्थिति है।

इसके अलावा जब अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए और ओलावृष्टि हो जाए, तो किसान तबाह हो जाता है। उसको कोई मुआवजा या राहत देने का इंतजाम नहीं है। लेकिन जब उससे पैसा लेना चाहते हैं तो जमकर लेते हैं। आपने जो अभी रियायतें की हैं, मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। लेकिन यह आपकी हिम्मत नहीं है, यह तो चुनाव की हिम्मत है। इसलिए आपने जो किया है कि जब वह हिसाब किया है कि पुराने जमाने में काश्तकार की सारी खेती पूरी हुई, उठाकर ले जाते थे और वह चीखने चिल्लाने लगता था। उस अनाज के ऊपर अपनी छाती देकर पड़ जाता था। वह उसको लट्ठ मारकर हटाते थे और फिर उठाकर के सब ले जाया करते थे। और अब बाद में क्या कहते हैं कि दे दो, इसको दो किलो अनाज दे दो। इस तरह का काम आप भी करने जा रहे हो। इतने वर्षों तक आपने लाखों करोड़ों रुपया खींच लिया और उसके पेटे आप दो आने का कंसेशन कर रहे हैं तो मेहरबानी करके या तो आप यह बताइये कि जो नाजायज तौर पर इतना पैसा आपने वसूला उसका क्या करेंगे? और जो रेट्स आज आपने कम की हैं, वह रेट आपको ज्यादा बढ़ाने का अधिकार नहीं था। एक ही किसान से दो तरह के रेट्स आप ले रहे हैं बिलिंग के अन्दर। और जो रेट्स ले लीं उनके बारे में तो कुछ नहीं, अब नये सिरे से हम कम रेट कर देते हैं। तो आज ठीक है दो महीने के लिए कम रेट कर दीजिये उसका आगे लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जिस तरह से सरकार में आठ वर्ष तक जनता के साथ में मानसिकता रखी है, बर्ताव रखा है, उसका शोषण किया है और भारी भ्रष्टाचार के बीच गांव, गरीब और किसानों को झोंके रखा है, वह दरअसल में इस सरकार का अपने आप में माफी मांगने का समय आया है। आपने उस काम को किया और मैं समझती हूं, और कहीं नहीं तो कम से कम चौमूं क्षेत्र की जनता जरूर मंत्रीजी के ऊपर मेहरबानी करेगी और आने वाले समय में हम यह देखेंगे कि ये गांव, गरीब और किसान, जो इस देश की आधारशिला हैं,

(श्रीमती कमला)

जो इस देश की बैंक बोन है, उसको मजबूत करने का काम किया जाए। न कि उसका शोषण करके उसको कमजोर करके नीचे डालने का काम किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का हित इसी में है कि उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाए।

श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्रीमती कमला : यह राजनीतिकरण नहीं, हकीकत है।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ऊर्जा मंत्रीजी ने अभी काफी घोषणाएं की हैं। गांवों के गरीब और किसानों को बिजली सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत घोषणाएं कीं लेकिन कुछ चुनिन्दा बातें रह गयीं। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि नर्सरी योजना के तहत जो कनेक्शंस दो साल बाद में उसको आर्डिनरी में कन्वर्ट कर दिया जायेगा और उसकी दर भी आर्डिनरी रेट पर वसूली जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक जलोत्थान योजना के बारे में माननीय रतनलाल जी ताम्बी ने जो बातें बताई थीं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसका उपयोग किसान ही करता है। एक गांव में दस आर्डिनरी कनेक्शंस हैं और वहां पर 100 अन्य किसानों को, यदि एक जलोत्थान योजना है तो 100 किसानों को लाभ होता। 100 किसानों को देखें तो उसको 12 महीने आपने मिनीमम राशि तय कर रखी है 83 रुपये प्रति हार्स पावर। प्रति महीने के हिसाब से वसूल करते हैं। जबकि उसका उपयोग मात्र चार महीने ही होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी भी मिनीमम राशि वसूल नहीं करके इसका रीडिंग के हिसाब से पैसा वसूल करें तो मैं समझता हूं आप सारे किसानों के साथ जिस तरह न्याय कर रहे हैं, उसमें भी आप न्याय करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है, घोसूण्डा गांव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। निवेदन यह है कि जब सुखाड़ियाजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और वे जब कपासन और चित्तौड़गढ़ में भाषण दिया करते थे तो वह कहते थे कि वह बी.जे.पी. समर्थित गांव है। उनका यह कहना था कि यदि आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो आपको घोसूण्डा बना दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी का, कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद उन्होंने उसको सड़क से जोड़ दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी का, कि जबसे भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, उसके बाद उन्होंने 12 वीं तक स्कूल को क्रमोन्नत करने की श्रेणी में दे दिया। अब माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का नम्बर है। नंबर इस दृष्टि से है कि वहां अब भी, जैसा कि सुखाड़ियाजी ने घोषणा की थी कि घोसूण्डा बना दिया जायेगा, ऊर्जा की दृष्टि से आज वह घोसूण्डा, घोसूण्डा ही है। वहां सिर्फ टिमटिमाती हुई लाइट आती है। वहां 33 के.वी. वाला जी.एस.एस. नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर 33 के. वी. ग्रिड

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

सब स्टेशन की तत्काल स्थापना करावें ताकि वह घोसूण्डा सुखाड़ियाजी की कल्पना का न रहकर माननीय भैरोंसिंहजी की कल्पना का हो जाए। ग्रापकी बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ मैं ग्रापको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने घोषणाएं तो बहुत कीं....

श्रीमती कमला : ग्रध्यक्ष महोदय, नाम को निकलवाया जाए, यहां पर सुखाड़ियाजी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : उनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है लेकिन माननीय गुलाबसिंहजी को मालूम है कि वे इस तरह के भाषण दिया करते थे। (व्यवधान) मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा भाषण उन्होंने नहीं दिया है। ग्राप गलत कोट कर रहे हो। मेहरबानी करके भावना में मत बहिये। सत्य को सत्य कहिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माणिक्य लालजी वर्मा ने कहा था जिस समय...

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं एक छोटा-सा निवेदन ग्रौर करना चाहता हूं कि घोषणाएं तो बहुत कीं। पिछले 6 महिने, 12 महिने से मेरे राजसमंद क्षेत्र में डिमांड नोटिस के ग्रगेन्स्ट में राशि जमा हो चुकी है।

श्रीमती कमला वह राजस्थान का निर्माता था जिसके ग्राधार पर ग्राप इतना ज्यादा बोल रहे हो।

श्री शांतिलाल खोईवाल : लेकिन बिजली विभाग के ग्रधिकारियों के पास सामान नहीं होने के कारण, उनके पास लेबर पार्टी नहीं होने के कारण वहां कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम एक्सपांशन तो सर्विसेज का कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुदृढ़ीकरण करने की ग्रावश्यकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जितनी घोषणाएं की हैं, उनका क्रियान्वयन करने के लिए इन यूनिट्स को पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा ग्राब्जेक्ट है, ग्रौर जिस उद्देश्य से जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाग्रों का क्रियान्वयन हो जायेगा तो निश्चित तौर से इसका लाभ होगा।

एक छोटा-सा निवेदन ग्रौर करना चाहूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय, कि जनजाति क्षेत्र में जिस तरह जनजाति विभाग ने, जनजाति मंत्रालय ने विद्युत विभाग को पैसा जमा कराया है, जनजाति क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बिजली सम्बन्धी जितना पैसा जमा कराया है उसका उपयोग नहीं हुग्रा है। उपयोग नहीं होने के कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ग्रभाव में केन्द्र सरकार अब नये सिरे से उनको पैसा नहीं दे रही है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह ग्राश्वासन चाहूंगा कि वह कब तक उस पैसे को यूटिलाइज करके जनजाति क्षेत्र की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बोलें। मुझे ग्रापने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा। समय का ध्यान रखें।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली उत्पादन पर, ऊर्जा उत्पादन पर और ऊर्जा पर नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत बोला जा चुका है। उन्हीं बातों को मैं सैट करते हुए अपनी बात आगे चालू करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से मेरे जिले और मेरी कान्स्टीट्यूएंसी तक अपनी बात को महफूज रखना चाहता हूं। एक बात तो यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जिले के अन्दर 1089 गांव हैं और प्रायः 950 गांव विद्युतीकृत माने गये हैं, उसमें, और निवाई, जो तहसील है वह तो पूरी की पूरी ही मानी गई है कि यह विद्युत-कनेक्ट कर दी गई है। लेकिन जहां जाते हैं वहीं अन्धेरा लगता है। जिस बस्ती में जाओ वहीं लगता है कि या तो स्वीकृत नहीं है या यहां बिजली नहीं लग रही है। तो क्या ऐसी योजना है आर. ई. सी. की ? जो प्लांट था, वह निवाई में लगा हुआ है। उस प्लांट के तहत हर गांवों के अन्दर जब बिजली लगी है तो वहां पहले हरिजन बस्ती के अन्दर लगनी चाहिये। लेकिन जहां जाकर के खड़े होते हैं वहां हरिजन बस्ती के अन्दर बिजली नहीं है। और जहां कहीं लगी हुई है तो वहां पर, क्योंकि पंचायतों के लोग बिल जमा नहीं कराते इसलिए कट जाती है। तो सरकार को यह चाहिए कि आज जब सभी लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तो हरिजनों के साथ इस तरह का भेदभाव न करें और वहां पर बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें क्यों कि बड़े-बड़े गांव हैं वह तो रेगुलराइज्ड हैं। अब आज की तारीख में ढाणी में बस गये हैं लोग। उन ढाणियों को उन गांवों में गिना जा सकता है। वहां तक बिजली पहुंचाना नितान्त आवश्यक हो गया है वरना उन लोगों को बड़ी हार्ट बर्निंग की बात होगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था मान्यवर, हमारे खरेड़ा के अन्दर एक 33 के. वी. का जी. एस. एस. है। उसका फैलाव है बहुत दूर तक और पूरी बिजली उससे सप्लाई नहीं हो पाती। मैं माननीय मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आज जैसा पहले मुख्य मंत्रीजी बोला करते थे या उससे पहले ऊर्जा मंत्रीजी बोला करते थे कि हम चार हजार मेगावाट बिजली ला रहे हैं, पांच हजार ला रहे हैं। आप उस तरीके की बात नहीं करके बहुत प्रेक्टिकल बात के ऊपर आज उतारू हुए हैं। चूंकि अब चुनावी वर्ष तो है ही, यह स्पष्ट है। आपने आज कुछ घोषणाएं की हैं सुविधाएं दी हैं, उनके लिए धन्यवाद।

मेरा निवेदन करना यह है कि जी.एस.एस खरेड़ा से परली तरफ दतवास, एक क्षेत्र है मेरा, जहां आदिवासी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और वह सब ढाणियों में बसे हुए हैं। अगर उन ढाणियों में उस तरफ से बिजली दी जायेगी तो वहां पर बहुत ही कम वोल्टेज हो जाएगा। तो मेहरबानी करके इस दरख्वास्त के ऊपर आप यह व्यवस्था करवाएं जिससे वहां पर बिजली सप्लाई हो सके। अभी मुझे सूचना दी है आज ही, कि कल शाम को 7 बजे से लगाकर डेढ़ बजे तक निवाई के अन्दर बिजली नहीं थी। एक तार टूट गया और उसके बाद तमाम कनेक्शन को काट दिया

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

गया । कारण सिर्फ यह है कि वहां के लोग जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं । जो इंजीनियर्स हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आप मजबूर करें । उनको इंश्योर करें कि वह अपनी ड्यूटी के ऊपर पाबंद हों तो यह स्थितियां नहीं आएंगी ।

टोंक प्रोपर की बात मैं अर्ज करना चाहता था कि वहां पर हर रोज कभी घंटे, कभी दो घंटे, चार घंटे कभी दिन-दिन भर तक बिजली गायब रहती है । और उसका मुख्य कारण क्या है, जब कभी पूछते हैं कि क्या कारण है ? बिजली में कहां दिक्कत हो गयी ? तो कहा कि वह तो माधोपुर से नहीं आ रही । माधोपुरसे बात करो तो कोटा से नहीं आ रही । बड़ी परेशानी इस बात की हो जाती है । अव्वल तो कोई जवाब नहीं देता। और जवाब देता है तो बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब देता है। मेरा माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन है ऊर्जा मंत्री जी से । हमको या तो बिजली उधर से आप दें तो बहुत इंश्योर करके दीजियेगा । या हमको कहीं जयपुर से आप कनेक्ट की जियेगा ताकि हम सीधे अगर कोई दिक्कत हो तो आपसे बात करें ।

टोंक प्रोपर के बारे में एक बात निवेदन करना चाहता था माननीय मंत्री जी से कि हमारा जो कि टोंक का बाजार है, उसमें पहले सड़क थोड़ी छोटी थी । केबिन्स थे, फुटपाथ था । लेकिन उस बाजार को चौड़ा करने के लिये केबिन भी हटाये गये फुटपाथ भी काटा गया । और अब वह काटने की वजह से क्या हुआ कि पोल फुटपाथ के बराबर लगे हुए थे, वह पोल अब बीच के अन्दर आ गये । और वह बीच में आने से हमारे टोंक के जो अध्यक्ष हैं नगरपालिका के, उन्होंने एक अभिनय प्रयोग यह किया कि बीच में डिवाइडर कर दिये । अब वह इतना तो चौड़ा बाजार था नहीं । जबर्दस्ती उसको छोटा कर दिया । और अब वह पोल जो गड़े हुए हैं, और पहले फुटपाथ के बराबर गड़े हुए थे, अब वह बीच में आ गये । बड़ी परेशानी आज यहां हो गयी हैं । आप मेहरबानी करके, क्योंकि वह बीच के अन्दर पोल गड़ गये बिजली के, तो उन पोल को हटाकर के उनको ठीक कराइये ताकि वहां पर लोगों को राहत मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : तो यह बात भी आपके माध्यम से कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आप सारी बात महावीर जी की कह रहे हैं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जिला तो हमारा एक ही है । महावीर जी की तो मजबूरी है कि वह बोल नहीं सकते और एक हमारे मंत्री जी हैं, दूसरे गायब रहते हैं तब जाकर मुझे बात कहनी पड़ती है । इसलिये मैंने अपनी बात को कहा है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तो मालूम पड़ा कि महावीर जी आपको कहते हैं और आप बोलते हैं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, पीड़ा तो वहां के लोगों की मैं समझता हूं ना । हमारा जो स्पेशल कम्पोनेंट का पैसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पैसा जो हमारा लगता है, वह शिड्यूल्ड कास्ट के लिये ही लगना चाहिये । इसको आप इंश्योर

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

कीजिये। चूंकि आपने अभी बुकलैट जो जारी की है इसके अन्दर कोई जानकारी इसके बारे में, स्पेशल कम्पोनेंट के बारे में नहीं है। तो आप इसको देखिये कि वह पैसा जो हमको मिलना चाहिए, हमारे ऊपर खर्च होना चाहिये ..

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल बैरवा : निवाई में अनेक बस्तियां ऐसी हैं, मान्यवर, कि जिनमें बिजली नितान्त आवश्यक है। बराड़ी एक बहुत बड़ा गांव है उसके लिए आज भी काश्तकार आये थे मेरे पास। मैं आज ही माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां डेढ़ हजार के करीब की आबादी है। उसके चारों तरफ बिजली है और वह गांव अंधेरे के अन्दर है तो उसके अन्दर आप बिजली पहुंचाएं। इसी तरह से महतापुरा है, बजीरपुरा, हलीपुरा, यह बहुत सारे गांव हैं जिनके लोगों को बहुत भारी परेशानी है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कुओं का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, कुओं के बारे में मेरा ..

श्री अध्यक्ष । विराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : हो गयी समाप्त। कृपया माननीय सदस्य विराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : वहां आज तक बिजली नहीं दी गयी है तो आप अधिक से अधिक बिजली देकर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा। उनका जब तक समाधान नहीं होगा, तब तक किसानों का हित नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपने इलाके की एक दो बातें कह दें इतना ही समय है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : पूरे ही इलाके की बात है। मैंने तो सुझाव तो दे रखे हैं लेकिन उनको कुछ बता दूं मैं। प्रायोरिटी के कनेक्शन हैं उसमें बड़ी से बड़ी लाइन 6 खम्भे की होगी। और 6 खम्भे से ज्यादा खम्भे लगाने की जरूरत होती है किसी किसान को, तो उसको एल. टी. लाइन नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं उस लाइन से दो खम्भे और लगाकर के यदि किसी किसान का कुआ आ रहा है तो उसको दे दी जाय। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उस व्यक्ति के यदि चार खम्भे लगने हैं और पहले तीन खम्भों की लाइन है तो चार और तीन सात होंगे और उसमें कनेक्शन नहीं मिलेगा। उस किसान को सात खम्भों का पैसा देना पड़ेगा। यह मुख्य समस्या है। एक नया ट्रांसफार्मर लगेगा उस एल.टी. लाइन पर, वह भी किसानों से वसूल होगा। यह कहां की रीति है ?

दूसरी बात, मंत्री महोदय ने कल कहा था मैं 25,000 कनेक्शन से बढ़ा कर 33,000 करूंगा। वह आप घोषणा कर दें, ताकि 33,000 हजार होगा तो किसानों को प्रायोरिटी पर ज्यादा कनेक्शन मिलेंगे।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

तीसरी बात, जो ट्रांसफार्मर सौ और 65 के.वी.ए. हैं, उन पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उन पर क्षमता होने के बाद भी कनेक्शन नहीं देंगे,जबकि उन पर कनेक्शन देना चाहिये।

नर्सरी योजना, खम्भे की रेट 9,000 बतायी है। पहले 9,000 थी, सरकार को काफी तकलीफ हुई उससे। मैं यह चाहता हूं पांच हजार से ज्यादा खम्भे की रेट नहीं होनी चाहिये।

अन्तिम बिन्दु कहूंगा जो किसानों के हित की बात है। आज कोई भी व्यक्ति राज्य कर्मचारी है। राज्य की डाक लेकर आता है। राज्य के कागजात लाता है जिले से, कहीं से भी, या राज्य कार्यों से जाता है तो उसको टी. ए., डी. ए. दिया जाता है। कई बार कम्प्यूटर से, या बाबू की गलती से, या प्रिंटिंग मिस्टेक से बिलों में अधिक राशि चढ़कर आती है। मेरा किसान गांव से चलकर, 20-30 किलो मीटर से चलकर उस कार्यालय में आएगा। उस बाबू के आगे खड़ा रहेगा, हाथ जोड़ेगा और उससे अनुनय-विनय करेगा। उसके बाद में जाकर, आज बाबू नहीं है, आज ए.ईएन. नहीं है, आज वह नहीं है। दो दिन वह चक्कर लगायेगा। उसके बाद वह व्यक्ति बिल की रेट कम करेगा। तो दो दिन तक उस किसान का जो समय बरबाद हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है ?

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ? चाहते क्या हैं आप यह बताइये ? आगे चलिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मैं यह चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की मिस्टेक की है, उसकी तनख्वाह से वसूल कर उस किसान को भरपाई की जाए। यह सबसे बड़ी बात है। उस किसान का हित तो तब ही हो सकता है, तब ही उस बाबू की जिम्मेदारी बढ़ेगी कि मैं गलती नहीं करूं। नहीं तो वह गलती करता रहेगा। मेरा किसान उस कार्यालय के चक्कर काटेगा। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की कोई भी बाबू या कम्प्यूटर गलती करे तो यह वसूली उनसे हो। जिम्मेदारी तय होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष-कर मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है उसी के सम्बन्ध में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

पहली, आपने यह घोषणा की कि नर्सरी कनेक्शन जिनको दो साल हो गये उनको हम सामान्य श्रेणी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यह आप बिलकुल गलत बात कहते हैं। आप उनको विशेष सामान्य श्रेणी में कन्वर्ट कर रहे। अगर सामान्य श्रेणी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या 50 पैसे यूनिट चार्ज करेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : जो सामान्य किसान की है। वह फ्लेट रेट सभी किसानों को ... (व्यवधान) सुन लीजिये किसानों के नर्सरी कनेक्शन थे उन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सबको फ्लेट रेट सामान्य किसान की जो है, उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो आदेश आपने निकाला है, आज आपने यहां कहा। लेकिन इससे पहले आदेश तो कब ही का निकल चुका। उस आदेश की मंशा यह है ... एक मिनट आप सुन लीजिये, आप बाद में दे देना उत्तर मेरी बातों का। मैं एक, दो और भी कहूंगा।

आपका जो आदेश पहले बोर्ड द्वारा जारी हुआ, उसमें यह है कि जो विशेष सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट है, वह रेट आपने उसमें की है। आप बता देंगे तो ....(व्यवधान) आप बता देंगे तो मैं कहां मना कर रहा हूं। आप बता देंगे। नहीं, आपकी क्या पंचायती है बीच में। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मंत्री महोदय कहेंगे। यह तो अपने आप कह देंगे।

श्री किशन मोटवानी : जब ही तो होगा न। आज तक तो विद्यमान यही है ना। आज तक विद्यमान तो यही है न, सामान्य विशेष श्रेणी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : मैं जवाब दे दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप करोगे अब, तक कह देना। हां तो आप जवाब दे देंगे।

मंत्री महोदय, दूसरा, आपने अभी घोषणा की कि हम 20,000 सामान्य श्रेणी के कनेक्शन जारी करेंगे। वह भी विशेष सामान्य श्रेणी के ही हैं। आप क्लीयर कर देना। और इसमें आपने कहा कि हम अगले महीने तक उनको डिमांड नोटिस जारी कर देंगे। पिछली घोषणा आपकी यह थी, मार्च के पहले आपको बहुत से विशेष सामान्य श्रेणी के कनेक्शन जारी करने थे। मार्च तक डिमांड नोटिस जारी करना था। एक भी नहीं हुआ। आपने कहा कि हम 20,000 डिमांड नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन आप यह बताओ, डिमांड नोटिस जारी करने के पैसे तो आप ले लेंगे। उन डिमांड नोटिस वालों को कनेक्शन आप कब तक दे देंगे? यह बात आपको बतानी है।

आपने यह घोषणा की कि हम छोटे ट्रांसफार्मर लगाकर, और प्रत्येक कुएं पर ट्रांसफार्मर लगायेंगे। यह घोषणा माननीय विद्युत मंत्री जी ने दो साल पहले की थी आप उसमें काम भी काफी हुआ है। और अब, आज उसको नयी घोषणा कर रहे हैं। यह नयी कैसे हुई?

तीसरा, ढाणियों को विद्युतीकृत करने के सम्बन्ध में आपकी अभी कोई स्पष्ट पालिसी नहीं है। जिस गांव की सरहद में वह ढाणी है, बोर्ड तो कहता है वह विद्युतीकृत है। और वहां कई ढाणियां ऐसी हैं जो पूरे गांव के गांव हैं। वहां स्कूल है, वहां बड़ी–बड़ी ढाणियां हैं। तो उसके नजदीक लाइन नहीं है। तो उस विद्युतीकृत का गांव वाले क्या करेंगे? इस संबंध में आपकी कोई निश्चित पालिसी होनी चाहिये कि हम इस प्रकार से उनको विद्युतीकृत मानेंगे। अलग से हम विद्युतीकृत घोषित करेंगे, या उस गांव की सरहद में जो ढाणियां हैं उन ढाणियों तक आप लाइन पहुंचायेंगे। यह बात आपने नहीं कही।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आपने यह जो डिसकस करवाया, टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अनुसार यहां डिसकस होता था। अब कई वर्षों से आपने यह परिपाटी चला दी। जब आपने पूरे दिन का डिस्कशन कराया तो इलेक्टिसिटी सप्लाई एक्ट में एक मिनट आप सुन लीजिये, आप उत्तर दे देना। कि धारा 61 में जो प्रोवीजन है, उसके अनुसार आप यहां चर्चा कराते तो वह चर्चा ज्यादा सार्थक होती। यही आपको टाइम लगना था। कोई मत विभाजन उसमें भी नहीं होता था। लेकिन उस धारा में मेंडेटरी प्रोवीजन है कि यहां जो डिसकस होगा, वह सारा डिस्कशन बोर्ड के पास जाएगा और बोर्ड उस पर विचार करके अगर उसमें कोई संशोधन करेगा, चेंज करेगा तो होगा। लेकिन आज आपका जो यह डिस्कशन है, यह किसी एक्ट के प्रोवीजन का नहीं है। तो इस में दिक्कत कहां हो रही है? मैंने आपको पहले भी कहा था, अध्यक्ष महोदय को भी कहा था। पिछली बार रघुवीर सिंहजी को भी मैंने कहा था। लेकिन यह एक जिद हो गयी कि हम कोई सही बात कहें उससे उल्टा कर लें। आपको इसमें कहां तकलीफ थी। आप एक्ट पढ़ लीजिये। उसमें स्पष्ट प्रोवीजन है कि फरवरी में आप यहां पेश करेंगे। लेकिन आप फरवरी को छोड़कर जुलाई में किया, तो भी उस धारा के अनुसार आपने नहीं किया।

पांचवीं बात, आपने यह प्रोग्रेस बतायी है कि हमने इतने सब-स्टेशन बना दिये, वह बना दिये। सब-स्टेशन से आपका बी.आर. कितना सुधरा, उससे आपका लाइन लोसेज कितना कम हुआ, उस बारे में तो आपने बताया नहीं। आपके लाइन लोसेज की हालत आज यह है कि आप अपनी रिपोर्ट में तो बताते हैं कि हमारा 20, 25, 24। लेकिन वास्तव में 43 परसेंट है आज की तारीख है। और आपके ही आंकड़ों से निश्चित कर सकते है क्योंकि आपके पास इसका अलग से तो कोई मीटर नहीं है। चोरी और लाइन लोसेज दोनों सम्मिलित हैं। आपका निकालने का तरीका यह है कि जितनी आमदनी हुई और जितनी बिजली की लागत आयी, उससे आप निकाल लेते हैं। लेकिन आमदनी जो आपकी उसमें अलग-अलग, यह नहीं है कि दूसरी मदों में आपकी आमदनी, जैसे मान लो, किसी के पेनल्टी हो गयी। किसी के कोई जुर्माना हो गया। वह भी आपकी उस आमदनी में है। उससे आप निकालोगे तो आपका लाइन लोसेज कम आ जाता है। और अगर सही तरीके से निकालो तो 43 प्रतिशत लाइन लोसेज हैं और इसमें चोरी आपकी छिप रही है। लाइन लोसेज को कम करने के लिये ही आप ट्रांसमीशन सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। लेकिन आपने जो दुरुस्त किया उसमें हुआ क्या, यह आपने कहीं आंकलन कराया नहीं। आपकी आडिट रिपोर्ट तो आपने देखी ही नहीं, यहां पेश की है। उसमें जितनी भी विसंगतियां हैं वह सालों साल बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल में देखो तो इस साल कोई सुधार नहीं। आपको 3 प्रतिशत प्रोफिट दिखाने के लिये लेखा उलटा-सीधा कर कराके वह आर.ई.सी. से लोन लेने के लिये तो आपने तैयार कर दिया। लेकिन उनको सुधारने के लिये आपने कुछ भी नहीं किया। रही बात आपकी परफोरमेंस की, वह भी बहुत खराब है। जितनी भी फर्म

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आपकी सप्लाई करने वाली हैं, उनकी आप हालत देखिये कि आपके बोर्ड में कई अधिकारी ऐसे होंगे जिनकी कृपा होगी। उन फर्मों को कैसे लाभ दिया जा रहा है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग तक में छूट दी हुई है। जिसमें लाखों रुपयों का एक-एक ट्रांसफार्मर में बोर्ड को चूना लगा है। अब टेस्टिंग जैसे मामले में अगर किसी फर्म को छूट दे दो तो फिर आप उस परफोरमेंस में क्या लेना चाहते हैं। इसकी ओर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री हरजीराम बुरड़क : हालांकि मैं किसी फर्म का, किसी अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन आप अपने स्तर पर इस बात की जांच कराकर इस परफोरमेंस को सुधारिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरचन्द मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने घोषणा की है। प्रतिपक्ष को तो क्रिटिसाइज करना है। +++इनको तो यही करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 13.6.96 को चीफ सेक्रेटरी की ओर राजस्थान ...

श्री अध्यक्ष : वह तो कोई कहावत कह रहे है।

श्री अमरचन्द मिड्ढा : बिजली के अध्यक्ष की एक मीटिंग हुई थी। उसमें 16 गांव हैं, जो बिजली के लिए मंजूर की गयी थी और एस्टीमेट मांगा था। तो एक साल और कई दिन हो गये। जिसमें 16 गांव थे 5 गांव गंगानगर के, एक चूरू का, दो हनुमानगढ़ के दो धौलपुर के, चार जैसलमेर के, दो बाड़मेर के। कृपया करके इनको जल्दी ही आप बिजली दिलवायें।

दूसरी बात यह है कि हमारे वहां सूरतगढ़ ब्रांच में थर्मल प्लांट लग रहा है 250 मेगावाट की बिजली तो अभी शुरू हो गयी है और बाकी 750 के तीन और हैं। तो वह गांव जो है उनको सिर्फ धुंआ, धुंआ ही मिलेगा। उन गांव के अन्दर न पक्की सड़क है, न पीने का पानी है, न बिजली है, आप उन गांवों को, जो कि थर्मल प्लांट के नीचे आते हैं, दब रहे हैं, इनको आप बिजली जरूर दिलवायें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो 33 के.वी. के स्टेशन मंजूर हुए थे। एक तो धीमी गति से चल रहा है अनारावाली का और 2डी-एम का। उसको दो-ढाई साल हो गये मंजूर हुए, पर अभी तक वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ है। श्री विजयनगर, जो बड़ी मंडी है यहां 132 के.वी. का स्टेशन बनाना चाहिए। इसके विषय में चेयरमैन साहब को मैंने आगे भी लिखकर भेजा था। कृपा करके आप इस स्टेशन को मंजूर करें और जो गांव मंजूर हो चुके हैं वह कहते हैं कि तार नहीं है, कोई खम्भे नहीं है। तो कृपया करके आप यह सामान जल्दी से जल्दी भिजवायें।

एक तीन किलोमीटर के गांवों की लिस्ट बोर्ड ने मांगी थी जो वहां से बनकर आयी है। एक किलोमीटर, दो किलोमीटर के जो गांव स्वीकृत हो चुके हैं, उनके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

कनेक्शन करवायें। और जो तीन किलोमीटर गांव की लिस्ट आयी है इसको आप स्वीकृति प्रदान करवायें। अध्यक्ष महोदय, समय दिया आपने, धन्यवाद। हम तो ज्यादा भाषण जानते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) :... आपका तो वैसे ही कह दूंगा परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : बोलने तो दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं आपकी बात। आप पढ़ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र जी को बोलने दें पहले। राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट

श्री राकेश मेघवाल : मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष :राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने काफी घोषणाए की हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी वजह से इधर कई खड़े हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह आपका आशीर्वाद है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी पार्लियामेंट में जो बिजली नियमक बिल पास हुआ है, उसके बनने से आपने जो घोषणाएं की हैं क्या वह प्रभावित नहीं होंगी? और यदि होंगी तो क्या आप अपनी घोषणाओं पर कायम रह पायेंगे? यह तो मैं एक नीति संगत बात पूछ रहा हूं।

दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के लिए एक-आध बात पूछ रहा हूं। सीकर में 20 एम.बी.ए. का ट्रांसफार्मर पिछले करीब 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। इसकी वजह से न केवल सीकर शहर में बल्कि आप समझिये, आस-पास का जितना भी रूरल बैल्ट है, उसकी बिजली की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यदि समय रहते उसे वापस ठीक नहीं किया गया तो, पिछले दिनों काश्तकारों को बमुश्किल 2-2 घटे तक बिजली मिली है। अध्यक्ष महोदय 8 घंटे बिजली देने की हम बात करते हैं। 2 घंटे हम देते है। इसके बावजूद भी हालत यह है कि पढ़ाई के दिनों में बच्चों को पूरी बिजली नहीं मिल पाती है जिससे काफी बड़ी परेशानी होती है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर नगर परिषद् के क्षेत्र की सीमा बढ़ी है और सीमाओं के बढ़ने से जो एग्रीकल्चर बैल्ट था, वह भी नगर परिषद् की सीमा में आ गया है। आज आपने फिर उस पर रेस्ट्रिक्टेड जोन लागू कर रखा है। जो लोग नगर परिषद् की सीमा में रहते हैं, वह आपके रेस्ट्रिक्टेड जोन की वजह से पूरी बिजली नहीं ले पाते हैं। कृपया आप उन्हें सिटी की जो सप्लाई है, उससे कब तक जोड़ देंगे, थोड़ा आप यह बताने की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कृपा करें। दूसरा आप दो बार सीकर विधान सभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गांव मगोवा एक ऐसा स्थान है, जिसके बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां आदमी न पैदल जा सकता है, न किसी अन्य साधन से जा सकता है। वहां पूरी तरह से काश्तकार लोग रहते है और खास तौर से वहां पर मवेशियों का जो पालन करते हैं वह लोग रहते है। उनका पानी भी काफी गहराई में है। यदि वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाये तो उन लोगों को काफी सुविधा होगी। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि मगोवा गांव को, जब आप पूरे सीकर जिले को विद्युतीकृत घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो मगोवा गांव भी सीकर का ही एक पार्ट है, उसका विद्युतीकरण किया जाये।

श्री अध्यक्ष : उतना ही उधर बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है। आपने नर्सरी योजना में दो साल के कनेक्शन के छूट की जो व्यवस्था दी है, अध्यक्ष महोदय, दो साल के कनेक्शन की, सीकर की मैं आपसे निवेदन करू, करीब 1500 कनेक्शन में रिलीफ मिलेगी। बाकी ढाई हजार कनेक्शन आज भी ऐसे हैं जो दो साल से कोई तीन महीने ज्यादा हैं, कोई दो साल से चार महीने ज्यादा हैं या कोई पांच महीने ज्यादा हैं। मेहरबानी करके जब आपको कोई निर्णय लेना ही है, और चुनाव को ध्यान में रखकर जब कोई निर्णय लेना है, तो बेहतर यह होगा कि आप दो साल की बात करें। नर्सरी कनेक्शन के जितने भी कनेक्शन हैं उनको सारा जनर्लाइज कीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : नर्सरी में 83 रुपये पर हार्स पावर पर मन्थ है और आपके जनरल जो हैं वह 42 रुपये पर हार्स पावर पर मन्थ हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजे माननीय सदस्य। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूगा कि कृपया पूरे नर्सरी कनेक्शन जो हैं, उसमें पूरे सीकर को देखकर उसको जनर्लाइज कीजिये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय आप काश्तकार हैं और काश्तकार के दु:खों को जानते हैं। जिस तरह से 20 हार्स पावर का कनेक्शन एक फैक्ट्री के अन्दर लागू होता है, और अन्दर वह फैक्ट्री वाला उससे 5 मशीन चलाता है। उससे 20 हार्स पावर का ही पैसा लिया जाता है जबकि एक किसान 20 हार्स पावर का कनेक्शन लेगा और यदि वह एक ट्यूब वैल के अलावा दूसरा ट्यूब वैल खोदता है और 20 हार्स पावर को कन्जूम करता है तो बोर्ड उसको परमीशन नहीं देता है। मैं यह चाहता हूं कि जब बिजली बोर्ड को 20 हार्स पावर के पैसे दे रहा है और अपने खेत के अन्दर, खुद के खेत के अन्दर 4 ट्यूब वैल भी चलाये, तो उसमें बोर्ड को क्या एतराज है। मैं चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मंत्री महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, इसको आप जरूर करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : प्रश्न ही पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में एस टी. के लोगों को आपने 1998 तक कनेक्शन दिये हैं। आप माडा के गांवों में जो एस टी. के आवेदक हैं एग्रीकल्चर के, उनको भी कनेक्शन देने का आपके वक्तव्य में नहीं आया है। आप कब तक उन आवेदकों को कनेक्शन दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मेरा यह है कि हजारों गांव, जो इलेक्ट्रिफाइड हो गये, एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिया। आप उनमें भी दो-दो एग्रीकल्चर, जैसे कांग्रेस के समय में दिया करते थे, आप अगर, आपकी पार्टी को थोड़ा बहुत बचाना है तो उन सब गांवों में दो-दो कनेक्शन दें। और नये गांवों को, हमारे दौसा में ज्यादा से ज्यादा 15-20 गांव बचे हैं। आप दौसा जिले को, क्योंकि आपका दौसा से बहुत लगाव है। दौसा, जयपुर एक ही जिला है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : दौसा जिले को हण्ड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफाइड करने की घोषणा करिये जिससे जो दौसा, जयपुर के लोग यह कहेंगे कि तिवाड़ी जी हमारे मंत्री बने थे तब किया। कमला जी बनीं तब बैराठ, शाहपुरा, आमेर सबको हण्ड्रेड परसेंट कर गयीं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लेना। बाद में पूछ लेना। अब कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। एक बात कहकर मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि इस विधान सभा में जब हम लोग आते हैं तो कोई बहुत बड़े पहलवान के रूप में जीत कर नहीं आते हैं। न हम कोई बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इस कारण से जीत कर आते हैं। न कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं या बहुत बड़े साहित्यकार हैं या सेठ–साहूकार हैं इसलिये जीत कर नहीं आते हैं। हम सिर्फ एक जन प्रतिनिधि के नाते यहां पर आते हैं और जनता की जो बात होती है, वह बात हम हमारे मुख से विधान सभा में आकर कह देते हैं।

सौभाग्य से कहिये या परिस्थितिवश कहिये, शुरू से अमरारामजी और मेरा एक ही गांव है, इनका गांव है और मेरा ननिहाल है। वहीं मैं आठवीं तक पढ़ा, किसानों के बीच में रहने का और समस्याओं को जानने की जो थोड़ी-बहुत समझ है। इसलिए मैंने इस वक्तव्य में किसी भी प्रकार की राजनीति करने की कोशिश नहीं की। किसानों की वास्तविक समस्याएं थीं, अभी भी कुछ समस्याएं आयी हैं, जिनको अभी मैं आपके सामने रखूंगा, उसका विवेचन करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। बड़े से बड़े लोग इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हिन्दुस्तान में चुनाव हार चुके हैं ग्रौर छोटे से छोटे लोगों के सामने चुनाव हार चुके हैं। हमारे में से कोई भी चुनाव हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। न हमारा कोई राज करने का ठेका है न ग्राप लोगों का विपक्ष में रहने का ठेका है। ये ग्राते जाते रहते हैं। इसलिए इसके बारे में कोई घमण्ड नहीं है और हर चुनाव में परिस्थितियां बदलती रहती हैं।

ग्राज तीन प्रमुख बातें आईं, पहली बात तो विद्वान लोगों की ग्राई, विष्णुजी मोदी, शांतिलालजी धारीवाल, उनके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। जो बात सामान्य रूप से ग्राई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले तो मैं सहमति व्यक्त करना चाहता हूं। कई लोगों ने कहा कि बिजली बोर्ड, मैंने वक्तव्य में भी पढ़ा कि किसानों को हम सब्सिडी देते हैं। यह ग्रहसान नहीं है। इसके लिए मैं लम्बी-चौड़ी बात न कहकर एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत ने जो परमाणु विस्फोट किया और ग्रमरीका ने हम पर सैंक्शन्स लगाईं, ग्रगर भारत की कृषि मजबूत न होती तो पाकिस्तान जिस प्रकार चीं बोल गया, हम भी चीं बोल जाते। इसलिए मैं इस बात को खुद मानता हूं कि किसानों को सब्सिडी देना ग्रत्यन्त आवश्यक है, देशहित में है, समाज हित में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड की स्थिति भी मजबूत रहे, ग्रब इसके बीच का ही रास्ता क्या निकले, ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने कुमारमंगलम साहब को ग्रभी कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मैंने उनको दो बातों का निवेदन किया। पहला तो यह निवेदन किया कि बिजली बोर्ड के बारे में कानून बने, जिस प्रकार से हिन्दुस्तान में रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत होता है, राज्यों में भी विद्युत बोर्ड का ग्रलग से बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए क्योंकि उससे यह पता लगे कि बिजली बोर्ड तो खरीद कर लाएगा, किसान को देगा। वह ग्रगर घाटे में जाएगा तो किसान का फायदा नहीं हो सकता। तो सरकार को इसमें फैसला करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि इतना बिजली बोर्ड का पैसा लगा, इतना घाटा हुग्रा, हमारी सरकार इतने घाटे की पूर्ति कर रही है। यह मैंने कुमारमंगलम साहब को पत्र लिखा है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि निश्चित रूप से किसान को सब्सिडी दी जानी चाहिए ग्रौर उसके अन्तर्गत यह सारी कार्यवाही चल रही है।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी हरजीराम बुरड़क ने 3–4 सवाल बताए। ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने पहली बात शुरू की। मैं कहना चाहता हूं कि खंगारसिंहजी, खारची से ग्राने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन जितनी बारीकी से वे किसानों की बात इस सदन में रखते हैं, वह ग्रसली जनप्रतिनिधि होने का प्रमाणीकरण करता है। इसी प्रकार से माननीय हरजीरामजी बुरड़क ने 4-5 बातें बताईं। मैं उनसे सहमत हूं, धारा 61 के अन्तर्गत हो जानी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं ग्राता है, ग्रपन वाद-विवाद, विचार-विमर्श कर सकते थे। उन्होंने 2-4 सुझाव प्रोक्योरमेंट के बारे में दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे वे बताएं तो मैं उसकी जांच भी करा लूंगा कि कौनसी फर्म है जिससे सारा का सारा माल खरीदा जा रहा है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ग्रौर निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे ।

एक बात ग्रापने कही कि ग्रापने जो आदेश निकाला है, वह ग्रादेश विशेष सामान्य स्कीम का है । मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने स्टेटमेंट मैंने आज यहां पर दिए हैं, उनमें दो-तीन बातों को छोड़कर बाकी सारे आदेश निकालने के बाद मैंने स्टेटमेंट दिया है । जो दो-तीन बातें बची हैं, उनके ग्रादेश भी कल या परसों तक विद्युत मण्डल से निश्चित रूप से जारी हो जाएंगे। यह कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, बिलकुल नहीं है । ग्रब ग्रापको पढ़कर सुना रहा हूं । जो ग्रादेश निकाला है, तदनुसार कृषि नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन चालू होने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् सामान्य कृषि नर्सरी श्रेणी कनेक्शन में परिवर्तित किए जा सकेंगे । अर्थात् उन पर सामान्य कृषि श्रेणी की फ्लैट रेट लागू होगी । यह ग्रादेश जारी किया है । आपका यह भ्रम था, यह ग्रापको हो रहा था कि यह कौनसा ग्रादेश है, वह है । आपने बताया था, कोई छाप की बात नहीं है, ग्रपन सभी छाप छोड़ने वाले हैं ।

दूसरी बात जो माननीय ग्रमरारामजी ने कही, ग्रध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर्स जमीन पर पड़े रहते हैं, बकरी चली गयी, गाय चली गयी, उसके पीछे बच्चा दौड़कर जाता है, एक मिनट में खतम हो जाता है । किस बात के लिये ? इसलिए विद्युत मण्डल ने आदेश जारी कर दिए हैं, मैं कहना भूल गया कि जो ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए हैं, उन ट्रांसफार्मर को शीघ्रातिशीघ्र, ग्रौर मैं उनकी सीमा भी तय करना चाहूंगा, बिजली बोर्ड के ग्रधिकारियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, ग्राग्रह कर रहा हूं कि उसकी सीमा वे तय कर दें ग्रौर इस सीमा तक जो ए.ईएन., जे.ईएन., जिसके इलाके में हो, वह विशेष कारण बताए कि सामान की कमी से या ग्रन्य कोई कारण बताए बिना ग्रगर यह काम नहीं करता है तो उस पर निश्चित कार्यवाही की जाए, यह बात मैं ताईद करके उनको कहना चाहूंगा कि सारे ट्रांसफार्मर जो पड़े हुए हैं, वे उनको ठीक करें ।

दूसरी बात, माननीय पूनमचन्दजी ने कही, वह बहुत महत्वपूर्ण है । ग्रध्यक्ष महोदय, जो खेती करते हैं, वे जानते हैं, हमारे जो किस्सा चलता था कि बिजली आई तो कहते हैं, काका ग्राई ग्रौर काका वहां से गया ग्रौर उसने ग्रपनी पत्नी को कहा कि जा, ग्राई, जा, वह ग्राई में गई, इतने में वह बिजली चली जाती है । वह ग्रावाज देता है, काकी गई, काकी गई, मतलब काका सुनता है । काकी कहां गई, जाती है बिजली । इसलिए वह पानी वहीं का वहीं रह जाता है बालू मिट्टी में । इसलिए लगातार बिजली जितनी ग्राप सात घण्टे, ग्राठ घण्टे देते हैं, वह लगातार बिजली मिले ग्रौर टेल एण्ड्स पर तो मिलती नहीं है । बहुत जगह समस्या है । ग्रौर मुझे स्लिप भेजी है, माननीय पूनमचन्दजी के बोलने के बाद, ग्रधिकारियों ने कहा कि ग्रापने ग्रपने क्षेत्र की जो समस्या बताई हैं उसका शीघ्र समाधान कर दिया जाएगा। वहां पर वह ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं ग्रौर उस समस्या के समाधान की वह कोशिश भी कर रहे हैं । एक गांव जो उनके क्षेत्र में, लाइनें खराब बताई, उन्हें इसी माह में ठीक कर दिया जाएगा ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पोकरण फलौदी एरिये में, अधिकारियों ने मुझसे कहा है और दूसरी बात आपने कही है कानसिंह सेडल के गांव से। जो आपका गांव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गांव की समस्या नहीं है। मैंने जब जानकारी प्राप्त की तो उसमें आया कि 4900 गांव ऐसे हैं, सदन के सामने साफ-साफ बात कहने में हिचक नहीं, जो विद्युतीकृत घोषित हैं। लेकिन किसी प्रकार से उनमें कनेक्शन नहीं है। इसके कारण हैं। 2500 गांव के करीब उनमें से हैं, जो पहले एक राजस्व ग्राम में थे और उस राजस्व ग्राम से उसका दूसरा हिस्सा अलग हो गया। 1000 के करीब ऐसे गांव हैं, जहां लाइन तो हमने खींच दी ठेठ तक, लेकिन उस समय तक कोई कनेक्शन नहीं लेने वाला था। उसमें से 800 गांव ऐसे हैं, जिनमें न ट्रांसफार्मर है, न कोई लाइन है, न वहां पोल हैं, अध्यक्ष महोदय। इसलिए कल ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मैंने विचार-विमर्श किया था। इन गांवों के लिए, एक अलग से व्यवस्था करके इनको बिजली देने की, मतलब इनको विद्युतीकृत मानकर बिजली देने के विशेष प्रबन्ध किए जाएंगे और इसमें जो भी कार्यवाही कर सकते हैं वह कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

अब यहां दो-चार बातें, अध्यक्ष महोदय, कमलाजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, आशीर्वाद भी है, वह देखती भी रहती हैं। उन्होंने जो बात कही थी, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वह उन्होंने अपने राजनीतिक हिसाब से कही है। माननीय सदस्यों को मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माडा क्षेत्र के बारे में पहले नहीं कह सका, मैं 3 दिन से लगातार अधिकारियों से माडा क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श करता रहा। मैं मेरी भी तकलीफ की बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि दौसा, जयपुर, अलवर आपके भी दिक्कत है, सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, सीकर और झुन्झुनूं, टौंक का थोड़ा सा हिस्सा है, इन जिलों में सबसे कट डेट, चित्तौड़ और उदयपुर का भी कुछ हिस्सा है, कट डेट सबसे पीछे चल रही है। 85, मार्च और कुछ जिले हैं जिनमें 92-90-94 चला गया। जालौर भी है जिसमें 85-86 चल रहा है। इसके बारे में विस्तृत रूपरेखा बनाई जा रही है। बिना तय किए मैं आपको सदन में कहूंगा तो उचित नहीं है लेकिन माडा क्षेत्र में किसानों के बारे में, जो माडा गांव हैं, उनमें एस.टी. के जो किसान कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनकी कट डेट को बढ़ाने के बारे में सूचना एकत्रित कर रहा हूं। उनकी दो या तीन साल की कितनी प्रायोरिटी कर सकते हैं वह हम देख रहे हैं और माडा क्षेत्र के किसानों के लिए भी करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह कही गई कि यह जो नेफ्था आधारित..

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने तो लटका दी।

श्री अध्यक्ष : बहुत गम्भीरता से कहा है इन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लटकाने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा हूं। मैंने अधिकारियों से विचार-विमर्श कर लिया है, वह यह है कि जयपुर, अब शायद कमला जी इस बात से तो मेरे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से राजी हो जाएंगी, जयपुर ग्रौर दौसा इन दो जिलों में हम इसी साल में हड्रेड पर्सेन्ट विद्युतीकृत करने का विचार कर रहे हैं ग्रौर निश्चित रूप से करेंगे। (व्यवधान) ग्रब थोड़ा बहुत रह सकता है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था माननीय रतनलालजी ताम्बी जलोत्थान योजनाग्रों के बारे में कहा। उनके बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कुछ अलग-ग्रलग बातें कहीं। ग्रध्यक्ष महोदय, यदि ग्राप मुझे पूरा समय दें तो मैं हर 33 के. वी. ए. के बारे में, 132 के. वी. ए. के बारे में कहूं ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप निष्कर्ष रूप में कह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उनके बारे में जनरल जवाब यह देना चाहता हूं इस बार हम 80 से ग्रधिक 33 के. वी. के स्टेशन बना रहे हैं, 132 के स्टेशन बना रहे हैं, 220 के स्टेशन बना रहे हैं। ट्रांसमिशन लोसेज को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी संख्या को ग्रौर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं लगेंगे तब तक किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, साथ-साथ मैं एक निवेदन ग्रौर करना चाहूंगा। वह यह है कि बिजली की छीजत के बारे में मामला उठा है। 1995-96 में 26 54 प्रतिशत थी। 1996–97 में 23.14 प्रतिशत हो गई है ग्रौर इसमें 3.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो विद्युत बोर्ड के जिस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने की परम्परा है। इसी प्रकार से नये सब स्टेशन

श्री विष्णु मोदी : मैंने पूछा था आप फार्मूला बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विष्णुजी, मैंने अभी कहा था कि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि सारे फार्मूलों को लूं। मेरे पास जैसी सूचना है वह बता दी। इस फार्मूले की मैं बाद में खोज कर लूंगा ग्रौर ग्रापको बता दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : ग्राप फार्मूला बता दो। ये तो सिर्फ कागजी आंकड़े हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं ग्राप जितना बुद्धिजीवी तो हूं नहीं, फिर भी मैं ग्रापको मेरी बुद्धि के हिसाब से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो सिर्फ एक छोटी-सी बात पूछ रहा हूं। तीन पर्सेन्ट, ग्राप घटना बता रहे हैं कि तीन पर्सेन्ट लाइन लोसेज घटे हैं। बहुत ग्रच्छी बात है। ग्रौर ग्रगर यह वास्तव में घटे हैं तो ग्राप ग्रौर बोर्ड दोनों बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह ग्राज तक होता ग्राया है, पहले भी हुग्रा है ग्रौर ग्रब भी है. यह सिर्फ ग्रांकड़ों का मायाजाल है, ग्रौर कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यह मनमर्जी का तरीका है ग्रौर अपने आपको सेटिस्फाई करने की बात है। ग्राप खुद जांच लें, मुझे जानकारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। ग्राप सेटिस्फाई हो जाएं कि वास्तव में यह लाइन लोसेज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह आंकड़ों का मायाजाल क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं था ?

श्री रामप्रताप कासनियां : +++ अभी तो माननीय मिड्ढाजी ने कहा था गुड़ दो, फिटकरी दो, घी दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इनको अपनी बात पूरा करने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, छोटे पावर, प्लांट्स के बारे में माननीय मोदीजी ने बात कही।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जोधपुर के लिए भी कहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं जोधपुर की कह दूंगा। राजेन्द्रजी, यह बाद में।

अध्यक्ष महोदय, छोटे पावर प्लांट्स के बारे में अभी एक बात उठायी कि उनको फोरेन एक्सचेंज की रिस्क कवर करने के लिए छूट दी जाए। अध्यक्ष महोदय, जो इनका टेण्डर हुआ उस टेण्डर में यह छूट नहीं थी। टेण्डर के बाहर जाकर छूट देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, राज्य सरकार ऐसा मानती है। इसलिए इनको यह छूट देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने वहां कहा कि आपने बरसिंहसर और धौलपुर में इस प्रकार की छूट दे दी। भारत सरकार की अनुमति से, पहले ही उनके जो टेण्डर हुए थे उनमें इस प्रकार का नियम था, उनका प्रावधान किया हुआ था, इस कारण से उनको दी गई थी। इसकी और उसकी कोई तुलना नहीं है इसलिए इस प्रकार की छूट देने में मैं समर्थ नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बरसिंहसर प्लांट के बारे में तीन-चार बातें माननीय मोदीजी ने उठायी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में उन पर तीन-चार बार चर्चा हो चुकी है और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा चुका है। उन्होंने पत्र भी भेजा, उनके पत्र का जवाब दिया जा चुका है। इंटरनेशनल कांपीटेटिव बिडिंग के आधार पर वे टेण्डर हुए थे और उनमें यह साफ-साफ प्रावधान था, इसके अलावा यह भी था, कम्पनी ने लिखकर दिया था कि जो भारत सरकार तय करेगी वह राज्य सरकार को, विद्युत मण्डल और कम्पनी दोनों को मान्य होगा। आपकी बात सही है कि सारा जो कैलकुलेशन था उसमें 361 करोड़ की उन्होंने कटौती की है और कम्पनी उसको मान रही है। कंपनी ने उसके खिलाफ रिप्रजेंटेशन कर रखा है। यह कम्पनी और उसके बीच का मामला है। इसका जवाब भली प्रकार से दिया जा चुका है। इसलिए इस पर मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कह सकता हूं कि इसमें ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक राज्य ने एक कारखाना लगाने का प्रयत्न किया है। इसमें किसी प्रकार की बदनीयति किसी भी स्तर पर नहीं की गई है।

श्री विष्णु मोदी : ऐसा और कहीं नहीं हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी। इसी प्रकार से झुन्झुनूं की कृमकों की बात थी। कृमकों का कारखाना अगर झुन्झुनूं में लगाया जाता तो मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होती, क्योंकि एक हजार मेगावाट और

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक अरब रुपये लगता। झुन्झुनू ग्रौर सीकर में कोई फर्क थोड़े हो है, वह शेखावाटी इलाका है। हमको लाभ होता, लेकिन ग्रमी जो मुझे सूचना मिली है कृभकों ने पत्र लिखा है, झुन्झुनू में पानी की व्यवस्था का ग्रभाव है, इस कारण से लगाने में ग्रसमर्थ हैं। लेकिन मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि कृभको केवल नेफ्था के कारण से काम नहीं कर रहा है। तो राज्य सरकार इस बात की पूरी व्यवस्था करेगी कि कृभको को नेफ्था का अलोकेशन हो जाए ग्रौर वे लगाना चाहें तो निश्चित रूप से हम उसमें पूरी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : पानी की नहीं है, नेफ्था की ही कमी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि हमने किसानों को लूटने का काम किया। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैंने ग्रपने ग्रांकड़ों में बता दिया, हमने 8 वर्ष में जो कनेक्शन किए हैं उनमें एक लाख 60 हजार से ज्यादा सामान्य हैं। हमारे से पहले जो आठ साल थे उनमें एक लाख 14 हजार सामान्य श्रेणी के कनेक्शन हैं। सामान्य श्रेणी के कनेक्शन में कमी नहीं की ग्रौर ग्रगर इस लूट के लिए कोई जिम्मेदार है तो ग्रादरणीय कमलाजी हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : इतने सुन्दर भाषण को बिगाड़ो मत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बिगाड़ नहीं रहा। मैं जानता हूं कोई भी किसान नर्सरी में कनेक्शन नहीं लेना चाहता। इसलिए नहीं लेना चाहता कि वह मजबूरी में लेता है। उसको 12-12 साल का इंतजार करना पड़ता है इसलिए वह लेता है। इसलिए हमने नर्सरी बंद करने की बात की तो ग्रपन ने यहां खड़े होकर कहा था कि नर्सरी में कनेक्शन चालू रखे जाएं। यह सबने कहा था। इसलिए वो किसान जो उस लाइन में नहीं ले रहा था वह उसको लेना चाहता है।

श्रीमती कमला : कमलाजी कहां से जिम्मेदार हो गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रापने कहा था कि नर्सरी चालू होनी चाहिए।

श्रीमती कमला : देख लीजिये प्रोसिडिंग। हमने कहा यह पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि नर्सरी में ही लोगे। हमने कहा कि ग्रापने जो पाबंदी कर रखी है कि नर्सरी के ग्रलावा नहीं देंगे, यह पाबंदी उस वक्त कर रखी थी। बल्कि साल भर से पहले ही जिनके कनेक्शन थे उनको भी नोटिस जारी हो गये थे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था कर रहा हूं कि एक लाख 60 हजार हो गये। ग्रब राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि 31 ग्रगस्त तक 20 हजार सामान्य श्रेणी की डिमाण्ड नोटिस जारी होंगे। ग्रौर भगराज जी ग्रापने पूछा कि कब होंगे, इस वर्ष में करेंगे ग्रौर नवम्बर तक ग्रधिकांश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रबी की फसल के पहले-पहले हम कोशिश करेंगे कि ग्रधिकांश कनेक्शन हो जाएं। इसलिए मेरी तरफ से इस बात की कोई कोताही नहीं होगी। ग्रब ग्राप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फिर इस बात को जोड़ेंगे कि नवम्बर के पहले चुनाव हो रहे हैं। वे चुनाव तो टाइम पर ही होंगे और रबी की फसल भी चुनाव पर ही आएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसको हम निश्चित रूप से कराने का प्रयत्न करेंगे, जहां तक कि विद्युत क्षमता का सवाल है ...

श्री परसादीलाल मीणा : आप किसी से दबना मत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं किसी से नहीं दब रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक विद्युत क्षमता का सवाल है यह प्रश्न बराबर उठाया गया कि हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। सही बात है, हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं और बाहर से खरीद-कर लाना कोई पाप नहीं है। सबको लाना

(21.00 बजे)

पड़ेगा। मध्य प्रदेश आज 50 प्रतिशत बाहर से ले रहा है, मैं सब आंकड़ों में नहीं जाना चाहता नार्दर्न ग्रिड बनी हुई है। भारत सरकार कारखाने लगाती है और भारत सरकार कारखाने लगाये, उनमें हर राज्यों का हिस्सा है और इसी से मैंने बोला है कि चम्बल में हमारा हिस्सा है। उन लोगो में से नहीं हूं जो कहें कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। चम्बल था, भाखड़ा था, किये सारे और उनमें हम बिजली ले रहे है तो उसमें हमारा हिस्सा था, उसमें कुछ नहीं बाहर से लाते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो विद्युत की क्षमता है, वर्ष 1989-90 में 2711 मेगावाट थी और 1997-98 में 3791 मेगावाट है। कुल 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब कहां से लाये तो मैं कई बार कहता हूं कि आकाश से ला रहे हैं। हम आकाश से ला रहे हैं, लायेंगे। पाताल से ला रहे हैं, आ रही है।

श्री विष्णु मोदी : वह भी नहीं आयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आयेगी। आप सुन लो पहले। मैंने बहुत देर सुनी है। आप पर तो अभी आता हूं। आकाश से बिजली लाने की बात थी, मैं जानता हूं कि सोलर एनर्जी का हमने समझौता किया, अभी वह सही नहीं है, आ रहा है, हमने एग्रीमेंट किया है, सब काम हो गया, टैक्नोलॉजी है, तकनीक है। पाताल से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहेंगे कि पाताल से कहां से लाएंगे तो यह रामगढ़ की जो गैस है वह पाताल से ही आ रही है। अन्ता की गैस है वह भी पाताल से ही आ रही है। तो, अध्यक्ष महोदय, हम तो किसानों को बिजली देने के लिए आकाश-पाताल एक कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। सोलर एनर्जी आकाश से ला रहे हैं और वह गैस पाताल से ला रहे हैं। यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आकाश-पाताल एक करके भी हम बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं।

वर्ष 1982-83 से 1989-90 तक कुल 4189 करोड़ यूनिट और 1990 से 1998 तक 9252 करोड़ यूनिट बिजली दी गयी। इसमें 120 प्रतिशत बिजली की बढ़ोतरी हुई। प्रति वर्ष 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी बिजली की खपत में हो रही है और कृषि क्षेत्र को 1.37 प्रतिशत की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ोतरी बिजली देने में हुई है। खर्च में 558 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और बिजली की खरीद में 142 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह कुओं के मामले में आपने बताया, कोटा के ताप विद्युत घर के बारे में भी बताया। अब अध्यक्ष महोदय, हम जो सबसे बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं वह यह है कि हमको 300-400 मेगावाट बिजली प्रति वर्ष मिलती रहे, इस बात की व्यवस्था हो। राज्य सरकार ने और विद्युत मण्डल ने, मैं यह बात आज यहां मानने के लिए तैयार हूं कि जो छोटे-छोटे प्लांट लगने वाले थे, मैं सदन के सामने साफ-साफ कहूं कि मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई आएगा तो कोई खास बात नहीं है। इस सदन में साफ बात कहने में क्या दिक्कत है? हमने प्रयत्न किया, एम. ओ. यू. साइन किये, पी. पी. ए. साइन किये। आज स्थिति यह है कि हम इस प्रकार के लाना चाहते हैं कि 5 रुपये, 4 रुपये यूनिट के अन्दर बिजली खरीदें और हम टेण्डर में छूट दें। हम नहीं दे सकते। और मेरी यह भी मान्यता है कि यह बिजली का जो काम है वह प्राइवेट सैक्टर में जाते बहुत समय लगेगा। सरकार को, गवर्नमेंट को इसमें काम करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी जो सूरतगढ़ के बारे में आपने एक बात कही थी कि यह 1500 करोड़ कर दिया, 1200 करोड़ करना था। माननीय, आप बहुत विद्वान हैं। लेकिन समझ लीजिये कि जो कॉमन फैसिलिटी है, 250-250 मेगावाट दोनों की है। कॉमन फैसिलिटीज में जो पैसा लगा रहे हैं वह दोनों पर लगा रहे हैं। इसलिए यह पैसा केवल इस 250 मेगावाट पर नहीं लगा है इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, 300 करोड़ रुपये पावर फाइनेंस कर्पोरेशन से आये हैं, 361 करोड़ रुपये हमने तय किया है और करके 1999 में 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट निश्चित रूप से आयेगी। 28 महीने में धौलपुर की यूनिट आयेगी, उसका भी फाइनेंशियल क्लोजर हो रहा है, 28 महीने में काम करने का उसका प्रावधान है।

इसी प्रकार से अन्ता में हमारी एश्योर्ड है। सारा काम हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं सदन को आपके माध्यम से विश्वास दिला सकता हूं कि 300-400 मेगावाट बिजली चार साल तक निरन्तर हमको मिलती रहेगी। इस बार भी हमको 250 मेगावाट रबी की फसल में मिल जायेगी सूरतगढ़ की और आर. ए. पी. पी. की दो यूनिट चालू हो गयीं उनसे करीब 280 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी। यह हमारे वैज्ञानिकों का चमत्कार है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। सरकार को श्रेय जाये, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से काम किया है कूलेंट चैंज करने का, वह मामूली काम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यहां पर यह चर्चा उठायी गयी कि नाथपा झाखड़ी में क्या हुआ, कोल पार्वती में क्या हुआ, थीन में क्या हुआ, पौंग में क्या हुआ, मुकेरिया में क्या हुआ, शाहपुर कांडी में क्या हुआ, रोपड़ में क्या हुआ। मुझे थीन का, पौंग का, रोपड़ का, चंदेरिया का, शाहपुर कांडी का, मुकेरिया का, नाथपा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

झाखड़ी का, सब का याद है। मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता। गुलाब सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं, कमला जी भी जानती हैं कि जिस समय माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया यहां विराजा करते थे, उस समय नाथपा झाखड़ी पर सदन में बहुत चर्चा हुई। माननीय पूनमचन्द जी भी थे। उस समय का मुझे किस्सा अच्छी तरह से ध्यान में है। हमारे एक माननीय सदस्य हुआ करते थे मालाराम जी। अध्यक्ष महोदय, उस समय दो बातों पर चर्चा चल रही थी। एक तो चर्चा चल रही थी नाथपा झाखड़ी पर और एक कोई रोडवेज की बस में बलात्कार की घटना हो गयी, तो उसके बारे में चर्चा चल रही थी। मालाराम जी पीछे बैठे थे। उस समय बलात्कार पर चर्चा हो रही थी। तो इतने में मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि भाई घनश्याम जी, यह नाथपा झाखड़ी कौन है और इसको कौन उड़ाकर ले गया। तो मैंने कहा कि मैं तो इतना बड़ा पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं, अपन मुख्य मंत्री जी के पास चलते हैं वह इसको बतायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं भी नहीं समझ पाया हूं, पूनमचन्द जी अध्यक्ष हैं उनके पास चलते हैं, वह अपन को बतायेंगे। और उस नाथपा झाखड़ी के बारे में हम उनको नहीं समझा पाये। लेकिन मैं उस नाथपा झाखड़ी को समझ रहा हूं। वह नाथपा झाखड़ी उसी समय सैन्ट्रल सैक्टर में चली गयी थी क्योंकि विद्युत प्राधिकरण के द्वारा वह बनायी जा रही है और उसमें उन्होंने शेयर एश्योर कर रखा है। वह विद्युत योजना बन जाने के बाद हमको हमारा शेयर निश्चित रूप से मिलेगा।

श्री विष्णु मोदी : कितना शेयर मिलेगा ? (व्यवधान) 1500 करोड़ रुपया खर्च होना बताते हैं तो एक बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्योंकि यह सदन बहुत गुमराह हो चुका है। आप 99 तक 500 मेगावाट लायेंगे, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं लेकिन कितने करोड़ पर ? एक हजार करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट पर ओवर रन होगा। दूसरी बात, जगन्नाथ जी पहाड़िया ने कर दिया, शिवचरण जी माथुर ने कर दिया या किसी ने कर दिया, मैंने सवाल सिर्फ एक उठाया है कि आपने पिछले 90 से लेकर 98 तक इस इण्टर स्टेट की जो बिजली मिलने वाली थी उसमें क्या किया ? और जो यह बयान कर रहे हैं कि हमारा शेयर मिलेगा, वह शेयर नहीं है। एक तो ग्रिड एलोकेशन है जो कि राजस्थान का पहले 63 परसेंट हिस्सा था और अब ग्रिड एलोकेशन में 12 प्रतिशत हिस्सा हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं गांव का आदमी हूं। बाबो घर आणो चाहे, चाहे वह ग्रिड एलोकेशन में आबो और चाहे शेयर में आबो। बाबो घर में आसी, बिजली मिलसी। बिजली मिलेगी और सबसे अधिक इसलिए मिलेगी कि आज भी नोर्थ ग्रिड में राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो सबसे पहले पैसा चुकाता है। इसलिए हमको न्यौते निकालकर कहते हैं कि बिजली ले लो। यह हमारी क्रेडिट है और सबसे अधिक बिजली हम ले पाये हैं। मैं मानता हूं कि इसमें विवाद का विषय नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। यह कोल में भी हमारा हिस्सा है, पार्वती में भी हमारा हिस्सा है, थीन में भी हमारा हिस्सा है, पौंग में भी हमारा हिस्सा है, मुकेरिया में भी हमारा हिस्सा है, शाहपुर कांडी में भी हमारा हिस्सा है और रोपड़ में भी हमारा हिस्सा है। यह हिस्सा हमारा इसलिए है कि वहां के पानी में हमारा हिस्सा है और वहां के पानी में हमारा हिस्सा है तो उसकी बिजली में भी हमारा हिस्सा है। यह राजनीति का मामला नहीं है, पार्टी का मामला नहीं है, राजस्थान का मामला है और राजस्थान का मामला है तो इसमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भारत सरकार को लिखकर भेजा है लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने अभी तक रेफरेंस नहीं किया है। ज्यों ही रेफरेंस करेंगे, हम हमारे अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और प्राप्त करके रहेंगे। राजस्थान के पानी बिजली का हिस्सा हम किसी राज्य में जाने नहीं देंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेफरेंस करना एक बात हैं। यह सदन को गुमराह फिर किया जा रहा है : राष्ट्रपति महोदय को भेजकर रेफरेंस कराना एक बात है और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करना दूसरी बात हैं। इसी सदन में यह घोषणा की गयी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट करेंगे। मैंने सवाल इस बात का उठाया है . (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, हर मामले में सवाल जवाब नहीं।

श्री विष्णु मोदी : रिट की या नहीं की ? नहीं की तो कब करेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : .... की तरह खड़े हो जाते हैं मर्जी आये जब। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : भाषण को उठाकर देख लो, साढ़े चार साल नें जितने भी विधान सभा में इसके भाषण हुए हैं.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और कावेरी का मुद्दा जब तक पड़ा है पड़ा रहे। हम रेफरेंस चाहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा रेफरेंस चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ताकि हमारा जो फैसला हो वह जल्दी हो। और फैसला होकर हमको अधिकार मिल सकें। यह राजस्थान को डुबोना चाहते हैं। बैठिये आप एक बार।

श्री विष्णु मोदी : आप कहें कि हम अपनी घोषणा से मुकर रहे है कि पहले हमने रिट करने की बात की, अब हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ४ साल तो बिता दिये आपने और यह फैसला नहीं कर सके कि यह रिट करेंगे या रेफरेंस करायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां कोल और पार्वती के बारे में शिवचरण जी माथुर थे, मैं नहीं कहना चाहता, उसके बारे में व्हाइट पेपर प्रकाशित हुआ था। आप जानते हैं कि मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। अगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके विवाद में पड़ना चाहेंगे तो राजस्थान का अधिकार जाएगा। मैं राजस्थान का अधिकार खतम नहीं करना चाहता। इराडी कमीशन ने, जो सब कमीशनों ने सिफारिश की है कि जितना हमारा पानी है उतना ही हमारा बिजली का हिस्सा है और जब तक बिजली नहीं मिलेगी, राजस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जमुना के पानी के बारे में बात की। उन्होंने 33 के वी. और 132 की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें की हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो–जो बात आज सदन में उन्होंने कही, इसी प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है, मजदूरों की कच्ची बस्ती का इलाका बसा हुआ है। जयपुर में भी है, पूरे राजस्थान में है। पाली से भी माननीय सदस्य ने कहा, पाली में भी समस्या है। सबने कहा है, उसके ऊपर भी हम चिन्तन कर रहे हैं और यह हमने वैसे तो उसमें नियम रखा है जनरली। वह नियम यह है कि आधा पैसा अगर वह देता है और आधा पैसा हम देकर उस लाइन को बदल सकते हैं लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वह पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं और वह संभव भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी को पैसा नहीं देना है। तो हम इस बात के लिए वहां पर नगरपालिका से या स्वायत्तशासी संस्थाओं से, सरकार से, किसी से बातचीत करके उस बात का रास्ता निकालेंगे और किस जगह की, चिड़ावा के लिए कहा शायद श्रवण कुमार जी ने कहा, मुझे भी इस बात की जानकारी है कि 15–20 आदमी उससे चिपककर अब तक मर चुके हैं। ऐसी जो बातें हैं उनको भी मानवीय आधार पर भी बोर्ड लेगा और लेकर इसके बारे में त्वरित कार्यवाही करने पर विचार करेंगे। जयपुर में भी यह बहुत बड़ी समस्या है। हमने यहां नगर निगम से और जे. डी. ए. से बात की है और वे भी कुछ पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो जयपुर में कच्ची बस्ती के लिए यह समस्या है, उसमें तो हमको पैसा मिल रहा है। उस सम्बन्ध में हम उनसे मीटिंग करके, उस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

एन. डी एस. और सबका एक साथ थोड़े ही होता है, धीरे-धीरे होगा। अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी चौधरी ने जो बात कही है, वह जोधपुर के बारे में पर्टिकुलर रूप से है। उसके बारे में कुछ आदेश तो हमने जारी कर दिये हैं। जो पहले थे उनको रेगुलराइज करके, और आपने जो उठाया था कि एक ही प्रमिसेस में अलग-अलग हैं, उसके बारे में। इसके बारे में आपने मुझे पहले भी कहा था और उसका नोट मैंने मंगवा लिया है और जो ये पहले कर चुके थे उनको तो रेगुलराइज करने के हमने आदेश जारी कर दिये हैं और नये ढंग से इसको किस प्रकार से परमिशन दी जाये, उस पर हम विचार रहे हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में आफ हैण्ड कहना अच्छा नहीं रहेगा। जो कुछ कर सकते हैं उसको करने की हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : टावर के लिए आपने क्या किया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोल रहा हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गहरा पानी जो है, सबसे बड़ी समस्या है। पांच हॉर्स पावर से जो सिंचाई होती हैं, हमारे वहां 30 हार्स पावर से होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, टावर के लिए रामस्वरूप जी ने कहा था। टावर के लिए मैं अभी अधिकारियों से कहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कर दें। लाइन खिंच गई है तो नदी पर टावर लगाना है, उसका लाभ इनको मिल जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है हरियाणा की, मैं उसको मंगाता हूं मुझे ध्यान में नहीं आया लेकिन यह प्रश्न मैं भी बहुत बार उठाता रहा हूं क्योंकि हमारे यहां, मेरा जहां एक वर्तमान खेत है वहां तो 3 से 5 हार्स पावर से काम चल जाता है लेकिन जहां मेरा दूसरा खेत है वहां 150–175–200 तक खूड़ के अन्दर पानी निकालने मे चला जाता है। उतना पैसा उसका मिलता है, और उतना ही पैसा दूसरे का मिलता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में क्या क्या किया है, वह राज्य सरकार से, माननीय वित्त से मंत्री जी से बात करने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगा। लेकिन यह समस्या सही है और इस समस्या पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हमारे यहां पर हजारों फुट तक गहरे कुएं हैं। आपकी विजिलेंस टीम है, वह जाती है और 10 एच. पी. की मोटर है पर एम्पीयर ज्यादा बताती है। तो उसके कारण से $12\frac{1}{2}$ एच. पी. के हिसाब से उसका चार्ज लेते हैं कि हमने इतना कन्जम्पशन कर रखा है, इसके बारे में आप कुछ करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजेन्द्र जी, मैं अपने स्टेटमेंट में कह चुका था कि 20 प्रतिशत अधिक अधिभार आने पर उसको नहीं माना जायेगा। यह मैं इस बात को क्लियर कर चुका था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वह भी घोषणा कर चुका कि 5000 रुपये जो ले रहे हैं, वह उसको पूर्ववर्ती योजनाओं में बदल दिया है। इतने कम समय में जो कुछ कर सकते थे, जो जो छूट दी जा सकती थी....

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कड़वा बोल गई तो मेरे इलाके के लिए कुछ नहीं कहेंगे। ....सारे पड़े हुए हैं, कितने वर्षों से सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं। (व्यवधान) मीठा तो बोलू तब ना जब कुछ करें। आठ वर्षों में न स्कूल दिये न दवाखाने दिये, न सड़क दी, न बिजली का कुछ काम हुआ। तो मीठा कहां से बोलूं। सीने में तो दर्द होता है कि मेरे इलाके में कुछ न ही किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कमला जी का इलाका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और मेरा इलाका बिलकुल सटा हुआ है और आपका हमेशा से आशीर्वाद मिलता ही रहा है। उस क्षेत्र में जो विद्युत की समस्या है, वह इनकी नहीं है, वह किसानों की समस्या है। इसलिए तार नीचे लटक रहे हैं या जो ट्रांसफार्मर इस समय काम नहीं कर रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं जिससे विद्युत तंत्र ठीक नहीं हो रहा है, वोल्टेज की समस्या है, जितनी भी आपने बताई हैं उन सबको मंगवाकर निश्चित रूप से जितना चौमूं में प्रयत्न कर रहे हैं उतना ही आपके शाहपुरा–बैराठ में भी करेंगे। दोनों एक ही हैं तो उसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय, जो राजेन्द्र जी ने सवाल उठाया, उस बारे में आपने जो कहा है, उसमें थोड़ा स्पष्ट करिये। जैसे वह पुरानी बात आपने कही, वह बात नहीं है। बात इसमें इतनी ही है कि जैसे उद्योग द्वारा अपनी अलग-अलग मोटर चलाते हैं, वैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए लें, बात इतनी सी है। न रेगुलराइजेशन की बात है न और कोई बात है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें मंत्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 132 का कमला जी का क्षेत्र है, वह बना दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जहां मैं पहले शुरू में कह गया कि इस विधान सभा में जन प्रतिनिधि कहलाते हैं और राजनीति अपनी-अपनी सब करते ही हैं। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आप माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस समय भी थोड़ी बिजली की हमारे सामने समस्या आ रही है। इस समय 642 लाख यूनिट हमारी प्रतिदिन खर्च हो रही है। पहले 300–400 यूनिट हुआ करती थी। क्योंकि बरसात नहीं हुई है और किसान इस समय बिजली से अपनी फसल को बचाना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में भी कई बातें कही गई। मैं आपको आश्वस्त करूं कि इस समय सौभाग्य से जितने बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन दिनों में मेरे सम्पर्क में आये हैं। मैं आश्वस्त हूं कि वे सभी परिश्रमी, लगनशील, व्यवहार कुशल और निष्ठापूर्वक अपने काम में लगे हैं। मैंने उनको यह निर्देश दिये हैं कि इस समय किसानों की फसल को बचाने के लिए जितनी भी बिजली लेकर हम दे सकते हैं बरसात होने तक उतनी देने की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी तय किया है कि मैं जब भी जयपुर में रहूंगा, सुबह 8 से 10 बजे मेरे घर पर बिजली पंचायत लगेगी जहां आम आदमी को, किसान को जो भी तकलीफ होगी, सुबह 8 बजे से आयेगा। मैं कोशिश करूंगा कि तीन दिन में, पांच दिन में उसकी समस्या का समाधान करके, उसको निश्चित रूप से लाभ मिले। इसके लिए हमने तय किया है कि हमने पहले समस्या समाधान शिविर लगाये थे और उसका परिणाम आया। अब आज मैं पुनः

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

घोषणा कर रहा हूं कि 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य भर में बिजली की समस्या समाधान शिविर लगाये जायेंगे। किसानों की और आम जनता की समस्या को चिन्हित किया जायेगा, उनका निराकरण किया जाएगा। उसके बाद में भी जो समस्या बचेगी, वह अगर हमारे पास आयेगा तो उन समस्या का निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। यह विद्युत मण्डल राज्य की सेवा का माध्यम बने और इससे जनता को लाभ मिल सके, यही मैं चाहता हूं।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 1998 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.17 बजे, गुरुवार, दिनांक, 30 जुलाई, 1998 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

2546

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 358 का विवरण)

STATEMENT SHOWING DETAILS OF TENDERS RECEIVED WITH RATES

S.No.	Name of Firms	Make	Rates of F.O.B.
1.	M/s. ATL India, New Delhi	HDI–3000	$ 1,75,000 Rs. 63,03,500
		Apogee 800	$ 1,34,500 Rs. 48,44,690
2.	M/s. Erbis Engg. Co., New Delhi	Toshiba–380	Yen. 1,90,00,000 Rs. 63.80,300
3.	M/s. Wipro GE, Jaipur	Logia–500	$ 1,58,000 Rs. 56,91,160
4.	M/s. Cardiotraco, New Delhi	Esoate Biomedica	It. Lira. 19,43,00,000 Rs. 46,43,770
5.	M/s. Lersen & Toubro, Delhi	Acuson XP 10C	$ 1,58,000 Rs. 57,17,541
6.	M/s. Howlott Packard, Delhi	HP Sonos 2000	$ 1,82,155 Rs. 66,18,855

(247)

परिशिष्ट–2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 359 का विवरण)

पशुचारा वितरण घोटालों के मामले में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामलों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	अधिकारी/कर्मचारी जिसके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है	क्या कार्यवाही विचाराधीन है	कब से विचाराधीन है	पेंडिग का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	जोधपुर	1. श्री मानाराम पटवारी	1. 16 सी.सी.ए. 2. ए सी.जे.एम. न्यायालय फलौदी	26.3.92	उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच के निर्णय पर फौजदारी मुकदमे के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया है । दोनों ही प्रकरण एक ही रिपोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण व एक के विरुद्ध विभागीय जांच में स्थगन होने के कारण दोनों में निर्णय एक साथ दिया जायेगा ।
		2. श्री चांदमल आर.आई.	—,,—	—,,—	
2.	चूरू	1. श्री मोतीलाल पटवारी	1. विभागीय जांच	1990–91	विभागीय जांच कर ली गई है व्यक्तिगत सुनवाई के बाद शीघ्र निर्णय सम्भावित है ।

1	2	3	4	5	6
		2. श्री चामणराम क. लि.	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	विभागीय जांच कार्यवाही के तेहत शीघ्र निर्णय होने की संभावना है।
3.	झुन्झुनूं	वर्ष 1987–88 के लेखों की जांच वित्त विभाग द्वारा कराई गई जो जून, 98 में प्राप्त हुई इस रिपोर्ट में जिले के आठों विकास अधिकारियों को अनियमितता के लिए जिम्मेदार माना है। इसके अलावा निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परषिद झुन्झुनूं को चारा वितरण में अनियमितता व राशि के दुरुपयोग की जांच कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाये जाने पर राशि जमा कराने की कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं।			
4.	राजसमन्द	जिले की पंचायत समिति राजसमन्द के पशुचारा घोटाले के मामले में 1. श्री हीरालाल कुणावत, विकास अधिकारी, 2. श्री अम्बालाल धाकड़, वरिष्ठ लिपिक, 3. श्री राजेन्द्र प्रसाद, 4. श्री सुन्दरलाल तेली, अध्यापक के विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग द्वारा दिनांक 3.6.98 को पुनः अंकेक्षण हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लिखा है। अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।			

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

(तारांकित प्रश्न संख्या 362 प्रश्न सूची से निकाला गया)

राज्य में मतदाता परिचय पत्रों का वितरण

363. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के आगामी चुनावों से पूर्व राज्य के सभी मतदाताओं के परिचय पत्र तैयार करवा लिये जायेंगे ?

(2) क्या मतदान के समय जिनके पास परिचय पत्र होंगे उन्हीं को मतदान करने दिया जायेगा ?

(3) किसी मतदाता के शहर एवं गांव दोनों स्थानों पर परिचय पत्र हो तो उसे किस स्थान पर मतदान करने का अवसर मिलेगा ? क्या ऐसा करना जुर्म है ?

उत्तर

(1) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधान सभा चुनाव से पूर्व राज्य के सभी मतदाताओं को परिचय पत्र तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर विचाराधीन है।

(3) नियमानुसार मतदाता का नाम एक स्थान पर ही मतदाता सूची में होना चाहिए। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होना कानूनी अपराध है। अतः जब नाम एक ही स्थान पर है तो दो स्थानों पर फोटो परिचय पत्र बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां पर मतदाता ने फोटो पहचान पत्र बनाया है, उस ही क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

जिला चिकित्सालय राजसमंद भवन का प्रकरण

364. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला राजसमन्द मुख्यालय पर संचालित जिला-चिकित्सालय भवन रोगियों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये उपयुक्त है ?

(2) क्या सरकार नया जिला चिकित्सालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला राजसमन्द मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित चिकित्सालय भवन यद्यपि स्थान की दृष्टि से अपर्याप्त है लेकिन रोगियों को निम्नानुसार उपचार सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है :–

250

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1. बाह्य रोगी उपचार सुविधा।
2. अन्तंरोगी उपचार सुविधा।
3. प्रसूति सुविधा।
4. ऑपरेशन सुविधा।
5. विशेषज्ञ सेवाएं।
6. प्रयोगशाला में पैथोलोजी जांच सुविधाएं।
7. एक्सरे सुविधा।
8. ई.सी.जी. सुविधा।
9. 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं।
10. गहन चिकित्सा इकाई कार्यरत।
11. 100 रोगी शैय्याओं युक्त चिकित्सालय में वर्तमान में 76 रोगी शैय्याएं उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु "ग्राम धोईन्दा" तहसील राजसमन्द में राज्य सरकार द्वारा तीस बीघा भूमि आवंटित की गई है। समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर/दानदाताओं द्वारा समुचित धनराशि अनुदानित किए जाने पर भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य

365. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि टिड्डी, ओला, पाला से जिन क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती है, उन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार के पास किस-किस प्रकार की योजना है? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1997–98 में जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई थी, उनमें रोजगार के क्या साधन जुटाए? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है ओलावृष्टि से जो ग्राम अभावग्रस्त हो गये, उनमें रोजगार चालू किये जाने के प्रस्ताव आये थे? यदि हां, तो प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) अब तक तहसील जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) फसल खराबा 50% या अधिक होने पर अभावग्रस्त घोषित कर राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं।

(2) राहत कार्य नियमानुसार प्रारम्भ किये।

(3) जी हां। स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किये गये।

(4) फसल खराबा 50% से कम था।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इंजनों की खरीद प्रकरण

366. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा तीन वर्षों

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

में किर्लोस्कर डीजल एवं मारुति इंजन क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि के ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इंजन क्रय किये जाने हेतु कोई विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के इंजन क्रय किये जाने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ? यदि हां, तो विज्ञप्तियां कब-कब जारी की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि किर्लोस्कर डीजल इंजन पुरानी तकनीकी के होने के कारण वर्तमान में काम में नहीं आ रहे है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त इंजनों के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अंकेक्षण दल द्वारा भी आपत्तियां की गई है ? यदि हां, तो जांच उपरान्त इस सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल वर्ष 1995–96 में किर्लोस्कर डीजल इंजन तथा मारुति पेट्रोल इंजन क्रय किये गये। फर्म एवं राशि निम्नानुसार है :–

1. किर्लोस्कर डीजल इंजन :–मै. ब्लेक स्टोन टेरी इन्जीनियरिंग कम्पनी जोधपुर रुपये 32,43,635/-
2. मारुति पेट्रोल इंजन :–मै. राजा मोटर्स, जोधपुर रुपये 69,81,177/–

(2) जी हां। समिति के निम्न सदस्य थे :–

1. श्री डी. एन. वर्मा, संयुक्त निदेशक
2. श्री आर. एस. खालसा, उपनिदेशक
3. श्री आई. एस. गहलोत, सहायक निदे.

(3) जी हां। तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। प्रथम निविदा 7 (95–96) दिनांक 26.8.95, द्वितीय 16 (95–96) दिनांक 2.12.95 तथा तृतीय 17 (95–96) दिनांक 29.1.96 को जारी की गई।

(4) जी नहीं। क्रय किये गये इंजन एयर कूल्ड इंजन की नवीनतम तकनीकी के थे तथा वर्तमान में काम में आ रहे हैं।

(5) जी हां। आक्षेपों का उत्तर महा-लेखाकार को प्रस्तुत किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

367. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाना था ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध मे अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती बीना काक)

(3) आयोग ने सरकार को प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिश की थी, उनमें सरकार ने किस-किस सिफारिश को स्वीकार किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन वर्ष 1993–96 प्रस्तुत किया गया था। उसमें उल्लेखित सभी प्रस्तावों पर सुझाव देने हेतु विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में एक "ग्रुप" का गठन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, विशिष्ठ योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के उप शासन सचिवों को विभागीय प्रतिनिधियों के रूप में मनोनीत किया गया था। इस "ग्रुप" द्वारा विचार-विमर्श हेतु अनेक बैठकों का आयोजन करने के बाद अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंप दिया है। राज्य सरकार उनके अनुसार कार्यवाही कर रही है।

(2) जी हां। सिफारिशों का परीक्षण कर उन पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही हो जाने के पश्चात् रिपोर्ट मय कार्यवाही विवरण के सदन में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(3) आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों तथा उनमें से स्वीकार सिफारिशों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट—"क"

राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों (संक्षेप में) एवं उनमें से स्वीकार सिफारिशों का विवरण

सिफारिश सं. 1	आयोग की सिफारिशें (संक्षेप में) 2	राज्य सरकार की अभियुक्ति 3
1.	राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जावे।	
2.	वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाये।	राजस्थान वक्फ बोर्ड की अधिसूचना दि. 15.2.97 द्वारा वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया जा चुका है।
3.	राजस्थान वक्फ विकास निगम की स्थापना की जायें।	

253

1	2	3
4.	अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कमेटियों की स्थापना की जाये ।	राज्य सरकार द्वारा पहले ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया था । समिति का गठन प्रक्रियाधीन है ।
5 एवं 24	अल्पसंख्यकों के लिए राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जाये ।	राज्य सरकार द्वारा राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर को नामित किया जा चुका है ।
6.	कब्रिस्तानों का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी समयबद्ध योजना तैयार की जाये ताकि उनका बेहतर प्रबन्धन हो सके ।	कब्रिस्तानों के बेहतर प्रबन्धन हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।
7.	अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष त्योहारों को राज्य स्तर पर मनाया जाये ।	
8.	(अ) साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित निर्धन लोगों को तत्काल सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाये ।	(अ) राज्य सरकार पहले ही यह कार्यवाही कर रही है ।
	(ब) टाडा व अन्य प्रावधानों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को मुक्त किया जाये ।	(ब) टाडा एक्ट समाप्त हो चुका है । इसके तहत पूर्व में बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के प्रकरणों की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित रिव्यू कमेटी द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर निर्णय लिया जाता है ।
9.	अल्पसंख्यक समुदायों को अन्य	इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा

1	2	3
	पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया जाये ।	स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष इन समुदायों को अपना पक्ष रखने की पूर्ण स्वतन्त्रता है ।
10 एवं 18	अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं के विकास हेतु और अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जायें ।	इस कार्य के लिए राजकीय विद्यालयों में पहले से ही व्यवस्था है ।
11.	मुस्लिम समुदाय में उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा के विकास के लिए मदरसों एवं मकतबों में गणित, विज्ञान व समाज विज्ञान जैसे विषयों के अध्यापन की व्यवस्था कराई जाये ।	
12.	मुस्लिम पर्दानशीन निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने व उन्हें सिलाई-कढ़ाई सिखाने हेतु महिला शिक्षकों की व्यवस्था की जाये ।	राज्य सरकार की "सरस्वती योजना" में सभी को साक्षर करने के समान अवसर प्राप्त हैं ।
13.	प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक-एक व्यक्ति शामिल किया जाये ।	
14.	महिला शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में पृथक महाविद्यालय खोले जायें तथा उर्दू व गुरुमुखी भाषा का अध्ययन प्राथमिक से कॉलेज स्तर तक जोड़ा जाये ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे दुनिया की तालीम से जुड़ सकें ।	
15.	अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों के आर्थिक उत्थान हेतु उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाये ।	

1	2	3
16.	सरकारी नौकरी के लिए जामियां उर्दू, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाये।	
17.	अल्पसंख्यकों की जन-समस्याओं के त्वरित निवारण की कार्यवाही की जाये।	वांछित कार्यवाही की जा रही है।
19.	राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु चयन समितियों/बोर्ड्स में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि रखे जायें।	इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही दि. 8.6.94 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
20.	अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति में भेद-भाव करने जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाये।	
21.	अल्पसंख्यक वर्ग की तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को निर्वाह भत्ता देने व रोजगार के अवसर प्रदान किये जायें।	तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को निर्वाह भत्ता दिये जाने हेतु मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स) एक्ट, 1986 के तहत प्रावधान मौजूद हैं तथा विधवा महिलाओं को राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के अवसर प्राप्त हैं।
22.	तकनीकी शिक्षा एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रमों के लिए गठित सलाहकार समिति में अल्प-संख्यकों की भागीदारी :—	
	(अ) अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं विकास हेतु तक-	(अ) तकनीकी शिक्षा के लिए लगभग सभी जिलों में एक

1	2	3
	नीकी शिक्षा प्रणाली पर अधिक बल दिया जाये जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र; हाथकर्घा, कुटीर उद्योग, सिलाई-कढ़ाई, बुनाइ, पेंटिंग, गलीचा बनाना, रंगाई-छपाई; स्कूटर मोटर मैके-निक कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क्स आदि की व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाये ।	से अधिक औद्योगिक प्रशि-क्षण संस्थान है, जिनका लाभ सभी वर्ग के व्यक्ति ले सकते हैं ।
	(ब) अल्पसंख्यक समुदाय जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनकी भागीदारी निश्चित करने के लिए आयोग का सुझाव है कि प्रादेशिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग वित्त एव विकास निगम एवं अन्य जिला स्तरीय समि-तियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।	(ब) इस प्रस्ताव में जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग एवं वित्त एवं विकास निगम तथा अन्य जिला स्तरीय समि-तियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, उसका प्रावधान अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु पहले से ही है ।
23.	मस्जिदों में पेश इमामों व मुअज्जिमों को मानदेय भुगतान किया जाये ।	
25.	अल्पसंख्यक वर्ग के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित किया जाये ।	इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित होने का अवसर सभी को प्राप्त है ।

257

भरतपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

368. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर शहर स्थित न्यू जनरल हास्पिटल एवं जनाना अस्पताल में डाक्टरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त अस्पतालों में स्वीकृत पदों पर केवल सम्बन्धित विभागों के ही डाक्टरों की नियुक्ति की गई है? यदि नहीं, तो किन-किन विभागों में प्रतिनियुक्ति कर अन्य डाक्टरों को पदस्थापित किया गया है ?

(3) उक्त अस्पतालों के कौन-कौन से वार्डों में डाक्टरों के पद कब-कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) भरतपुर शहर स्थित न्यू जनरल हास्पिटल एवं जनाना अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। न्यू जनरल हास्पिटल भरतपुर में स्वीकृत पदों पर पद विरुद्ध पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद जिसके विरुद्ध पदस्थापित है	चिकित्सक का नाम	पद
1. व. विशेषज्ञ (सर्जरी)	डा. बलवीर सिंह	क.विशेषज्ञ (सर्जरी)
2. क.विशेषज्ञ (ई.एन टी.)	डा. दिनेश गोदहन	क विशेषज्ञ (स्त्री रोग)
3. क. विशेषज्ञ (दन्त)	डा. करनसिंह	चि. अ.
4. व.चि.अधि.	डा. मिथलेश खण्डेलवाल	क.विशेषज्ञ (नेत्र रोग)
5. व.चि.अधि.	डा. अशोक वर्मा	क. वि. (स्त्री रोग)

(3) न्यू जनरल हास्पिटल भरतपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों का मय अवधि विवरण संलग्न सूची के अनुसार सदन की मेज पर रखा जाता है। वरिष्ठ विशेषज्ञ कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरांत तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों का तदर्थ नियुक्ति एवं राज. लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या 995 के भाग एक की सूची)

भरतपुर शहर स्थित न्यू जनरल हास्पिटल एवं जनाना अस्पताल में डाक्टरों के स्वीकृत पदों का विवरण

		पद नाम	स्वीकृत पद
1.	न्यू जनरल हास्पीटल, भरतपुर	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	10
		2. उप नियंत्रक	1
		3. कनिष्ठ विशेषज्ञ	13
		4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7
		5. चिकित्सा अधिकारी	34
		6. रिफरेक्सनिस्ट	1
2.	जनाना अस्पताल, भरतपुर	1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		2. चिकित्सा अधिकारी	3

तारांकित प्रश्न संख्या 995 के भाग तीन की सूची

न्यू जनरल हास्पिटल भरतपुर में चिकित्सालयों के रिक्त पदों की सूची विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक कब से रिक्त है	विशेष विवरण
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1.12.97	डा. बलवीर सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) पद विरुद्ध
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)	1	1.6.97	डा. बिनेश गोदहन, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) पद विरुद्ध
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1	1.3.96	डा. करनसिंह, चिकित्सा अधिकारी, पद विरुद्ध
4.	उप निदेशक	1	24.10.97	—
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	दो पद पिछले 3 वर्ष से एवं एक पद 7.1.98 से	डा. मिथलेश खण्डेलवाल. कनिष्ठ विशेषज्ञ, (नेत्र) एवं डा. अशोक वर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) पद विरुद्ध
6.	चिकित्सा अधिकारी	3	7.4.98 21.4.98 3.9.96	—
7.	रिफरेक्सनिस्ट	1	आरम्भ से रिक्त	

जिला डूंगरपुर की अपूर्ण सड़कें

369. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के ग्राम आसेला से बनकोडा वाया माटडा, हडमतिया, जोगीवाडा, कोलखंडा-माथुगामडा से भचडिया वाया खेमारपाल भेमेला, बसी ओडवाडिया, रघुनाथपुरा-फूटी तलाई से तोरणिया वाया खजुरिया, रघुनाथपुरा, सवगढ़, बागदरी-रामपुर से टाडी ओबरी वाया मक्षोला, नलवा की सड़कें अपूर्ण हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि गत 5-6 वर्षों से डूंगरपुर से आसपुर वाया, गणेशपुर सड़क फलोज गांव के पास अतिवृष्टि से टूटी हुई है ? यदि हां, तो इस सड़क को ठीक नहीं करने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । सड़क नीति में आने वाली सड़कों को नवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता से जोड़े जाने के प्रयास किये जायेंगे । उक्त सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1 आसेला से बनकोडा वाया माटड़ा हड़मतियां जोगीवाड़ा-कोलखण्डा

इस सड़क पर गांव आसेला (1232/91), माटड़ा (741/91), हड़मतिया (773/91), जोगीवाड़ा (303/91), कोलखण्डा (3156/91), एवं बनकोड़ा (3902/91) स्थित है । इन गांवों में आसेला, हड़मतिया, कोलखण्डा, एवं बनकोड़ा डामर सड़क पर स्थित है । शेष गांवों को जोड़ना सड़क नीति में नहीं आता है । अतः इस सड़क का निर्माण अभी प्रस्तावित नहीं है ।

2. माथुगामड़ा से भचड़िया वाया खेमारू-पाल, भेमेला

इस सड़क पर गांव माथुगामड़ा (3971/91), खेमारूपाल (1342/91), बस्सी (3033/91), बस्सी गांव का हिस्सा भेमेला, ओडवाडिया (960/91) एवं भचडिया (336/91) स्थित है । गांव खेमारूपाल एवं ओडवाडिया को जोड़ना सड़क नीति के अन्तर्गत आता है । खेमारूपाल के लिए माथुगामड़ा-पाल से खेमारूपाल कि. मी. 5.50, ओडवाडिया गांव के लिए । कि.मी. लम्बी सड़क नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जोड़ना प्रस्तावित है ।

3. फूटी तलाई से तोरणिया वाया खजूरीया, रघुनाथपुरा, सवगढ़, बागदरी

इस सड़क पर गांव फूटी तलाई (171/91), खजूरीया (1276/91), रघुनाथपुरा (519/91), सवगढ़ (1941/91), बागदरी (1180/91) एवं तोरणियां (222/91) स्थित है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गांव फूटी तलाई, रघुनाथपुरा, सवगढ़ डामर सड़क पर स्थित है। गांव खजूरीया एवं वागदरी को डामर सड़क से जोड़ना सड़क नीति के अन्तर्गत आता है। अतः फूटी तलाई से खजूरीया 2.00 कि.मी. व सवगढ़ से वागदरी 3.00 कि. मी. लम्बी सड़क का निर्माण नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जोड़ना प्रस्तावित है।

4. वागदरी–रामपुर से टाडी ओबरी वाया मझोला नलवा :–

इस सड़क पर गांव मझोला (1085/91), नलवा (1245/91) एवं टाडी ओबरी (952/91) एवं रामपुर (1367/91) स्थित है। इन गांवों में वागदरी–रामपुर डामर सड़क पर स्थित है। शेष गांवों को सड़क से जोड़ना सड़क नीति में आता है, इन गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 9 कि. मी. सड़क लम्बाई नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जोड़ना प्रस्तावित हैं।

(3) जी, हां। यह सड़क वर्ष 1994 की अतिवृष्टि में टूट गई थी जो कि वर्षा ऋतु पश्चात साधारण मरम्मत द्वारा ठीक कर दी गई थी।

इस सड़क का यह भाग गांव फ्लोज के मध्य से गुजरता है। इस सड़क के दोनों किनारों पर मकान बन जाने से सड़क नीची हो गई है एवं समस्त घरों का पानी व वर्षा का पानी सड़क के ऊपर से गुजरता है जिससे डामर द्वारा सड़क का दुरूस्त करना सम्भव नहीं था। इसलिए सड़क को मेटल द्वारा साधारण मरम्मत से सुधारा गया है। इस कार्य को पूर्णरूप से ठीक करने के लिये सड़क को ऊंचा करना एवं पुलिया निर्माण कार्य रख-रखाव मद में स्वीकृत कर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

जिला राजसमन्द में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति

370. श्री रघुवीर सिंह कौशल (सराड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले में 1997–98 में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की गई थी? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया एवं कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ

क्र. सं.	पद	परीक्षा में सम्मिलित कर्मचारी		परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारी		पदोन्नति दी गई
		अ. जाति	अनु. ज. जाति	अ. जाति	अनु. ज. जाति	
1.	कानि से मुख्य आरक्षी	23	1	9	—	9
2.	कानि से मुख्य आरक्षी (एम. टी.)	1	—	1	—	1
3.	हैड कानि. से स. उप निरीक्षक पुलिस	10	1	4	—	3
4.	स. उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पुलिस	—	—	—	—	—

चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता प्रकरण

371. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में कितने मेडीकल कालेज कहां–कहां, कब खोले गये ?

(2) क्या मेडिकल कालेजों को "मेडीकल कोन्सिल ऑफ इण्डिया" से मान्यता प्राप्त करनी होती है ? यदि हां, तो मान्यता के लिए मानदण्ड क्या हैं ?

(3) क्या प्रदेश के मेडीकल कॉलेज उन मानदण्डों को पूरा करते हैं ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में राज्य में कोई मेडीकल कॉलेज नहीं खोला गया । राज्य में अन्तिम मेडीकल कालेज कोटा में दिनांक 19–2–92 से प्रारम्भ हुआ ।

(2) जी, हां । मान्यता हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मानदण्ड निर्धारित हैं जिनमें प्रत्येक 100 प्रवेश हेतु 700 शैयाओं का चिकित्सालय, भवन हेतु भूमि, निर्धारित शिक्षक चिकित्सक, शिक्षक एवं छात्र अनुपात न्यूनतम निर्धारित उपकरण, आवास व छात्रावास, किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, सभागार, अध्ययनकक्ष, पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन, कार्यशाला भवन आदि हैं ।

(3) जी, हां । प्रदेश के मेडिकल कॉलेज निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं ।

गंगानगर में ओवरब्रिज निर्माण

372. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार श्री गंगानगर शहर के तीनों रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं । सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम नगला परशुराम (भरतपुर) में ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण

373. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गांव नगला परशुराम थाना चिकसाना पंचायत समिति सेवर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ग्राम रास्तों को स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने रोक दिया है?

(2) सरकार अब इस ग्राम रास्ते को जनहित में कब तक खुलवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । ग्राम नगला परशुराम में श्री हरूआ ब्राह्मण के मकान के सामने, जहां गांव के जाटवों द्वारा रास्ता ग्राम

(गृह मंत्री)

बताया जाता है, कोई रास्ता नहीं है। श्री बरूआ ब्राह्मण के मकान के सामने बोरिंग व इंजन लगा हुआ है, इमारत बनी हुई है एवं पशुओं को बांधने के स्थान बने हुए हैं। उक्त जमीन में हो कर रास्ता लेने के प्रकरण अदालतों में विचाराधीन है।

(2) यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में चिकित्सा सुविधाएं

374. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार की कौन-कौन सी पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार साडास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय नेवरिया, बोलो का सांवता आजोलियों का खेड़ा, एवं खारखन्दा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कुल 56 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 47 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपकेन्द्र स्वीकृत है तथा 7 ग्राम पंचायतों में उनके क्षेत्र के ग्रामों में उपकेन्द्र स्वीकृत है तथा 2 ग्राम पंचायतों में आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। साडास में वर्तमान में उपकेन्द्र स्वीकृत है। पंचायत समिति गंगरार की 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 0.75 लाख है। जनसंख्या मापदण्डानुसार 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति क्षेत्र में खोलने के लक्ष्य के अनुरूप 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(3) जी, नहीं। नेवरिया आजोलियां का खेड़ा में आयुर्वेद औषधालय है तथा खोरखेड़ा व बालो का सांवता के पंचायत मुख्यालय के क्षेत्र के ग्रामों में उपकेन्द्र स्वीकृत हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1060 के भाग 1 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र गंगरार की पंचायत मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सा सुविधाओं की सूची

ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम	स्वीकृत संस्थान
1. गंगरार	सा. स्वा. केन्द्र
2. पूठोली	प्रा. स्वा. केन्द्र
3. सोनियाना	उपकेन्द्र/ग्रायुर्वेद ग्रोषधालय
4. बूढ	उ. उपकेन्द्र/ग्रायुर्वेदिक ग्रोषधालय
5. बोरदा	उ. उपकेन्द्र
6. मण्डफिया	उपकेन्द्र
7. साड़ास	उपकेन्द्र
8. सादी	उपकेन्द्र
9. रघुनाथपुर	उपकेन्द्र
10. उण्डवा	उपकेन्द्र
11. कुवालिया	उपकेन्द्र/ग्रायुर्वेदिक औषधालय
12. लालास	उपकेन्द्र
13. तुम्बडिया	उपकेन्द्र
14. कांटि	उपकेन्द्र
15. सुवानिया	उपकेन्द्र
16. सुदरी	उपकेन्द्र
17. राशिम	सा. स्वा. केन्द्र
18. रूद	उपकेन्द्र
19. ग्रडाना	उपकेन्द्र एवं चटावटी में उपकेन्द्र
20. हिण्डोली	प्रा. स्वा. केन्द्र
21 पहूंचा	प्रा. स्वा. केन्द्र
22. सिधाना	उपकेन्द्र
23. बावलास	उपकेन्द्र

1	2	3
24.	लसाडिया कलां	उपकेन्द्र
25.	आरणी	उपकेन्द्र एवं गोपालपुरा कलां में उपकेन्द्र
26.	रेबाड़ा	उपकेन्द्र एवं पहुंनी में उपकेन्द्र
27.	सांखली	उपकेन्द्र
28.	मालोटा की खेड़ी	उपकेन्द्र
29.	मरमी	उपकेन्द्र
30.	भीमगढ़	उपकेन्द्र
31.	बारू	उपकेन्द्र
32.	उपरेड़ा	उपकेन्द्र एवं मुरोली में उपकेन्द्र
33.	पावली	उपकेन्द्र
34.	ऊंचा	उपकेन्द्र
35.	सोमी	उपकेन्द्र
36.	सोमर वालों का खेड़ा	उपकेन्द्र
37.	जाखमा	उपकेन्द्र
38.	उसरोल	उपकेन्द्र
39.	अनोपपुरा	उपकेन्द्र
40.	फलासिया	उपकेन्द्र
41.	निलोद	उपकेन्द्र
42.	लुणेरा	इपकेन्द्र
43.	चौथपुरा	उपकेन्द्र
44.	बस्सी	प्रा. स्वा. केन्द्र
45.	पालका	उपकेन्द्र
46.	सोनगर	उपकेन्द्र
47.	घोसुन्डी	उपकेन्द्र

उन पंचायत मुख्यालयों की सूची जिनके क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में उपकेन्द्र/आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत है।

1.	चौगावड़ी	सेमलिया में उपकेन्द्र
2.	खारखन्द्रा	इन्दोरा में उपकेन्द्र

1	2	3
	3. बोलो का सांवला	गुरजनिया उपकेन्द्र
	4. जोजरों का खेड़ा	गोवलिया ,,
	5. प्राजोलिया का खेड़ा	आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत है ।
	6. हरनाथपुरा	गुरजरिया में उपकेन्द्र
	7. जड़ाना	लसाड़िया खुर्द में उपकेन्द्र व मुख्यालय जाड़ाना में आयुर्वेदिक औषधालय
	8. नेवरिया	आयुर्वेदिक औषधालय
	9. कानाखेड़ा	मालीखेड़ा में उपकेन्द्र

नोट :—पं. सं. गंगरार में ग्रामदानी ग्राम देवदा में उपकेन्द्र

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पद पर चयन

375. **श्री जयन्तीलाल कोली** (रेवदर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1997-98 में डी.पी.सी. हेतु 13 रिक्तियों के लिए मूलतः राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को रिक्यूजिशन पत्र भेजा था? यदि हां, तो फिर 11 रिक्तियों के लिए अधिक्षण अभियंता (सिविल) के पद हेतु डी.पी.सी. क्यों की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1997–98 की डी. पी. सी. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पद हेतु माह अप्रेल, 1997 में करनी थी उसे 24 नवम्बर, 1997 को क्यों की गई? क्या उक्त तिथियों को डी. पी. सी. की बैठक नहीं करने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति से वंचित करना था ? क्या 1–4–97 से 24–11–97 की अवधि में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के दो पद (ए. डी. बी.) (शाहपुरा एवं राज. पर्यटन विकास निगम में) उपरोक्त 13 रिक्तियों के अतिरिक्त थे? क्या उक्त पदों को समाप्त कर दिया गया? क्या यह सही है कि डी. पी. सी. अप्रेल, 1997 में की जाती तो 15 रिक्तियों के विरुद्ध सभी योग्य आरक्षित अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति मिल जाती ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार 1997–98 की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पद हेतु की गई डी.पी.सी. को रिव्यू करने का विचार

(श्री जयन्तीलाल कोली)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों की सेवानिवृति आयु 69 वर्ष कर दी है ? क्या वर्ष 1998–99 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियों की गणना निश्चित हो चुकी है क्या इस कारण वर्ष 1998-99 की डी. पी. सी. में विलम्ब हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार वर्ष 1998–99 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल) को पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1997–98 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 24 अगस्त, 1997 को 13 अधीक्षण अभियन्ताओं (सिविल) के होने वाले रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय समिति की बैठक आयोजित करने हेतु निवेदन किया गया था । अभी यह मामला विचाराधीन ही था कि अधीक्षण अभियन्ताओं के दो पदों की कटौती की गई । एक तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ने अधीक्षण अभियन्ता को विभाग में परावर्ति कर दिया एवं अन्य अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने से मना कर दिया । ए.डी.बी. वृत–शाहपुरा का फोर लेनिंग का कार्य पूरा हो जाने के फलस्वरूप ए.डी.बी. वृत-शाहपुरा एवं इसके साथ स्वीकृत होने वाले समस्त पदों को राज्य सरकार ने दिनांक 1.10.97 से समाप्त करने का निर्णय लिया । इस प्रकार 13 पदों के स्थान पर वर्ष 1997–98 में 11 पद उपलब्ध हुये । जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

(2) यह सही नहीं है कि अधीक्षण अभियन्ताओं की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह अप्रेल में आयोजित करनी थी । नियमों में इस तरह की बाध्यता नहीं है । नियमों में यह प्रावधान है कि दिनांक 1 अप्रेल के प्रत्येक वर्ष को उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की गणना जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिये एवं जितना जल्दी हो सके विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर लेनी चाहिए । कतिपय कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में विलम्ब हो जाता है । यह सही नहीं है कि माह नवम्बर, 1997 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का पदोन्नति के लिए वंचित करना था । 13 पदों की गणना करते समय ए.डी.बी वृत–शाहपुरा एवं राज. पर्यटन विकास निगम में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता का पद सम्मिलित था । किन्तु पर्यटन विकास निगम प्रतिनियुक्ति पर लेने को सहमत नहीं हुआ और ए. डी. बी. वृत भी अक्टूबर माह से आगे रखने के लिए भारत सरकार सहमत नहीं थी अतः दो पद आस्थगित रखने पड़े । यदि अप्रेल माह में विभागीय पदोन्नति समिति की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बैठक आयोजित की जाती तो दो अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह जाते।

(3) वर्ष 1997-98 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा को रिव्यू करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 11 पदों की गणना बिलकुल सही की गई है।

(4) जी, हां। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु 60 वर्ष कर दी है। वर्ष 1998–99 में अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों की गणना एवं पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है एवं सेवा निवृति की आयु 58 से 60 वर्ष कर देने मात्र से पदों के रिक्तियों की गणना में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

(5) वर्ष 1998–99 में रिक्त पदों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। रिक्तियों की गणना के उपरान्त यदि विचार क्षेत्र (जोन आफ कंसीडरेशन) में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का नाम आ जायेगा तो उनकी पदोन्नति कर दी जायेगी।

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 480 का विवरण)

टौंक जिले में सिलिकासेण्ड एवं क्वार्टज की खानों से हुए खनिजों के उत्पादन एवं आय का विवरण

वर्ष	गत तीन वर्षों में स्वीकृत पट्टों से				टोंक जिले में स्वीकृत एवं प्रभावशील सभी खनन पट्टों से			
	सिलिकासेण्ड		क्वार्टज		सिलिकासेण्ड		क्वार्टज	
	उत्पादन (टनों में)	आय	उत्पादन (टनों में)	आय	उत्पादन (टनों में)	आय	उत्पादन (टनों में)	आय
95-96	निल	निल	1651	18000/-	10695	179396/-	13354	187763/-
96-97	निल	निल	1570	27000/-	4744	87053/-	8836	209970/-
97-98	185	3600/-	515	13350/-	2875	118366/-	11099	213840/-
योग	185	3600/-	3736	58350/-	18314	384815/-	33289	611573/-

पट्टेधारियों में बकाया राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	एम. एल. नम्बर	बकाया राशि
1.	श्री लालचन्द बालोदिया निवासी 109, बापू नगर, जयपुर	3 (89)	8376.00
2.	श्री प्रेमचन्द जैन निवासी–चान्दसेन, तह. मालपुरा	2 (90)	1000.00
3.	श्री मोहम्मद असलम नकवी निवासी–मालपुरा	3 (90)	7480.00
4.	श्री संजय कुमार डण्डोना निवासी-निवाई	2 (92)	26377.00
5.	मै. वसुन्धरा उद्योग निवासी–नाहरगढ़ रोड, जयपुर	9 (79)	20499.00
6.	मै. सिलिका किंग, 18, गोविन्द मार्ग, जयपुर	45 (70)	15333.00
7.	मै. बालाजी मिनरल्स, जयपुर	1 (88)	27962.00
8.	मै. बालाजी मिनरल्स, जयपुर	1 (81)	20867.00
9.	श्री हरीश कुमार व्यास, वनस्थली	2 (88)	20309.00
		योग	148103.00

271

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची)

सूची वाहन दिनांक 16-12-97 से 23-12-97 तक कर्फ्यू के दौरान जो वाहन अधिग्रहण किये गये

क्र. सं. 1	वाहन नं. मैकर 2	कब प्राप्त किया 3	कब छोड़ा 4	मालिक का नाम 5
1.	आरजेएल-8988 एल.पी.	16-12-97	22-12-97	सुरेशकुमार प्लांट नं. 156, जयपुर
2.	आरएनजी-3189 टाटा407	,,	23-12-97	ओमप्रकाश, श्रीमाधोपुर, सीकर।
3.	आरजे-14-जी-1639 ,,	,,	,,	नत्थीलाल बैरवा सांगानेर, जयपुर।
4.	आरजे-14-जी-9427 ,,	,,	,,	अमरचन्द चौमूं जयपुर।
5.	आरजेक्यू-1625 ,,	,,	,,	कल्लूजी कुरेशी रोडवेज, जयपुर।
6.	आरजे-14-जी-8298 ,,	,,	,,	ओमजी चांदपोल, जयपुर।
7.	आरएसजी-5560 एल.पी.	,,	21-12-97	अरूणकुमार माहेश्वरी शोपिंग सेन्टर, जयपुर
8.	आरजे-14-जी-3691 टाटा-407	,,	23-12-97	बाबूलाल सैनी ब्रह्मपुरी, जयपुर।
9.	आरएसजी-3338 टाटा-608	,,	21-12-97	सिंधूभाई, हाजी कालोनी, जयपुर।
10.	आरजे-14-जी-9002 टाटा407	,,	24-12-97	भूरामल मानसरोवर, जयपुर।
11.	आरजे-14-जी-2936 टाटा607	,,	,,	राजीव तनेजा जवाहरनगर, जयपुर।
12.	आरजेजी-703 टाटा 407	,,	22-12-97	सत्यनारायण चुंगी रोड, जयपुर।
13.	आरएसबी-2951 एल.पी.	,,	,,	मालसिंह गोविन्दनगर, जयपुर।

1	2	3	4	5
14.	ग्रारजेवी-1472 एल.पी.	,,	22-12-97	सावन्तसिंह नन्दपुरीका, जयपुर ।
15.	ग्रारजे-14 जी-7884 टाटा 407	,,	,,	भंवरसिंह ग्रमरनगर, जयपुर ।
16.	ग्रारजे-14 जी-8964 ,,	,,	23-12-97	कैलाश सिकंदरा ।
17.	ग्रारजे-14 जी-3914 ,,	,,	22-12-97	प्रेमसिंह जगतपुरा, जयपुर ।
18.	ग्रारजे14 जी-3645 मिनी ट्रक	,,	21-12-97	गंगाराम चौमूं जयपुर ।
19.	ग्रारजे-14 जी-3246 टाटा 407	,,	23-12-97	जगदीश मालवीयनगर, जयपुर ।
20.	ग्रारजे-23 जी-0761 ,,	,,	,,	गोपालसिंह नि., सीकर ।
21.	आरएनजी-2035 एल.पी.	,,	,,	प्रहलाद जनता कालोनी, जयपुर ।
22.	आरएनजी 3198 अएलनि.	,,	21-12-97	सत्यनारायण पुत्र बंशीधर, जयपुर ।
23.	ग्रारजे-14 जी-0821 टाटा 407	,,	22-12-97	रामलाल खेजरोली चौमू, जयपुर ।
24.	ग्रारजे-14 जी-5514 ,,	,,	,,	भगवानसहाय, जयपुर ।
25.	आरएसएल-0570 ,,	,,	19-12-97	नासर पुत्र निशाद, जयपुर ।
26.	ग्रारएसएफ-8885 एएलनि.	,,	21-12-97	रिछपाल के. एस. मोटर कं., जयपुर ।
27.	ग्रारएनए-3714 एल.पी.	,,	,,	रामरतन शर्मा नि. फतेहपुर ।
28.	ग्रारजेएल-8313 ,,	,,	,,	ग्रम्बादास पुत्र नारायणदास, जालुपुरा ।
29.	ग्रारएनवी-1812 608	,,	22-12-97	ज्ञान रोडवेज संसार चंद्र रोड, जयपुर।
30	ग्रारजे-14/जी/4131 407	,,	,,	रामस्वरूप सैनी विश्वकर्मा, जयपुर ।
31.	आरजे-26/जी/0390 ,,	,,	23-12-97	श्री बशीरखां, जयपुर ।
32.	ग्रारजे-14 जी-0982 टाटा 407	,,	21-12-97	श्री सांवताराम नि. जालुपुरा, जयपुर ।

(274)

1	2	3	4	5
33	आरजे-14 सी-9584 जीप	16-12-97	22-12-97	यासिम एण्ड जी.एम.एस.ग्रो. 7 हवा सड़क, जयपुर।
34.	आरजे-14 जी-7264 जीप	,,	,,	कर विभाग, जयपुर।
35.	आरजे-25 सी-0879 जीप	,,	,,	नगर पालिका, करौली।
36.	आरजे-14 ए-2564 जिप्सी	,,	19-12-97	पी डब्ल्यू डी, जयपुर।
37.	आरजे-14 ए-1849 जीप	,,	22-12-97	पी डब्ल्यू डी, जयपुर।
38.	आरआरएक्स-9896 ,,	,,	24-12-97	पी डब्ल्यू डी, जयपुर।
39.	आरजे-14 वनसी-1264 जीप	,,	,,	भूजल विभाग, जयपुर।
40.	आरजे-14 सी-4001	,,	,,	खादी बोर्ड जयपुर।
41.	आरजे-14 ए-2563 जिप्सी	,,	18-12-97	पी डब्ल्यू डी, जयपुर।
42.	आरजे-14 सी-7045 ,,	,,	25-12-97	रिको जयपुर।
43.	आरजे-14 2सी-5860 टाटासूमो	,,	17-12-97	स्वामी नन्दन।
44.	आरएनएल-3012 जीप	,,	21-12-97	वन विभाग, जयपुर।
45.	आरजे-14 पी-5061 ,,	,,	23-12-97	राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर।
46.	आरजेएल-3003 ट्रक हाफबोडी	18-12-97	21-12-97	बाबूलाल जयपुर।
47.	आरआरबी-9921 ,,	,,	,,	रामसिंह कानोता, जयपुर।
48.	आरएसजी-5807 ,,	,,	,,	रामसिंह गांधीनगर, जयपुर।
49.	आरजे-14 जी-9192 709	,,	,,	जगदीश मोहन
50.	आरएसबी-520 हाफबोडी ट्रक	,,	,,	चौथूराम झालावा
51.	आरआरएल-7833 ,,	,,	,,	बद्री मीणा, जगतपुरा।
52.	आरजे-5 जी-1264 ,,	,,	,,	रूपसिंह नदबई, भरतपुर।
53.	आरजे-14 जी-202 ,,	,,	,,	राजेश जगतपुरा।
54.	आरएनजी-3900 ,,	,,	,,	पालडी हाऊस जगदीश प्रसाद
55.	आरजेवी-4773 ,,	,,	,,	सोहनलाल कानोता।
56.	आरएनबी-4056 ,,	,,	,,	रामेश्वर
57.	आरजे-14 जी 7332 टाटा 608	19-12-97	22-12-97	लालाराम

1	2	3	4	5
58.	आरजे-14 1432 जीप	18-12-97	23-12-97	पी डब्ल्यू डी, जयपुर।
59.	आरजे-14 सी-7983 जिप्सी	,,	19-12-97	राष्ट्रीय प्रसारण, जयपुर।
60.	आरजे-14 टी-1724 जीप	,,	24-12-97	जेडीए
61.	आरजे-14 टी-1795 ,,	,,	22-12-97	जेडीए
62.	आरजे-14 टी-1494 ,,	,,	,,	डीपीडीए
63.	आरपीआई-8857 ,,	,,	24-12-97	भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
64.	आरजे-14 सी-1405 ,,	,,	,,	सर्वे आफ इण्डिया
65.	आरजे-14 टी-1604 ,,	,,	,,	नगर निगम, जयपुर।
66.	आरजे-14 टी-1286 ,,	,,	23-12-97	नगर निगम, जयपुर।
67.	आरजे-14 टी-1884 ,,	,,	24-12-97	नगर निगम, जयपुर।
68.	आरपीएच-8309 ,,	,,	19-12-97	आरएसईबी

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 484 की प्रति)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/93 थाना क्रिश्चनगंज जिला अजमेर

सेवामें श्रीमान् थानाधिकारी थाना क्रिश्चनगंज, अजमेर। महोदय निवेदन है कि सवा छः बजे मेरे घर निवास स्थान 4–के–10 वैशालीनगर, अजमेर पर ही था मेरी माता जी स्वयं मेरे छोटे भाई की पत्नि बाजार जाने के लिए घर से निकले थे मेरे छोटे भाई की पत्नि ने मुझे आकर बताया कि मैं और मम्मी घर से निकल कर श्री कोठारी के मकान पहुंचे ही थे कि पीछे से अचानक एक तेज लहराती हुई जिप्सी नं. आर. जे. 001–203 सफेद रंग की आई और मम्मी के लापरवाही से पीछे से टक्कर मारी जिससे मम्मी नीचे गिर गई मम्मी के सिर में पीछे से खून निकलने लग गया, मम्मी मौके पर ही बेहोश हो गई मैं चिल्लाई तो पास पड़ौस वाले भी इकठ्ठे हो गये जिप्सी को रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रूकी और तेज भगा कर ले गया फिर मैं अपनी मम्मी को इलाज के लिए जे. ला. ने. अस्पताल ले कर आया हूं, मैं रिपोर्ट करता हूं कि कानूनी कार्यवाही की जावे। भवदीय एस डी. देवेन्द्र कुमार पाठक (देवेन्द्र कुमार पाठक) 4–के–10 वैशाली नगर, अजमेर राज. कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार पाठक पुत्र श्री विपीन्द्र कुमार पाठक जाति ब्राह्मण उम्र 32 साल निवासी म. नं. 4–के–10 वैशाली नगर, अजमेर ने लिखित प्रार्थना पत्र मुझ ए. एस. आई. को जे. एल. एन. एच. अजमेर पर पेश किया मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 279/337 ता. हि. का वकू में पाया जाता है। अतः रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म बदस्त कायमी जुर्म एफ. सी. 422 भगत राम के थाना पर भिजवाई जाती है मन ए. एस. आई. अनुसंधान में व्यस्त होता हूं, एस. डी. देवेन्द्र कुमार पाठक एस. डी. धोकल सिंह ए. एस. आई. आई. ओ. पी. एस. क्रिश्चनगंज कैम्प जे. एल. एन. एच. अजमेर 11–2–93 7 पी. एम.

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट कार्यवाही पुलिस श्री धोकल सिंह द्वारा लिखी व भेजी हुई एफ. सी. 422 श्री भगत राम थाना हाजा पर उपस्थित हो कर पेश की, जिसकी नकल प्रथम सूचना रजिस्टर अक्षर से अक्षर की गई मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 279, 337 आई. पी. सी. का घटित होना पाया जाता है। अतः मु. नं. 32/93 धारा उपरोक्त में कायम कर असल एफ.आई.आर. बदस्त एफ. सी. 422 के धोकल सिंह के पास भेजी जाती है। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस. डी. भगतराम

एस. डी. विक्रम सिंह
एस. एच. ओ.
क्रिश्चनगंज अजमेर
दिनांक 11–2–93 समय
7.15 पी. एम.

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 485 का विवरण)

क्र. सं.	अभियोग संख्या	दिनांक	थाना	नाम व नम्बर वाहन	नाम पता वाहन मालिक	बरामद हुआ अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1.	147/96,	7–6–96,	वैशालीनगर	स्कूटर नं. आर.जे.–14–7887	श्री शंकर मोदी पुत्र श्री लालचन्द मोदी निवासी प्लाट नं. 452 वैशालीनगर, जयपुर ।	नहीं
2.	149/97,	9–6–97,	वैशालीनगर	हीरो पुक, मोपेड, आर.जे.–14 8एम–2157	श्री मुकेश चन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन, निवासी प्लाट नं. 107 मोतीनगर, जयपुर ।	नहीं
3.	154/97,	17–6–95,	,,	स्कूटर, आर.एन.एल.–704	श्री कर्मवीर पुत्र श्री दिलीप सिंह कटेवा निवासी 163 विद्याधर नगर, जयपुर ।	नहीं
4.	165/97,	27–6–97,	,,	स्कूटर, आर.जे.–14–2पी8266	श्री लोकनाथ पुत्र श्री कैलाराम निवासी ए–422 वैशालीनगर, जयपुर ।	नहीं

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की प्रति)

एफ.आई.आर. नं. 87/28-6-98 धारा–498 ए. 304 बी. भादस थाना जोबनेर, जयपुर

सेवामें, श्रीमान् इन्चार्ज साहब थाना जोबनेर, जयपुर ग्रामीण, विषय दहेज के लालचों ने मेरी लड़की की हत्या कर दी जिसका मुकदमा दर्ज करने बाबत मान्यवरजी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि करीब तीन साल पहले मैंने मेरी दो लड़कियों जो प्रभाती व फूला का विवाह झरणा गांव में अजय कुमार, सुरेश कुमार उर्फ बाछू पुत्र मांगीलाल जाट सामोटा के साथ किया था जिस शादी में मैंने मांग के अनुसार पूर्ति सोना व नकदी दहेज दे दिया था जो करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हुये शादी होने के कुछ समय बाद मेरी लड़कियों को सासू मनभर, सुसरा मांगीलाल व छोटी लड़की का पति सुरेश कुमार उर्फ बाछू तीनों रोजाना मेरी लड़कियों को परेशान करते व पिटाई करते कि तुम दोनों तेरे बाप से 50/- हजार रुपये व दहेज और ला दो शादी में जो मैंने दहेज दिया था, इस दहेज को मांगीलाल ने अपनी दो लड़कियों की शादी में दे दिया लड़कियों ने मुझे आकर कहा तो पिताजी दहेज और दो नहीं तो मुझे मारने की धमकी देते हैं तो मैं झरणा जाकर सुसरा मांगीलाल को मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं और दहेज नहीं दे सकता दिनांक 21-6-98 को मेरे बेटे रमेश चन्द को बच्ची से मिलने भेजा तो मेरी छोटी लड़की फूला ने कहा कि भैया मुझे साथ ले चलो नहीं तो मुझे मेरे सास-ससुर व पति मारेंगे तो मेरे लड़के ने मुझे आकर सारी बात कही तो मैं 22-6-98 को मैं झरणा गया तो लड़की ने मुझे सारी घटना सुनाई है। बच्ची का सुसरा घर नहीं होने की वजह से बच्ची को समझाकर कहा बच्ची मैं कल शाम को नौकरी करके शाम को तुझे गांव ले चलूंगा यह समझाकर मैं कापड़ियावास कलां आ गया हूं। 23-6-98 को बोराज ड्यूटी करके मैं शाम 6 बजे झरणा गया तो मुझे पता चला कि मेरी लड़की को तो मारकर जला दी तो मुझे वहां मौजूद आदमी श्रवण जाट कापड़ियावास, रामनारायण जाट देवला दोनों ने मुझ के सिर में चोट व गले में फांसी का निशान देखना बताया वहां और मौजूद आदमी झूंथा गाडोता आनन्दीलाल, देवन्दा गाडोती, गोरू चोपड़ा बासड़ी भगतावर, सामोस महला रामकुवार मीणा कापड़ियावास थे तो घटना सुनकर मैं घर चला गया तो घर पर घटना की जानकारी दी कि लड़की को तो लड़की का ससुर मांगीलाल पुत्र हनुता जाट, सासू मनभर पत्नि मांगीलाल सामोता व पति सुरेश कुमार उर्फ बाछू पुत्र मांगीलाल जाट तीनों ने मिलकर लड़की को मार दी तो सुनते ही मेरे घर के आदमी जो मेरी पत्नी बेहोश हो गयी सो मैं उसका ईलाज कराने जयपुर चला गया आज मैं वापस आकर विलम्ब से श्रीमान की सेवा में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करता हूं। मुझे श्रीमान न्याय दिलाकर दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा कराये आपकी महन्ती कृपा होगी प्रार्थी एस.डी छोटूराम पुत्र हुकमाराम जाखड़ मुकाम कापड़ियावास कलां मो. गाडोता (दूदू) ता. 28-6-98

279

पुलिस कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री छोटूराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष निवासी कापड़ियावास कला थाना जोबनेर ने मय श्री छीतर पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी कापड़ियावास कला के हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल शब्द व शब्द रजिस्टर एफ. आई. आर. में अंकित की गई। पढ़कर सुनाया गया। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 498 ए., 304 बी.आई.पी. सी. का वकू में पाया जाता है। अतः मु. नं. 87/98 धारा उपरोक्त में कायम किया जाकर असल एफ.आई.आर. वास्ते अनुसंधान श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय, वृत सांभरलेक को भेजी जाती है। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति निःशुल्क अभियोगी को दी गई। एस. आर. नियमानुसार जारी की गई।

———

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 489 की प्रति)

मु. नं. 79/98 थाना पीपलू दिनांक 31-5-98 धारा 36.3, 366 ता. हि. जिला टोंक

सेवा में श्रीमान् थानाधिकारी जी पुलिस स्टेशन पीपलू, टोंक (राज.) विषयः– प्रार्थी की पुत्री को जबरन जीप में डालकर ले जाने बाबत । महोदय उपरोक्त विषयान्तगंत निवेदन है कि दिनांक 31-5-98 को दिन में 2 बजे करीब श्री बजरंग लालजी पुत्र देवा जाट, रामकरण जाट, श्री लाल पुत्र रामकरण जाट निवासी लाम्बा की ढाणी, राजू जाट नि. दम्बी थाना दम्बी जिला जयपुर, हेमा मीणा निवासी मण्डिया थाना निवाई एक राय होकर जीप में सवार होकर प्रार्थी के गांव नवरंगपुरा आये और प्रार्थी की पुत्री सुनीता जो कुए पर पानी लेने गई हुई थी, को ग्राम रास्ते में जबरन जीप में डालकर ले गये । जिसको मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने देखा था । प्रार्थी को शंका है कि यह व्यक्ति प्रार्थी की पुत्री को कहीं पर बेच भी सकते हैं, यह आदतन बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं । रिपोर्ट पेश है । कार्यवाही करवाई जावे । प्रार्थी की पुत्री की उम्र 14 वर्ष है, यह नाबालिग है । एस.डी., उ. नि. ग्यारसीलाल, प्रार्थी ग्यारसीलाल, प्रार्थी ग्यारसी लाल पुत्र श्री नाथूलाल जाट निवासी नवरंगपुरा, दिनांक 31-5-98.

पुलिस कार्यवाही

उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री ग्यारसीलाल पुत्र नाथूलाल जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी नवरंगपुरा थाना पीपलू ने उपस्थित होकर पेश की कि जिसकी नकल रजिस्टर एफ.आई.आर. में अक्षर ब अक्षर की गई । पढ़कर सुनाई, सही मान निशानी अंगुष्ठ किये । मजिद्र दरयाप्त पर बताया कि मेरी बच्ची सुनीता मुलजिम रामकरण के बच्चे शंकर के साथ पढ़ती है, परन्तु उसके व हमारे अनबन हो गई है, वह वहां नहीं जाना चाहती है । मेरी बच्ची को जबरन ले जाते हुए रामकिशन गुर्जर, भंवरसिंह व रामफूल ने देखा है । यह मेरी बच्ची को जबरन उठाके ले गये । मेरी बच्ची की उम्र 14 वर्ष करीब है । मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 363,366 ता.हि. का वकू में आना पाया जाता है । अतः मु. नं. 79/98 धारा उपरोक्त में कायम कर मैं कैलाश जिन्दल उ. नि. (पी) थानाधिकारी पीपलू मसरूफ तफतीश हुआ । प्रतियां एफ. आई. आर. नियमानुसार ।

एस. डी.
थानाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम कैलाश चन्द उ.नि. (पी)
पद थानाधिकारी, पीपलू
31-5-98

एस. डी.
अ. नि. ग्यारसीलाल

———

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 490 की प्रति) परिशिष्ट "क"

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 107/95 धारा 147, 447, 323, 379 ता. हि. व 3(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट 1989 दिनांक 22.7.98 थाना फुलेरा, जिला जयपुर ग्रा.

सेवामें, श्रीमान् थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना फुलेरा विषय मेरे खेत खसरा नं. 1498 में घुसकर मयमीत करने बाबत। महोदय निवेदन है कि आज दि. 22.7.95 को समय करीब 9-10 दिन में अपने खेत खसरा नं. 1498 में मैं व मेरी औरत गंगा तथा गुलाब, भूरी तथा अन्य परिवार के खेत सूड करने गये थे हम सभी खेत में सूड कर रहे थे कि करीब समय दिन आस-पास श्री लादूराम पुत्र नारायण, प्रहलाद पुत्र हरदेव, जग्गू पुत्र कामड, गंगाराम पुत्र श्योकरण, धीसा पुत्र प्रताप, हरजी पुत्र गंगाराम, श्योजी पुत्र खेतराम तथा मूवा राम, भूराराम धकेडिया वाले व इनकी औरतें लाठियां लेकर मेरे खेत में आये और गाली गलोच कर मार पीट करना शुरू कर दिया हमने हल्ला किया तो आस पडौस के लोगों ने आकर बीच बचाव कर छुड़-वाया। तथा हमारे सूड करने का सामान फावड़ा कुल्हाडी भी ले गये मारपीट में मेरे व गंगा तथा गुलाब के चोटें आई हैं। रिपोर्ट करने आया हूं कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एल.टी.आई. जवाहर पुत्र श्री आशाराम जाती खटीक निवासी बिचून।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट तहरीरी टाइप शुदा ब खत हिन्दी श्री जवाहर पुत्र आशाराम जाति खटीक उम्र 55 वर्ष निवासी बिचून थाना फुलेरा में मय अपनी पत्नि श्रीमति गंगा के व अपने छोटे भाई की औरत श्रीमति गुलाब, पत्नि मांगू, जाति खटीक उम्र 35 वर्ष के उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल रजिस्टर एफ.आर.आई. में अक्षर श:अक्षर की जाकर पढ़ कर सुनाई सही मान अंगूठा निशानी की व मुआयना जिस्म जरबात श्री जवाहर किया गया तो जाहिरा में कोई चोट नजर नहीं आती थाप मुक्कों से मारपीट के कारण शरीर में दर्द बताता है व श्रीमति गंगा पत्नि जवाहर का मुआयना जिस्म जरबात व बलिहाज औरत शर्म रखते हुए किया तो दोनों कूल्हों पर दर्द बताती है। व पीठ में दर्द बताती है। इसके अलावा और कोई चोट नजर नहीं आती। ब नाही बताती है। व श्रीमति गुलाब पत्नि मांगू जाति खटीक का मुआयना जिस्म जरबात बलिहाज औरत रखते हुए किया तो दाहिने पैर के

घुटने पर अन्दर की तरफ दर्द बताती है व बायां हाथ की भुजा के ऊपर दर्द बताती है। व पीट पर दर्द बताती है। व पूरे शरीर में दर्द बताती है। इसके अलावा और कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आती व नां ही बताती है। अतः मजमून रिपोर्ट वा मुआयना जिस्म जरबात से मामला अपराध धारा 147, 447, 323 ता. हि. व 3(5) एस.सी./एस टी. एक्ट 1989 का गठित होना पाया जाता है। अतः मु. नं. 107/95 बदफा उपरोक्त में कायम किया जाकर असल एफ.आर.आई. अग्रिम कार्यवाही हेतु सी.ओ. साहब सांभर के पास भिजवाई जावेगी। प्रति एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई एक प्रति एफ.आई.आर. मुस्तगीस मुकदमा को निःशुल्क दी गई।

एस.डी.

एल.टी.आई	श्री जवाहर	आई/सी थाना पी.एस.
आर.टी.आई.	श्रीमति गंगा	फुलेरा दिनांक 22.7.95
आर.टी आई.	श्रीमति गुलाब	समय 6–15 पी.एम.

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची)

झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत जहां उपकेन्द्र कार्यरत नहीं हैं

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	विशेष विवरण
1.	कोलूखेड़ा मालियान	
2.	कामखेड़ा	
3.	लीमी	
4.	मैसानी	
5.	कोलाना	
6.	रमायदलपत	आयुर्वेद औषधाय
7.	कनवाड़ी	—यथा—
8.	रूपारेल	—यथा—
9.	पनबासा	—यथा—
10.	मूण्डला	—यथा—

कम्पाउन्डर/म. स्वा. का./एम.पी. डब्ल्यू. के रिक्त पदों की सूची

		(रिक्त पदों की संख्या)			
क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम जहां पद रिक्त हैं	नर्स प्रथम	नर्स द्वितीय	म. स्वा. कार्यकर्ता	एम.पी. डब्ल्यू.
1	2	3	4	5	6
1.	खेजड़ा (म. थाना)	—	—	1	1
2.	देवरी कलां	—	—	1	1
3.	सरखंडिया	—	—	1	—
4.	पिण्डोला	—	—	1	—
5.	चांदपुरा मीलान	—	—	1	—
6.	ल्हास	—	—	—	1
7.	सरेडी	—	—	—	1
8.	दोगीपुरा	1	—	—	—
9.	मानपुरा (बकानी)	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6
10.	ग्रासलपुर	—	—	1	—
11.	महुग्रा खोह	—	—	1	1
12.	बिन्दा खेड़ा	—	—	1	1
13.	बोरबन्द	—	—	1	1
14.	बेरागढ़	—	1	—	—
15.	मरवाडा	—	—	1	—
16.	मोडी	—	—	—	1
17.	गेहूंखेड़ी	—	—	—	1
18.	करल गांव	—	—	—	—
19.	खेराना पिडावा	—	—	1	1
20.	गोविन्दपुरा	—	—	1	—
21.	सरखेड़ी	—	—	1	—
22.	ग्रादाखेडी	—	—	1	—
23.	झिकडिया	—	—	1	—
24.	ढाबला मोज	—	—	1	—
25.	सामरिया	—	—	1	—
26.	गराडिया	—	—	1	—
27.	कडला (डग)	—	—	1	—
28.	कीटिया	—	1	—	—
29.	दोबडा	—	1	1	—
30.	पीपलिया खुर्द	1	—	—	—
31.	खोखरिया खुर्द	—	—	—	1
32.	सिहपुर	—	—	1	—
33.	लुहारिया	—	—	1	—
34.	पगारिया	—	—	—	1
35.	रोझाना	—	—	1	1
36.	लावासल	—	—	—	1
37.	दुर्गपुरा	—	1	—	—
38.	हडमतिया	—	—	1	—
39.	गाडरवाडा डूंडी (खानपुर)	—	—	—	1
40.	बांसखेडी (मनोहरथाना)	—	—	—	1
41.	कचानारा (डग)	1	—	—	—
	योग	3	5	25	17

285

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों की रिक्त पदों की सूची

	संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पद संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		क. विशेषज्ञ (नेत्र)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
		स्टाफ नर्स	1
		मेल नर्स प्रथम	1
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैपला	एल. एच. वी.	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली	मेल नर्स-द्वितीय	1
		लैब टैक्नीशियन	1
4.	कोटड़ी	मेल नर्स-द्वितीय	1
	स्वास्थ्य उपकेन्द्र		
1.	मूंदला	प्रसाविका	1
2.	तेलनी	यथा	1
3.	करखेड़ी	प्रसाविका	1
4.	कड़ैयानोहर	प्रसाविका	1
	सा. स्वा. केन्द्र, छीपाबड़ौद	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
		चिकित्सा अधिकारी	3
		स्टाफ नर्स	2
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतूकोला	मेल नर्स-II	1
	एडपोस्ट, स्वास्थ्य केन्द्र, टांचा	मेल नर्स-I	1

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 512 का विवरण)

क्र.सं.	जिला	डकैती	लूट	हत्या	बलात्कार
1.	अजमेर	7	20	23	15
2.	भीलवाड़ा	1	25	12	26
3.	नागौर	—	13	21	6
4.	जयपुर (उत्तर)	—	10	11	8
5.	जयपुर (दक्षिण)	2	13	9	12
6.	जयपुर (ग्रामीण)	4	19	26	19
7.	झुंझुनूं	2	4	14	—
8.	सीकर	1	7	26	6
9.	टौंक	1	6	16	19
10.	दौसा	4	5	7	11
11.	बीकानेर	4	4	17	18
12.	चूरू	3	4	18	9
13.	गंगानगर	—	9	37	19
14.	हनुमानगढ़	1	9	24	21
15.	भरतपुर	10	35	40	33
16.	अलवर	3	28	33	15
17.	सवाईमाधोपुर	—	11	9	8
18.	धौलपुर	2	5	20	12
19.	करौली	1	14	14	14
20.	जोधपुर	—	25	26	19
21.	जालौर	—	8	12	8
22.	जैसलमेर	—	7	6	2
23.	बाड़मेर	—	9	17	5
24.	पाली	5	16	23	15
25.	सिरोही	1	12	10	14
26.	कोटा (शहर)	2	50	12	15

1	2	3	4	5	6
27.	कोटा (ग्रामीण)	5	21	10	14
28.	बूंदी	2	56	15	18
29.	झालावाड़	3	43	25	41
30.	बारां	5	41	20	28
31.	उदयपुर	—	44	36	18
32.	बांसवाड़ा	2	27	17	49
33.	चित्तौड़गढ़	3	29	27	21
34.	डूंगरपुर	—	2	22	5
35.	रामसमंद	1	4	4	7
36.	जी. आर. पी. अजमेर	1	5	1	1
37.	जी. आर. पी. जोधपुर	—	—	2	—

————